वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
अंक ग्यारह

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2015

© भारतीय रिज़र्व बैंक
सर्वाधिकार सुरक्षित। सामग्री के पुन: प्रयोग की अनुमति है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **http://www.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

इस रिपोर्ट का फीडबैक **fsu@rbi.org.in** पर दिया जा सकता है।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा जयंत प्रिंटरी, गिरगांव मार्ग, मुरलीधर मंदिर कम्पाउन्ड, ठाकुरद्वार पोस्ट-ऑफिस के पास, मुंबई 400 002 द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित।

प्रस्तावना

यूएस फेडरल रिज़र्व (फेड) द्वारा तथाकथित 'टेपर टैंट्रम' को सक्रिय किए हुए अभी दो वर्ष से थोड़ा अधिक समय ही हुआ है, लेकिन बढ़ती अस्थिरता के मध्य ही सही वैश्विक वित्तीय बाजारों में तब से सुधार तो हुआ है। वैश्विक कारकों एवं संगठित घरेलू नीतिगत निर्णयों ने बहुत हद तक हमारी अर्थव्यवस्था के समष्टि-आर्थिक आधार तंत्र में सुधार करने के साथ-साथ भावी अनिश्चितताओं के विरुद्ध अतिरिक्त बफ़र को तैयार करने में सहायता प्रदान किया है। तथापि, यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा की जा रही संभावित कड़ाई के साथ-साथ अन्य बड़े केंद्रीय बैंकों के एक के बाद एक मात्रात्मक सुलभता (क्वांटिटेटिव इजिंग) प्रोत्साहन कार्यक्रम वैसे 'टैंट्रम' की श्रृंखलाओं में से एक हो सकते हैं जिससे वैश्विक वित्तीय बाजार का सामना होना है। हालांकि, पूरे विश्व में नीति निर्माताओं के मध्य बेहतर समन्वय के लिए चारो ओर मतैक्य बनाने के लिए प्रयास जारी हैं, हमें स्पीलओवर के बारे में सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी बीच नई संभावनाओं की प्राप्ति से ईडीएमडीई को सापेक्षिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है एवं भारत के लिए कीमत से इतर प्रतिस्पर्धा में सुधार के साथ-साथ अक्षमताओं में कमी लाना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

इसी पृष्ठभूमि में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 11वां अंक भारतीय वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य की सामयिक जांच करता है। जहां 'लघु वित्त बैंक' एवं 'भुगतान बैंक' जैसी नई इकाईयों के अस्तित्व में आने के साथ ही भारतीय बैंकिंग परिदृश्य बदलने को तैयार है, वहीं धारणीय एवं न्यायोचित वित्तीय संवृद्धि की जरूरत को समर्थन देने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी। इस संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर लगातार दबाव एवं इसके परिणास्वरूप पूंजी पर्याप्तता पर पड़ने वाले दबाव चिंता के विषय हैं। अतः उनके उत्तराधिकार से संबंधित मामलों के समाधान, उनके शासन के ढांचे व प्रक्रियाओं को मजबूत करने एवं उनके निष्पादन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना सरकार के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान जरूरत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बाजरों के समग्र विनियामक ढांचे में भी कुछ इस तरह के परिवर्तन लाए जा सकते हैं कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए बाजार तक पहुंच एवं स्वस्थ शुरूआत को सुगम बनाया जा सके। तदनुसार, एफएसआर के इस अंक को इस तरह से पुनः डिजाइन किया गया है कि यह पूरी वित्तीय प्रणाली के समग्र विनियामक ढांचे के लिए अपने दृष्टिकोण को सामने लाए जो पूरे वित्तीय प्रणाली के लिए एक संतुलित, अनुमान लगाने योग्य, संस्थाओं, स्वामित्व एवं तकनीक के प्रति तटस्थ विनियामक युग की परिकल्पना करता है। हालांकि, असुरक्षा के वातावरण को कम करने की दिशा में प्रयास जारी है, घरेलू एवं वैश्विक गतिविधियों पर विनियामकों को पैनी नजर रखनी होगी एवं आवश्यकतानुसार जब कभी जरूरत हो तो एक तत्पर एवं प्रभावी प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना होगा।

रघुराम जी. राजन

गवर्नर

25 जून 2015

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	
संक्षिप्ताक्षरों की सूची	**i-iii**
विहगावलोकन	**1**
अध्याय I : समष्टि-वित्तीय जोखिम	**3**
वैश्विक पृष्ठभूमि 3	
घरेलू अर्थव्यवस्था	6
संवृद्धि	6
मुद्रास्फीति	6
बचत और निवेश	7
सरकारी वित्त	7
बाहरी क्षेत्र	8
कॉरपोरेट क्षेत्र	8
आस्तियों की कीमत	9
हाउसिंग	9
प्रतिभूति बाजार	10
अध्याय II : वित्तीय संस्थाएं : स्वस्थता एवं लचीलापन	**12**
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	12
कार्यनिष्पादन	12
लचीलापन - दबाव परीक्षण	17
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	28
कार्यनिष्पादन	28
लचीलापन - दबाव परीक्षण	28
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	28
कार्यनिष्पादन	28
लचीलापन - दबाव परीक्षण	30
अंतर्संबद्धता	30
अध्याय III : वित्तीय क्षेत्र विनियमन एवं आधारभूत संरचना	**36**
भाग I : बाजार अभिगमन एवं वित्तीय स्थायित्व हेतु विनियमों को सशक्त बनाना	**36**
भाग II : भारत में वित्तीय क्षेत्र - विनियमन एवं विकास	**39**
अंतर्राष्ट्रीय विनियम में गतिविधियां	39
भारतीय वित्तीय प्रणाली में विनियामक एवं विकासात्मक मुद्दे	40
बैंकिंग क्षेत्र	40
ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र	48
वित्तीय समावेशन	49
वित्तीय सुरक्षा जाल : निक्षेप बीमा	50
प्रतिभूति बाजार	51
बीमा क्षेत्र	56
जिंस डेरिवेटिव बाजार	56
पेंशन क्षेत्र	59
वित्तीय बाजार अवसंरचना	61
अनुलग्नक -1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	**64**
अनुलग्नक -2: कार्य-प्रणालियां	**68**

पृष्ठ सं.

बॉक्स की सूची

2.1	लोहा और स्टील क्षेत्र का कार्य निष्पादन	23
2.2	बिजली क्षेत्र का निष्पादन	24
3.1	बड़े ऋणों की आस्ति गुणवत्ता से संबंधित संशोधित फ्रेमवर्क	43
3.2	क्या पूंजी में वृद्धि करने से जोखिम कम होता है?	46
3.3	फसल एवं अन्य बीमा सेवाएँ सुदृढ़ करने के उपाय	57
3.4	पेंशन क्षेत्र संबंधी बाजपेयी समिति की प्रमुख सिफारिशें	61

चार्ट की सूची

1.1	सरकारी और निजी क्षेत्र की देनदारी	3
1.2	व्यापार भारित यूएस डॉलर सूचकांक	4
1.3	लाभ-अलाभ मद्रास्फीति दर और सरकारी बॉण्ड प्रतिफल	4
1.4	जर्मन बंड्स तथा यूरो हाई यील्ड का प्रसार	5
1.5	चालू खाता शेष	5
1.6	10-वर्ष सोवेरिन बांड प्रतिलाभ (यील्ड)	5
1.7	वृद्धि के संकेतक	6
1.8	बचत और निवेश	7
1.9	राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता	7
1.10	पेट्रोलियम और गैर-पेट्रोलियम आयात	8
1.11	भारत पर कर्ज	8
1.12	कॉरपोरेट क्षेत्र लीवरेज और दिवालिया संकेतक	9
1.13	भारत में घरों का मूल्य	9
1.14	एलटीआई और एलटीवीः नए गृह ऋण में शेयर	10
1.15	इक्विटी रिटर्न	10
1.16	एफपीआई द्वारा कर्ज में निवेश और कर्ज सीमा का उपयोग	11
1.17	कस्टडी के अंतर्गत कुल आस्तियों (इक्विटी और कर्ज) में देश के अनुसार एफपीआई का शेयर	11
2.1	वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ऋण और जमा वृद्धि	12
2.2	चयनित क्षेत्रों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ऋण वृद्धि	13
2.3	पूँजी पर्याप्तता - सीआरएआर	13
2.4	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का लीवरेज़ अनुपात	13
2.5	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	14
2.6	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल अनर्जक अग्रिम	14

पृष्ठ सं.

2.7	बड़े क्षेत्रों में दबावग्रस्त अग्रिम	14
2.8	उद्योग के विशिष्ट उप-क्षेत्रों में जीएनपीए	15
2.9	कुल परिचालन आय में निवल ब्याज आय : बैंक समूह वार	16
2.10	बैंकिंग स्थिरता सूचक	17
2.11	बैंकिंग स्थिरता खाका	17
2.12	राज्य सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक अग्रिम और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के सिस्टम लेवल का प्रोजेक्शन	18
2.13	बैंक समूह अनुसार जीएनपीए अनुपात और सीआरएआर	18
2.14	विभिन्न परिदृश्यों के तहत प्रोजेक्टड क्षेत्रवार सकल अनर्जक आस्तियां	19
2.15	प्रत्याशित घाटा : बैंक-समूह वार	19
2.16	अप्रत्याशित घाटा और प्रत्याशित कमी : बैंक समूह वार	20
2.17	प्रत्याशित घाटा और अप्रत्याशित घाटा : बैंक-वार	20
2.18	सीआरएआर -द्व्ध्र बैंकों का विभाजन	21
2.19	ऋण जोखिम - संकेन्द्रण	22
2.20	बॉटम अप दबाबग्रस्त परीक्षण - क्रेडिट और बाजार जोखिम - सीआरएआर पर प्रभाव	26
2.21	बॉटम-अप दबाब परीक्षणः चलनिधि जोखिम	26
2.22	एससीबी के तुलनपत्रेतर आस्तियों (क्रेडिट समतुल्य) का शेयर	27
2.23	कुल डेरिवेटिव का एमटीएम - बेसलाइन	27
2.24	दबाब परीक्षण - चुनिंदा बैंकों (शॉक का प्रयोग करने पर निवल एमटीएम में परिवर्तन) के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर शॉक का प्रभाव	27
2.25	एनबीएफसी क्षेत्रक की आस्ति गुणवत्ता	29
2.26	एनबीएफसी क्षेत्रक का सीआरएआर	29
2.27	एनबीएफ़सी क्षेत्र का आरओए में प्रवृति	30
2.28	अंतर बैंक मार्केट में निधि तथा गैर निधि एक्सपोजर का शेयर	30
2.29	अंतर बैंक निधि आधारित बाज़ार में ऋण लेन-देन	30
2.30	अंतर बैंक बाज़ार में लघु तथा दीर्घ अवधि निधि आधारित एक्सपोजर का आकार	31
2.31	अल्पावधि निधि आधारित अंतरबैंक उधार कुल बाहरी देयताओं के प्रतिशत के रूप में	31
2.32	अंतर बैंक जमाराशि प्रमाण पत्र (सी डी) बाज़ार	31
2.33	अंतरबैंक बाजार में में पीएसबी के ऋण लेन - देन का पैटर्न	31
2.34	बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना	32
2.35	अंतरसंबद्धता के संकेतक	33
2.36	प्रमुख क्षेत्रों में शीर्षस्थ 10 बैंकों का शेयर	34
2.37	प्रणाली में शीर्षस्थ 10 बैंक और उनका क्रमशः जीएनपीए अनुपात	34

पृष्ठ सं.

3.i	सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में कुल वित्तीय क्षेत्र आस्तियों का अनुपात (अमेरीकी डॉलर में)	38
3.1	भारतीय कंपनियों द्वारा ईक्विटी और ऋण के पब्लिक इश्यू में प्रवृत्ति	40
3.2	गौण कॉरपोरेट ऋण वाजार में कारोबार का मूल्य	41
3.3	सीडीआर के अधीन अनुमोदित राशि और मामलों की बढ़ती हुई संख्या	42
3.4	बैंकिंग प्रणाली में कुल जमा और अग्रिम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का शेयर	44
3.5	कीमत और बुक वैल्यू अनुपातः सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों के लिए औसत	44
3.6	ईबीपीटी और पीबीटी का औसत आस्तियों के साथ अनुपात की प्रवृत्ति	47
3.7	5 सबसे छोटे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एससीबी) और 5 सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंकों(यूसीबी) के तुलनात्मक आकार	47
3.8	इक्विटी की कुल ट्रेडों में एल्गो ट्रेडों के शेयर में रुझान नकद खंड	52
3.9	कृषि जिंस डेरिवेटिव में प्रवृत्ति	57
3.10	नई पेंशन योजना में वृद्धि	60
3.11	निपटान प्रणाली का वितरण (मूल्य)	63
3.12	निपटान प्रणाली का वितरण (मात्रा)	63

सारणियों की सूची

2.1	अग्रिमों और दबावग्रस्त अग्रिमों में दबावग्रस्त क्षेत्रों का योगदान	15
2.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता	15
2.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय के घटक	16
2.4	समष्टि अर्थशास्त्र परिदृश्य धारणा	17
2.5	ऋण जोखिम -लङ्घँ और प्रभाव	21
2.6	सेक्टोरल ऋण जोखिम - उद्योग - आघात और प्रभाव	22
2.7	सेक्टोरल ऋण जोखिम - इन्फ्रास्ट्रक्चर- आघात और प्रभाव	23
2.8	ब्याज दर जोखिम - बैंक समूह - आघात (शॉक) एवं प्रभाव	25
2.9	चलनिधि जोखिम - आघात (शॉक) एवं प्रभाव	25
2.10	एसयूसीबी का चुनिंदा वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	28
2.11	एनबीएफसी क्षेत्रक का समेकित तुलनपत्र	29
2.12	एनबीएफसी क्षेत्रक का वित्तीय निष्पादन	29
2.13	बैंक द्वारा जारी किए गए सीडी में एएमसी तथा बीमा कंपनियों का निवेश	32
2.14	बैंक, एएमसी और बीमा कंपनियां	33
2.15	एनबीएफसी में एससीबी, एएमसी तथा बीमा कंपनियों द्वारा निवेश	33
2.16	अधिकतम दबाबग्रस्त आस्तियों वाले बैंकों द्वारा ट्रिगर हुआ संक्रमण	35
2.17	प्रणाली में शीर्षस्थ 10 बैंकों द्वारा ट्रिगर हुआ संक्रमण	35
3.1	2010 के बाद से और 2014-15 के दौरान : बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन प्रगति	50

चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एडीबी	एशियन विकास बैंक
एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध
एआईसीएल	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
एएमसी	आस्ति प्रबंधन कंपनियां
एएमएफआई	भारतीय पारस्परिक निधि संघ
एपीएमसी	कृषि उत्पाद बाजार समिति
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
एआरआर	प्राप्त औसत राजस्व
एयूसी	संरक्षणाधीन आस्तियां
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां
बीबीपीएस	भारत बिल भुगतान प्रणाली
बीसी	बिजनेस कॉरेसपोंडेंट
बीआर एक्ट	बैंकिंग विनियमन अधिनियम
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति
बी सी - आईसीटी	बिजनेस कॉरेसपोंडेंट - सूचना और संचार तकनीक
बीई	बजट अनुमान
बीआईएफआर	औद्योगिक और पुनर्रचना बोर्ड
बी आई एस	अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक
बीएसबीडीए	आधारभूत बचत बैंक जमा खाता
बीएसई	बंबई शेयर बाजार
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता संकेतक
कैफरल (सीएएफआरएएल)	उच्च वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीडी	जमा प्रमाण पत्र
सीडीआर	कंपनी कर्ज पुनर्रचना
सीजीए	लेखा महा नियंत्रक
सीआईएस	संग्रहित निवेश योजनाएं
सीएमई	पूंजी बाजार एक्सपोजर
सीपीआई	*उपभोक्ता मूल्य सूचकांक*
सीपीएमआई	भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरआईएलसी	बृहत ऋणों पर सूचनाओं का केंद्रीय निक्षेपागार
डीबीआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएस सीओएम	वितरण कंपनी
डीएमए	प्रत्यक्ष बाजार पहूँच
डीपीआई	डीम्ड पब्लिक इश्यू
डीएसआरसी	निक्षेपागार प्रणाली समीक्षा समिति
ईबीआईटी	ब्याज एवं कर पूर्व अर्जन
ईबीपीटी	प्रोविजन एवं कर पूर्व अर्जन
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईईई	एकजेम्प्ट एकजेम्प्ट एकजेम्प्ट
ईसीआर	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
ईएल	प्रत्याशित हानियां
ईएमडीई	उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईएस	प्रत्याशित कमी
ईयू	यूरोपीयन संघ
एफबी	विदेशी बैंक
एफसीआरए	अग्रिम करार (विनियामक) अधिनियम
एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजनाएं
एफएमसी	वायदा बाजार आयोग
एफपीआई	विदेशी पोर्टपोलियो निवेशक
एफआरपी	वित्तीय पुनर्रचना योजना
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

जीसीसी	सामान्य क्रेडिट कार्ड
जीसीएफ	सकल पूंजी निर्माण
जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट
जीआईपीएसए	साधारण बीमा उपक्रम एसोशियेशन
जीएनडीआई	सकल राष्ट्रीय अवशिष्ट आय
जीएनपीए	सकल अनर्जक अग्रिम
जी - सेक	सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीवीए	सकल मूल्य योजित
एचएफटी	ट्रेडिंग के लिए धारित
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
आईएडीआई	जमाराशि बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईसीटी	सूचना और संचार तकनीक
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
जेएलएफ	संयुक्त ऋणदाता फोरम
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
एलटीआई	आय के सापेक्ष कर्ज
एलटीवी	मूल्य के सापेक्ष कर्ज
एमएनएआईएस	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसएमई	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
एमएस-यूसीबी	मल्टी स्टेट - शहरी सहकारी बैंक
एमटीएम	बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करना (मार्क-टू-मार्केट)
एनबीएफसी-सरकारी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सरकार द्वारा प्रायोजित
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी - डी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - जमा स्वीकार करने वाली
एनबीएफसी-एनडी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- जमा स्वीकार न करने वाली
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- जमा स्वीकार न करने वाली- प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण
एनबीएफआई	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनआईआई	निवल ब्याज आय
एनएनपीए	निवल गैर-निष्पादित अग्रिम
एनपीए	गैर-निष्पादित अग्रिम
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीएस	नई पेंशन योजना
एनएसडीएल	नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाज़ार
एनएसएफआर	निवल स्थायी फंडिंग अनुपात
एनडब्ल्यूआर	परक्राम्य वेयरहाउस रसीदें
ओडी	ओवरड्राफ्ट
ओओआई	अन्य परिचालित आय
पीएटी	कर के बाद लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीडी	चूक की संभाव्यता
पीएफएमआई	वित्तीय बाजार अवसंरचना के सिद्धांत
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन-धन योजना
पीएसबी	सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र के बैंक
पीएसएस	भुगतान एवं निपटान प्रणाली
पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक
पी वी पी	भुगतान बनाम भुगतान
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीएस	जाखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरसीएपी	विनियामक संगति मूल्यांकन कार्यक्रम
आरएफए	रेड फ्लैग खाते
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ

आरओई	ईक्विटी पर प्रतिलाभ
आरपीपीआई	आवासीय संपत्ति मूल्य सूचकांक
आरटीजीएस	वास्तविक समय सकल निपटान
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडी	मानक विचलन
एसडीआर	उपायगत ऋण पुनर्रचना
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं मानक बोर्ड
एसएलसीसी	राज्य स्तरीय समन्वयन समिति
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमए	विशेष उल्लेखित खाता
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
टी एंड डी	प्रसारण एवं वितरण
टीओआई	कुल परिचालित आय
टीआरई डीएस	व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूएल	अप्रत्याशित हानियां
यूपीएसआई	अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना
यूएसडी	अमेरीकी डॉलर
वीएटी	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यूबीसीआईएस	मौसम आधारित फसल बीमा योजना
वाय-ओ-वाय	वर्ष-दर-वर्ष
वाईटीडी	ईयर टू डेट (चालू वर्ष के प्रथम दिन से आज तक)

विहगावलोकन

समष्टि वित्तीय जोखिम

वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाज़ार

विश्व स्तर पर हुई आर्थिक बहाली अभी भी स्वयं के बल पर स्थिर होने से काफी दूर नजर आ रही है जब कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर की गई मौद्रिक सहायता के परिणामस्वरूप उभरते हुए बाज़ारों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में चुनौतियां बढ़ रही हैं। प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता के कारण कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नकारात्मक नाममात्र प्रतिफल रहा और उसके बाद उनमें तेजी से आए उछाल के कारण बाँडधारकों को नुकसान पहुँचा। वैश्विक संकट के बाद सामान्य रूप से लीवरेज बढ़ा तो है लेकिन जहां ब्याज दर शून्य के नज़दीक अथवा नकारात्मक है, ऐसे देशों के लिए घटता ऋण कम आवश्यक लग सकता है। ग्रीक ऋण संकट का मसला और यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा बढ़ाई जानेवाली दर के संबंध में समय की अनिश्चितता, ये कारण हैं जो वैश्विक वित्तीय बाज़ार अस्थिरता के लिए तत्काल संभाव्य कारण हो सकते हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था और बाज़ार

घरेलू मोर्चे पर समष्टि आर्थिक वातावरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और आगे जाकर आर्थिक निष्पादन बेहतर बनने की संभावना है। तथापि अपेक्षाओं का प्रबंध करना नीति निर्धारकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है क्योंकि कारोबार क्षेत्र में बहाली की स्थिति अभी तक मजबूत नहीं है। बाहरी संकट घट गया है और राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता सुधार में प्रगति हुई है। सामान्य से कम बारिश की संभावना से खाद्यान्न घटने और शीर्ष मुद्रास्फीति पर मूल्य दबाव का बड़ा जोखिम बना हुआ है। कारपोरेट क्षेत्र के घटते लाभ मार्जिन और घटती ऋण चुकौती क्षमता चिंता का विषय रहा है। हालांकि विदेशी निवेश संविभाग का पिछले वर्ष भारत की तरफ का प्रवाह मजबूत रहा है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मौद्रिक नीति रुख में अप्रत्याशित परिवर्तन आने से वित्तीय बाज़ार क्षेत्रों के कुछ ऐसे निवेशों में कमी हो सकती है/ उनकी दिशा बदल सकती है जिससे परन्तु पिछले प्रकरणों की तुलना में भारत अस्थिरता का सामना करने के लिए बेहतर तैयारी में है।

वित्तीय संस्थाएं : सुदृढता और लचीलापन

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - निष्पादन और जोखिम

कारोबार में वृद्धि के संदर्भ में सितंबर 2014 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निष्पादन में और कमी आई है। इसके अलावा दबावग्रस्त अग्रिमों में बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दी। जोखिम भारित आस्ति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में कुछ वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बैंक समूहों के बीच निम्नतम सीआरएआर बनाए रखा। आस्तियों और ईक्विटी पर प्रतिफल के आधार पर आंकी जाने वाली लाभप्रदता पिछले दो वर्षों के दौरान उसी स्तर पर बनी रही।

हालांकि बैंकिंग क्षेत्रों में जोखिम, बैंकिंग स्थिरता मैप के अनुसार रही, सितंबर 2014 के बाद कुछ कम हुआ है, फिर भी आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में जारी कमजोरी के कारण चिंता बनी हुई है।

शहरी सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ किंतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता खराब होना जारी रहा।

दबाव परीक्षण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए समष्टि दबाव परीक्षण

मार्च 2015 के अंत की स्थिति में समष्टि दबाव परीक्षण से यह संकेत प्राप्त होता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में वर्तमान खराबी अगली कुछ तिमाहियों के लिए जारी रह सकती है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ऋण जोखिम के लिए अपने प्रावधान को वर्तमान स्तर से बढ़ाने पडेंगे ताकि अनुमानित दबाव परिदृश्य से भी नीचे समष्टि आर्थिक वातावरण यदि खराब हुआ तो 'अपेक्षित हानियों' को भरा जा सके।

खंडवार ऋण पर दबाव परीक्षण से यह दिखाई देता है कि अवसंरचना क्षेत्र, मुख्यतः उर्जा और परिवहन उप-क्षेत्र पर आघात होने से इस प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

वित्तीय क्षेत्र विनियमन

भारत में वित्तीय क्षेत्र विनियामक सुधार वैश्विक विनियामक मानदंडों की अपेक्षाओं के भीतर घरेलू प्राथमिकता के आधार उन्मुख हैं, जबकि कई क्षेत्रों में एकसमान सुधार के कार्यान्वयन में चुनौतियां सामने आ रही हैं। वैश्विक विनियामक मानदंडों के फलस्वरूप प्राप्त प्रगति के बावजूद अभी भी विनियम अधिक व्यापक, प्रासंगिक, लागत प्रभावी और चक्र के माध्यम से स्थिरता निर्माण करने के लक्ष्य में लगे हुए आवर्तन चक्र विरोधी बनाने के लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ध्यान में लेते हुए कि जोखिम उठाना वित्तीय बाज़ार में अंतर्निहित और आवश्यक है, संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए वर्तमान भारतीय विनियामक रुख एक संतुलित पूर्वानुमेय, संस्थानिरपेक्ष, स्वामित्व निरपेक्ष और प्रौद्योगिकी निरपेक्ष विनियामक शासन पद्धति की आगे की सोच आवश्यक है।

बैंकिंग क्षेत्र

जहां बृहतर बाज़ार पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक प्रयास से और बाज़ार अनुशासन से घरेलू वित्तीय बाज़ार के विकास को सहायता मिलेगी ही, बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अर्थव्यवस्था में वृद्धि को तेज करने में प्रमुख जिम्मेदारी निभाएं। यह नीति कारोबार रणनीति की अभिमुखता के साथ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गवर्नेंस और प्रबंध प्रक्रियाएं बढ़ाने के लिए, लंबी दौड़ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निष्पादन को सुधारने में मदद करेगी, यद्यपि वर्तमान में वे अभी विनियामक आवेग के परिणामस्वरूप अपने तुलनपत्र को ठीक करने में लगे हुए हैं।

प्रतिभूति बाज़ार

हाल ही के वर्षों में कलन विधि (अल्गोरिदम) व्यापार में तेज वृद्धि से उभरती चिंताएं भारत के प्रतिभूति बाज़ार को सावधान होने का संकेत देती है। इस संबंध में महत्वपूर्ण विनियामक कदम, मुद्रा जुटाने की गैर कानूनी गतिविधियां, भीतरी व्यापार और जमाकर्ताओं के पास जोखिम प्रबंध प्रणालियों को मजबूत बनाने में उठाए गए हैं।

बीमा क्षेत्र

मौसम से संबंधित आपदाओं के बार-बार आने और उनका विशेष रूप से लघु और सीमान्त किसानों पर प्रभाव के परिणामस्वरूप कृषि बीमे पर तत्काल ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

जिंस (कमोडिटी) डेरिवेटिव बाज़ार

भौतिक कमोडिटी बाज़ार के विनियमन को एकसमान करने तथा डेरिवेटिव बाज़ार और भौतिक (नकदी) बाज़ार के बीच मुख्यतः कृषि पण्यों में संयोजन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

पेंशन क्षेत्र

आनेवाले दशकों में जनसांख्यिकी में अपेक्षित बदलाव, बुढ़ापे के लिए आय सुरक्षा, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता की मांग करता है जिसके लिए संघ सरकार द्वारा नई योजनाएं घोषित की गई हैं।

प्रणालीगत जोखिम का मूल्यांकन

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2015 में आयोजित किये गए हाल ही के प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अनुबंध I) के अनुसार 'ग्लोबल' जोखिम और घरेलू समष्टि आर्थिक जोखिम भारतीय वित्तीय प्रणाली द्वारा सामना किये जानेवाले प्रमुख जोखिम घटक जारी बने रहे हैं।

मूल्यांकन

कुल मिलाकर, वृद्धि, मुद्रास्फीति, चालू खाता और राजकोषीय घाटे के परिप्रेक्ष्य में भारत के तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत समष्टि आर्थिक मूल तत्व वैश्विक घटकों के प्रभावों का सामना करने के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली को सुसंगत लचीलापन प्रदान करते हैं। तथापि वैश्विक वृद्धि में लगातार अनिश्चितता और अंतरर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में समन्वयन के अभाव में आत्मसंतोष के लिए स्थान नहीं हो सकता।

अध्याय I

समष्टि - वित्तीय जोखिम

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर आठ वर्ष तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था के उबरने की रफ्तार अभी भी धीमी है। इसका विपरीत परिणाम यह हो रहा है कि विश्व के वित्तीय बाज़ारों में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसके चलते उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष चुनौतियां उभरकर आ रही हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सामान्य रूप से लिवरेज बढ़ा है लेकिन जिन देशों में ब्याज दर शून्य के करीब है या शून्य से भी कम है, वहां ऋण में कमी का कोई विशेष असर नहीं दिखाई पड़ेगा। ग्रीक ऋण संकट के बाद हुई घटनाएं और अमरीकी केंद्रीय बैंक द्वारा दर बढ़ाए जाने के संबंध में अनिश्चितता, ये वे तत्कालिक कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अनिश्चितता बनी हुई है जिसके चलते उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी बाहर जा सकती है और विनिमय बाज़ारों पर दबाव उत्पन्न हो सकता है।

जहां तक घरेलू स्थिति का संबंध है, यदि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आर्थिक कार्य निष्पादन में सुधार हो सकता है किंतु अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने में नीति निर्माताओं के समक्ष चुनौतियां बनी रहेंगी। इधर, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति कुछ अनुकूल बनी है, मानसून और कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता के कारण कीमतों पर दबाव पड़ने का बड़ा जोखिम बना हुआ है।

वैश्विक पृष्ठभूमि

1.1 वैश्विक वित्तीय संकट को आठ वर्ष बीत चुके हैं। सुलभ मुद्रा उपलब्ध कराए जाने और कड़े विनियम लागू किए जाने के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर वृद्धि का मार्ग नहीं खोज पाई है जबकि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति उनकी अपनी अपेक्षाओं से कम है। विश्व के देश एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के तीन सबसे बड़े केंद्रीय बैंकों के बारे में यदि यह अनिश्चितता रहती है कि वे बड़े पैमाने की राशियां बनाए रखेंगे या आहरित करेंगे, तो उससे विश्व के वित्तीय बाजारों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं जिसका असर उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। दूसरी ओर, विश्व स्तर पर समामेलन और अधिग्रहण गतिविधि में हो रही वृद्धि, कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद और शेयर मूल्यों में वृद्धि इस बात का संकेत देती है कि प्रोत्साहन कार्यक्रमों को न तो उचित ढंग से क्रियान्वित किया गया, जिससे कि वे आर्थिक जोखिमों को अपेक्षित स्तर पर सह सकते, और न ही कारोबारी निवेशों को नए रूप में प्रोत्साहित किया गया जिससे कि अतिरिक्त 'वित्तीय जोखिम वहन' किया जा सकता। इससे भविष्य की वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल असर पड़ा।

1.2 अत्यंत सरल मौद्रिक नीतियों का प्रतिकूल परिणाम यह हुआ कि ऋण राशियां बहुत अधिक बढ़ गयी और देशांतर्गत तथा सीमापार व्यापार बढ़ गया जिससे पूंजी प्रवाह, विनिमय ब्याज दर में अस्थिरता की संभावना निर्माण हुई जिसके चलते केंद्रीय बैंकों में, विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, दुविधा की स्थिति निर्माण हो गयी। कई देशों में ऋण राशियों में वृद्धि हुई जो बाद में इतनी बढ़ गई कि उनकी वसूली कठिन बन गयी (चार्ट 1.1)। अतः, वैश्विक अर्थव्यवस्था यदि स्थिरता पाते हुए अपने पूर्व स्तर पर नहीं आती, या इसके विपरीत उसकी उबरने की गति मंद हो जाती है तो अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में शून्य या शून्य के निकट की ब्याज दरों के चलते और ऋण राशियों में होती जा रही वृद्धि को देखते हुए मौद्रिक और राजकोषीय व्यवस्था के पास कुछ करने के लिए बहुत कम रह जाएगा।

चार्ट 1.1 : सरकारी और निजी क्षेत्र की देनदारी

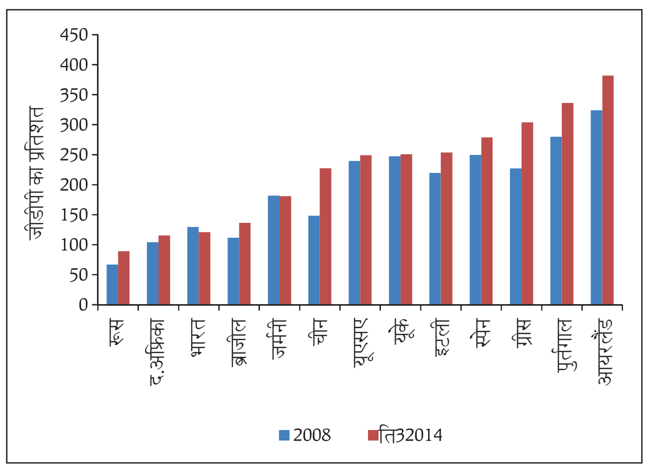

टिप्पणी: इन आंकड़ों में व्यक्ति, गैर-लाभकारी संस्थाएं, सेवारत व्यक्ति, गैर-वित्तीय निगम और सरकार को दिया गया ऋण स.घ.उ. के प्रतिशत में शामिल है। सरकार को दिया गया ऋण वर्ष 2014 के लिए वास्तविक/अनुमानित आधार पर है।

स्रोत: बीआईएस तथा आईएमएफ

1.3 इन दुविधाओं के बीच पिछले एक वर्ष, या इसके आसपास की अवधि में केंद्रीय बैंकों ने जो भी अलग-अलग कार्रवाई की वह चौंकानेवाली[1] है क्योंकि केंद्रीय बैंक आगे क्या करने वाले हैं इसका अंदाजा लगाना भी एक पेचीदा मामला बनता जा रहा है। इसका एक कारण हो सकता है 'फॉरवर्ड गाइडेंस' की रणनीति पर पुनर्विचार, जिसकी वजह से बाजारों में आत्मतुष्टि की भावना आ गयी हो, या यह भी हो सकता है कि जो आंकड़ा प्राप्त हो रहा है वह उचित दिशा तय करने के योग्य न हो। इसके अलावा, संभव है कि केंद्रीय बैंक बाज़ार की अपेक्षाओं से हटकर कुछ करने के लिए रणनीतियां बना रहे हों ताकि ऐसी बाज़ार अपेक्षाएं यदि खरी उतरती हैं तो जो काल्पनिक वित्तीय हितलाभ का असर पड़ेगा उसे नियंत्रित किया जा सके। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इन परिस्थितियों में यह अधिक उचित है क्योंकि यदि सट्‌टेबाजी के इरादे से किए गए निवेश को यदि उचित ढंग से निपटाया न गया तो वित्तीय बाज़ारों में नकारात्मक संदेश पहुंच सकता है।

1.4 इस बीच यूरोपियन केंद्रीय बैंक ने बड़े पैमाने के प्रोत्साहन कार्यक्रम की घोषणा की जिससे प्रारंभिक दौर में प्रतिफलों में गिरावट आई। कहा जाता है कि लगभग 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर मूल्य के यूरोजोन बॉण्ड ऋणात्मक लाभ वाले बन गए। यह स्पष्ट रूप से साबित हो चुका था कि ब्याज दरों को शून्य पर रखा नहीं जा सकता था, क्योंकि यूरोप के कुछ केंद्रीय बैंकों ने (ईसीबी, स्विट्‌जरलैंड और डेनमार्क के केंद्रीय बैंक) शून्य से कम ब्याज दर (सब-जीरो) रखे थे। समूचे अटलांटिक प्रदेश में कैरी-ट्रेड हुआ जिसकी वजह से डॉलर के सूचकांक (चार्ट 1.2) ने कई वर्ष के आंकड़ों को पार किया। जब अप्रैल-मई में यूरो-क्षेत्र में सोवरिन बॉण्ड की कीमतें गिर गयीं और बॉण्ड धारकों को बहुत नुकसान हुआ तब यह उत्साह भी ठंडा पड़ गया। जो 'पूर्ण रूपेण सुरक्षित' आस्तियां दिखलाई देती थीं वे अत्यधिक जोखिम भरी बन गयीं।

1.5 भावनाओं के विपरीत दिशा में मुड़ जाने का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि बाजार में अपस्फीति के प्रति कोई चिंता नहीं रह गयी है बल्कि यह अपेक्षा की जा रही है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। इसे मुद्रास्फीति दर के लाभ-अलाभ स्थिति से देखा जा सकता है। (चार्ट 1.3क)[2] यद्यपि वर्ष 2015 की शुरूआत

चार्ट 1.2 : व्यापार भारित यूएस डॉलर सूचकांक

टिप्पणी : 5 जून, 2015 तक के आंकड़े
स्रोत : सेंट लुईस का फेडरल रिज़र्व बैंक

चार्ट 1.3 : लाभ-अलाभ मद्रास्फीति दर और सरकारी बॉण्ड प्रतिफल

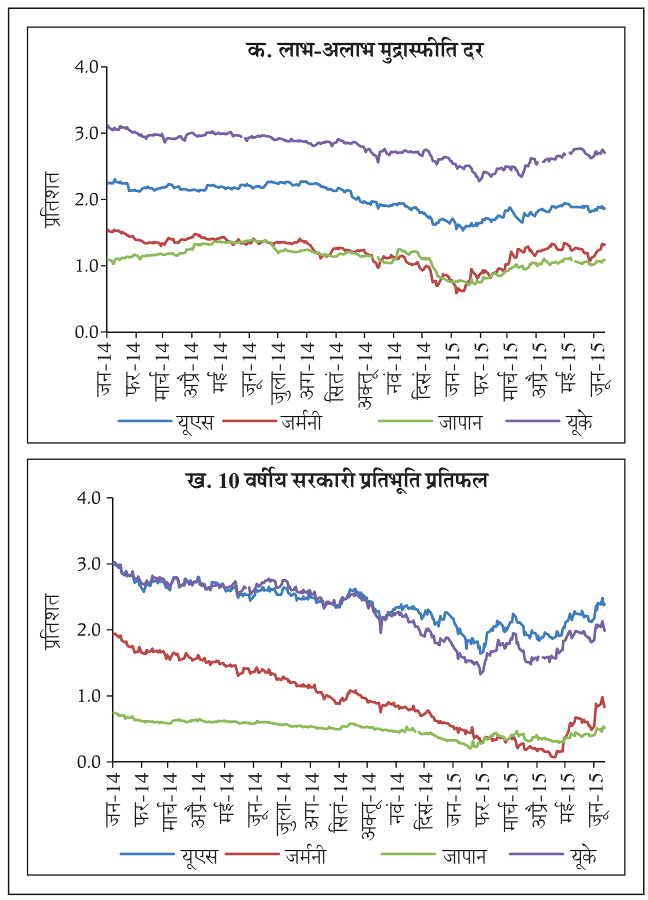

टिप्पणी : 12 जून, 2015 तक के आंकड़े
स्रोत : ब्लूमबर्ग

[1] ईसीबी ने अपने बॉण्ड खरीद रणनीति के आकार और खुलेपन से बाज़ारों को अचंभित कर दिया। स्विश नैशनल बैंक ने अपनी करेंसी का विनिमय दर निर्धारित करना समाप्त किया, कनाड़ा, इंडोनेशिया, थाइलैंड और स्वीडन के केंद्रीय बैंकों ने अनपेक्षित कटौती करके बाज़ारों को चकित कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जो बाज़ार के लिए एक आश्चर्य था, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारी ने मौद्रिक नीति को सरल बनाने के लिए अनपेक्षित उद्‌घोषणा की।

[2] लाभ-अलाभ मुद्रास्फीति का तात्पर्य है सांकेतिक प्रतिभूतियों और तुलनीय परिपक्वता वाली मुद्रास्फीति आधारित प्रतिभूतियों के प्रतिफल के बीच अंतर।

से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बाजार आधारित मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़ों में वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है। सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल विशेषकर जर्मन बंड में, हाल में प्रतिफलों में अचानक तीव्र वृद्धि होने से पहले अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे (चार्ट 1.3 ख)। हालांकि प्रतिफल में हुई तीव्र वृद्धि का असर कॉर्पोरेट / उच्च प्रतिफल वाले बॉण्ड पर भी पड़ा, सोवरिन प्रतिफल के उच्चतम व निम्नतम अंतर[3] में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ (चार्ट 1.4)। इससे शायद यही संकेत मिलता है कि यह परिवर्तन डिफॉल्ट जोखिम से संबंधित नहीं है बल्कि ब्याज दर से है जिसका असर यूरोपियन बॉण्ड कीमतों पर पड़ रहा है।

1.6 वैश्विक वित्तीय संकट से बहुत पहले नीति निर्माता मौजूद वैश्विक असंतुलनो अर्थात् चालू खाता असंतुलन के लेकर चिंतित थे। कुछ देशों को लगातार बड़े घाटे हुए और अन्यों ने बड़े और सतत् बने हुए अधिशेषों का अनुभव किया। अमेरिका और चाइना जैसे देशों में असंतुलन हुआ तब उन्होंने इसे संतुलित किया, वहीं मजबूत यूएस डालर और जर्मनी के चालू खाता शेषों की संभावित रिकार्ड सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के करीब होने के कारण दोनों अर्थात् ईयू और यूएस में बैचेनी महसूस किया गया, साथ ही जर्मनी का संभावित चालू खाता अधिशेष भी यूरोपियन कमीशन[4] (चार्ट 1.5) के द्वारा निर्धारित किए गए 6 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। ऐसे असंतुलनों से वैश्विक को ठीक होने में और कठिनाई होगी।

1.7 वित्तीय बाजार अस्थिरता और स्थिरता हेतु और आगे बढ़ने के लिए दो तत्काल/तुरंत संभावित चिंताएं है। पहला, ग्रीक ऋण (डेट) संकट के लिए कार्यात्मक समाधान तक पहुंचने में असफलता, हालांकि, इस समय यूरोप के बांड बाजार में विश्वास बढ़ने वाला है (चार्ट 1.6)। दूसरा, यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा दरों को बढ़ाने के लिए समय की अनिश्चितता। इन कारणों से मीयादि और जोखिम प्रीमियम में तीव्र डीकम्प्रेशन हो सकता है जो वित्तीय बाजार की अस्थिरता और घाटों को बढ़ाएगा, विशेषतौर पर जब बाजार बनाने की क्रियाकलाप/बजार चलनिधि अधिकतम तरलीय

चार्ट 1.4 - जर्मन बंड्स तथा यूरो हाई यील्ड का प्रसार

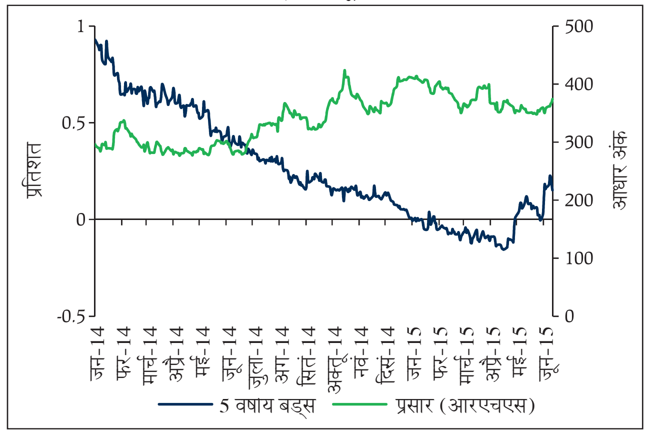

नोट: 12 जून 2015 तक का डेटा
स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.5 : चालू खाता शेष

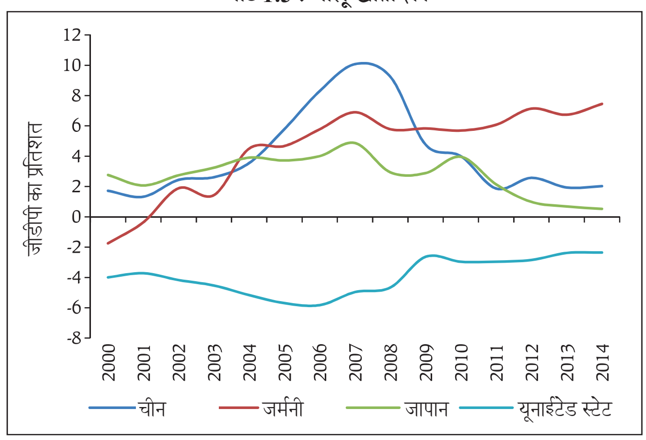

स्रोत :डब्ल्यूईओः - आइएमएफ

चार्ट 1.6 : 10-वर्ष सोवेरिन बांड प्रतिलाभ (यील्ड)

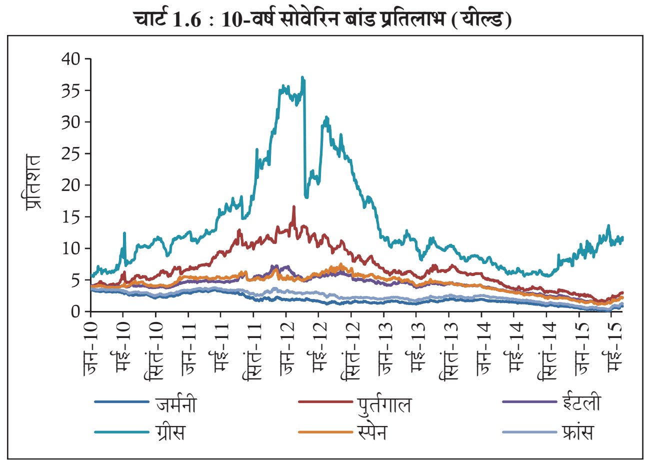

नोट: 12 जून 2015 तक का डेटा
स्रोत: ब्लूमबर्ग

[3] स्प्रेड से तात्पर्य ब्लूमबर्ग यूरो उच्च प्रतिफल कॉरपोरेट बॉण्ड इंडेक्स पर सबसे कम संभावित प्रतिफल बंड तथा 5 वर्ष के जर्मनबाण्ड पर यील्ड के बीच अंतर से है।

[4] सीमा (threshold) से निरंतर आगे जाने पर यूरोपीयन कमीशन दण्डात्मक कार्रवाईकर सकता है। समष्टि आर्थिक असंतुलन पर बॉक्स-जर्मन चालू खाता किससे प्रभावित होता है? उसका असर अन्य यूरोपीय संघ के अन्य देशों पर कैसा पड़ता है? सूचना http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/ecp516_en.htm) पर उपलब्ध है।

लिखतों के आसपास संकुचित हो रहा हो और तरलीय प्रतिभूति[5] में उसकी तुलना में कम गिरावट हो रहा है । इसलिए, भारत सहित ईएमडीई को वित्तीय बाजार में व्यापक अस्थिरता के जोखिम और पूंजी प्रवाहों की वापसी के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है ।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वृद्धि

1.8 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (आधार 2011-12) में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार 2014-15 के दौरान भारत में आर्थिक वृद्धि 7.3 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है । तथापि, किसी भी बात के होते हुए यह प्रगति, कम दक्षता का उपयोग, औद्योगिक उत्पाद की सूचकांक में मंद वृद्धि और अन्यों के मध्य कम/दबा हुआ कार्पोरेट निष्पादन[6] (चार्ट 1.7), कम क्रेडिट वृद्धि और वहीं दूसरी तरफ वाणिज्यिक सेक्टर में राशियों का निम्नतर प्रवाह के साथ उच्चतर वृद्धि असमान लगता है । सुधार और आर्थिक निष्पादन हेतु प्रगति हो रही है तथा और आगे बढ़ने की आशा है ।

मुद्रास्फीति

1.9 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित मुद्रास्फीति आधार प्रभाव के जरिए अगस्त तक कम होने की संभावना है और उसके बाद जनवरी 2016[7] तक लगभग 6 प्रतिशत तक बढ़ेगी । तथापि, ईल-नीनो घटना और अनुमानित सामान्य से कम मानसून संभवतः मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव हो सकता है । उसी तरह, वैश्विक कच्चे तेल के कीमतों की प्रवृति में काफी अस्थिरता और विनिमय दर के चलन में बढ़त से मुद्रास्फीति का ऊपरी जोखिम बढ़ सकता, यदि पूंजी प्रवाह संतुलित रहता है।

चार्ट 1.7: वृद्धि के संकेतक

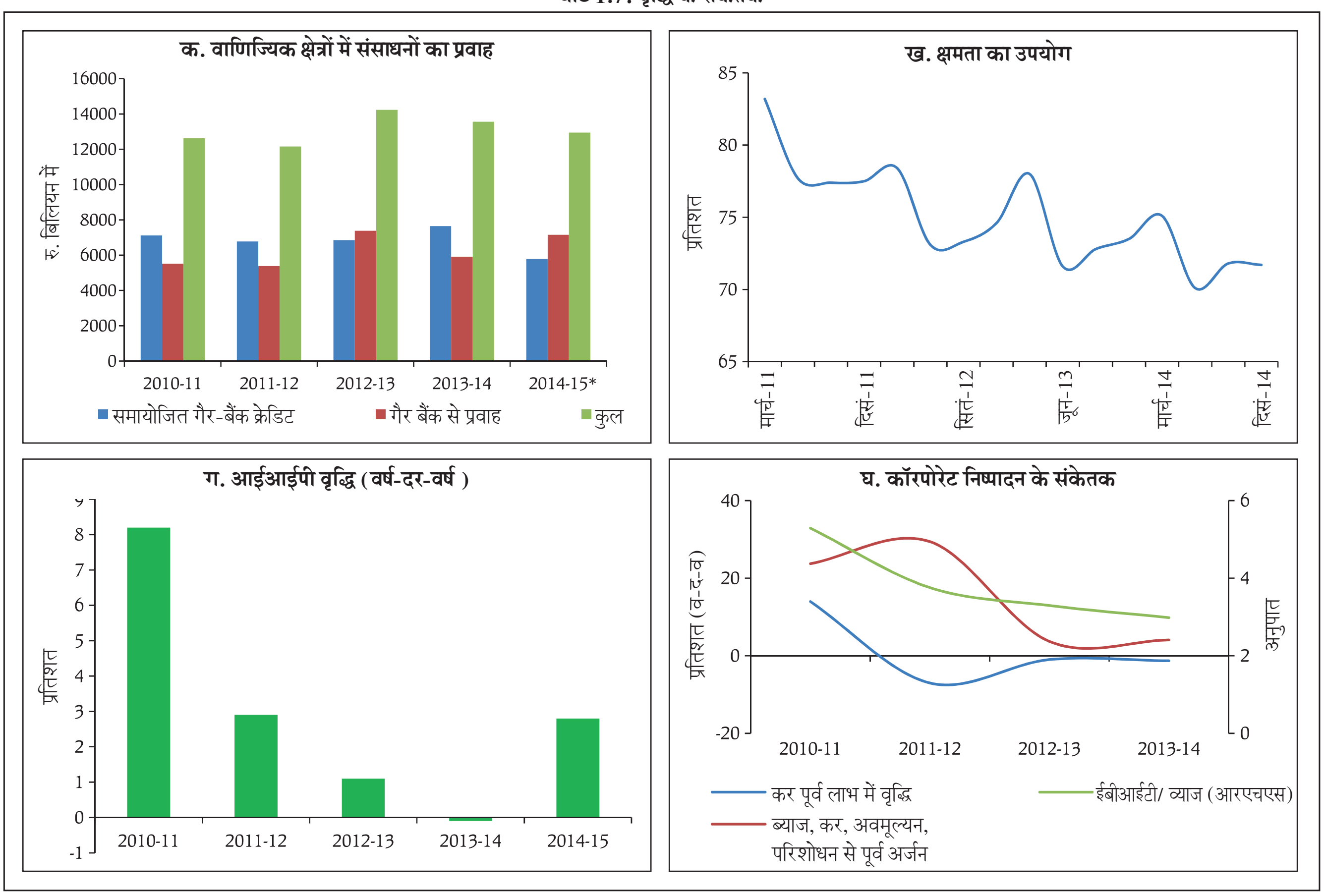

नोट: डेटा अनंतिम - # 2523 एक जैसे कंपनियों पर आधारित (गैर सरकारी गैर वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी)
स्रोत: आरबीआई और एमओएसपीएल

[5] फेंडर, इनगो और यूएलएफ लेवरिक 2015 शिफ्टिंग टाइड्स - मार्केट लिक्विडिटी एंड मार्केट मेकिंग इन फिक्स्ड इन्कम इन्स्ट्रूमेंट, बीआईएस तिमाही समीक्षा, मार्च

[6] मार्च 2015 को समाप्त छमाही के दौरान उपलब्ध आंकड़े (पिछले तीन छमाहियों के लिए 1714 सूचीबद्ध गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों के नमूने के अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण पर आधारित) कॉरपोरेट निष्पादन में सुधार को इंगित नहीं करते हैं।

[7] आरबीआई (2015 ए), दूसरी द्विभाषिक मौद्रिक नीति आंकड़े 2015-16 जून https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=34073 पर उपलब्ध

1.10 कम क्षमता उपयोग, क्रेडिट उठाव और कमजोर उत्पादन की पृष्ठभूमि में मुद्रास्फीति के दबाव में आई गिरावट के कारण उत्पन्न नीतिगत मौके का उपयोग करके भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 की पहली छमाही के दौरान नीति ब्याज दर में 75 आधार अंकों की कमी करके मौद्रिक निभाव को बल प्रदान किया है।

बचत और निवेश

1.11 हाल के वर्षों में घरेलू बचत और निवेश में गिरावट की प्रवृत्तियां भारतीय अर्थव्यवस्था (चार्ट 1.8a) के लिए चिंता का विषय रही है। सकल घरेलू बचत में लगातार दूसरे वर्ष 2013-14 के सकल राष्ट्रीय अवशिष्ट आय (GNDI) के लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है कि घरेलू बचत में कमी (चार्ट 1.8b) आई है, जबकि निजी निगमों की बचत दर में सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र (सामान्य सरकारी क्षेत्र सहित) की बचत दर अपेक्षाकृत कम स्तर पर रही है। इसके परिणाम स्वरूप, निवेश दर (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण) में 2012-13 और 2013-14 में गिरावट आई है।

सरकारी वित्त

1.12 पिछले कुछ वर्षों में, सरकारी वित्त बहुत अधिक दबाव में रहा है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से व्यय आधारित रही है क्योंकि घाटे के निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए मुख्य रूप से व्यय में कटौती किया गया। कुल सरकारी व्यय 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद का 14.8 प्रतिशत था जो 2014-15 (अनंतिम) में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 13 प्रतिशत रह गया। हालांकि, इस रणनीति का पूंजीगत व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जोकि निरंतर विकास के लिए एक अवरोध है। 2015-16 में सरकारी खर्च का पुनःस्थापन किया गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए अधिक बजट का प्रावधान किए जाने के साथ-साथ बड़े सब्सिडी पर व्यय में कटौती किया गया जिससे सरकारी खर्च (चार्ट 1.9) की गुणवत्ता में सुधार होगा। मध्यावधि के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा इसप्रकार तैयार की गई है कि इसमें सकल घरेलू उत्पाद के

चार्ट 1.8: बचत और निवेश

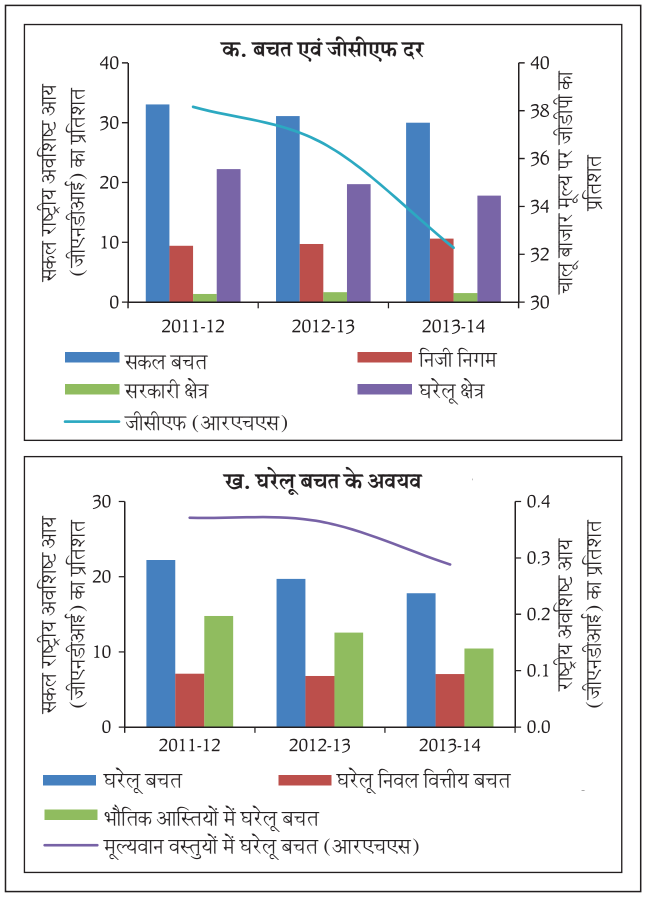

स्रोत: सीएसओ

चार्ट 1.9: राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता

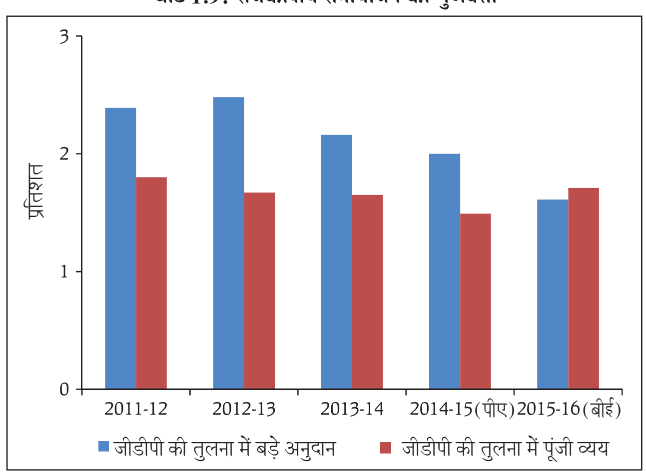

नोट: पीए- अनंतिम खाते, बीई- अनुमानित बजट
स्रोत: सीजीए एवं केंद्रीय बजट 2015-16

प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और सकल कर राजस्व में सुधार, दोनों, का विवेकपूर्ण मिश्रण है। सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक ओर जहां बजट में निर्धारित राजस्व प्राप्त किया जा सके तथा दूसरी ओर सबसिडी बजट में निर्धारित व्यय के अनुसार चलें। सरकार सब्सिडी में इस प्रकार उत्तरोत्तर ढंग से सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है कि सब्सिडी का प्रभावशाली लाभार्थी सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही बुनियादी विकास और सरकार द्वारा घोषित विभिन्न कार्यक्रमों में निवेश के लिए दुर्लभ वित्तीय संसाधनों को बचाया जा सके।

चार्ट 1.10: पेट्रोलियम और गैर-पेट्रोलियम आयात

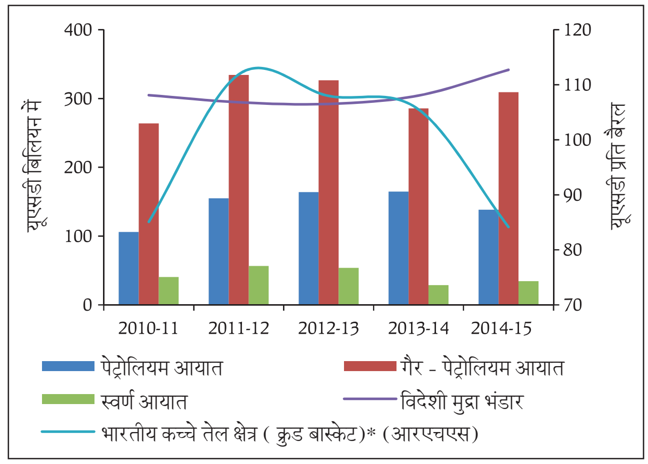

नोट: 2014-15 के आंकड़ें अनंतिम हैं। इसका तात्पर्य है भारतीय कच्चे तेल क्षेत्र का औसत मूल्य।
स्रोत: डीबीआईई-आरबीआई. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा पेट्रोलियम प्लानिंग और विश्लेषण कक्ष

बाहरी क्षेत्र

1.13 चालू खाता घाटे में गिरावट और पूंजी प्रवाह में सुधार के कारण बाहरी क्षेत्र में व्याप्त उथल-पूथल में काफी कमी आई है। सोने के आयात में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण व्यापार घाटे को नियंत्रित करने (चार्ट 1.10) में मदद मिली है। तथापि, अनुमानित मंद वैश्विक विकास और अमेरिका में नीति दरों में प्रत्याशित वृद्धि के कारण पूंजी अंतर्वाह की संभावित निम्न प्रवृत्ति से कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितताएं और कम निर्यात के जोखिम समाप्त हुए। वित्तीय बाजार में व्याप्त अस्थिरता के कारण संभावित प्रतिकूल विनिमय दर उतार-चढ़ाव उत्पन्न हो सकता है और इससे कारोबार और हेजिंग रहित विदेशी मुद्रा निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी बीच भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय कारोबारियों को विदेशों में रुपये आधारित (Rupee linked) बांड जारी करने की अनुमति देने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

चार्ट 1.11: भारत पर कर्ज

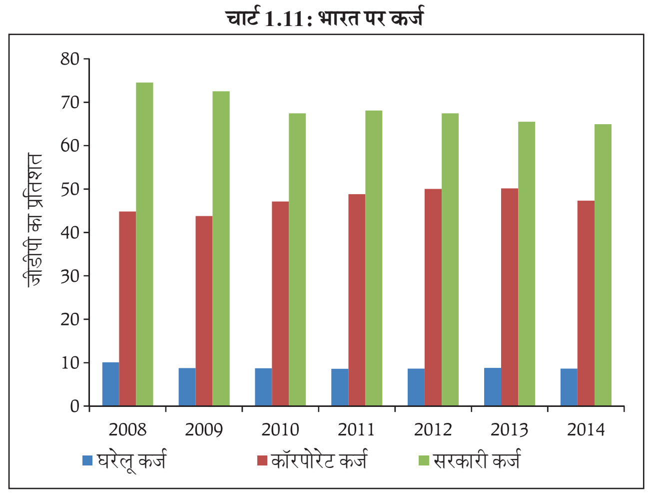

नोट: सरकारी कर्ज के आंकड़े 2014 के लिए अनुमानित आंकड़े हैं।
स्रोत: बीआईएस और आईएमएफ।

कारोबार क्षेत्र

1.14 कारोबार क्षेत्र में उपलब्ध लीवरेज, विशेष रूप से कर्ज मुहैया कराने की इसकी क्षमता के परिप्रेक्ष्य में कुछ समस्यायें विद्यमान हैं। (तथापि चार्ट 1.11 से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीएफसी के आने से भारत के कर्ज में गिरावट आई है)। जहां एक ओर लीवरेज में वृद्धि हुई है, वहीं कारोबारियों द्वारा कर्ज अदायगी (सोल्वेंसी अनुपात)[8] तथा कर्ज देने की क्षमता (इंट्रेस्ट कवरेज अनुपात)[9] में गिरावट (चार्ट 1.7घ और चार्ट 1.12)[10] आई है। बैंक के तुलन पत्र में इसके प्रतिकूल प्रभाव के साथ-साथ यह कारोबारियों का उच्च लीवरेज मौद्रिक नीति प्रभावों के

[8] सोल्वेंसी अनुपात से तात्पर्य है कर अदायदी के पश्चात लाभ (PAT) और मूल्यहास के योग तथा कुल कर्ज का अनुपात।

[9] ब्याज कवरेज अनुपात से तात्पर्य है ब्याज और कर रहित (EBIT) और ब्याज खर्च का अनुपात।

[10] मार्च 2015 को समाप्त छमाही के दौरान इन मापदंडों में (पिछले तीन छमाहियों के लिए 1714 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के नमूने के अर्धवार्षिक वित्तीय आंकड़ों पर आधारित) किसी प्रकार के सुधार का संकेत नहीं दिखाई देता है।

चार्ट 1.12: कॉरपोरेट क्षेत्र लीवरेज और दिवालिया संकेतक

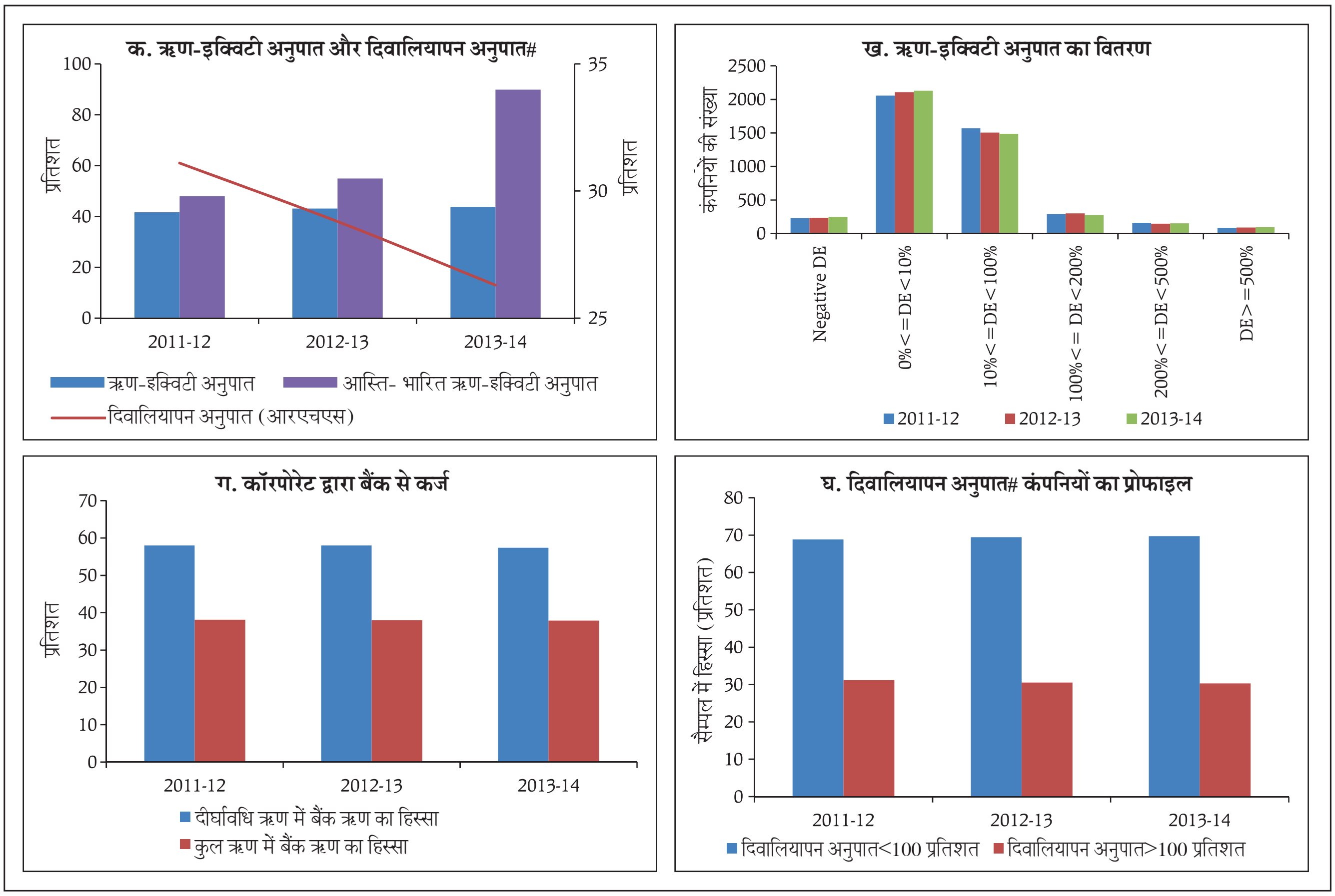

नोट: डाटा 4,388 गैर सरकारी गैर वित्तीय (एनजीएनफ) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से संबंधित है,जो कुल चुकता पूंजी का 32 प्रतिशत हिस्सा हैं।
शून्य ऋण वाली कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: भारिबैं।

अंतरण को बाधित करेगा क्योंकि कर्ज की उच्च दर के कारण कारोबारी गिरते हुए ब्याज दरों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

आस्तियों की कीमत

गृह - निर्माण

1.15 प्रमुख आस्ति कीमतों के तौर पर गृह निर्माण क्षेत्र पूरे वित्तीय क्षेत्र की संवृद्धि और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भारतीय संदर्भ में, गृह निर्माण क्षेत्र में अपेक्षाकृत सरल वित्तीय उत्पादों के होने और खुदरा गृह-निर्माण क्षेत्र में दवाबग्रस्त आस्तियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण यह क्षेत्र ज्यादा बड़ा प्रणालीगत जोखिम नहीं पैदा करता। साथ ही, पिछले कुछ समय में भारत में घरों की कीमतों में वृद्धि में काफी ठहराव आया है (चार्ट 1.13)। ऋण-आय अनुपात (एलटीआई) और ऋण-

चार्ट 1.13: भारत में घरों का मूल्य

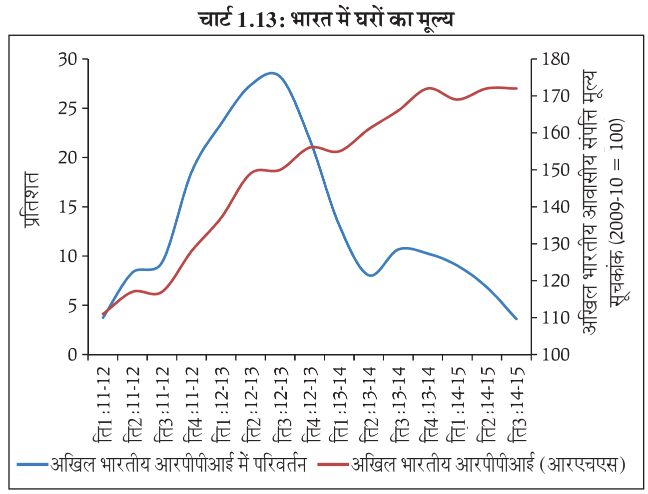

नोट: आरपीपीआई का अर्थ है आवासीय संपत्ति मूल्य सूचकांक
स्रोत: भारिबैं आवासीय आस्ति मूल्य मॉनीटरिंग सर्वे

मूल्य अनुपात (एलटीवी) जैसे मानदंडो के आधार पर, भारत में गृह-निर्माण बाजार में दबाव कम ही प्रतीत होता है (चार्ट 1.14), हालांकि ऋण-आय अनुपात बढ़ रहा है।

प्रतिभूति बाजार

1.16 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) पर चिंता प्राय: इस बात से होती है कि वे बहुत कम समय में बड़ी पूंजी को विभिन्न न्यायक्षेत्रों में ला सकते हैं और ले जा सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में अल्पावधि अस्थिरता आने की संभावना बढ़ जाती है। पूरे 2013 और 2014 के दौरान भारतीय स्टॉक मार्केट में मजबूत वृद्धि हुई और एफपीआई द्वारा महत्वपूर्ण अनुवाह (निवेश) किया गया (चार्ट 1.15)। 2015 के दौरान (12 जून 2015 तक), भारतीय स्टॉक बाजार का प्रदर्शन अन्य समकक्ष देशों की तुलना में कमतर रहा और मई में एफपीआई निवल विक्रेता हो गए। यह रूख और भी तेज हो सकता है यदि वैश्विक घटनाओं से पड़ने वाले असर तथा सुधारों की प्रत्याशा और वास्तविक कार्यान्वयन में अंतर के कारण जोखिम के प्रति अरूचि भी बढ़ जाए।

1.17 पिछले वर्ष में, कुल मिलाकर, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बांडों में एफपीआई का निवेश काफी बढ़ा है, साथ-साथ

चार्ट 1.14: एलटीआई और एलटीवी: नए गृह ऋण में हिस्सा

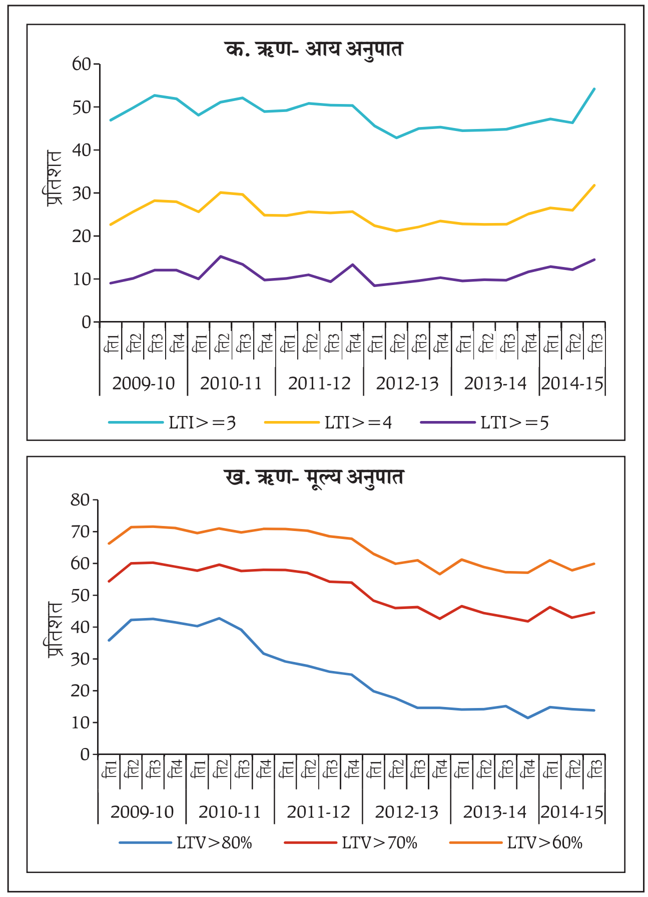

स्रोत: भारिबैं आवासीय आस्ति मूल्य मॉनीटरिंग सर्वे

चार्ट 1.15: स्टॉक मार्केट प्रतिलाभ एवं निवल पोर्टफोलियो निवेश

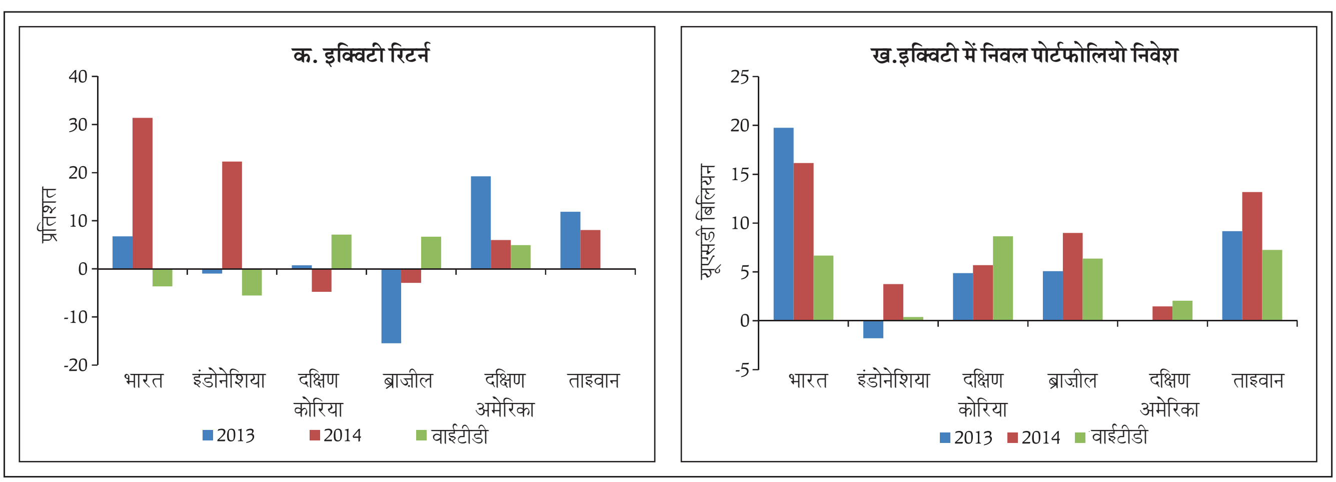

वाईटीडी (Year to date) से तात्पर्य चार्ट 1.15ए में 1 जनवरी - 12 जून 2015 अवधि के दौरान बदलाव तथा चार्ट 1.15बी में 1 जनवरी - 10 जून 2015 के दौरान इक्विटी में निवल एफपीआई निवेश से है।

स्रोत: ब्लूमबर्ग ।

चार्ट 1.16: एफपीआई द्वारा कर्ज में निवेश और कर्ज सीमा का उपयोग

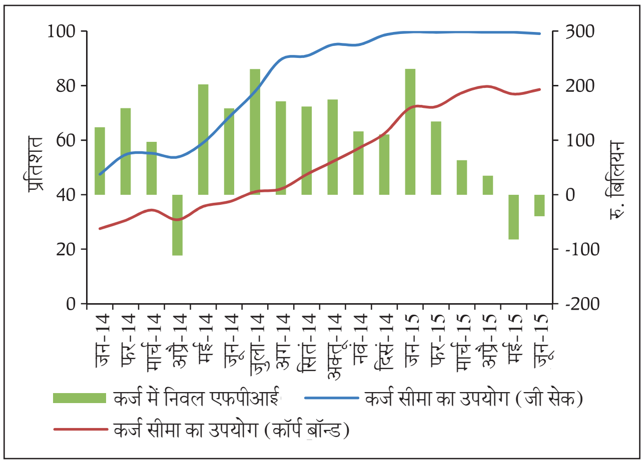

नोट : चार्ट 1.16 में 11 जून 2015 तक का डाटा

स्रोत: एनएसडीएल. ब्लूमबर्ग और सेबी

चार्ट 1.17: कस्टडी के अधीन कुल आस्तियां (इक्विटी और कर्ज) में देश के अनुसार एफपीआई का हिस्सा

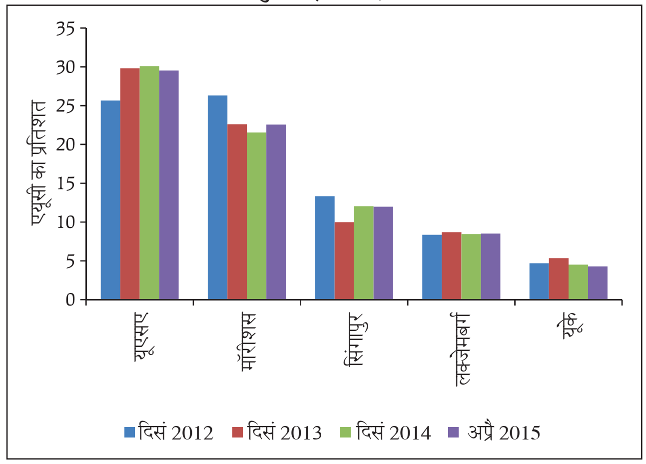

स्रोत: सेबी

दोनों ही श्रेणियों में सीमाओं के उपयोग में वृद्धि हुई है (चार्ट 1.16)। एफपीआई के अंतर्गत आने वाली कुल आस्तियों (एसेट अंडर कस्टडी एयूसी) का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी एफपीआई का है (चार्ट 1.17)। प्रतिफल की तलाश' में हो रहे निवेश पर तब प्रभाव पड़ सकता है, जब यूएस फेडरल रिजर्व वैश्विक बाजारों में संभाव्य अस्थिरता और 'सेफ हेवन फ्लो (सुरक्षित स्थल प्रवाह)' के कारण दरें बढ़ा दे। हालांकि अब भारत पहले की तुलना में इन अस्थिरताओं क सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में लगता है

अध्याय II
वित्तीय संस्थान : सुदृढ़ता और लचीलापन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान, जमा व ऋण वृद्धि दोनों में गिरावट के साथ बैंकिंग कारोबार धीमा रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल अनर्जक अग्रिमों के अनुपात में सितम्बर और मार्च 2015 के बीच सीमांत रूप से वृद्धि हुई । इस अवधि के दौरान पुनर्गठित मानक अग्रिमों में भी वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पूँजी और जमा-भारित आस्तियों के अनुपात(सीआरएआर) में इस छमाही के दौरान कुछ सुधार दर्ज हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक समूहों के बीच न्यूनतम सीआरएआर दर्ज करना जारी रहा। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता पिछले दो वर्ष के दौरान उसी स्तर के पास रही। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सितम्बर 2014 और मार्च 2015 के बीच अत्यधिक सुधार हुआ, जबकि ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट जारी रही। बैंकिंग स्थिरता मानचित्र से संकेत मिलता है कि आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के बारे में चिंताएं बनी रही हैं। दबाव परीक्षणों से तो आघात-सहनीयता दिखाई देती है, पर यदि समष्टि-आर्थिक स्थितियां तेजी से बिगड़ी तो सिस्टम अतिसंवेदनशील बन सकता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक[1]

2.1 इस खंड में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता पर दो व्यापक उप-शीर्षों के अंतर्गत चर्चा की गई है: उनके विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर कार्य-निष्पादन तथा दृश्यविधान एवं एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से समष्टि-दबाव परीक्षणों का प्रयोग करते हुए उनकी आघात-सहनीयता।

कार्यनिष्पादन

ऋण और जमा वृद्धि

2.2 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, सितम्बर 2014 और मार्च 2015 के बीच ऋण वृद्धि 10.0 प्रतिशत से कम हो कर 9.7 प्रतिशत तथा जमा वृद्धि 12.9 प्रतिशत से कम हो कर 10.7 प्रतिशत हो गई है। इस व्यापक प्रवृत्ति में, बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि धीमी रही, जिसका सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निराशाजनक कार्य-निष्पादन । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण वृद्धि सितम्बर 2014 में 8.0 प्रतिशत से कम हो कर मार्च 2015 में 7.1 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि 17.3 प्रतिशत से बढ़ कर 18.7 प्रतिशत हो गई।

2.3 बैंक ऋण के क्षेत्रगत नियोजन से संकेत मिलता है कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर फुटकर ऋण वृद्धि मार्च 2015 की स्थिति

चार्ट 2.1: वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ऋण और जमा वृद्धि

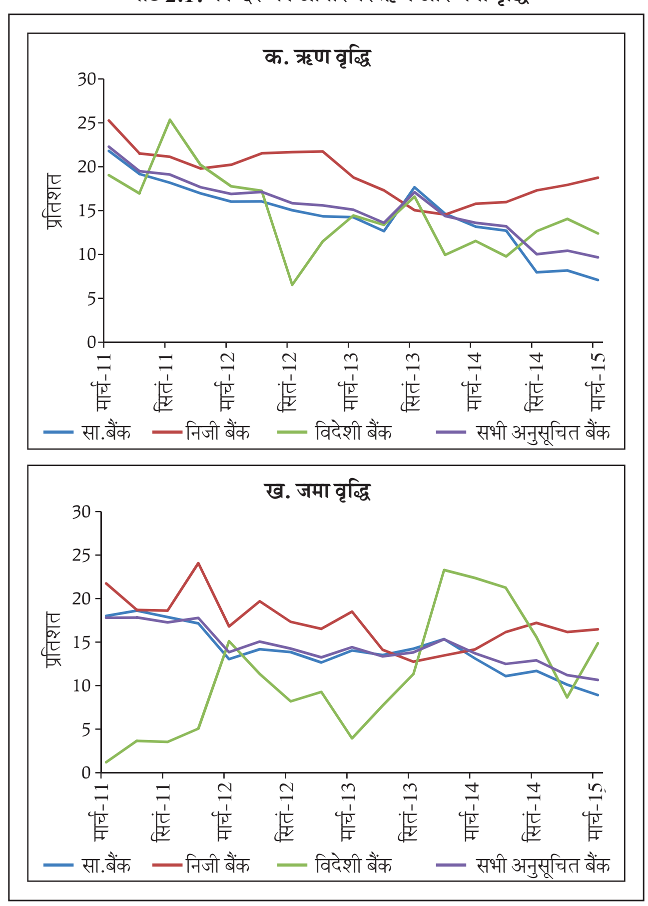

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

[1] विश्लेषण सुपरवाइजरी रिटर्नों पर आधारित है, जिसमें केवल देशीय परिचालन शामिल हैं।

के अनुसार 18.3 प्रतिशत पर मजबूत रही। तथापि, ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म व लघू उद्यमों (एस एम ई) को ऋण प्रवाह में अत्यधिकगिरावट दिखाई दी। निर्यात ऋण में 5.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई (चार्ट 2.2) ।

सुदृढ़ता

पूंजी पर्याप्तता

2.4 सितम्बर 2014 और मार्च 2015 के बीच सिस्टम स्तर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पूँजी व जोखिम-भारित आस्तियों के अनुपात (सीआरएआर) में कुछ सुधार हो कर 12.8 प्रतिशत से 12.9 प्रतिशत हो गया। बैंक-समूहों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम सीआरएआर दर्ज होना जारी रहा। मार्च 2011 और मार्च 2015 के बीच उनकी सुदृढ़ता में गिरावट(सीआरएआर की दृष्टि से मापी गई) 1.8 प्रतिशतता बिंदु तक अधिकतम रही,उसके बाद 1.5 प्रतिशतता बिंदु तक गिरावट से विदेशी बैंकों का स्थान रहा तथा निजी बैंकों के संबंध में गिरावट 1.1 प्रतिशतता बिंदु तक रही (चार्ट 2.3).

लीवरेज़

2.5 निजी बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूँजी स्तर में सुधार के कारण सितम्बर 2014 और मार्च 2015 के बीच टियर I लीवरेज़ अनुपात[2] सुधर कर 6.3 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.4)

आस्ति गुणवत्ता

2.6 सकल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अनर्जक अग्रिम सितम्बर 2014 और मार्च 2015 के बीच 4.5 प्रतिशत से बढ़ कर 4.6 प्रतिशत हो गये। अवधि के दौरान पुनर्गठित मानक अग्रिमों में भी वृद्धि हुई, जिससे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के दबावग्रस्त अग्रिम[3] 10.7 प्रतिशत से बढ़ कर कुल अग्रिमों के 11.1 प्रतिशत हो गये। निजी बैंकों के मामले में 4.6 प्रतिशत की तुलना में , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिमों के 13.5 प्रतिशत के स्तर पर दबावग्रस्तआस्तियों का उच्चतम स्तर दर्ज किया। सभी अनुसूचित बैंकों के लिए कुल निवल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में निवल अनर्जक अग्रिम सितम्बर 2014 और मार्च 2015 के

चार्ट 2.2 : चयनित क्षेत्रों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ऋण वृद्धि

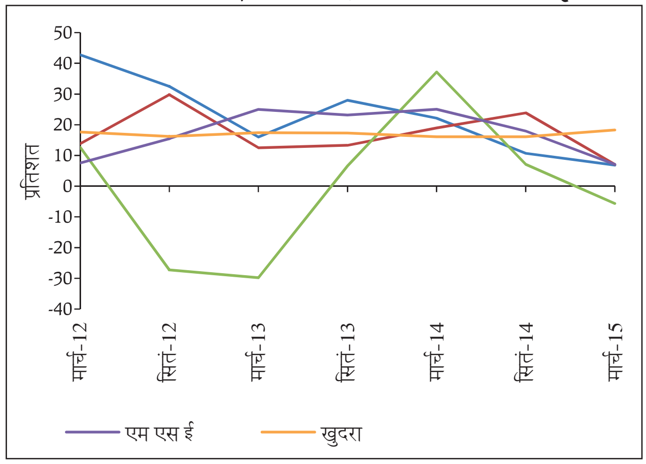

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.3 पूँजी पर्याप्तता - सीआरएआर

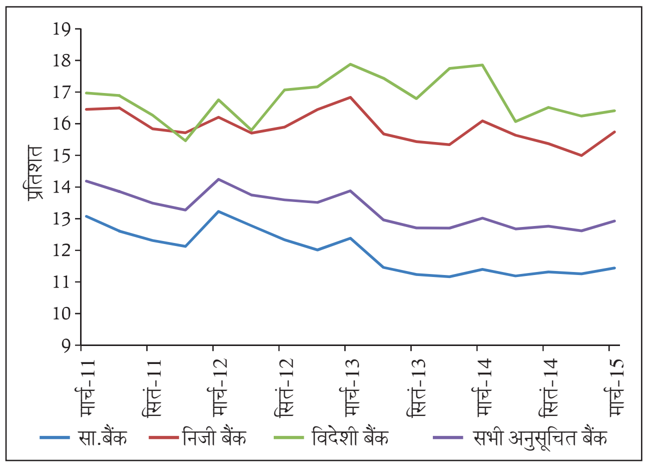

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.4: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का लीवरेज़ अनुपात

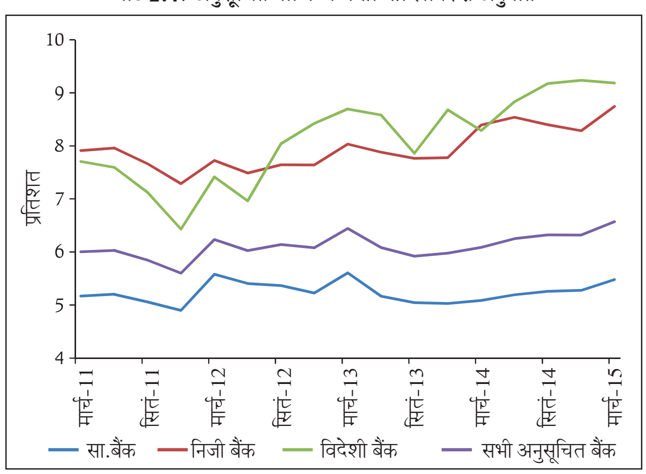

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

[2] टियर I लीवरेज़ अनुपात कुल आस्तियों से टियर I पूँजी के अनुपात के रूप में परिभाषित है। कुल आस्तियों में तुलन पत्र से इतर मदों के समकक्ष ऋण शामिल हैं।

[3] आस्ति गुणवत्ता का विश्लेषण करने के प्रयोजन से, सकल अनर्जक अग्रिमों के साथ पुनर्गठित मानक अग्रिमों को जोड़ कर दबावग्रस्त अग्रिमों को परिभाषित किया जाता है।

दौरान 2.5 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित रहे। बैंक समूह स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निवल अनर्जक अग्रिम अनुपात 3.1 प्रतिशत से बढ़ कर 3.2 प्रतिशत हो गया और निजी बैंकोंके मामले में यह 0.8 प्रतिशत से बढ़ कर 0.9 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.5 और 2.6)

2.7 दिसम्बर 2014 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रगत आँकड़ों से संकेत मिलता है कि मुख्य क्षेत्रों में, उद्योग क्षेत्र में 17.9 प्रतिशत पर उच्चतम दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात दर्ज होना जारी रहा और इसके बाद सेवा क्षेत्र 7.5 प्रतिशत के स्तर पर रहा। खुदरा क्षेत्र ने 2.0 प्रतिशत पर न्यूनतम दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात दर्ज किया(चार्ट 2.7)। कुल ऋणों में खुदरा ऋणों की दृष्टि से निजी बैंकों का अधिकतम हिस्सा रहा जो 27.7 प्रतिशत है और इसकी तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 17.1 प्रतिशत रहा।

2.8 पाँच उप-क्षेत्रों, अर्थात् खनन, इस्पात और स्टील, वस्त्र उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा विमानन, जिनका एकसाथ मिला कर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल अग्रिमों का 24.8 प्रतिशत हिस्सा है, कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में 51.1 प्रतिशत का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन पाँच क्षेत्रों में से इन्फ्रास्ट्रक्चर और इस्पात व स्टील कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं जो कुल का लगभग 40 प्रतिशत है। बैंक-समूहों में से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

चार्ट 2.5: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

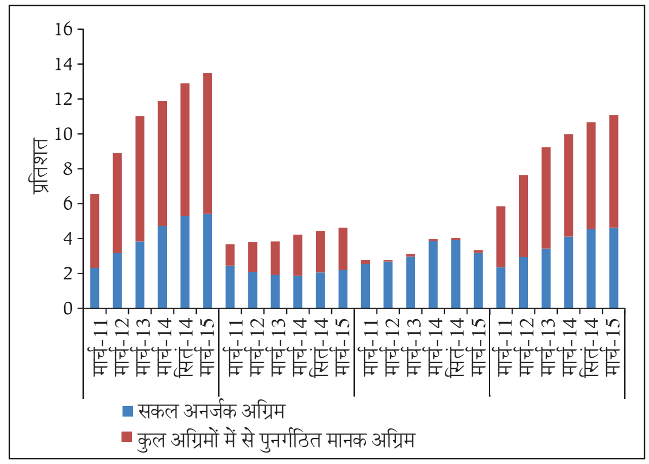

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.6: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल अनर्जक अग्रिम

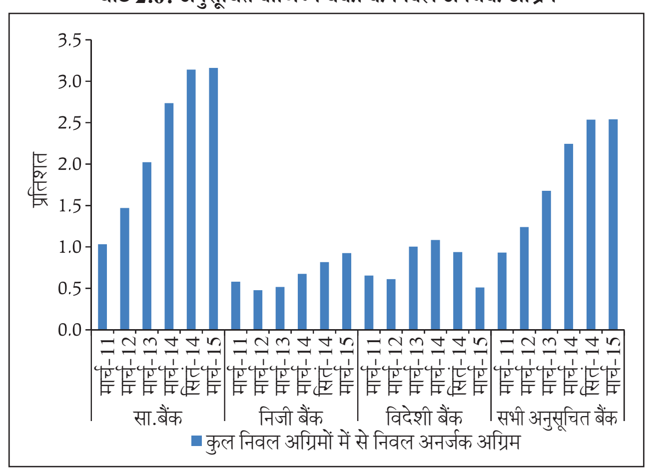

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.7 बड़े क्षेत्रों में दबावग्रस्त अग्रिम

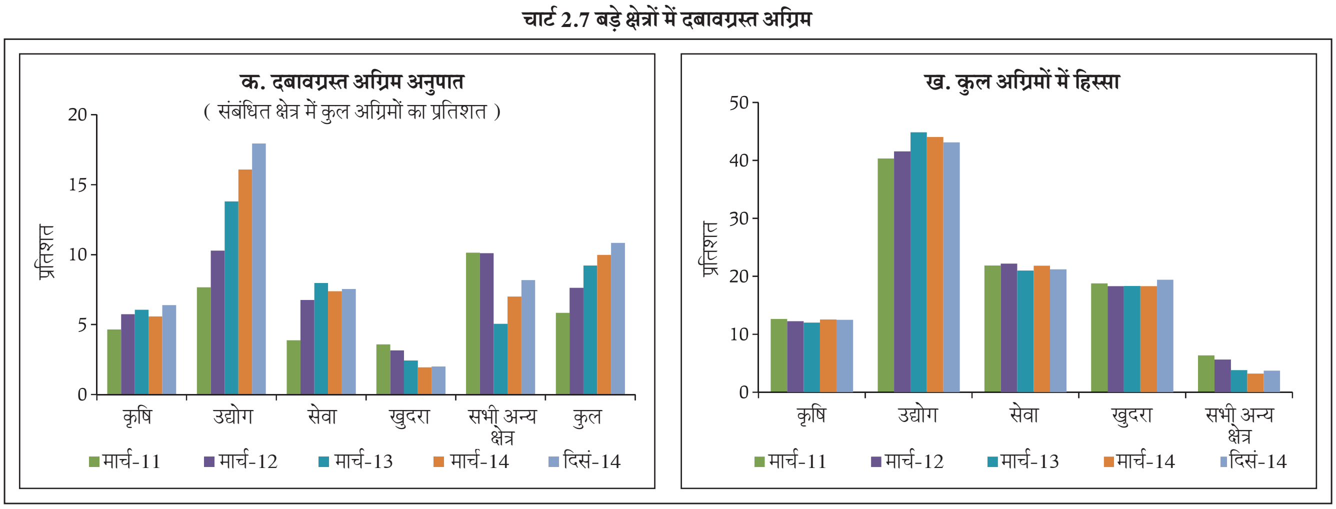

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

सारणी 2.1: अग्रिमों और दबावग्रस्त अग्रिमों में दबावग्रस्त क्षेत्रों का योगदान (दिसंबर 2014)

(प्रतिशत)

उप-क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1. खनन	अग्रिमों में शेयर	1.7	0.4	0.4	1.3
	दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	1.4	1.1	0.3	1.4
2. लौह एवं इस्पात	अग्रिमों में शेयर	5.2	2.5	2.7	4.5
	दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	10.5	7.9	3.6	10.2
3. वस्त्र	अग्रिमों में शेयर	3.9	2.4	1.2	3.4
	दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	7.5	6.4	3.4	7.3
4. आधारभूत संरचना	अग्रिमों में शेयर	17.6	8.4	6.4	15.0
(जिसमें से)	दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	30.9	18.2	32.8	29.8
विद्युत उत्पादन	अग्रिमों में शेयर	10.1	3.8	1.1	8.3
	दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	17.3	7.3	0.0	16.1
दूरसंचार	अग्रिमों में शेयर	1.7	0.9	3.2	1.6
	दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	1.8	3.1	19.7	2.2
5. विमानन	अग्रिमों में शेयर	0.6	0.1	0.6	0.5
	दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	2.7	0.4	0.0	2.4
इन पाँच उप-क्षेत्रों (1 से 5) का जोड़	अग्रिमों में शेयर	29.0	13.9	11.3	24.8
	दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	53.1	34.1	40.0	51.1

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

के, जिनका इन पाँच उप-क्षेत्रों के प्रति अधिकतम एक्सपोज़र रहा, उच्चतम दबावग्रस्त अग्रिम रहे (सारणी 2.1)

2.9 इन पाँच दबावग्रस्त उप-क्षेत्रों के अलावा, अन्य उप-क्षेत्रों में खाद्य प्रक्रमण, अभियांत्रिकी, वाहन, लकड़ी, कागज, काँच और काँच के बर्तन, निर्माण जैसे उद्योग के कुछ अन्य उप-क्षेत्रों ने जीएनपीए का उच्च और उभरता स्तर दर्शाया (चार्ट 2.8)। इन उप-क्षेत्रों में खाद्य प्रक्रमण, अभियांत्रिकी, वाहन और निर्माण प्रत्येक का अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल अग्रिमों में एक प्रतिशत शेयर से अधिक था।

चार्ट 2.8 : उद्योग के विशिष्ट उप-क्षेत्रों में जीएनपीए

(संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

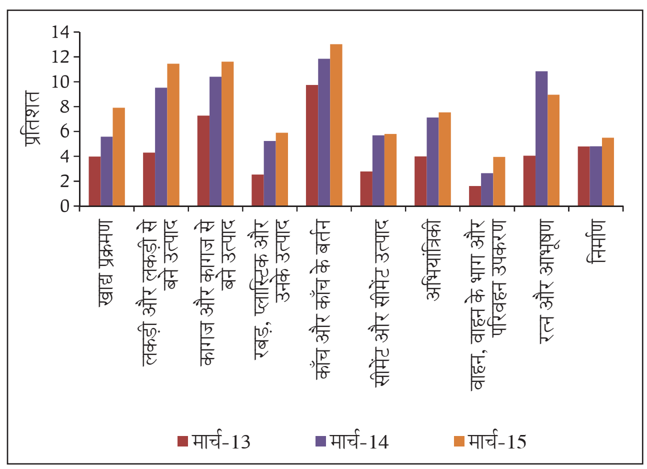

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

लाभप्रदता

2.10 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) द्वारा आँकी गई सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता पिछले दो वर्षों के दौरान समान स्तरों के आसपास ही बनी रही जबकि, कर पश्चात लाभ (पीएटी) में साल-दर साल वृद्धि में 2013-14 के दौरान 14.1 प्रतिशत की गिरावट से 2014-15 के दौरान 11.4 प्रतिशत तक तेजी से सुधार हुआ और यह मुख्य रूप से मूल प्रभाव के कारण था (सारणी 2.2)। बैंकिंग व्यवस्था

सारणी 2.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता

(प्रतिशत)

	आस्तियों पर प्रतिलाभ	इक्विटी पर प्रतिलाभ	कर पश्चात लाभ (पीएटी) वृद्धि	प्रावधानित एवं कर वृद्धि पूर्व अर्जन	निवल ब्याज आय वृद्धि	अन्य परिचालन आय वृद्धि
मार्च-11	1.1	13.6	23.6	21.7	34.6	0.5
मार्च-12	1.1	13.4	14.6	15.3	15.8	7.4
मार्च-13	1.0	12.9	12.9	9.9	10.8	14.4
मार्च-14	0.8	9.5	-14.1	9.5	11.7	16.6
मार्च-15	0.8	9.4	11.4	12.3	9.3	18.0

नोट : आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) वार्षिक आंकड़े हैं, जबकि संवृद्धि का साल दर साल आधार पर परिकलन किया जाता है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

सारणी 2.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय के घटक

(प्रतिशत)

	टीओआई में निवल ब्याज आय	टीओआई में अन्य परिचालन आय	ओओआई में शुल्क आय	ओओआई में विदेशी मुद्रा संचालन में लाभ/ हानि	ओओआई में प्रतिभूति व्यापार में लाभ/ हानि	ओओआई में लाभांश आय	ओओआई में विविध आय
मार्च-11	71.1	28.9	57.7	18.3	4.0	3.2	16.7
मार्च-12	72.6	27.4	59.5	18.7	3.6	3.1	15.1
मार्च-13	72.0	28.0	54.9	15.2	10.8	2.5	16.6
मार्च-14	71.1	28.9	51.3	17.4	11.9	2.2	17.2
मार्च-15	69.5	30.5	47.6	14.9	19.6	2.3	15.5

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

की लाभप्रदता में सुधार में योगदान करने वाले अन्य अंशदाताओं में कोषगार अभिलाभ में वृद्धि , निवेश वर्ग में रखे अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन और परिचालन व्यय विशेषकर स्टाफ लागत में निम्न वृद्धि जैसे कारक शामिल रहे। भिन्न - भिन्न किस्म के बैंक-स्तर पर, 28 बैंकों नें नकारात्मक पीएटी वृद्धि दर्ज की।

2.11 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल परिचालन आय (टीओआई) में निवल ब्याज आय (एनआईआई) का शेयर 2013-14 में 71.1 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 के दौरान गिरकर 69.5 प्रतिशत रहा। परिणामस्वरूप, कुल परिचालन आय (टीओआई) में अन्य परिचालन आय (ओओआई) का शेयर उस अवधि के दौरान बढ़ा। अन्य परिचालन आय (ओओआई) में प्रतिभूति व्यापार से आय का शेयर पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ा जबकि उस अवधि में शुल्क आय में गिरावट आई।

2.12 बैंक-समूहों में से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अपनी कुल आय में निवल ब्याज आय का शेयर सबसे ज्यादा था वहीं निजी क्षेत्र के बैंक दूसरे स्थान पर रहे। कुल परिचालन आय (टीओआई) में निवल ब्याज आय (एनआईआई) का शेयर सभी बैंक-समूहों के लिए 2014-15 के दौरान गिरा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 2.0 प्रतिशत बिन्दु की सबसे बड़ी गिरावट को दर्ज करते हुए थी।

चार्ट 2.9 : कुल परिचालन आय में निवल ब्याज आय : बैंक समूह वार

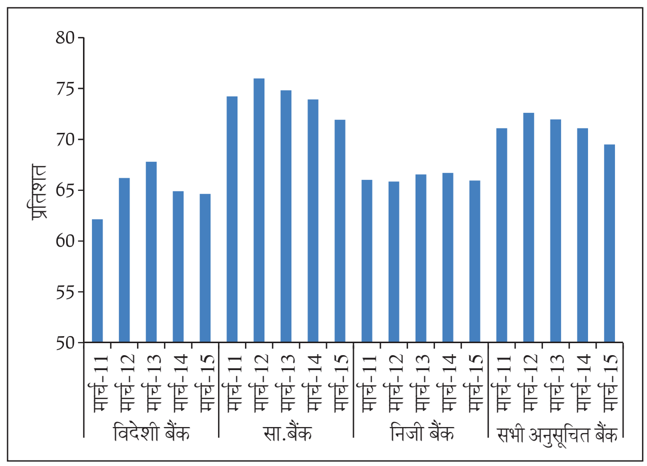

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

जोखिम

2.13 बैंकिंग स्थिरता सूचक (बीएसआई)[4] यह दर्शाता है कि पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर)[5] के प्रकाशन से बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम सीमांत रूप से कम किया गया है, हालांकि जोखिम का स्तर अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, पहले से ही बिगड़ी आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के रूप में भी

[4] विभिन्न बीएसआई आयामों के अंतर्गत प्रयोग की गई विस्तृत कार्यपद्धति और आधारभूत सूचक अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

[5] एफएसआर - दिसंबर 2014 (सितंबर 2014 को समाप्त डेटा के संदर्भ में)

चार्ट 2.10 : बैंकिंग स्थिरता सूचक

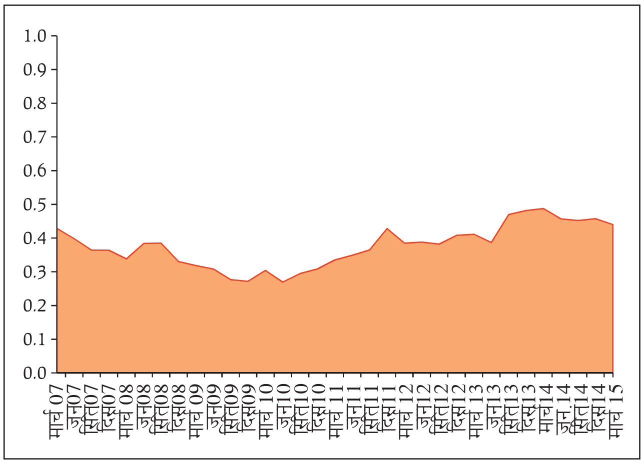

नोट : सूचक मूल्य में बढ़ोतरी निम्न स्थिरता दर्शाती है।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

चार्ट 2.11 : बैंकिंग स्थिरता खाका

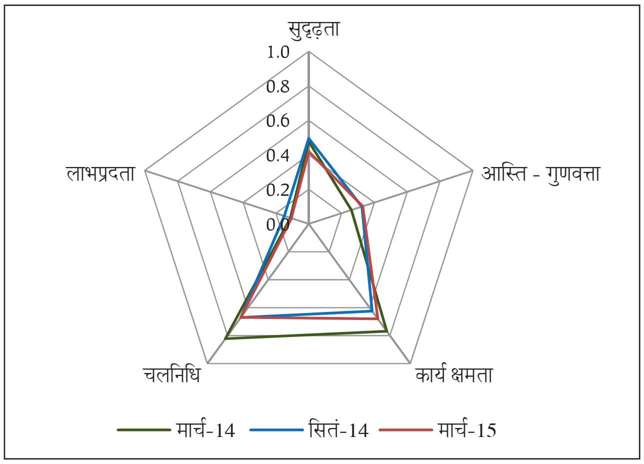

नोट : केंद्र से दूरी जोखिम में वृद्धि सूचित करती है।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

निम्न मजबूती (हालांकि सीमांत रूप से सुधरी) जो मंद रही, पर भी चिंता बनी हुई है (चार्ट 2.10 और 2.11)। आस्ति गुणवत्ता में आगे और विकृति, यदि कोई हो तो, बैंकिंग व्यवस्था के मिजाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

लचीलापन - दबाव परीक्षण

समष्टि दबावग्रस्त परीक्षण - ऋण जोखिम[6]

2.14 समष्टि अर्थशास्त्र आघातों के विरुद्ध भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आघातसहनीयता की परीक्षण प्रणाली, बैंक-समूह और क्षेत्रवार स्तरों पर ऋण जोखिम के लिए समष्टि दबावग्रस्त परीक्षण की शृंखला के जरिए की गई। ये परीक्षण एक आधाररेखा को सम्मिलित करते हुए कल्पित जोखिम परिदृश्यों को और मध्यम और भारी जोखिमों को प्रस्तुत करते हुए दो विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र परिदृश्यों को शामिल करते हैं । ये प्रतिकूल परिदृश्य मध्यम जोखिम के लिए एक मानक विचलन (एसडी) तक और भारी जोखिम के लिए दो मानक विचलन के तक के आधार पर निकाले गए थे (10 वर्ष का ऐतिहासिक डेटा)[7] (सारणी 2.4) ।

चार्ट 2.4 : समष्टि अर्थशास्त्र परिदृश्य धारणा (2015-16)[8]

(प्रतिशत)

	आधाररेखा	मध्यम दबावग्रस्त	भारी दबावग्रस्त
आधार मूल्य पर जीवीए में वृद्धि	7.6	5.8	3.6
जीडीपी अनुपात में सकल राजकोषीय घाटा	3.9	5.0	6.3
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फीति	5.3	7.3	9.7
भारित औसत उधार दर	12.1	12.7	13.4
जीडीपी अनुपात में पण्य निर्यात	15.1	13.6	11.7
जीडीपी अनुपात में चालू खाता शेष	-1.5	-2.6	-4.9

स्रोत: जीवीए = योजित सकल मूल्य

प्रणाली स्तर के ऋण जोखिम

2.15 ऋण जोखिम का समष्टि दबावग्रस्त परीक्षण यह सुझाव देता है कि आधाररेखा परिदृश्य के अंतर्गत, जीएनपीए अनुपात मार्च 2015 के 4.6 प्रतिशत से सितंबर 2015 तक 4.8 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जो बाद में मार्च 2016 तक 4.7 प्रतिशत तक सुधर सकता है। हालांकि, यदि समष्टि अर्थशास्त्र स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो जीएनपीए अनुपात आगे बढ़ सकता है और अति दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत मार्च 2016 तक लगभग 5.9 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इस तरह के परदृिश्य में, राज्य सहकारी बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों में मार्च 2015 के

[6] विस्तृत कार्यपद्धति अनुबंध 2 में दी गई है।

[7] आघातों की मात्रा (मानक विचलन के गुणक के रूप में) समय (त्रैमासिक अवधि) के साथ बढ़ी थी।

[8] ये दबावग्रस्त परिदृश्य सख्त और रूढ़िवादी मूल्यांकन हैं जो परिकल्पित हैं। यहाँ बताई गई गंभीर रूप से प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों का अर्थ भविष्यवाणी या प्रत्याशित परिणाम के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए।

चार्ट 2.12 राज्य सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक अग्रिम और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के सिस्टम लेवल का प्रोजेक्शन
(विभिन्न परिदृश्यों के तहत)

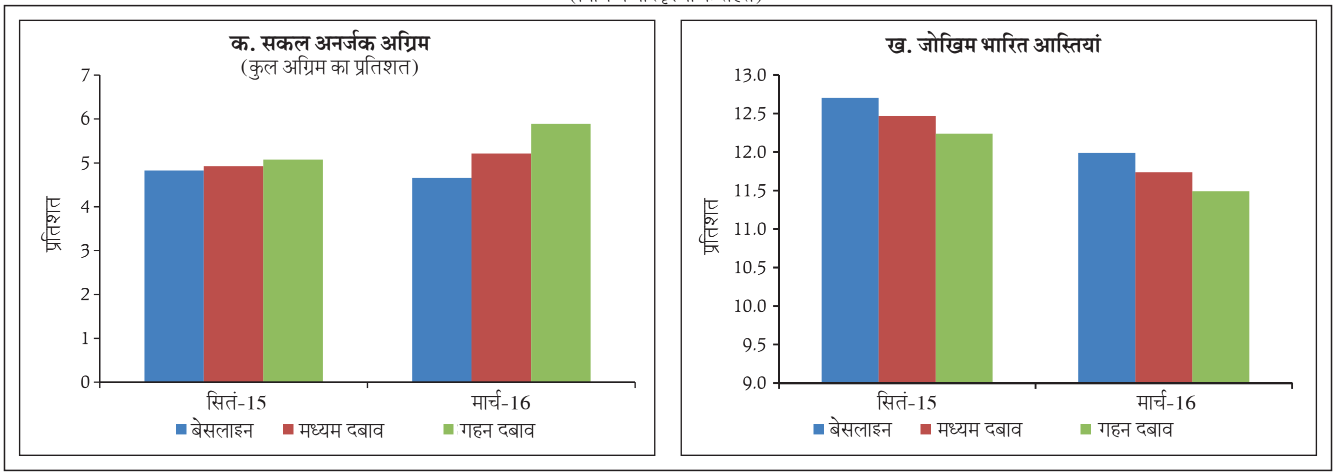

नोट: 1. सकल अनर्जक अग्रिमों का प्रोजेक्शन तीन अलग-अलग परन्तु पूरक अर्थमिति मॉडल का उपयोग करके किया गया है :- मल्टीवेरियेंट रिग्रेशन, वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव (जो खाते में क्रेडिट गुणवत्ता को फीडबैक प्रभाव को शामिल करते हुए) और क्वेन्टाइल रिग्रेशन (जो कि ट्रेल जोखिम से निपट सके तथा खाते में समष्टि अर्थशास्त्र के शॉक के अरैखिक प्रभाव को शामिल कर सके) इन तीनों मॉडलों का औसत जीएनपीए अनुपात आंकड़ों में दिए गए हैं।

2. सीआरआर का प्रोजेक्शन 25 प्रतिशत न्यूनतम लाभ हंस्तान्तरण की संतुलित अवधारणा के तहत तैयार किया गया है। यह खाते में हितधारकों द्वारा कोई पूंजी अंत:प्रवाह नहीं ले रहा है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

12.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2016 तक 11.5 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

बैंक समूह स्तर ऋण जोखिम

2.16 बैंक समूहों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सकल अनर्जक अग्रिमों के अनुपात के उच्चतक स्तर को रजिस्टर करना जारी रख सकते हैं। बेसलाइन के तहत उनकी सकल अनर्जक अग्रिमों का अनुपात मार्च 2015 तक 5.7 प्रतिशत तक ऊपर जा सकता है जो कि गहन दबाव परिदृश्य में 7.0 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इस तरह के गहन दबाव परिदृश्य में, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का सकल अनर्जक अग्रिम मार्च2015 के 2.11 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2016 तक 4.1 प्रतिशत तक पहूंच सकता है (चार्ट 2.13)।

2.17 गहन दबाव परिदृश्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मार्च 2015 समाप्ति 11.4 प्रतिशत की तुलना में निम्नतम जोखिम

चार्ट 2.13 : बैंक समूह अनुसार जीएनपीए अनुपात और सीआरएआर
(विभिन्न परिदृश्यों के तहत)

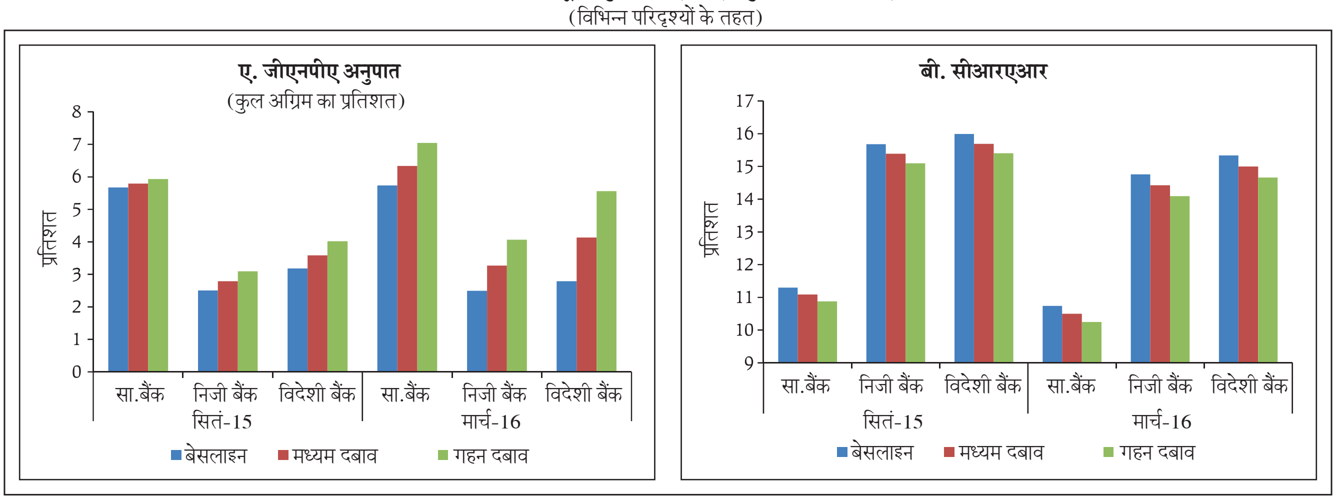

नोट: 1. बैंकों का समूहवार सकल अनर्जक आस्तियों का प्रोजेक्शन दो अलग-अलग परन्तु पूरक अर्थमिति मॉडल का उपयोग करके किया गया है। मल्टीवेरियेन्ट रिग्रेशन और वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव। इन दोनों मॉडलों के औसत जीएनपीए का अनुपात आंकड़ों में दिया गया है।

2. सीआरआर का प्रोजेक्शन 25 प्रतिशत न्यूनतम लाभ हंस्तान्तरण की संतुलित अवधारणा के तहत तैयार किया गया है। यह खाते में हितधारकों द्वारा कोई पूंजी अंत:प्रवाह नहीं ले रहा है।.

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2016 में लगभग 10.2 प्रतिशत रिकॉर्ड हो सकती है (चार्ट 2.13)।

क्षेत्रवार ऋण जोखिम

2.18 क्षेत्रवार ऋण जोखिम के समष्टि दबाव परीक्षण से ज्ञात हुआ कि गहन दबाव परिदृश्य में चयनित सात क्षेत्रों में से इंजीनियरिंग जिनका मार्च 2015 में 7.5 प्रतिशत जीएनपीए अनुपात अधिकतम था वह मार्च 2016 में उनका जीएनपीए अनुपात लगभग 10.8 प्रतिशत रजिस्टर हो सकता है। इसके पश्चात लोहा तथा स्टील का 8.8 प्रतिशित तथा सीमेन्ट का 7.16 मार्च 2016 तक (चार्ट 2.14)।

ऋण जोखिम के लिए घाटे का अनुमान[9] : प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता

2.19 विभिन्न बैंकों के समूह का मार्च 2015 की समाप्ति पर प्रावधान के प्रतिशत[10] का स्तर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 3.3 प्रतिशत, प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों के लिए 2.0 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए 3.7 प्रतिशत था जो कि आधारभूत परिदृश्य में उनके अनुमानित घाटे से अधिक है। बैंक समूह में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनको कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अधिकतम घाटे की उम्मीद है, वे प्रतिकूल व्यापक आर्थिक जोखिम परिदृश्य[11] में उनके अनुमानित घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान कम पड़ जाने की संभावना है (चार्ट 2.15)।

2.20 अनुमान के अनुसार अप्रत्याशित घाटे और विभिन्न बैंक समूहों के क्रेडिट जोखिम से उत्पन्न होने के कारण खामियों की उम्मीद है, यहां तक कि गंभीर व्यापक आर्थिक दबाव की स्थिति के लिए बैंकों द्वारा बनाई गई कुल पूंजी (टीयर I प्लस टीयर II) वर्तमान स्तर की तुलना में काफी काम होने की उम्मीद है। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल पूंजी[12] के लेवल

चार्ट 2.14: विभिन्न परिदृश्यों के तहत प्रोजेक्टड क्षेत्रवार सकल अनर्जक आस्तियां

(कुल अग्रिम का प्रतिशत)

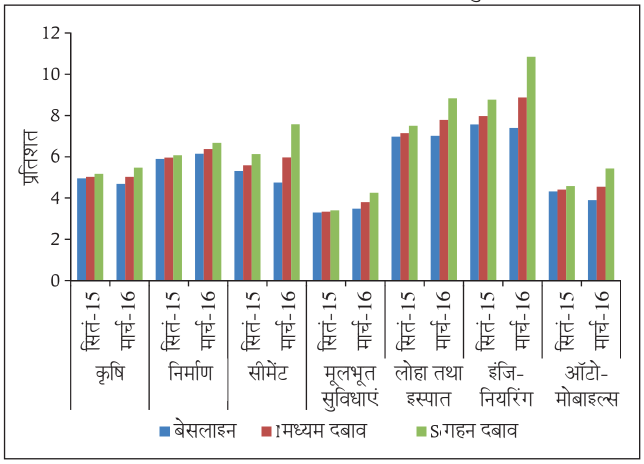

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

चार्ट 2.15: प्रत्याशित घाटा : बैंक-समूह वार

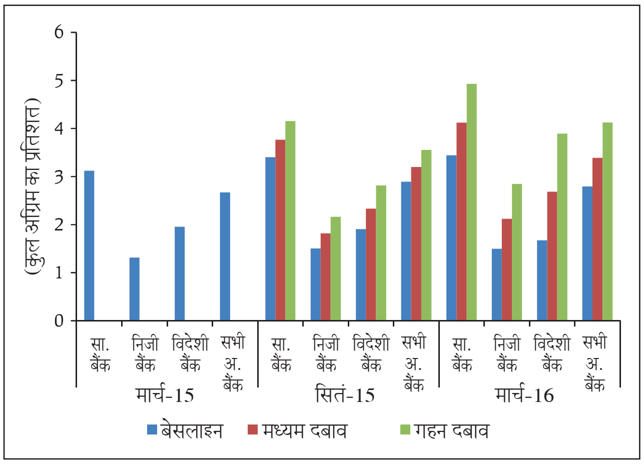

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

[9] अपनाई गई प्रक्रिया और घाटा आकलन की परिभाषा अनुबंध 2 में दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिफारिश की गई है कि अनुमानित घाटे (प्रत्याशित घाटा और अप्रत्याशित घाटा) के अगले वर्ष के लिए प्रावधान और पूंजी तय करते समय अनुमानित घाटा अप्रोच का प्रयोग किया जाए। इसके लिए चूक की संभाव्यता वार्षिक गिरावट के आधार पर ली गई है। इस अध्ययन का उद्देश्य है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रोवीजनिंग और पूंजी पर्याप्तता न्याय संगत बनाए रखी जा रही है और अगले वर्ष की प्रोवीजनिंग और पूंजी के अपेक्षित लेवल का आकलन करना नहीं है, यहां चूक की संभाव्यता का प्रयोग सकल अनर्जक आस्तियों के आधार पर किया गया है।

[10] प्रावधानों में क्रेडिट घाटा प्रावधान, मानक अग्रिमों के लिए जोखिम प्रावधान तथा पुनर्गठित मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

[11] दबाव परिदृश्य मैक्रो-दबाव परीक्षणों के तहत सारणी 2.4 में परिभाषित हैं।

[12] तुलना करने के लिए, प्रत्याशित और अप्रत्याशित घाटा तथा कुल पूंजी, कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में दी गई है। बैंक समूह में कुल अग्रिमों के अनुपात में कुल पूंजी की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें निवेश के ऑफ-बेलेन्स शीट की मदों को शामिल नहीं किया गया है।

रूप में कुल अग्रिम 12.5 प्रतिशत, प्राइवेट बैंकों का 21.2 प्रतिशत तथा विदेशी बैंकों का 35.3 प्रतिशत था (चार्ट 2.16)।

2.21 ऋण जोखिम से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित और अप्रत्याशित घाटे का बैंकवार[13] आकलन दर्शा रहा है कि 16 बैंक जिनका चुनिंदा 60 बैंकों के कुल अग्रिम में 26.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है, अपने मौजूदा प्रावधानों के साथ अपना अप्रत्याशित घाटा पूरा करने में असमर्थ थे (दिसंबर 2014 की वित्तीय स्थिरिता रिपोर्ट में किए गए 20 बैंक की तुलना में)। दूसरी ओर केवल तीन बैंक (चुनिंदा बैंकों के कुल अग्रिमों में 3.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ) कुल पूंजी से अधिक अप्रत्याशित घाटे की उम्मीद कर रहे थे (चार्ट 2.17)

चार्ट 2.16 :अप्रत्याशित घाटा और प्रत्याशित कमी : बैंक समूह वार (मार्च 2015)

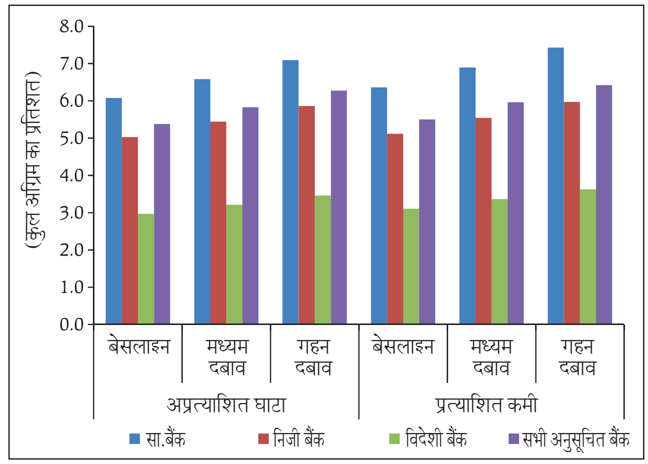

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

संवेदनशीलता विश्लेषण : बैंक वार[14]

2.22 एकल कारक संवेदनशीलता दबाव परीक्षण[15] (टॉप-डाउन) विभिन्न परिदृश्यों के तहत उनकी कमजोरियों और आघात सहने का आकलन करने के लिए अध्ययन (60 बैंकों पर जिनकी बैंकिंग क्षेत्र में कुल परिसंपत्तियों की 99 प्रतिशत अंकाउंटिग है) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर किया गया। क्रेडिट ब्याज दर और चलनिधि जाखिमों के विभिन्न परदिृश्यों[16] के तहत वाणिज्यिक बैंकों के आघात सहने को संभाव्य आधार देकर टॉप-डाउन संवेदनशीलता के विश्लेषण के माध्यम से अध्ययन किया गया था। इसके परिणाम मार्च 2015 के आंकड़ों पर आधारित हैं। उन्हीं आघातों को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर बॉटम-अप दबाव परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया गया था।

टॉप-डाउन दबाव परीक्षण

क्रेडिट जोखिम

2.23 अलग स्थिर क्रेडिट आघात के प्रभाव से मार्च 2015 की स्थिति से ज्ञात होता है कि सिस्टम लेवल दबाव से सीआरएआर

चार्ट 2.17 : प्रत्याशित घाटा और अप्रत्याशित घाटा : बैंक-वार (मार्च 2015)

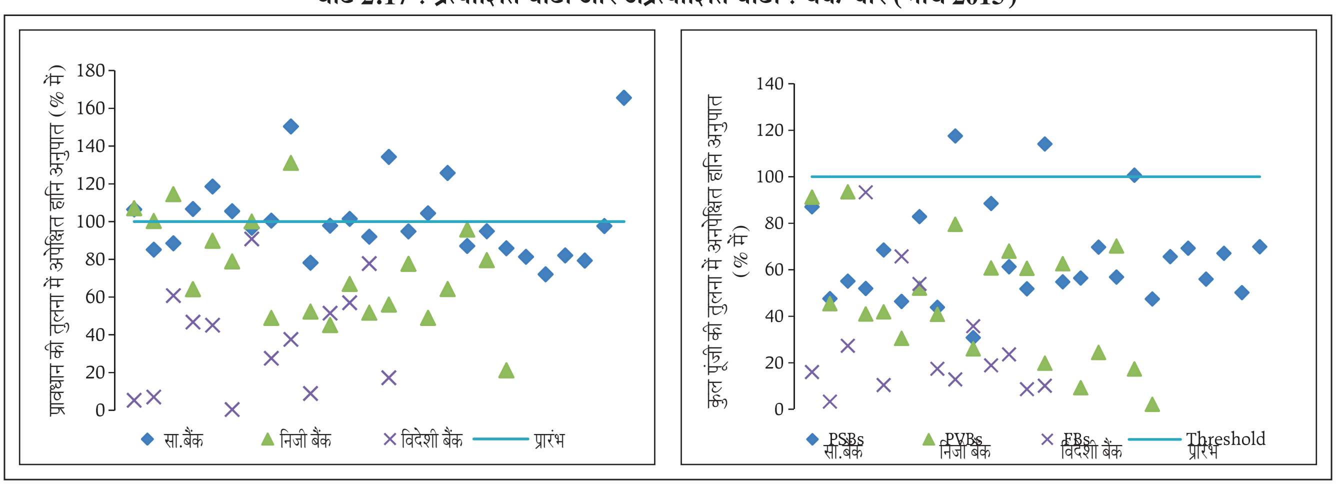

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

[13] प्रत्याशित और अप्रत्याशित घाटे का बैंकवार आकलन 60 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए किया गया जिनकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल परिसंपति में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

[14] संवेदनशीलता विश्लेषण क्रेडिट जोखिम के मैक्रो दबाव परीक्षण के लिए किया गया था। यद्यपि पूर्व आघात प्रत्यक्ष तौर पर परिसंपत्तियों की गुणवत्ता (सकल अनर्जक आस्तियों) को दिए गए थे, बाद में आघात प्रतिकूल समष्टि आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में थे। मैक्रो दबाव परीक्षण प्रमुख बैंक समूह और सेक्टर लेवल सिस्टम पर किया गया था, जबकि संवेदनशीलता विश्लेषण एग्रीग्रेटेड सिस्टम तथा बैंक स्तर पर किया गया था। मैक्रो दबाव परीक्षण का फोकस क्रेडिट जोखिम था, जबकि संवेदनशीलता वेश्लेषण में क्रेडिट, ब्याज दर और चलनिधि जोखिम को कवर किया।

[15] दबाव परीक्षण के विवरण के लिए अनुबंध 2 देखें।

[16] विभिन्न परिदृश्यों के तहत तैयार किए गए आघात अतिशय परन्तु संभाव्य थे।

सारणी 2.5 : ऋण जोखिम-आघात और प्रभाव

(प्रतिशत)

	प्रणाली स्तर					बैंक स्तर			
	सीआरएआर	टियर I सीआरएआर	जीएनपीए अनुपात	पूंजी के % के रूप में हानि	वार्षिकीकृत लाभ के % के रूप में हानि	प्रभावित बैंक (सीआरएआर <9%)		प्रभावित बैंक (टियर I सीआरएआर <9%)	
आधार (आघात के पूर्व)	**12.6**	**10.0**	**4.5**	–	–	**बैंकों की सं.**	**कुल आस्तियों में हिस्सा**	**बैंकों की सं.**	**कुल आस्तियों में हिस्सा**
आघात 1:	11.7	9.1	6.5	7.9	64.3	5	11.9	2	3.7
आघात 2:	10.8	8.1	8.5	15.7	128.7	18	33.2	16	30.8
आघात 3:	9.9	7.2	10.5	23.6	193.0	27	65.5	25	64.4
आघात 4:	12.2	9.6	6.4	3.5	28.7	0	0.0	0	0.0
आघात 5:	11.1	8.4	6.4	13.0	106.7	15	28.4	15	28.7
आघात 1:	जीएनपीए पर 1 एसडी आघात								
आघात 2:	जीएनपीए पर 2 एसडी आघात								
आघात 3:	जीएनपीए पर 3 एसडी आघात								
आघात 4:	30 प्रतिशत पुनर्संरचित अग्रिम एनपीए हो गए (अव मानक वर्ग)								
आघात 5:	30 प्रतिशत पुनर्संरचित अग्रिम एनपीए हो गए (हानि वर्ग) - बट्टे खाते डाले गए								

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

आवश्यक न्यूनतम 9 प्रतिशत से ऊपर रही है। गंभीर 3 एसडी[17] (अर्थात जीएनपीए 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया) के अंतर्गत प्रणाली स्तर का सीआरएआर और टियर 1 सीआरएआर गिरकर क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत हो गया। प्रणाली स्तर पर पूंजी हानियाँ लगभग 23.6 प्रतिशत हो सकती हैं। लाभ पर इन आघातों का प्रभाव काफी गंभीर होगा, यदि एनपीए 1.6 एसडी से 7.6 प्रतिशत बढ़ेगा तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का पूरा लाभ समाप्त हो जाएगा (सारणी 2.5)। वैयक्तिक स्तर पर, दबाव परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि 27 बैंक, जिनके पास अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों का 65.5 प्रतिशत हिस्सा है, एनपीए में 3 एसडी वृद्धि के गंभीर आघात के अंतर्गत अपेक्षित सीआरएआर बनाए नहीं रख सकेंगे चार्ट 2.18)।

चार्ट 2.18 : सीआरएआर -वार बैंकों का विभाजन

(जीएनपीए अनुपात पर 3 एसडी शॉक के अंतर्गत)

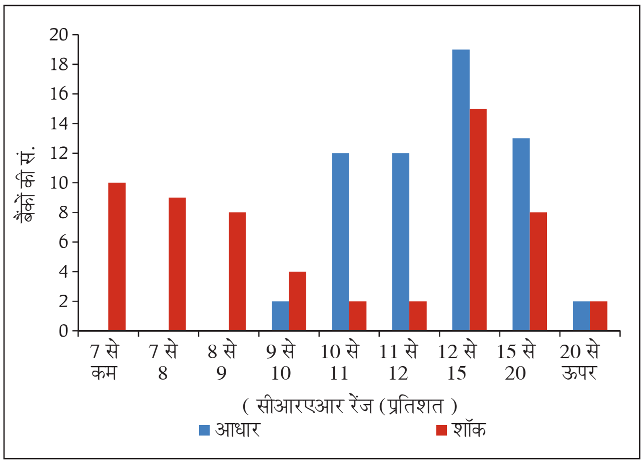

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

ऋण संकेन्द्रण जोखिम

2.24 बैंकों के ऋण संकेन्द्रण जोखिम पर किया गया दबाव परीक्षण दर्शाता है कि विभिन्न दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत 8 बैंकों पर प्रभाव काफी अधिक था, जिनकी कुल आस्तियां लगभग 19.0 प्रतिशत थीं, वे 9 प्रतिशत का सीआरएआर नहीं बनाए रख सकेंगे। किसी एक उच्च स्तर के उधारकर्ता की चूक के कल्पित परिदृश्य में पूंजी हानियाँ लगभग 5 प्रतिशत हो सकती हैं। किन्हीं दो उच्च स्तर के उधारकर्ताओं के चूक का परिणाम 9 प्रतिशत की पूंजी हानियाँ हो सकती हैं। किन्हीं तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं के चूक का परिणाम 14 प्रतिशत की पूंजी हानियाँ हो सकती हैं। उच्च स्तर के एक समूह उधारकर्ता और उच्च स्तर के दो समूह उधारकर्ताओं के चूक के कल्पित परिदृश्य में प्रणाली स्तर पर लगभग 8 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की पूंजी हानियाँ हो सकती हैं। उच्च स्तर के तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं का कर पूर्व लाभ पर 111 प्रतिशत प्रभाव हो सकता है। उच्च स्तर के दो वैयक्तिक उधारकर्ताओं के चूक के परिदृश्य के अंतर्गत कर पूर्व लाभ में 71 प्रतिशत की हानि हो सकती है और वैयक्तिक उधारकर्ताओं के चूक के मामले में 40 प्रतिशत। उच्च स्तर के एक,दो और तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं के चूक के कल्पित परिदृश्य के अंतर्गत प्रणाली स्तर पर सीआरएआर पर प्रभाव 57,101 और 266 आधार अंक होगा। उच्च स्तर के एक समूह उधारकर्ता की चूक सीआरएआर को 95 आधार अंक कम करेगी जबकि दो समूह उधारकर्ताओं की सीआरएआर पर चूक का प्रभाव 171 आधार अंक होगा। फिर भी, इन आघातों के

[17] जीएनपीए अनुपात का मानक विचलन 10 वर्षों के तिमाही आंकड़े से आकलित है। एक एसडी शॉक (मानक विचलन) एनपीए में लगभग 45% की वृद्धि करता है।

चार्ट 2.19 : ऋण जोखिम - संकेन्द्रण

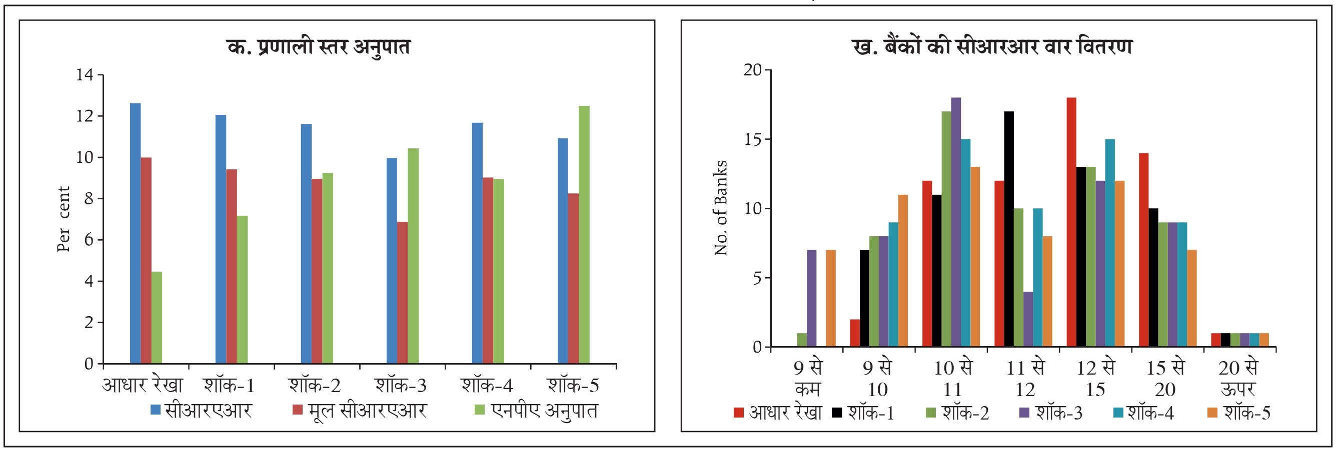

शॉक 1 : उच्च स्तर के वैयक्तिक उधारकर्ता की चूक
शॉक 2 : उच्च स्तर के दो वैयक्तिक उधारकर्ताओं की चूक
शॉक 3 : उच्च स्तर के तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं की चूक
शॉक 4 : उच्च स्तर के समूह उधारकर्ता की चूक
शॉक 5 : उच्च स्तर के दो समूह उधारकर्ताओं की चूक
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

अंतर्गत प्रणाली स्तर का सीआरएआर 9 प्रतिशत से ऊपर होगा (चार्ट 2.19)।

सेक्टोरल ऋण जोखिम

2.25 कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेष रूप से उद्योगों के प्रति एक्सपोजर के ऋण जोखिम की सेक्टोरल दबाव परीक्षण के द्वारा जांच की गई। ऐसा माना गया कि वर्तमान पुनर्संरचित मानक अग्रिमों[18] का एक हिस्सा एनपीए में बदल जाएगा साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में अन्य मानक अग्रिमों पर भी आघात होगा। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि आघात, प्रणाली स्तर के जीएनपीए को काफी अधिक बढ़ा देंगे जिसमें एकल क्षेत्र आघात का सर्वाधिक प्रभाव लोहा और स्टील क्षेत्र पर रहेगा (सारणी 2.6) (बॉक्स 2.1)। पूंजी अनुपात पर आघात का प्रभाव सीमित रहा क्योंकि ऋण पोर्टफोलियो का केवल एक ही हिस्सा आघात के अंतर्गत था। लेकिन, यदि आघात का प्रभाव होता है तो बैंकों के लाभों (कर के पूर्व लाभ) पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा।

2.26 विद्युत, परिवहन और दूर संचार के महत्त्वपूर्ण उप क्षेत्रों सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर खंड के लिए भी सेक्टोरल ऋण दबाव परीक्षण

सारणी 2.6 : सेक्टोरल ऋण जोखिम - उद्योग - आघात और प्रभाव (प्रतिशत)

क्षेत्र	उद्योग	जिसका (क1): एमएसएमई	जिसका (क2): वस्त्र	जिसका (क3): लोहा और स्टील
क्षेत्र का स्वरूप				
कुल अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा	40.72	7.91	3.36	4.61
पुनर्संरचित मानक अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा	74.07	5.06	6.85	11.02
सेक्टोरल पुनर्संरचित मानक अग्रिम अनुपात	11.73	4.13	13.15	15.42
प्रणाली का पुनर्संरचित मानक अग्रिम अनुपात	6.45	6.45	6.45	6.45

आघात	पुनर्संरचित मानक अग्रिमों पर आघात*	अन्य मानक अग्रिमों पर आघात#	उद्योग				जिसका (क1): एमएसएमई				जिसका (क2): वस्त्र				जिसका (क3): लोहा और स्टील			
			सेक्टर का एनपीए अनुपात	प्रणाली स्तर पर प्रभाव			सेक्टर का एनपीए अनुपात	प्रणाली स्तर पर प्रभाव			सेक्टर का एनपीए अनुपात	प्रणाली स्तर पर प्रभाव			सेक्टर का एनपीए अनुपात	प्रणाली स्तर पर प्रभाव		
				प्रणाली स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानियाँ		प्रणाली स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानियाँ		प्रणाली स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानियाँ		प्रणाली स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानियाँ
आघात के पहले स्थिति			5.74	4.47	-	-	5.90	4.47	-	-	9.92	4.47	-	-	6.74	4.47	-	-
आघात-1		-	7.50	5.18	1.30	10.65	6.52	4.52	0.09	0.73	11.89	4.53	0.12	0.98	9.06	4.57	0.19	1.58
आघात-2	15	5	7.79	5.30	1.77	14.49	6.81	4.54	0.18	1.50	12.39	4.55	0.18	1.50	9.39	4.59	0.25	2.08
आघात-3		10	8.08	5.42	2.24	18.33	7.11	4.56	0.28	2.26	12.88	4.57	0.25	2.02	9.73	4.60	0.31	2.57
आघात-4		-	9.26	5.90	2.60	21.30	7.14	4.56	0.18	1.46	13.86	4.60	0.24	1.97	11.37	4.68	0.39	3.17
आघात-5	30	5	9.55	6.02	3.07	25.14	7.43	4.59	0.27	2.22	14.36	4.62	0.30	2.49	11.71	4.70	0.45	3.66
आघात-6		10	9.84	6.13	3.54	28.98	7.73	4.61	0.37	2.99	14.86	4.63	0.37	3.00	12.04	4.71	0.51	4.16
आघात-7		-	7.50	5.18	4.83	39.53	6.52	4.52	0.33	2.70	11.89	4.53	0.45	3.65	9.06	4.57	0.72	5.88
आघात-8	15	5	7.79	5.30	5.30	43.37	6.81	4.54	0.42	3.47	12.39	4.55	0.51	4.17	9.39	4.59	0.78	6.37
आघात-9		10	8.08	5.42	5.77	47.21	7.11	4.56	0.52	4.24	12.88	4.57	0.57	4.69	9.73	4.60	0.84	6.87
आघात-10		-	9.26	5.90	9.66	79.06	7.14	4.56	0.66	5.40	13.86	4.60	0.89	7.31	11.37	4.68	1.44	11.76
आघात-11	30	5	9.55	6.02	10.13	82.90	7.43	4.59	0.75	6.17	14.36	4.62	0.96	7.82	11.71	4.70	1.50	12.25
आघात-12		10	9.84	6.13	10.60	86.74	7.73	4.61	0.85	6.94	14.86	4.63	1.02	8.34	12.04	4.71	1.56	12.75

* आघात 1-6 - नया एनपीए : पुनर्संरचित मानक अग्रिम अवमानक वर्ग में बदल जाएंगे।
आघात 1-7 - नया एनपीए : पुनर्संरचित मानक अग्रिम हानिवर्ग में बदल जाएंगे।
मानक अग्रिमों से होने वाले नए एनपीए (पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के अलावा) को आघात परिदृश्य में अवमानक वर्ग में मान लिया गया है।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

[18] दिसंबर 2014 के पुनर्संरचित मानक अग्रिम

बॉक्स 2.1: लोहा और स्टील क्षेत्र का कार्य निष्पादन

हाल में भारत विश्व में स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। लेकिन यह उद्योग अनेक समस्याओं से घिरा है; जैसे अपर्याप्त पूंजी निवेश,लौह अयस्क की कमी,खानों का धीमी गति से मशीनीकरण, कोयला वाशरी की क्षमता का कम उपयोग, आयातित कोकिंग कोयले पर निर्भरता (अधिकांश घरेलू कोकिंग कोयले की गुणवत्ता को स्टील उत्पादन के लिए अच्छा नहीं माना जाता) करेंसी बाजार में अस्थिरता,भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के मुद्दे, बन्दरगाह का अधिक शुल्क, स्टेनलेश स्टील पर कम आयात शुल्क (चीन और ब्राज़ील से भंडारण), घरेलू मांग में गिरावट, वैश्विक बाजार में मूल्यों के कम होने के साथ-साथ कम मांग के कारण निर्यात में गिरावट और भारतीय एसएडबल्यू[19] पाइपों पर अमरीका द्वारा 50-55 प्रतिशत का एंटी-डम्पिंग शुल्क लगाना। इन कारकों ने सामान्य रूप से इस क्षेत्र में, विशेष रूप से निजी क्षेत्र की कंपनियों[20] में दबाव उत्पन्न किया है। आज की तारीख तक 10 उच्च निजी स्टील उत्पादक कंपनियों में से पाँच भयानक दबाब में हैं। ऐसा अन्य कारकों में से भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी अनापत्तियों के कारण इन परियोजनाओं के विलंबित क्रियान्वयन के कारण है।

भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे निर्मित और अर्ध निर्मित स्टील के लिए 5 से 15 प्रतिशत तक आयात शुल्क बढ़ाना, हरित प्रोद्योगिकी का उपयोग, पेलेटाइजेशन में आधुनिक प्रोद्योगिकी का प्रयोग, बेहतर रसद (कच्चे माल के परिवहन के लिए स्लरी पाइपलाइनों के उपयोग के द्वारा) अनुसंधान और विकास पर अधिक ज़ोर तथा ईसीबी नियमों में शिथिलता (उच्च लागत के कर्जों के प्रतिस्थापन को आसान बनाना), इससे दीर्घकाल में उद्योग के सामने आ रही समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, बारहवीं पाँच वर्षीय योजना में अगले 20 वर्षों में भारत में शहरी आधारभूत ढांचा बनाने के लिए लगभग एक ट्रिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित निवेश की परिकल्पना की गई है। 2030 तक शहरी आबादी के 600 मिलियन तक बढ़ने के अनुमान, भारत निर्माण,प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी आवास योजना और सरकार द्वारा राजमार्ग परियोजनाओं पर हालिया जोर जैसे अन्य कारकों से स्टील के लिए घरेलू मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए, आने वाले वर्षों में भारत विश्व में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने जा रहा है। इस क्षेत्र में काफी अधिक दीर्घकालिक संभावनाएं हैं, हालांकि हाल में यह क्षेत्र दबाब के अंतर्गत है,अतः उधारकर्ताओं द्वारा इस पर बहुत नजदीकी से निगरानी रखने की आवश्यकता है।

किए गए। इन परीक्षणों से पता चलता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर खंड के आघातों का प्रणाली पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा जिसमें एकल क्षेत्र आघात का सर्वाधिक प्रभाव लोहा और स्टील क्षेत्र पर रहेगा (सारणी 2.7) (बॉक्स 2.2)।

सारणी 2.7 : सेक्टोरल ऋण जोखिम - इन्फ्रास्ट्रक्चर- आघात और प्रभाव

(प्रतिशत)

क्षेत्र	इन्फ्रास्ट्रक्चर	जिसका (क1): विद्युत	जिसका (क2): परिवहन	जिसका (क3): दूरसंचार
क्षेत्र का स्वरूप				
कुल अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा	14.86	8.67	3.13	1.61
पुनर्संरचित मानक अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा	40.45	23.92	14.26	2.27
सेक्टोरल पुनर्संरचित मानक अग्रिम अनुपात	17.55	17.79	29.35	9.09
प्रणाली का पुनर्संरचित मानक अग्रिम अनुपात	6.45	6.45	6.45	6.45

आघात	पुनर्संरचित मानक अग्रिमों पर आघात*	अन्य मानक अग्रिमों पर आघात#	इन्फ्रास्ट्रक्चर				जिसका (क1): विद्युत				जिसका (क2): परिवहन				जिसका (क3): दूरसंचार			
			सेक्टर का एनपीए अनुपात	प्रणाली स्तर पर प्रभाव: प्रणाली स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंज़ी के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	सेक्टर का एनपीए अनुपात	प्रणाली स्तर पर प्रभाव: प्रणाली स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंज़ी के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	सेक्टर का एनपीए अनुपात	प्रणाली स्तर पर प्रभाव: प्रणाली स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंज़ी के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	सेक्टर का एनपीए अनुपात	प्रणाली स्तर पर प्रभाव: प्रणाली स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंज़ी के प्रतिशत के रूप में हानियाँ	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानियाँ
आघात के पहले स्थिति			3.02	4.47	-	-	1.55	4.47	-	-	4.25	4.47	-	-	4.89	4.47	-	-
आघात-1		-	5.66	4.86	0.71	5.81	4.22	4.70	0.42	3.44	8.66	4.60	0.25	2.05	6.26	4.49	0.04	0.33
आघात-2	15	5	5.81	4.88	0.80	6.56	4.29	4.71	0.44	3.64	8.87	4.61	0.28	2.27	6.50	4.49	0.06	0.49
आघात-3		10	5.96	4.90	0.89	7.31	4.37	4.71	0.47	3.84	9.08	4.62	0.30	2.49	6.75	4.50	0.08	0.65
आघात-4		-	8.29	5.25	1.42	11.63	6.89	4.93	0.84	6.88	13.06	4.74	0.50	4.10	7.62	4.51	0.08	0.65
आघात-5	30	5	8.44	5.27	1.51	12.38	6.96	4.94	0.86	7.08	13.27	4.75	0.53	4.32	7.86	4.51	0.10	0.82
आघात-6		10	8.59	5.29	1.60	13.13	7.04	4.94	0.89	7.28	13.48	4.76	0.55	4.54	8.11	4.52	0.12	0.98
आघात-7		-	5.66	4.86	2.64	21.58	4.22	4.70	1.56	12.76	8.66	4.60	0.93	7.61	6.26	4.49	0.15	1.21
आघात-8	15	5	5.81	4.88	2.73	22.33	4.29	4.71	1.58	12.97	8.87	4.61	0.96	7.83	6.50	4.49	0.17	1.37
आघात-9		10	5.96	4.90	2.82	23.08	4.37	4.71	1.61	13.17	9.08	4.62	0.98	8.05	6.75	4.50	0.19	1.54
आघात-10		-	8.29	5.25	5.27	43.17	6.89	4.93	3.12	25.53	13.06	4.74	1.86	15.22	7.62	4.51	0.30	2.42
आघात-11	30	5	8.44	5.27	5.36	43.92	6.96	4.94	3.14	25.73	13.27	4.75	1.89	15.44	7.86	4.51	0.32	2.59
आघात-12		10	8.59	5.29	5.46	44.67	7.04	4.94	3.17	25.93	13.48	4.76	1.91	15.66	8.11	4.52	0.34	2.75

* आघात 1-6 - नया एनपीए : पुनर्संरचित मानक अग्रिम अवमानक वर्ग में बदल जाएंगे।
आघात 1-7 - नया एनपीए : पुनर्संरचित मानक अग्रिम हानिवर्ग में बदल जाएंगे।
मानक अग्रिमों से होने वाले नए एनपीए (पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के अलावा) को आघात परिदृश्य में अवमानक वर्ग में मान लिया गया है।
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

[19] सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड

[20] निजी क्षेत्र इकाइयों के अंतर्गत प्रमुख इस्पात उत्पादक और तुलनात्मक रूप सेयूनिट्स छोटे व मझोले पैमाने की इकाइयां, जैसे स्पांज लौह संयंत्र,मिनी ब्लास्ट फर्नेस यूनिट्स,इलेक्ट्रिक कोटिंग यूनिट्स शामिल हैं।

[21] इससे फाइन्स या निम्न श्रेणी के अयस्क को उच्च श्रेणी में अंतरित करने में मदद मिलेगी।

बॉक्स 2.2 - बिजली क्षेत्र का निष्पादन

भारत में बिजली क्षेत्र में अपार संभावना है किन्तु ईंधन की उपलब्धता/लिंकेज परियोजना क्लियरेंस, सामाजिक प्रभाव के कारण और बिजली उत्पादकों द्वारा कोयला प्रखंड नीलामियों में अत्याधिक बोली लगाने के चलते यह क्षेत्र काफी समस्याओं का सामना करता आया है, जिससे कम प्लांट लोड फैक्टर्स (पीएलएफ) की स्थिति बन गई है। आयातित कोयले पर निर्भरता, जोकि तीन से चार गुना महंगा है, कंपनियों की बॉटम लाइनों पर प्रहार कर रहा है। इसके अलावा, कुछ देशों में पर्यावरणीय चिंता संबंधी कुछ अनिश्चितताओं और कुछ अन्य देशों में उच्च प्रभार तथा कोयला खदानों के स्वामित्व के स्थानीय कंपनियों को अंतरण संबंधी कडे विनियमनों से कोयले की आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड सकता है।

बिजली वितरण के क्षेत्र में गंभीर रूकावटें हैं। वितरण कंपनियों की बिगडती जा रही वित्तीय स्थिति चिंता का मामला है। राज्य अपनी वित्तीय पुनर्रचना योजनाओं (एफआरपी) के अंतर्गत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि वे आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच के अंतर को समाप्त करने, प्रेषण और वितरण हानियों को कम करने, प्रभार को नियमित आधार पर निश्चित करने और राज्य बिजली वितरण दायित्व अधिनियम बनाने में असमर्थ रहे हैं। बैंकों ने एफआरपी के अंतर्गत सात वितरण कंपनियों के लगभग रु.530 बिलियन की जोखितयुक्त राशि (एक्सपोजर) की पुनर्रचना की है। रु.430 बिलियन की मूल राशि की चुकौती की ऋण स्थगन अवधि मार्च 2015 में समाप्त हो गई है। अपर्याप्त राजकोषीय स्थिति को देखते हुए, इस बात की अधिक संभावना है कि राज्य सरकारें अतिदेय मूल राशि/किस्तों की चुकौती समय पर नहीं कर पाएंगी और बैंकों को इन ऋणों को एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखना होगा, जैसाकि ब्याज के विलंबित भुगतान के कारण वर्तमान में किया जा रहा है। इस जोखिमयुक्त राशि के एनपीए बन जाने की काफी संभावना है क्योंकि ऋणों और अग्रिमों की पुनर्रचना के नये विनियामकीय मानदंड 01 अप्रैल 2015 से लागू हो गए हैं।

जहां सरकार ने बिजली उत्पादन में सुधार करने की दृष्टि से कोयला प्रखंडों की नीलामी और गैस के मूल्य निर्धारित करके संभाव्य देशी आपूर्ति में सुधार किया है, वहीं बिजली उत्पादक कंपनियों की ऋण चुकौती क्षमता उच्च लीवरेज और कम नकदी प्रवाह के कारण निकट भविष्य में दुर्बल बनी रहने की संभावना है। अतः बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस क्षेत्र में व्यवहार करते समय पर्याप्त सावधानी बरतें और इस क्षेत्र की गतिविधियों की सूक्ष्म निगरानी जारी रखें।

ब्याज दर जोखिम

2.27 विभिन्न दबाब स्थितियों में ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर जोखिम का प्रभाव (बैंकों के एएफएस और एचएफटी संविभाग पर प्रत्यक्ष प्रभाव) प्रबंधन योग्य हो गया है, जिसका कारण है प्रणालीगत स्तर पर सीआरएआर में 92 आधार अंकों की कटौती करना। इस प्रभाव का कारण यील्ड कर्व में समांतर ऊर्ध्वमुखी बदलाव (2.5 प्रतिशत) है। इसी स्टॉक के लिए एफएसआर दिसंबर 2014 [22] में सूचित किये अनुसार सीआरएआर में 74 आधार अंकों की कटौती की गई थी। विखंडीत स्तर पर, कुल परिसंपत्तियों के 8.8 प्रतिशत को कवर करने वाले 3 बैंकों पर 9 प्रतिशत प्रभाव पड रही थी जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम ही गया था। प्रणालीगत स्तर पर लगभग 8.2 प्रतिशत की कुल पूंजीगत हानि का अनुमान है। बैंकों के एचटीएम संविभाग पर यील्ड कर्व में 2.5 प्रतिशत अंकों के समांतर ऊर्ध्वमुखी बदलाव का अनुमानित आघात, यदि मार्कड टू मार्केट हो तो, सीआरएआर में 276 आधार अंकों की काफी कमी आएगी जिससे 24 बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम है (एफएसआर दिसंबर 2014 में आकलित प्रभाव 261 आधार अंक था)। यील्ड कर्व में समांतर अधोमुखी बदलाव (2.5 प्रतिशत अंक) के अनुमानित आघात के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंकिंग बुक[23] पर आय प्रभाव उनके लाभ (कर पूर्व) के लगभग 29.0 प्रतिशत हो सकता है।

2.28 ट्रेडिंग बुक में यील्ड कर्व के 2.5 प्रतिशत अंक के समांतर ऊर्ध्वमुखी बदलाव के आघात के प्रभाव का बैंक समूह स्तरीय विश्लेषण (दबाब परीक्षण के लिए मात्र चुनिंदा बैंकों का प्रयोग करके) दर्शाता है कि एफबी को सीआरएआर में 142 आधार अंक की उच्चतर कटौती देखनी पड़ सकती है जबकि पीसीबी में यह 106 आधार अंक और पीवीबी में यह 89 आधार अंक है। इसका कारण

[22] आंकडे सितंबर 2014 तिमाही के है।

[23] दर संवेदनशीलता परिसंपत्ति और देयता के एक्सपोजर अंतर को देखते हुए एएफएस और एचएफटी संविभागों को छोडकर, बैंकिंग बुकों पर आय प्रभाव की गणना एक वर्ष के लिए ही की गई है।

ट्रेडिंग बुकों में उनका व्यापक एक्सपोजर होना है। किंतु पीवीबी और एफबी की तुलना में पीसीबी की ट्रेडिंग बुकों में निवेश की दर संवेदशीलता (संशोधित अवधि द्वारा दर्शायी गई) अधिक थी (सारणी 2.8)।

चलनिधि जोखिम

2.29 चलनिधि जोखिम विश्लेषण में बैंकों पर अनुमानित स्थिति के प्रभाव को देखा जाता है जहां जमाराशि तेजी से निकल जाती है और क्रेडिट लाइन के अप्रयुक्त भाग के लिए मांग बढ़ जाती है, जोकि स्वीकृत/प्रतिबध्द होते हैं (अनाहरित कार्यशील पूंजी सीमा और क्रेडिट की अनाहरित प्रतिबध्द लाइन्स को ध्यान में रखकर)। अनुमानित स्थिति में बीमा रहित जमाराशियों[24] के एक भाग का आहरण बढ़ जाएगा और स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं के अप्रयुक्त भाग के आहरण और बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों की ऋण प्रतिबध्दताओं के कारण ऋण की मांग बढ़ जाएगी। यह माना जाता है कि बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे इन्हें पूरा करने के लिए अपनी चलनिधि परिसंपत्तियों के स्टॉक (एसएलआर संविभाग का भाग) का उपयोग करेंगे, बाह्य निधियन का सहारा नहीं लेंगे। निवेशों पर 10.9 प्रतिशत हेयरकट/मार्जिन अनुमानित है। परीक्षण मार्च 2015 के आंकडों के आधार पर एससीबी के लिए किया गया था।

2.30 यह माना गया है कि एनडीटीएल को 21.5 प्रतिशत एसएलआर बैंकों के लिए उपलब्ध है ताकि वे दबाब की स्थिति में अपनी चलनिधि अपेक्षा पूरी कर सकें। प्रभाव को सारणी 2.9 में दर्शाया गया है।

2.31 विश्लेषण दर्शाता है कि यद्यपि दबाब की स्थिति में चलनिधि का दबाव होगा, किन्तु अधिकतर बैंक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेशों की सहायता से जमाराशि के अनुमानित अचानक और अनपेक्षित 20 प्रतिशत आहरणों और उनकी प्रतिबध्द क्रेडिट लाइन की 75 प्रतिशत उपयोगिता का प्रबंध कर पाएंगे।

सारणी 2.8: ब्याज दर जोखिम - बैंक समूह - आघात (शॉक) एवं प्रभाव

(आइएनआर यील्ड कर्व में समांतर ऊर्ध्वमुखी बदलाव(अपवार्ड शिफ्ट) 250 आधार अंकों के नीचे आघात (शॉक)

(प्रतिशत)

	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	
	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी
संशोधित अवधि	4.0	6.1	2.4	4.1	1.3	2.5
कुल निवेश में शेयर	26.1	0.9	32.0	5.5	73.9	24.5
सीआरएआर में कमी (बीपीएस)	106		89		142	

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

सारणी 2.9 चलनिधि जोखिम - आघात (शॉक) एवं प्रभाव

(चलनिधि सहायता के लिए एसएलआर एनडीटीएल के 21.5 प्रतिशत का प्रयोग करते हुए)

शॉक[25]		प्रणाली को उपलब्ध चलनिधि आस्तियां	टेस्ट में फेल होने वाले बैंकों की संख्या (चुनिंदा 60 में से)	दबावग्रस्त परिदृश्य में एससीबी के कुल आस्तियों की तुलना में फेल होने वाले बैंकों के आस्तियों का शेयर (प्रतिशत)
शॉक न.	संचयी (बीमारहित) जमा आहरण (प्रतिशत)			
आधार	–	17.7	–	–
1.	5	11.5	4	2.3
2.	10	8.9	6	2.9
3.	15	6.1	7	3.2
4.	20	3.2	13	8.4
5.	25	0.7	41	51.4

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

[24] संप्रति बीमा रहित जमाराशियां कुल जमाराशि के लगभग 69 प्रतिशत हैं (स्त्रोत : डीआईसीजीसी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हस्तपुस्तिका)।

[25] चलनिधि आघातों में बीमा रहित जमाराशियों के भाग का आहरण और प्रतिबध्द क्रेडिट लाइन के 75 प्रतिशत के लिए मांग सम्मिलित है (स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं का अप्रयुक्त भाग और बैंकों के ग्राहकों के प्रति उनकी ऋण प्रतिबध्दता सम्मिलित है)।

चार्ट 2.20 बॉटम अप दबावग्रस्त परीक्षण - क्रेडिट और बाजार जोखिम - सीआरएआर पर प्रभाव

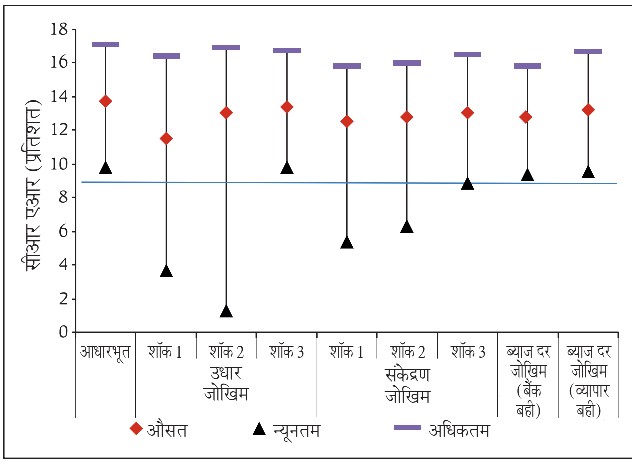

क्रेडिट जोखिम: सकल क्रेडिट	शॉक 1	100 प्रतिशत एनपीए में वृद्धि
	शॉक 2	पुनर्रचित आस्तियों का 30 प्रतिशत का एनपीए होना
	शॉक 3	प्रत्येक 5 शीर्षस्थ क्षेत्रक/ उद्योग में एनपीए में 5 प्रतिशत अंकों तक वृद्धि
क्रेडिट जोखिम: संकेंद्रण	शॉक 1	तीन शीर्षस्थ वैयक्तिक उधार लेनेवालों द्वारा चूक
	शॉक 2	शीर्षस्थ बड़े समूहों द्वारा चूक
	शॉक 3	चूक करने वाले प्रत्येक 5 शीर्षस्थ क्षेत्रक/ उद्योगों में सबसे बड़ा उधार लेने वाला
ब्याज दर जोखिम (बैंकिंग बुक)	शॉक	आइएनआर यील्ड कर्व में 2.5 प्रतिशत अंको तक समांतर ऊर्ध्वमुखी बदलाव
ब्याज दर जोखिम (ट्रेडिंग बुक	शॉक	आइएनआर यील्ड कर्व में 2.5 प्रतिशत अंको तक समांतर ऊर्ध्वमुखी बदलाव

स्रोत : चुनिंदा बैंक (बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

बॉटम-अप दबाव परीक्षण

2.32 31 मार्च 2015 की संदर्भ तिथि के आधार पर चुनिंदा नमूना बैंकों [26] की बॉटम-अप दबाव परीक्षण (संवेदनशीलता विश्लेषण) श्रृंखला आयोजित की गई। चुनिंदा बैंकों द्वारा की गई बॉटम-अप दबाव परीक्षण के परिणामों के विभिन्न प्रकार के आघातों के प्रति बैंकों की सामान्य आघात सहनीयता की भी जांच हो गई। बॉटम-अप दबाव जांच ने सामान्यतः जहां टॉप-डाउन दबाव जांच के परिणामों की पुष्टि की है, वहीं इसने यह भी दर्शा दिया है कि अधिकतर बैंक आघातों को सह सकते हैं, हालांकि कुछ बैंकों पर प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक रहेगा जिनकी दबावयुक्त सीआरएआर स्थिति 9 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा से कम होगी (चार्ट : 2.20)।

2.33 चलनिधि जोखिम संबंधी बॉटम-अप दबाव परीक्षण के परिणाम चुनिंदा बैंकों पर अधिक चलनिधि आघात दर्शाते हैं। विभिन्न परिभाषाओं के उपयोग के बाद चलनिधि परिसंपत्ति अनुपात[27] चुनिंदा बैंकों की विभिन्न स्थितियों की चलनिधि स्थिति दर्शाते हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि एसएलआर निवेशों और सीआरआर जमाराशियों ने जमाकर्ताओं द्वारा अचानक और अनपेक्षित रूप से जमाराशि आहरित के चलनिधि दबाव में बैंकों की सहायता की है (चार्ट : 2.21)।

चार्ट 2.21 बॉटम-अप दबाव परीक्षण: चलनिधि जोखिम

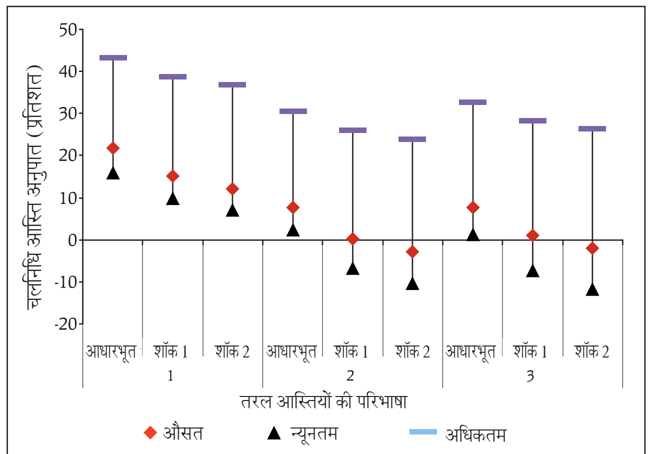

चलनिधि आस्ति परिभाषा	
1	नकद + अधिशेष सीआरआर + अंतरबैंक जमा-1- माह के अंदर परिपक्व होने वाले + एसएलआर निवेश
2	नकद + अधिशेष सीआरआर + अंतरबैंक जमा-1- माह के अंदर परिपक्व होने वाले + अधिशेष एसएलआर निवेश
3	नकद + अधिशेष सीआरआर + अंतरबैंक जमा-1- माह के अंदर परिपक्व होने वाले + अधिशेष एसएलआर निवेश + अन्य निवेश जिसे बैंक चलनिधि के रूप में मानता हो।
चलनिधि शॉक (शॉक)	
शॉक 1	लघु अवधि (1 या 2 दिन) के दौरान 10 प्रतिशत जमा आहरण (संचयी)
शॉक 2	5 दिनों के अंदर 3 प्रतिशत जमा आहरण (प्रत्येक दिन)

नोट: संकीर्ण चलनिधि आस्ति परिभाषा 2 तथा 3 के अंतर्गत कुछ बैंकों के लिए चलनिधि आस्ति अनुपात नकारात्मक जोन में चली गई ।
स्रोत: चुनिंदा बैंक (बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

[26] विभिन्न आघातों के संबंध में दबाव परीक्षण 15 चुनिंदा बैंकों के नमूने पर की गई। आघातों का सही सेट टॉप-डाउन और ऑटम-अप दबाव जांचों के लिए भी उपयोग में लाया गया। इसका ब्योरा अनुबंध 2 में दिया गया है।

[27] चलनिधि आस्ति अनुपात = $\frac{\text{चलनिधि आस्तियां}}{\text{कुल आस्तियां}} \times 100$ आघात की स्थिति में ऋणात्मक चलनिधि आस्ति अनुपात अपेक्षित जमाराशि आहरण पूरा करने में कमी के प्रतिशत को दशार्ता है।

बैंकों का डेरिवेटिव संविभाग

2.34 एससीबी की कुल परिसंपत्तियों में तुलनपत्रेतर एक्सपोजर में हाल की अवधि में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। कुल परिसंपत्तियों में तुलनपत्रेतर परिसंपत्तियों के संबंध में अन्य बैंकों की तुलना में एफबी का हिस्सा निरंतर अधिक बना रहा (चार्ट : 2.22)।

2.35 डेरिवेटिव संविभाग पर बॉटम-अप दबाव जांचकी श्रृंखला (संवेदनशीलता विश्लेषण) चुनिंदा नमूना बैंकों[28] पर की गई जिसकी संदर्भ तिथि 31 मार्च 2015 थी। नमूने के बैंकों ने ब्याज और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों ने चार अलग आघात दर्शाए। ब्याज दरों पर आघात 100 से 250 आधार अंकों के दायरे में थे। जबकि 20 प्रतिशत मूल्यवृध्दि/मूल्यह्रास आघात विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में अनुमानित थे। दबाव परीक्षण एकल आधार पर अलग अलग आघातों के लिए की गई।

2.36 नमूने में, 31 मार्च 2015 को बैंकों के लिए डेरिवेटिव संविभाग का मार्क टू माकेट (एमटीएम) मूल्य भिन्न था जिसमें पीएसबी और पीवीबी का एमटीएम कम था जबकि एफबी का तुलनात्मक रूप से अधिक था। अधिकतर एफबी का निवल एमटीएम ऋणात्मक था (चार्ट : 2.23)।

2.37 दबाव परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूना बैंकों पर ब्याज दर आघातों का औसत निवल प्रभाव अधिक नहीं था। किन्तु विदेशी मुद्रा आघात की स्थिति ने तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव दर्शाया किन्तु यह सितंबर 2013 के अनुमानित प्रभाव से कम था (जिसका कारण उस समय प्रचलित मूल्यह्रासित रूपया दर था) (चार्ट : 2.24)।

चार्ट 2.22 एससीबी के तुलनपत्रेतर आस्तियों (क्रेडिट समतुल्य) का शेयर

कुल तुलनपत्रक आस्ति का प्रतिशत

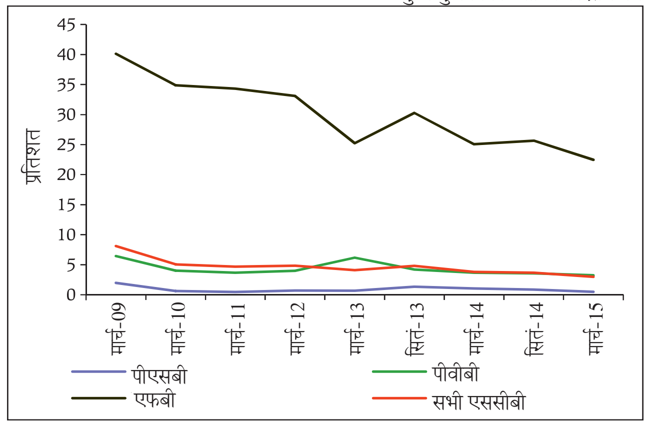

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.23 - कुल डेरिवेटिव का एमटीएम - बेसलाइन

कुल तुलनपत्रक आस्ति का प्रतिशत

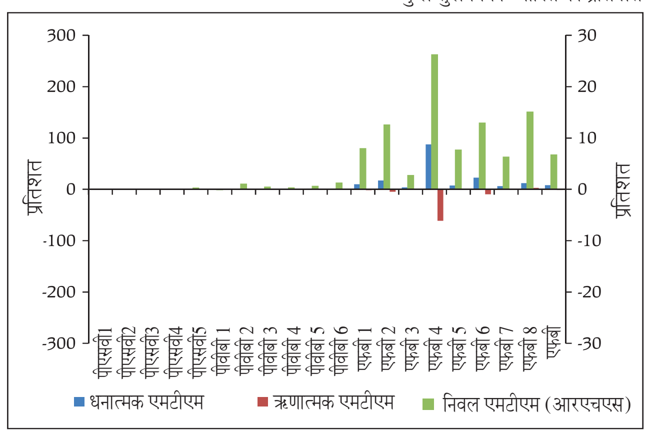

नोट: पीएसबी: सरकारी क्षेत्र के बैंक, पीवीबी: निजी क्षेत्र के बैंक एफबी: विदेशी बैंक

स्रोत: नमुने बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम अप दबाव परीक्षण)

चार्ट 2.24 : दबाव परीक्षण - चुनिंदा बैंकों (शॉक का प्रयोग करने पर निवल एमटीएम में परिवर्तन) के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर शॉक का प्रभाव

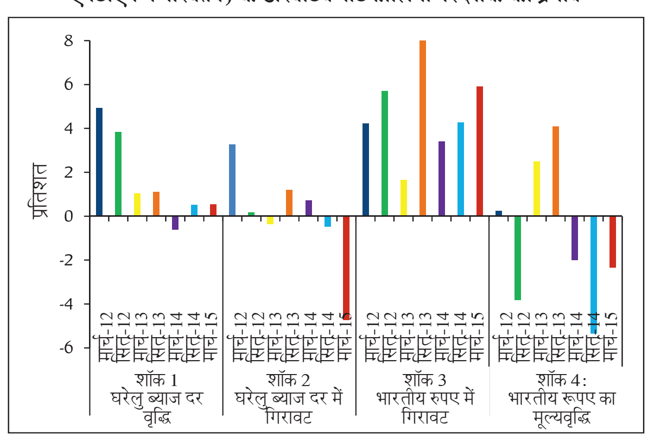

नोट; बेसलाइन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किए गए शॉक के कारण निवल एमटीएम में परिवर्तन ।

स्रोत: नमुने बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम अप दबाव परीक्षण)

[28] डेरिवेटिव संविभाग पर दबाव परीक्षण 20 चुनिंदा बैंकों के नमूने पर की गई (अन्य बॉटम-अप दबाव जांचों से भिन्न) (ब्योरा अनुबंध 2 में दिया गया है।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

निष्पादन

2.38 प्रणाली स्तर पर[29], अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) का सीआरएआर सितंबर 2014 के 12.7 प्रतिशत से कुछ कम होकर मार्च 2015 में 12.6 प्रतिशत रह गया। किन्तु खंडित स्तर पर पांच बैंक 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने में विफल हुए। एसयूसीबी का जीएनपीए सितंबर 2014 के 7.2 प्रतिशत से सुधरकर मार्च 2015 में कुल अग्रिमों का 6.0 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में उनका प्रावधान कवरेज अनुपात भी 52.4 प्रतिशत से काफी सुधरकर 59.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.10)।

सारणी 2.10 - एसयूसीबी का चुनिंदा वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

(प्रतिशत)

वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	सितं-14	मार्च-15
सीआरएआर	12.7	12.6
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	7.2	6.0
आस्तियों पर प्रतिफल (वार्षिकी)	0.9	0.7
चलनिधि अनुपात	35.5	35.3
प्रोविजन कवरेज अनुपात	52.4	59.7

नोट: 1. डेटा अनंतिम है
2. चलनिधि अनुपात = (नकद + बैंकों से बकाया + एसएलआर निवेश) * 100 / कुल आस्तियां
3. पीसीआर का संकलन सकल एनपीए के प्रतिशत के रूप में किए गए एनपीए प्रावधान के रूप में है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

आघात सहनीयता : दबाव परीक्षण

ऋण जोखिम

2.39 मार्च 2015 के आंकडों के आधार पर एसयूसीबी के लिए ऋण जोखिम के आकलन के लिए दबाव परीक्षण की गई। एसयूसीबी के सीआरएआर पर जोखिम आघातों के प्रभाव चार भिन्न स्थितियों[30] में देखा गया। परिणाम दर्शाते हैं कि चरम स्थिति (हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत जीएनपीए में एक एसडी वृध्दि को छोडकर, एसयूसीबी का प्रणाली स्तर सीआरएआर न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षित स्तर से अधिक बरा रहा। किंतु वैयक्तिक रूप से बहुत से बैंक (50 में से 25 बैंक) चरम स्थिति में अपेक्षित सीआरएआर स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे।

चलनिधि जोखिम

2.40 दो भिन्न स्थितियों का प्रयोग करके चलनिधि जोखिम पर दबाव परीक्षण की गई : (i) 50 प्रतिशत और 01 से 28 दिन के समय दायरे में नकदी अंतर्वाहों में 100 प्रतिशत वृध्दि। आगे यह भी माना गया कि दोनों स्थितियों में नकदी अंतर्वाहों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। दबाव परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि दबाव की स्थिति में एसयू सीबी पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा (50 बैंकों में से 26 बैंक स्थिति (i) में) और उन्हें चलनिधि दबाव का सामना करना पड़ेगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

2.41 मार्च 2015 को रिज़र्व बैंक में 11,842 एनबीएफसी पंजीकृत थे, जिनमें से 220 जमाराशि स्वीकारने वाले (एनबीएससी-डी) तथा 11,622 जमाराशि न स्वीकारने वाले (एनबीएफसी-एनडी) थे। रु.5 बिलियन तथा अधिक की परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी को नवंबर 2014 से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न स्वीकारने वाले एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मार्च 2015 को 200 एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं और एक्सपोजर मानदंड लागू हैं।

निष्पादन

2.42 2014-15 के दौरान एनबीएफसी क्षेत्र[31] के तुलनपत्र में 16.8 प्रतिशत की वृध्दि हुई। कुल उधार, जोकि कुल

[29] 50 एसयूसीबी की प्रणाली।

[30] चार स्थितियां इस प्रकार हैं - (i) जीएनपीए में 0.5 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत), (ii) जीएनपीए में 0.5 एसडी आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत), (iii) जीएनपीए में 1 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत), और (iv) जीएनपीए में 1 एसडी आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत)। एसडी का आकलन दस वर्ष के आंकडों का प्रयोग करके किया गया।

[31] आंकडे जमाराशि स्वीकारने वाली सभी एनबीएफसी और जमाराशि न स्वीकारने वाली एनबीएफसी के हैं जिनकी आस्तियों का आकार रु.1 बिलियन और अधिक है।

देयताओं के दो-तिहाई से अधिक थे, 18.7 प्रतिशत बढ़े (सारणी 2.11)।

आस्ति परिसंपत्ति गुणवत्ता

2.43 एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता मार्च 2013 को समाप्त तिमाही से कम हो रही है (चार्ट 2.25)। रिज़र्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी को विशेष दिशानिर्देश जारी करके उनके एनपीए से होनेवाला दबाव कम करने की सूचना दी है। एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि वे उप-आस्ति श्रेणी 'विशेष उल्लेख खाता' बनाकर अपने लेखों में प्रारंभिक दबाव की पहचान करें। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि वे संबंधित ऋण सूचना 'व्यापक ऋण पर केंद्रीय सूचना भंडार' (CRILC) को भेजें।

पूंजी पर्याप्तता

2.44 मार्च 2015 के अनुसार, एनबीएफसी की पूंजी पर्याप्तता स्थिति[32] में लगभग स्थिरता थी, हालांकि 15 एनबीएफसी का सीआरएआर 15 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर से कम था (चार्ट 2.26)।

2.45 एनबीएफसी क्षेत्र को वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ क्योंकि कुल आय की तुलना में निवल लाभ 2013-14 के 18.3 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 18.8 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.12)।

सारणी 2.11: एनबीएफसी क्षेत्रक का समेकित तुलनपत्र
(मार्च के अंत तक)

(रु. बिलियन में)

मद	2014	2015	प्रतिशत उतार-चढ़ाव
1. शेयर पूंजी	621	668	7.5
2. रिज़र्व और अधिशेष	2241	2578	15.1
3. कुल उधार	8885	10545	18.7
4. चालु देयताएं और प्रावधान	725	774	6.8
कुल देयताएं / आस्तियां	**12472**	**14565**	**16.8**
1. ऋण और अग्रिम	8653	10063	16.3
2. एचपी और लीज आस्तियां	914	1003	9.7
3. निवेश	1689	2085	23.5
4. अन्य आस्तियां	1217	1414	16.2
मेमो मदें			
1. पूंजी बाजार एक्सपोजर	832	978	17.6
2. कुल आस्तियोंकी तुलना में सीएमई	6.67	6.72	
3. लीवरेज अनुपात	3.36	3.49	

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.25 एनबीएफसी क्षेत्रक की आस्ति गुणवत्ता

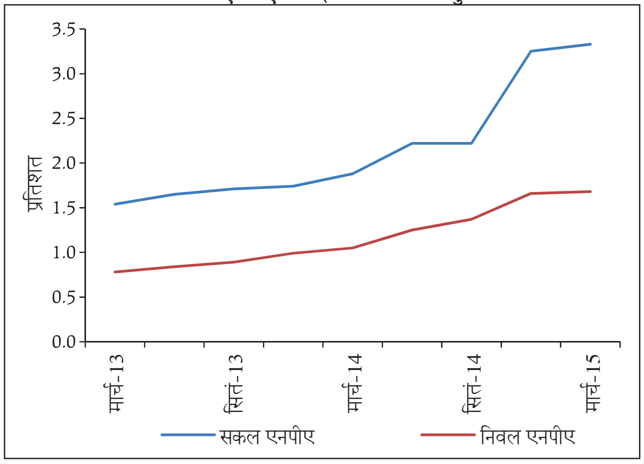

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.26 एनबीएफसी क्षेत्रक का सीआरएआर

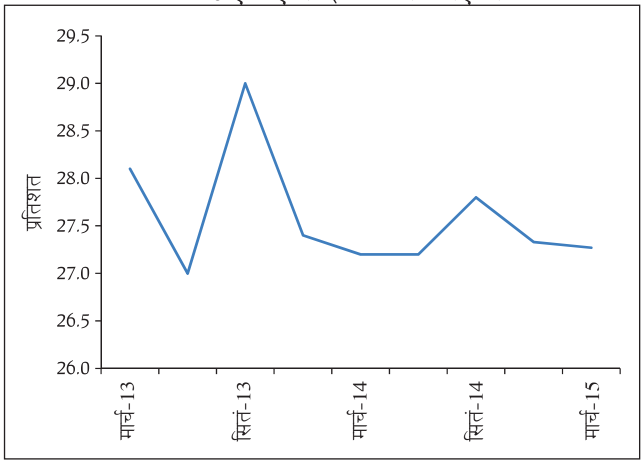

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

सारणी 2.12: एनबीएफसी क्षेत्रक का वित्तीय निष्पादन
(मार्च के अंत तक)

(रु. बिलियन में)

मद	2014	2015	प्रतिशत उतार-चढ़ाव
1. कुल आय	1449	1676	15.7
2. कुल व्यय	1077	1238	14.9
3. निवल लाभ	265	316	19.0
वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)			
1. कुल आय की तुलना में निवल लाभ	18.3	18.8	

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

[32] जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीफासी जिनका आस्ति आकार रु.5 बिलियन तथा अधिक है (एनबीएफसी-एनडी-एसआई के रूप में वर्गीकृत)।

लाभप्रदता

2.46 एनबीएफसी क्षेत्र का आरओए सितंबर 2014 के 2.5 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2015 में 2.2 प्रतिशत रह गया (चार्ट 2.27)।

आघात सहनीयता : दबाव परीक्षण

प्रणाली स्तर

2.47 कुल एनबीएफसी क्षेत्र की ऋण जोखिम की मार्च 2015 को समाप्त अवधि की दबाव परीक्षण तीन स्थितियों के अंतर्गत की गई : (i) जीएनपीए में 0.5 एसडी की वृद्धि (ii) जीएनपीए में 1 एसडी की वृद्धि और (iii) जीएनपीए में 3 एसडी की वृद्धि। परिणाम दर्शाते हैं कि पहली स्थिति में इस क्षेत्र के सीआरएआर पर प्रभाव नगन्य था जबकि दूसरी और तीसरी स्थिति में सीआरएआर मार्च 2015 के 27.3 प्रतिशत स्तर से कम होकर क्रमशः 27.1 प्रतिशत और 26.6 प्रतिशत रह गया। किंतु, यह 15 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा से बहुत अधिक था।

वैयक्तिक एनबीएफसी

2.48 वैयक्तिक एनबीएफसी के लिए भी इन्हीं तीन स्थितियों और इसी अवधि के संदर्भ में दबाव परीक्षण की गई। परिणाम दर्शाते हैं कि स्थिति (i) और (ii) में लगभग 14 प्रतिशत कंपनियां 15 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामकीय पूंजी अपेक्षा का अनुपालन नहीं कर पाएंगी, जबकि 19 प्रतिशत कंपनियां तीसरी स्थिति में न्यूनतम विनियामकीय सीआरएआर के अनुपालन में विफल होंगी। तीसरी स्थिति में 12 प्रतिशत एनबीएफसी ऋणात्मक सीआरएआर दर्शाएंगी।

अंतरसंबद्धता[33]

इंटरबैंक बाजार में प्रवृत्ति

2.49 इंटरबैंक बाजार[34] का आकार, जोकि पिछले तीन वर्ष रु.6 से रु.9 ट्रीलियन से अधिक हो गया जोकि बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों[35] का 7.2 प्रतिशत है। इंटरबैंक बाजार प्रमुख रूप से निधि आधारित है जिसमें पीसीबी का बाजार हिस्सा 74 प्रतिशत है (चार्ट 2.28 और 2.29)।

चार्ट 2.27 : एनबीएफसी क्षेत्र का आरओए में प्रवृति

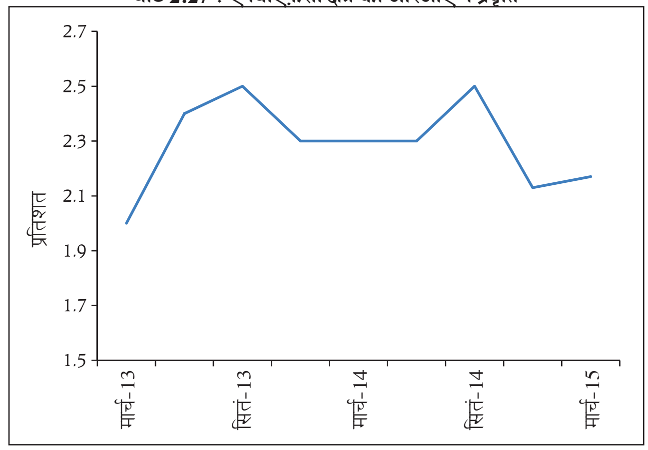

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.28: अंतर बैंक मार्केट में निधि तथा गैर निधि एक्सपोजर का शेयर

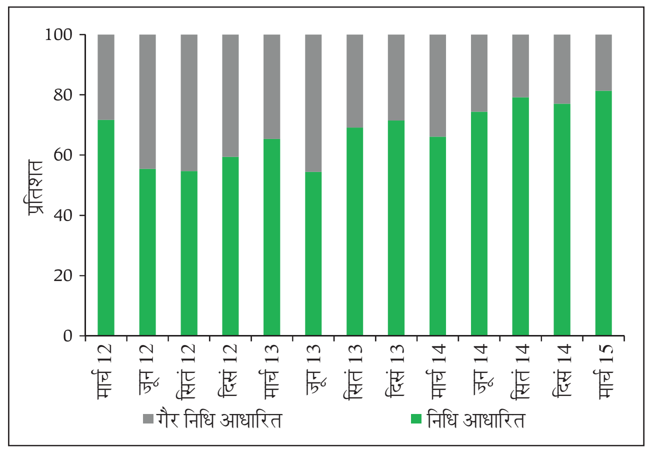

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.29: अंतर बैंक निधि आधारित बाज़ार में ऋण लेन-देन

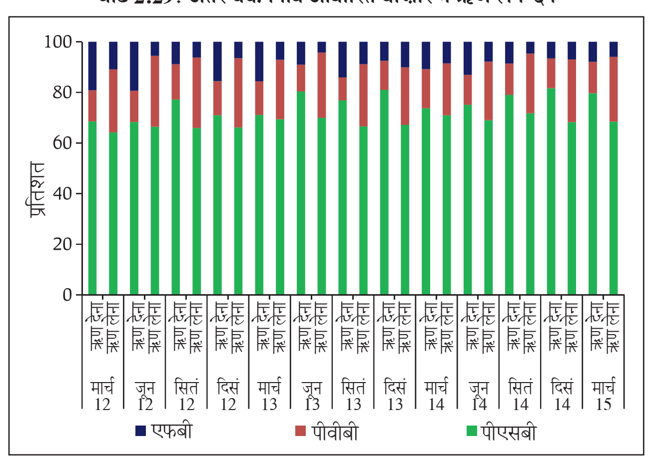

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

[33] विश्लेषण में अपनाया गया नेटवर्क मॉडल का विकास प्रो. शेरी मार्कोस (यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स) और डॉ. साइमन ग्यानसेंट (बाथ यूनिवर्सिटी) द्वारा वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किया गया है।

[34] काल, नोटिस और अन्य अल्पावधि बाजारों में आपस में लेनदेन करने के अलावा बैंक एक-दूसरे के दीर्घकालिक लिखतों में भी निवेश करते हैं। वर्तमान विश्लेषण में उल्लिखित अंतरबैंक बाजार बैंकों के बीच के सभी शेष एक्सपोजर का कुल है (अल्पावधि और दीर्घावधि)।

[35] कुल आस्तियों के आकलन के लिए तुलनपत्रेतर मदों पर विचार नहीं किया गया है।

चार्ट: 2.30: अंतर बैंक बाज़ार में लघु तथा दीर्घ अवधि निधि आधारित एक्सपोजर का आकार

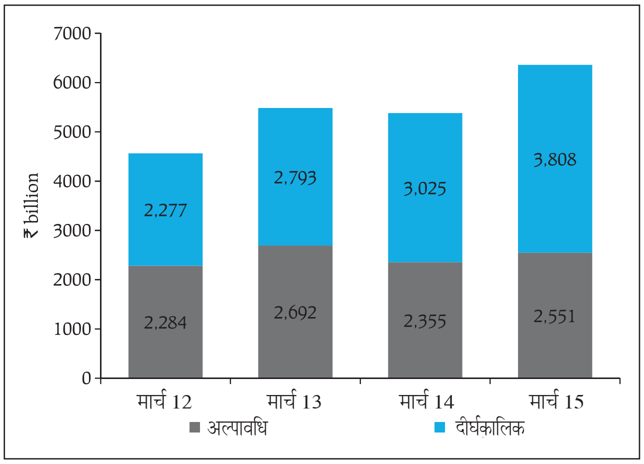

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट: 2.31: अल्पावधि निधि आधारित अंतरबैंक उधार कुल बाहरी देयताओं के प्रतिशत के रूप में

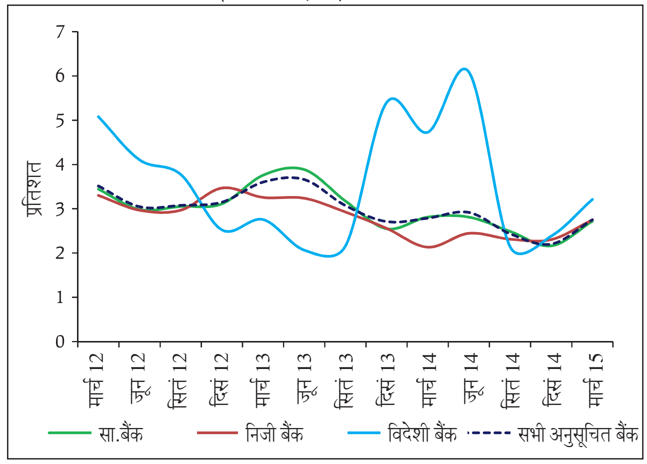

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

2.50 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, बैंकों द्वारा जारी अल्पावधि लिखत, जमाराशि प्राथमिक प्रमाणपत्रों का हिस्सा अंतरबैंक निधि आधारित बाजार में एक्सपोजर के 40 प्रतिशत था जोकि लगभग रु. 2.5 ट्रीलियन था (चार्ट 2.30)। अल्पावधि निधि आधारित इंटरबैंक उधार का हिस्सा एफबी के लिए कुल बाहरी देयताओं के 3 प्रतिशत से अधिक होने के साथ, इस विशिष्ट बाजार पर इनकी निर्भरता अन्य सभी बैंक समूहों में सर्वाधिक है। पीसीबी संबंधी यह अनुपात क्षेत्रीय औसत के करीब ही है (चार्ट 2.31)।

2.51 जहां अंतरबैंक जमाराशि प्रमाणपत्र (सीडी) बाजार पिछले दो वर्षों में सिकुड गया है, वहीं यह अब भी मार्च 2015 को समाप्त स्थिति के अनुसार कुल अल्पावधि इंटरबैंक निधि आधारित बाजार का लगभग एक-तिहाई है (चार्ट 2.32)। समूह के रूप में पीसीबी समग्र इंटरबैंक बाजार में निवल उधारदाता थे, वे इंटरबैंक सीडी बाजार में बड़े निवल उधारकर्ता के रूप में उभरे। मार्च 2015 के अनुसार, इंटरबैंक सीडी बाजार में पीसीबी की ऋणात्मक निवल स्थिति रु.313 बिलीयन थी जबकि समग्र इंटरबैंक बाजार में रु.1053 बिलियन की धनात्मक निवल स्थिति थी (चार्ट 2.33)।

2.52 बैंकों के अलावा, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा जारी सीडी में अन्य बड़े संस्थागत निवेशक आस्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) थीं जो पारस्परिक निधि और बीमा कंपनियों[36] का प्रबंध करती हैं। बैंकिंग

चार्ट: 2.32: अंतर बैंक जमाराशि प्रमाण पत्र (सी डी) बाज़ार

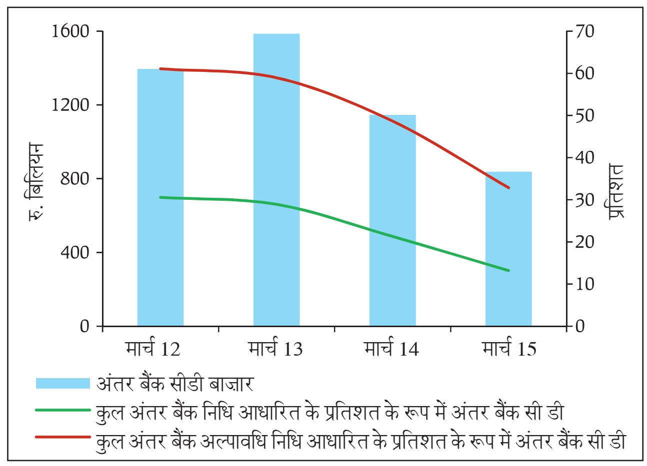

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.33: अंतरबैंक बाजार में में पीएसबी के ऋण लेन - देन का पैटर्न

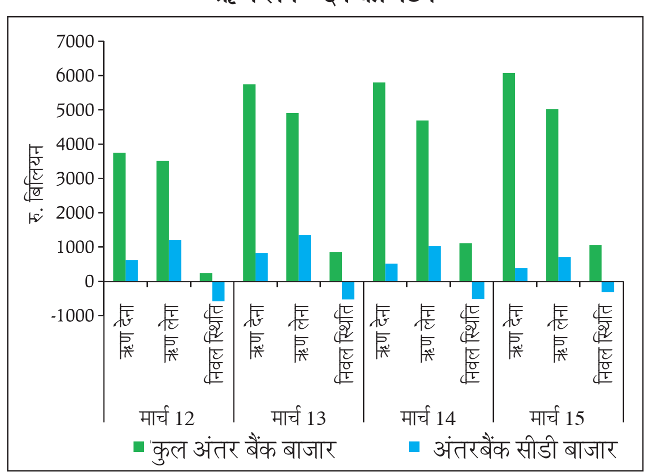

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

[36] नमूने में 22 एएमसी और 21 बीमा कंपनियां सम्मिलित हैं।

सारणी 2.13: बैंक द्वारा जारी किए गए सीडी में एएमसी तथा बीमा कंपनियों का निवेश

(रु. बिलियन में)

	मार्च-12		मार्च-13		मार्च-14		मार्च-15	
	बीमा कंपनी	एएमसी	बीमा कंपनी	एएमसी	बीमा कंपनी	एएमसी	बीमा कंपनी	एएमसी
पीएसबी	150	1506	237	1255	82	1854	125	1365
पीवीबी	9	541	101	638	13	627	17	442
एफबी	0	5	0	6	1	0	1	21
सभी एससीबी	**159**	**2052**	**338**	**1899**	**96**	**2481**	**143**	**1829**

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

क्षेत्र ने मार्च 2015 के अंत में इन दो क्षेत्रों से सीडी के माध्यम से रु.2 ट्रीलियन की निधि उभारी जिसमें पीसीबी का हिस्सा प्रमुख था (सारणी 2.13)। इस प्रकार, पीसीबी द्वारा सीडी के साथ उभारी गई निधि काफी अधिक थी।

संबद्धता प्रवृत्ति

2.53 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना पिछले चार वर्षों से अपरिवर्तित रही है, जिसमें कुछ प्रमुख बैंक प्रणाली से अधिक जुडे हुए थे। प्रणाली में अंतर संबद्धताने एक विशेष स्तरबध्द संरचना[37] दर्शाई जिसमें प्रणाली से संबद्धताके मामले में कुछ बैंक काफी अधिक, कुछ कम और अन्य तुलनात्मक रूप से और भी कम जुड़े थे। बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क चार्ट किसी विशेष समय की संरचना दर्शाता है। समय अंतराल में नेटवर्क संरचना में परिवर्तन से प्रणाली में उभरती विशेषताएं और संस्थाओं की अंतर संबद्धता की मूल्यवान जानकारी मिल सकती है। बैंकिंग प्रणाली की अंतर संबद्धताका अनुमान लगाने के दो महत्वपूर्ण मानदंड अर्थात संबद्धता अनुपात[38] और संगुट गुणांक[39] भी लगभग 20 और 40 प्रतिशत के साथ तुलनात्मक रूप से स्थायी रहे (चार्ट 2.34 और 2.25)। जहां किसी अन्य बैंकिंग प्रणाली से समान या समतुल्य पैमाना तुलना के प्रयोजनार्थ उपलब्ध नहीं है, वहीं यह कहा जा सकता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली उचित रूप से अंतरसंबध्द बनी रही।

चार्ट 2.34: बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (मार्च 2015)

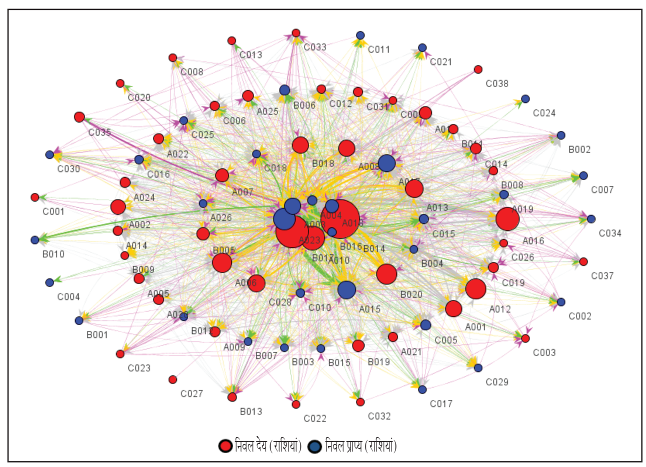

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

[37] स्तरबद्ध संरचना वह है जहां विभिन्न संस्थाएं नेटवर्क में अन्यों के साथ विभिन्न मात्रा में या स्तरों पर जुडी हुई हैं। वर्तमान विश्लेषण में, अधिक जुडे हुए अंतरतम कोर में हैं (नेटवर्क डाइग्राम के केंद्र में चार्ट 2.34)। बैंकों को तब मध्य कोर, बाहरी कोर और परिधीय क्षेत्र में रखा जाता है जिसका आधार उनकी तुलनात्मक संबद्धताका स्तर होता है। लाल और नीले वृत्त क्रमशः निवल उधारकर्ता और निवल उधारदाता बैंकों को दर्शाते हैं। वृत्तों के आकार संबंधित बैंकों की निवल स्थिति से भारांकित किए जाते हैं। बैंकों के बीच लिंक तीर के निशान से दर्शाई जाती है जोकि शेष लेनदेनों की दिशा दर्शाते हैं। अंतर आते तीर के निशान (अंदर कोण में) का अर्थ निवल प्राप्तियां हैं जबकि बाहर जाते तीर के चिह्न (बाह्य कोण) का अर्थ निवल देय राशियां हैं। तीरों की मोटाई एक्सपोजर के आकारनुसार है।

[38] संबद्धता अनुपात में यह पता लगाया जाता है कि नेटवर्क प्रणाली में सभी संभव संबद्धताओं की तुलना में कितने संबंध वास्तव में हैं।

[39] संगुट गुणांक संबद्धता अनुपात का विस्तार है। यह इस तर्क पर आधारित है कि यदि आपके दो पड़ोसी हैं (पड़ोसी बैंक हैं जिनसे दो लिंक हैं) तो इसकी अधिक संभावना है कि वे एक-दूसरे को जानते हैं। माना कि एक बैंक (इसे बैंक 'बी' मान लेते है) के पांच पड़ोसी हैं (के1) तब इन पांच बैंकों के बीच कुल संभाव्य लिंक के1 (के1-1) हैं, जोकि इस मामले में 20 हैं। अब हम यह मानते हैं कि वास्तव में इन पांच बैंकों के बीच मात्र 10 संबद्धता(ई1) हैं। तब बैंक बी के लिए संगुट गुणांक ई1/के1 (के1-1) है जोकि 50 प्रतिशत होता है। संपूर्ण नेटवर्क के लिए संगुट गुणांक सभी बैंकों के संगुट गुणांक का औसत है।

सारणी 2.14: बैंक, एएमसी और बीमा कंपनियां

(क) एएमसी तथा बीमा कंपनियों में बैंकों का निवेश
(कुल आस्तियों का प्रतिशत)

	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15
एएमसी	0.09	0.15	0.04	0.15
बीमा कंपनियां	0.06	0.09	0.02	0.04

(ख) बैंकों द्वारा एएमसी तथा बीमा कंपनियों से अर्जित निधियां
(कुल आस्तियों का प्रतिशत)

	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15
एएमसी	3.3	2.9	3.3	2.6
बीमा कंपनियां	2.8	2.8	2.7	4.0

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

(ग) बैंकों में एएमसी निवेश
(एयूएम का प्रतिशत)

	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15
लघु अवधि	34.8	27.0	31.8	16.6
कुल	43.0	35.3	39.9	24.7

(घ) बैंकों में बीमा कंपनियों का निवेश
(एयूएम का प्रतिशत)

	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15[40]
लघु अवधि	2.2	2.0	2.0	*NA*
कुल	12.7	13.4	12.9	*NA*

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण, आईएमएफआई, आईआरडीएआई

बैंकों, एएमसी, बीमा कंपनियों और एनबीएफसी के बीच अंतरकार्य

2.54 बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग 0.2 प्रतिशत निवेश एएमसी और बीमा कंपनियों में था जो कि जुटाई गई निधि (मार्च 2015 को उनकी कुल आस्तियों के 6.6 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम था (सारणी 2.14(क) और (ख)) दूसरी ओर, बैंकिंग क्षेत्र एएमसी और बीमा कंपनियों के लिए निवेश का महत्वपूर्ण स्थल बना रहा क्योंकि प्रबंधन के अंतर्गत उनकी आस्तियों (एयूएम) का लगभग 25 और 13 प्रतिशत भाग बैंकिंग क्षेत्र में निवेश के रूप में था (सारणी 2.14(ग) और (घ))।

2.55 36 बड़ी एनबीएफसी के विश्लेषण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में एएमसी और बीमा कंपनियों के एक्सपोजर में वृध्दि हो रही थी। मार्च 2015 को एनबीएफसी के लिए निधि का मुख्य स्त्रोत बीमा कंपनियां थीं (सारणी 2.15)।

चार्ट 2.35: अंतरसंबद्धता के संकेतक

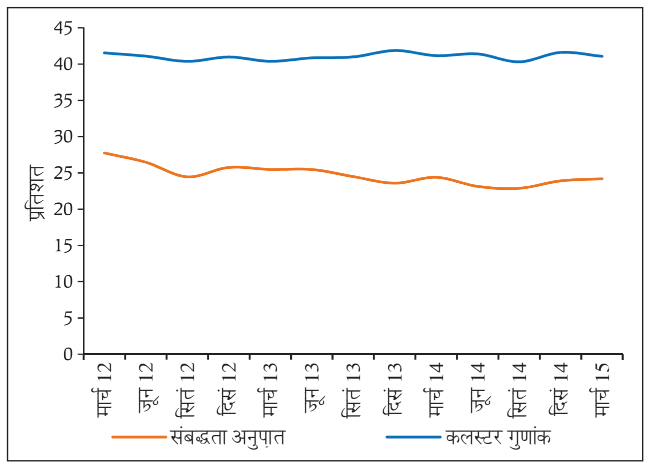

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

सारणी 2.15: एनबीएफसी में एससीबी, एएमसी तथा बीमा कंपनियों द्वारा निवेश
(रु. बिलियन में)

	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15
एससीबी	1513	1453	2919	1595
एएमसी	83	624	756	1008
बीमा कंपनियां	780	880	965	1760
कुल	2376	2957	4640	4363

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

[40] बीमा कंपनियों के एयूएम के आंकडे मार्च 2015 के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक

2.56 जहां अंतर संबद्धता किसी बैंक के महत्व का महत्वपूर्ण संकेतक है, वहीं यह एकमात्र संकेतक नहीं है जो सब कुछ दर्शाए। अन्य मानदंडों संकेतकों में तुलनपत्रेतर मदों में एक्सपोजर, तुलनपत्र का आकार और भुगतान तथा निपटान प्रणाली में हिस्सा सम्मिलित हैं। यह मानदंड किसी बैंक के संबंध में क्रमशः जटिलता, आकार और प्रतिस्थापनीयता के प्रतिनिधि हैं। इस संबंध में एक प्रणालीगत महत्व का स्कोर बैंक को दिया जाता है जोकि इन चार मानदंडों[41] पर आधारित होता है। इस स्कोर को प्रयोग करके शीर्ष 10 बैंकों का किया गया विश्लेषण दर्शाता है कि सभी चार व्यापक क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली का आधा हिस्सा इन्हीं बैंकों का था (चार्ट 2.36)। आगे, इन बैंकों का जीएनपीए अनुपात उनके प्रणालीगत महत्व की तुलना में देखा जाता हैं, तो बेहतर स्थिति दिखती है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण इन बैंकों में से अनेक का जीएनपीए अनुपात प्रणाली के औसत जीएनपीए से अधिक होने के कारण उनके निष्पादन की प्रवृत्ति पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता होगी (चार्ट 2.37)।

संक्रामकता विश्लेषण

2.57 विभिन्न बैंकों द्वारा सामना की गई निजी विशेषतायुक्त समस्याओं के कारण बैंकिंग प्रणाली को होनेवाली हानि के आकलन के लिए नेटवर्क टूल्स का प्रयोग करके संक्रामकता विश्लेषण किया गया। यह विश्लेषण तीन भिन्न स्थितियों में किया गया - पहला दिवालीयापन, दूसरा चलनिधि की कमी और तीसरा विफल हो रही संस्थाओं के दिवालीयेपन और चलनिधि की कमी, जोकि आपस में प्रभाव डालती है, के आधार पर किया गया। वास्तविक दुनिया में तीसरे प्रकार का संक्रमण, जिसे संयुक्त शोधनक्षमता - चलनिधि संक्रमण का नाम दिया गया है, बैंकों के बीच गहन संबद्धताहोने के कारण प्रभावी होने की संभावना है।

चार्ट 2.36 प्रमुख क्षेत्रों में शीर्षस्थ 10 बैंकों का शेयर

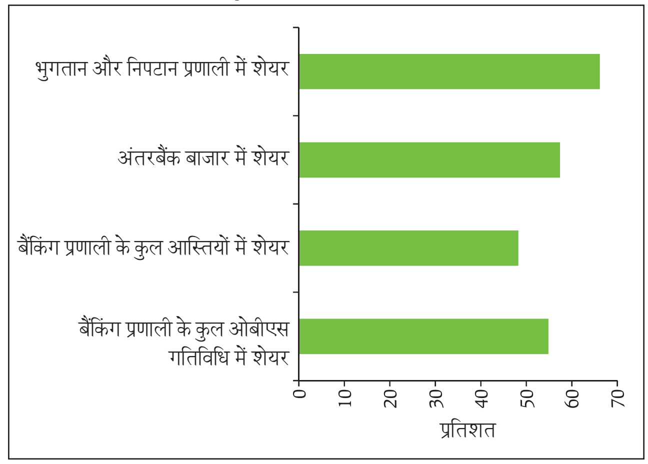

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ गणना

चार्ट 2.37 प्रणाली में शीर्षस्थ 10 बैंक और उनका क्रमशः जीएनपीए अनुपात

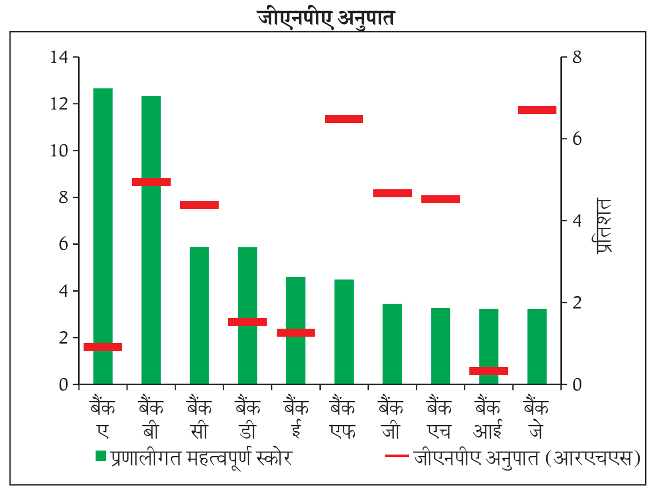

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण और स्टाफ गणना

[41] प्रणालीगत महत्व स्कोर चार क्षेत्रों में प्रत्येक बैंक के आनुपातिक हिस्से के सरल औसत के आधार पर निकाला गया है : तुलनपत्रेतर मदों में एक्सपोजर, समग्र आकार, अंतरसंबद्धताऔर भुगतान तथा निपटाप प्रणाली में हिस्सा।

सारणी 2.16: अधिकतम दबावग्रस्त आस्तियों वाले बैंकों द्वारा ट्रिगर हुआ संक्रमण [42]

ट्रिगर बैंक	बैंकिंग प्रणाली के कुल टायर 1 पूंजी का प्रतिशत हानि		
	दिवालियापन संक्रमण	चलनिधि संक्रमण	दिवालियापन-चलनिधि संयुक्त संक्रमण
बैंक ए	0.1	0.7	0.8
बैंक बी	0.8	0.1	0.9
बैंक सी	1.6	0.4	2.3
बैंक डी	0.4	0.1	0.5
बैंक ई	1.7	8.9	10.9

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

2.58 अधिकतम दबावग्रस्त आस्तियों वाले बैंकों को संवेदनशील बैंक मानते हुए, संक्रामक विश्लेषण इन बैंकों में से किसी भी बैंक की विफलता की स्थिति में बैंकिंग प्रणाली को कोई बड़ी हानि होने का संकेत नहीं देता है (सारणी 2.16)। यह तथ्य कि इन बैंकों की अंतरसंबद्धता और शेष प्रणाली के प्रति इनका एक्सपोजर तुलनात्मक रूप से कम है, ऐसे किसी बैंक की विफलता की स्थिति में उभरने वाला संक्रामक प्रभाव सीमित होगा। दूसरी ओर, शीर्ष 10 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण शीर्ष 10 बैंकों को संवेदनशील बैंक मानते हुए प्रणाली को इनसे होनेवाली संभाव्य हानि व्यापक होगी (सारणी 2.17)।

सारणी 2.17: प्रणाली में शीर्षस्थ 10 बैंकों [43] द्वारा ट्रिगर हुआ संक्रमण

ट्रिगर बैंक	बैंकिंग प्रणाली के कुल टायर 1 पूंजी का प्रतिशत हानि		
	दिवालियापन संक्रमण	चलनिधि संक्रमण	दिवालियापन-चलनिधि संयुक्त संक्रमण
बैंक ए	0.3	3.1	3.8
बैंक बी	2.8	6.8	58.4
बैंक सी	5.9	2.6	50.4
बैंक डी	7.9	1.3	48.2
बैंक ई	0.3	0.4	0.7
बैंक एफ	3.3	0.4	3.3
बैंक जी	0.4	13.9	15.4
बैंक एच	2.1	21.3	48.1
बैंक आई	0.4	1.0	1.4
बैंक जे	2.1	8.9	10.9

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ परिकलन

[42] दबावग्रस्त आस्ति अनुपात का अनुमान सकल एनपीए + सकल ऋण तथा अग्रिम के प्रति पुनर्सरचित मानक आस्तियों के रूप में लगाया गया है।

[43] पैरा 2.56 में परिभाषित प्रणालीगत महत्वपूर्ण स्कोर पर आधारित।

अध्याय III
वित्तीय क्षेत्र विनियमन

यह अध्याय दो भागों में बांटा गया है। भाग-I में मोटे तौर पर ''बाजार अभिगमन एवं वित्तीय स्थायित्व हेतु विनियमों को सशक्त बनाना'' विषय को स्वर दिया गया है। भाग-II में वित्तीय क्षेत्र विनियमन से संबंधित स्थायित्व एवं विकासात्मक संबंधी विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश ड़ाला गया है।

भाग-I
बाजार अभिगमन एवं वित्तीय स्थायित्व हेतु विनियमों को सशक्त बनाना

स्वस्थ नूतन परिवर्तन एवं वित्तीय समावेशन की आवश्यकता के बीच विनियामक रुख को स्थिति प्रदान करना भारतीय वित्तीय क्षेत्र विनियमन की मुख्य चुनौती बना हुआ है। वित्तीय बाजार विनियमन को सहारा देते हुए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वित्तीय बाजार अंतर्निहित रूप से ही जोखिम भरे होते हैं, इसलिए जरूरी है कि विनियामक हस्तक्षेप का दृष्टिकोण जमीनी गतिविधियों के अनुरूप हो।

''बाजार अभिगमन एवं वित्तीय स्थायित्व हेतु विनियमों को सशक्त बनाना'' विषय की थीम की सोच भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए संतुलित, पूर्वानुमेय, संस्था-तटस्थ तथा तकनीकी-तटस्थ दौर के लिए है जिसमें वित्तीय बाजार के सहभागियों को तब तक जोखिम लेने से हतोत्साहित न किया जाए जब तक कि ये जोखिम अपेक्षित हों, पर्याप्त रूप से स्वीकृत हो एवं इनके लिए बफर का प्रावधान किया गया हो।

3.i विकसित वित्तीय बाजारों में वित्तीय क्षेत्र विनियमन के प्रति शिथिल दृष्टिकोण को वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) का एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। इस वैश्विक संकट के परिणामस्वरूप जी 20 के तत्वाधान में ''समन्वित'' एवं ''सुसंगत'' विनियामक प्रतिसाद की आवश्यकता महसूस की गई, विनियामक सुधारों का विस्तृत दायरे का मुख्य लक्ष्य सापेक्षिक रूप से अधिक उन्नत वित्तीय प्रणाली में पाई गई कमियों को दूर करना है। अतः, आवश्यकता है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान विनियामक प्रथाओं का अवलोकन करें ताकि उद्योगों द्वारा की गई अति को दूर किया जा सके, मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों को राह दिखाने वाले बड़े वित्तीय संस्थानों पर यह मुख्य रूप से केंद्रित रहे।

3. ii इस प्रक्रिया में ऐसे सुधारों के निरूपण एवं क्रियान्वयन में ''अनवरतता'' की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उभरते बाजार एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को ऐसी विनियामक प्रथाओं से प्रतिस्पर्धा करनी होती है जो कि बेहद जटिल होती हैं मगर वैश्विक एजेंडा का अंग होती हैं, यहां तक कि ईएमडीई हेतु कुछेक वैश्विक विनियामक सुधारों की उपयुक्तता पर चर्चा हो रही है। जहां एक ओर यह आवश्यक है कि ईएमडीई दूसरों की गलती से सीख लें वहीं यह भी जरूरी है कि साधारण विनियामक दृष्टिकोण अपनाएं क्योंकि उनकी वित्तीय प्रणाली बहुतजटिल नहीं है एवं उनकी वित्तीय प्रणाली में वित्तीय सेवाओं की कम पहुंच के वर्तमान स्तर को देखते हुए इसके व्याप्ति को बढ़ाने और विस्तार देने की आवश्यकता है।

3.iii इन्हें फलने-फूलने की अनुमति देते हुए विनियमन के लिए यह आवश्यक है कि बाजारों पर निगरानी रखी जाए तथा अनवरत रूप से सीखते हुए तथा दक्षता को अद्यतन करते हुए समय के साथ ये विकसित हों। तथापि, विनियमों की भी लागत होती है क्योंकि ''बाजार विफल'' भी होते हैं एवं परिणामस्वरूप संकट उत्पन्न होता है। जहां एक ओर निर्दिष्ट विनियम के लागत के प्रभाव के मूल्यांकन की प्रणाली जटिल होती है वहीं दूसरी ओर विनियमों के लाभ को नापने का कार्य भी समान रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। अतः, संकट का पुनः न होना इस बात का द्योतक हो सकता है कि विनियमन के कारण अतिरेक से बचाव हुआ पर विशेषतः नवोन्मेषिता पर इसके संभाव्य प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रभावकारिता को स्थापित करने के लिए यह पर्याप्त संकेतक नहीं हो सकता है। ऐसे निष्कर्ष से गहराई तक जड़ जमाए हुए अंतर्निहित दोष एवं ''पूर्वाग्राही अवशेष'' के चलते विनियमन के दृष्टिकोण में वास्तविक निदर्शनी अंतरण की आवश्यकता से समझौता हो सकता है।

3.iv एक ओर नवीन प्रक्रिया विनियमन को प्रभावित करती है वहीं दूसरी ओर विनियमन भी नवीन प्रक्रिया सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही रूप से प्रभावित करती है। ''अनुपालन नवोन्मेष'' तब होता है जब विनियमन का दायरा विस्तृत होता है एवं परिणामस्वरूप नवोन्मेष विनियमन के दायरे में ही रहता है। वहीं दूसरी ओर, ''उपायगत नवोन्मेष'' तब होता है जब दायरा संकीर्ण होता है एवं परिणामस्वरूप नवोन्मेष विनियमित संस्थाओं को विनियमन के दायरे से निकल जाने की अनुमति देता है।[1] उदाहरणार्थ, यदि हम भारतीय संदर्भ की बात करें तो हम पाते हैं कि वित्तीय क्षेत्र की कुछ संस्थाओं ने आम जना से धन स्वीकार करने के लिए बनी ऐसी ही कुछ संस्थाओं के लिए बनाए गए सापेक्षतः कतिपय कठोर विनियमनों से बचने के लिए अपन संस्थागत ढ़ांचा ही बदल लिया है। ऐसी परिस्थिति में समुचित विनियामक रुख उनके लिए अनुपालन लागत में कमी ला सकता है जो अनुपालन के लिए इच्छुक हैं एवं उनके लिए यह मुश्किल एवं महंगा होगा जो विनियमों से बचने के उपाय खोजते रहते हैं।

3.v किसी भी नए विनियम में सामान्यतः पूर्ववर्ती रूप से ही कुछ हद तक अनिश्चितता रहती है एवं यह कड़ाई, लचीलेपन एवं सूचना के माध्यम से यह काम कर सकता है। जहां ''कड़ाई'' विनियम के अनुपालन भार में बदलाव की मात्रा को इंगित करती है वहीं ''लचीलापन'' विनियमन के ढ़ांचे में प्राधिकार के बारे में बताता है (''अधिकार'' एवं ''नियंत्रण'' संबंधी विनियमन बनाम ''प्रोत्साहन आधारित'' विनियमन) और विनियमन का ''सूचना'' संबंधी आयाम उस बिंदु की मात्रा को दर्शाता है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि नए विनियमन से संपूर्ण सूचना का संवर्धन होता है या इससे अनिश्चितता को बढ़ावा मिलता है। अंततः प्रभावी विनियामक रुख से बाजार अभिगम तथा बाजार कार्यकलाप सुदृढ़ होने चाहिए जो कि सुगठित हो तथा नवोन्मेष को बढ़ावा दे।[1]

3.vi इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जोखिम लेना वित्तीय बाजार का *अंतर्निहित एवं आवश्यक अंग है, वर्तमान भारतीय विनियमन रुख संपूर्ण वित्तीय बाजार के लिए संतुलित, अनुमान योग्य, संस्थान-निरपेक्ष, स्वामित्व निरपेक्ष तथा तकनीक निरपेक्ष विनियामक पद्धति* की कल्पना करता है जिसमें बैंकों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थों को वे जोखिम लेने से हतोत्साहित नहीं किया जाता है जो जोखिम अपेक्षित, पर्याप्त रूप से अंगीकृत हैं एवं जिनके लिए बफ़र का प्रावधान किया गया है। इस रुख में जोखिम की पहचान के लिए पहले से ही सक्रिय रहने का प्रावधान है एवं एक बार जब इनकी पहचान हो जाती है तो इन जोखिमों को कम करने एवं इनका प्रबंधन करने के लिए सक्रियतापूर्वक कदम उठाने का भी प्रावधान है। इस संबंध में अगला प्रश्न विनियामक परिवर्तनों के प्रभाव की वांछित गति से संबंधित है, कि क्या यह गति ''महा विस्फोटक'' सुधारों के माध्यम से होनी चाहिए जिसमें बाजारों में बड़े व्यवधान होते हैं या ''सचल लक्ष्य'' की नीति अपनाई जाए जिसमें लक्ष्य हासिल करने के लिए क्रमिक रूप से कम व्यवधान वाला रुख अपनाया जाता है।

3.vii दुर्लभ पर्यवेक्षी संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायता देने के लिए अधिक ग्रेन्यूलर एवं साखमय डॉटा संग्रहण प्रक्रिया से जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) की ओर बढ़ा जा सकता है। तथापि, यह आशा नहीं की जा सकती है कि आरबीएस सभी जोखिमों को ट्रैक कर सकता है क्योंकि कुछ अदृश्य होते हैं एवं परे होते हैं तथा ये डॉटा एवं नियमों के अंतराल के बीच में होते हैं। जो पर्यवेक्षी रुख नियमों से निरुद्ध नहीं होता है उसे आदर्श रूप से विनियमित संस्थानों की व्यापक निगरानी रखनी चाहिए ताकि ये संस्थान अपने स्वयं के जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन कर सकें चाहे भले ही ये जोखिम विवेकसम्मत नियमों या जोखिमों से कवर हों या न हों। इसलिए आवश्यक है कि विनियम के ''वैधानिक'' मॉडल के बजाए ''विशेषज्ञ'' मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया जाए। चूंकि विनियामक एजेंसियां पूर्व-नियत दृष्टिकोण या विनियामक लक्ष्य से शूरूआत करती हैं, आरंभिक विनियामक रुख पिछली प्रवृत्तियों, आदतों एवं सांस्कृतिक मानकों पर आधारित होता है। जो विनियामक गतिविधियां की जानी हैं उनके स्वरूप का निर्धारण इसी से होता है। वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में विनियामक अपने उन विनियामक हस्तक्षेपों का खाका बना सकते हैं जिनके माध्यम से वे पहले जोखिम संबंधी मुख्य मसलों की पहचान करें तथा उन्हें परिभाषित करें तथा बाद में इन्हीं मसलों के आसपास लक्ष्य करते हुए विनियामक हस्तक्षेपों को लक्षित करें बजाय कि इसके कि स्वतः ही मानक पर्यवेक्षी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए।[2]

[1 & 1*] स्टीवर्ट, ल्यूक ए (2010). ''दि इम्पैक्ट आफ रेग्यूलेशन आन इन्नोवेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स : ए क्रॉस-इंडस्ट्री लिटरेचर रिव्यू'', यह पर्चा जून में इंस्टीट्यूट आफ मेडीसन कमेटी आन पेशेंट सेफ्टी एंड हैल्थ। यह https://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/2011/Health-IT/Commissioned-paper-Impact-of-Regulation-on-Innovation.pdf पर उपलब्ध है।

[2] स्पैरो, मैल्कॉम के. (2014) ''व्हाट डज़ इट मीन टू बी रिस्क बेस्ड रेग्यूलेटर? बियोंड फाइनेंस - फाइनेंसियल सुपरविजन इन दि 21 सेंचुरी, डच नेशनल बैंक आकेजनल सीरिज, मार्च। www.vic.ipaa.org.au/document/item/2784.

आर्थिक वृद्धि में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

3. viii वित्तीय क्षेत्र में विनियमन के अपेक्षित दृष्टिकोण, वृद्धि दर तथा नवोन्मेष से संबंधित मसलों को वास्तविक क्षेत्र आर्थिक वृद्धि तथा विकास के समर्थन में इसके उद्देश्य के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। अधिक विकसित वित्तीय क्षेत्र से प्रत्याशित है कि वह संसाधनों के आबंटन तथा इसके बाद आर्थिक विकास के संवर्धन में अधिक दक्ष हो। यह कार्योत्पादन विपरीत दिशा में भी कार्य करता है क्योंकि खुद आर्थिक वृद्धि से वित्तीय सेवाओं के लिए मांग सृजित होती है एवं इससे वित्तीय क्षेत्र का विकास होता है।

3.ix वृद्धि में वित्तीय क्षेत्र की संभाव्य भूमिका को भी बेहतर रूप में समझा जाता है पर यह मानना भ्रामक होगा कि वित्तीय क्षेत्र की अनियंत्रित वृद्धि तथा विकास से आर्थिक वृद्धि में सकारात्मक एकसमान बढ़ोत्तरी जारी रहेगी।[3] आर्थिक विकास के सकारात्मक प्रभाव में वित्तीय विकास के निश्चित स्तर के पश्चात गिरावट आने लगती है जबकि आर्थिक एवं वित्तीय अस्थिरता के संबध में लागत बढ़ने लगती है।[4] चूंकि भारत अभी भी वित्तीय विकास के उच्चतम स्तर से काफी दूर है (चार्ट 3.1), जहां ह्रासमान प्रतिफल शुरू हो चुके है एवं विनियमन के दृष्टिकोण को इसके मद्देनज़र सही तरीके से बनाए जाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ, आधारभूत अनुशासन एवं सुदृढ़ ऋण संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता है एवं वृद्धि के अल्पावधि लक्ष्यों के विकल्प के लिए इसकी कुर्बानी न दी जाए क्योंकि अधिक साखयोग्य एवं सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली दीर्घावधि में अनवरतता बनाए रखने वाली वृद्धि के संवर्धन में सहायक होगी।

3.x वित्तीय बाजार विनियमन के लिए यह समझना आवश्यक है कि बाजार अंतर्निहित रूप से ही *अस्थिर* होते हैं एवं विविकसम्मत विनियम की अपनी सीमाएं होती हैं। यह जाना-समझा जाता है एवं सिद्ध भी हो चुका है कि बाजार ''दोषपूर्ण'' होते हैं, प्रभावी विनियमन से काफी हद तक ऐसे दोषों को दूर किया जा सकता है

चार्ट 3.i: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में कुल वित्तीय क्षेत्र आस्तियों का अनुपात (अमेरीकी डॉलर में)

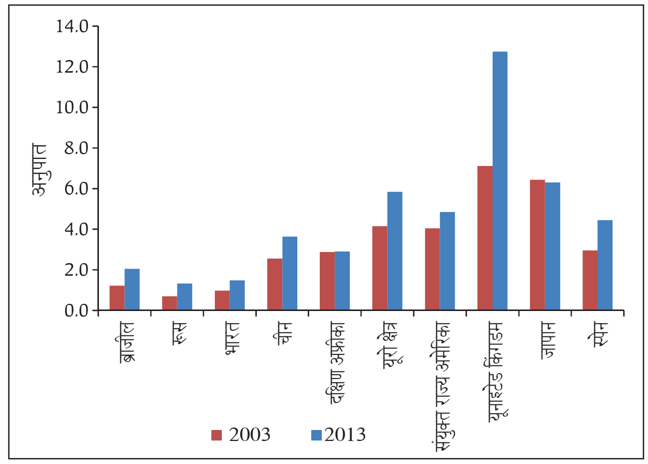

स्रोत: ग्लोबल शैडो बैंकिंग मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2014।

जो सूचनागत असममिति से उत्पन्न होते हैं। विनियमन का लक्ष्य बाजार प्रणाली को विकसित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी होना चाहिए कि बाजार लेन-देन सभी हितधारकों की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप बने रहें।

आधार रेखा

3.xi अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाने लगा है कि चक्र के साथ विनियामक वातावरण में अंतर होता है, *संतुलित एवं अनुमान योग्य विनियामक माहौल* वाले दृष्टिकोण के बारे में वित्तीय क्षेत्र विकास की ढ़ांचागत एवं वर्तमान स्थिति, वित्तीय बाजारों की गहराई, आर्थिक एवं ऋण चक्र के चरण तथा त्वरित घरेलू प्राथमिकताएं सूचित करेंगी। तद्नुसार, ''चक्र-रक्षित'' विनियम बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि चक्र के माध्यम से स्थिरता लाई जा सके। इसके लिए विनियम व्यापक, प्रासंगिक एवं लागत प्रभावी होने चाहिए।[5] विनियामक एवं पर्यवेक्षी मोर्चों पर हुई कुछ हालिया गतिविधियों की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में ये पहलू इस अध्याय के भाग-II का हिस्सा बनेंगे।

[3] सहाय एट आल (2015), ''रिथिंकिंग फाइनेंसियल डीपनिंग : स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट्स'', आईएमएफ एसडीएन/15/08, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मई

[4] केचेट्टी, एस. जी. एंड ई. खरौबी (2015), ''व्हाई डज़ फाइनेंसियल सेक्टर ग्रोथ क्राउड आउट रीयल इकॉनॉमी ग्रोथ, मोनेटरी एंड इकॉनॉमिक डिपार्टमेंट, बीआईएस वर्किंग पेपर नं. 490, फरवरी, http://www.bis.org/publ/work490.pdf पर उपलब्ध।''

[5] राजन, रघुराम जी (2009), ''दि क्रेडिट क्राइसिस एंड साकिल प्रूफ रेग्युलेशन'', फेडरल रिज़र्व बैंक आप सेंट लुइस रिव्यू, सितंबर/अक्तूबर 2009, 91 (5. भाग-I), पीपी 397-402 © 2009, दि फेडरल रिजर्व बैंक आफ सेंट लुइस। https://research.stlouisfed.org/publications/review/09/09/part1/Rajan.pdf पर उपलब्ध।

भाग II
भारत में वित्तीय क्षेत्र - विनियमन एवं विकास

भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार घरेलू प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहे हैं पर इनमें वैश्विक विनियामक मानकों की भावना का भी ध्यान भी रखा जा रहा है, यहां तक कि सुधारों के एकसमान में क्रियान्वयन के विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियां भी आ रही हैं।

बाजार तक बेहतर अभिगम एवं बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने की विनियामक पहल से घरेलू वित्तीय बाजार के विकास में सहायता मिलेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की आस्ति गुणवत्ता एवं पूंजी स्तर से सबंधित मामलों पर विभिन्न हितधारकों को काफी ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर भी कमजोरी की समय रहते पहचान करना एवं त्वरित संयुक्त कार्रवाई को प्रोत्साहन देना विनियामक की अपेक्षा रहती है।

हाल के वर्षों में व्यापार में हुई कलन गणितीय वृद्धि (अलगोरिद्म) तथा उच्च बारंबारता से उभरती चिंताओं से भारत के प्रतिभूति बाजार को सावधान रहने की आवश्यकता है, इस संबंध में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की दिशा में आगे बढ़ने, अवैध तरीके से धन जमा करने संबंधी गतिविधियों को तथा इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने एवं इनसे डील करने के बारे में कदम उठाए गए हैं।

मौसम संबंधी आपदाओं की बारंबारता तथा छोटे एवं सीमांत किसानों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को देखते हुए कृषि बीमा पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। भौतिक माल (कमोडिटीज) के बाजार के विनियम को सुसंगत बनाने तथा व्युतपन्न (डेरीवेटिव्ज) बाजार एवं भौतिक (नकदी) बाजार के लिंकेज को सुदृढ़ता प्रदान करने, विशेषतः कृषि माल के संबंध में, की आवश्यकता है।

आने वाले वर्षों में जनसांख्यिकीय में अपेक्षित परिवर्तन से वृद्धावस्था आय सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आशा है कि सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से गैर-संगठित क्षेत्र की कामगार जनता को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय विनियम में गतिविधियां

3.1 संकट-उपरांत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक सुधार एजेंडा के बनने[6] एवं मानक स्तर के लगभग पूरे होने पर अब फोकस पूर्णतः उन सुधारों की तरफ शिफ्ट हो गया है, सुधारों के अनवरत एवं त्वरित कार्यान्वयन के लिए सहमति बन गई है। नए जोखिमों एवं संवेदनशीलताओं पर ध्यान देने के उद्देश्य से वित्तीय स्थायित्व बोर्ड (एफएसबी) ने कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार कर ली है ताकि बाजार आधारित वित्त, जिसमें वे गतिविधियां भी सम्मिलित हैं जो आस्ति प्रबंधन से संबंधित हैं, से उत्पन्न वित्तीय स्थिरता जोखिमों का समाधान किया जा सके एवं कदाचरण जोखिमों तथा करोस्पोंडेंट बैंकिंग से आहरण को भी सुलझाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय विनियामक सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति

3.2 अंतर्राष्ट्रीय विनियामक सुधारों तथा बैंकिंग पूंजी एवं चलनिधि विनियम को अंगीकार करने में भारत का रिकॉर्ड संगत रहा है एवं कुछ पहलुओं में तो यहां तक पाया गया है कि रिज़र्व बैंक का विनियामक ढ़ांचा (उच्चतर न्यूनतम पूंजी अनुपात एवं कुछ निश्चित प्रकार के एक्सपोज़रों में उच्चतर जोखिम भार सहित) बासेल ढ़ांचे से भी ज्यादा रूढ़िवादी है। अपने सदस्य क्षेत्राधिकार के लिए चलने वाले विनियामक अनवरतता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी) के अंग के रूप में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने भारत हेतु बासेल जोखिम पूंजी ढ़ांचा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीए) के कार्यान्वयन पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है इस रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक द्वारा अंगीकृत जोखिम आधारित पूंजीगत अपेक्षा के मानकों को न्यूनतम बासेल पूंजी मानक के अनुसार *''अनुपालित''* माना गया है। *''अनुपालित''* माने गए इस मूल्यांकन में बासेल पूंजीगत ढ़ांचे का प्रत्येक घटक शामिल है।

[6] बीआईएस द्वारा 2014 के उत्तरवर्ती भाग में निवल स्थायित्व निधियन अनुपात (एनएसएफआर) हेतु नियमों के अंतिम रूप देने के पश्चात बैंकों के लिए पूंजीगत लीवरेज एवं चलनिधि ढ़ांचे के संबंध में विनियमन पूर्ण हो गए हैं।

सभी क्षेत्राधिकारों में कार्यान्वयन के असमान प्रगति के निहितार्थ

3.3 तथापि, जैसा कि मोटे तौर पर प्रत्याशित था एवं पिछली वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में उल्लेख था उसी के अनुसार विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विभिन्न सुधारों के एजेंडा के कार्यान्वयन की प्रगति असमान तथा भिन्न-भिन्न रही है जो कि विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से निर्देशित रही है। यहां तक कि वैश्विक सहमत सुधारों एवं मानकों के मुख्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण संचालन फॉरवर्ड अपेक्षित हैं। वैश्विक स्तर पर एवं स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही रूप में विनियामकों को वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय माहौल की बढ़ती जटिलताओं एवं अनिश्चिताओं के मध्य वृद्धि, समानता एवं स्थायित्व की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में नई चुनौतियो का सामना करना पड़ रहा है।

3.4 इस संबंध में, भारत सरीखे ईएमडीई में विनियामकों के लिए ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि बाजारों का बढ़ता समेकन एवं समूह-20 के तहत विनियमन एवं नीति-निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हुई प्रगति के बावजूद कई क्षेत्राधिकारों में विनियामकों एवं नीति-निर्माताओं, विशेषतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) में, ने यह पाया है कि घरेलू वृद्धि एवं स्थायित्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय पर ध्यान दिया जाना जारी रखा जाए वहीं दूसरी ओर घरेलू विनियमों के लिए आवश्यक होगा कि उथल-पुथल एवं अन्य घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दबाव एवं तनाव से की चुनौतियों से निबटने की तैयारी की जाए, एवं इसके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमन के जिन मानकों पर सहमति बनी है उसके अनुरूप राष्ट्रीय संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र विनियमन के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं।

भारतीय वित्तीय प्रणाली में विनियामक एवं विकासात्मक मुद्दे

बैंकिंग क्षेत्र

3.5 भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं यह देखा गया है कि प्रणाली के अधिकतर जोखिम अंततः बैंकिंग प्रणाली की ओर अग्रसर हो जाते हैं।[7] अतः, इक्विटी एवं कॉरपोरेट ऋण दोनों ही स्तरों पर सुदृढ़ पूंजी बाजार का जुड़ाव भी बैंकिंग प्रणाली पर अधिक भार को कम करने में सहायक होगा तथा इससे बाजार जोखिम एवं बैंकिंग प्रणाली जोखिम के बीच स्पष्ट अलगाव को हासिल करने में सहायता मिलेगी। तथापि, 2014-15 में द्वितीयक बाजार काफी अच्छी स्थिति में रहा पर प्राथमिक इक्विटी एवं ऋण बाजार में यह आशावाद दिखाई नहीं दिया (चार्ट 3.1)।

कॉरपोरेट बॉंड बाजार को विकसित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र एनलिस्ट करना

3.6 कॉरपोरेट बॉंड बाजार को विकसित करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, इनमें संभाव्य बड़े निर्गमकर्ता के रूप में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका के लिए नए उपायों का सहारा लेना भी शामिल है। इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र एवं अफोर्डेबल आवास के लिए उधार देने हेतु संसाधन जुटाने के लिए बैंकों को दीर्घावधि बॉंड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें कतिपय विनियामक पूर्व-क्रय (बैंकों की मांग एवं समय देयताओं पर नकदी आरक्षित अनुपात एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र हेतु आवश्यक

चार्ट 3.1: भारतीय कंपनियों द्वारा ईक्विटी और ऋण के पब्लिक इश्यू में प्रवृत्ति

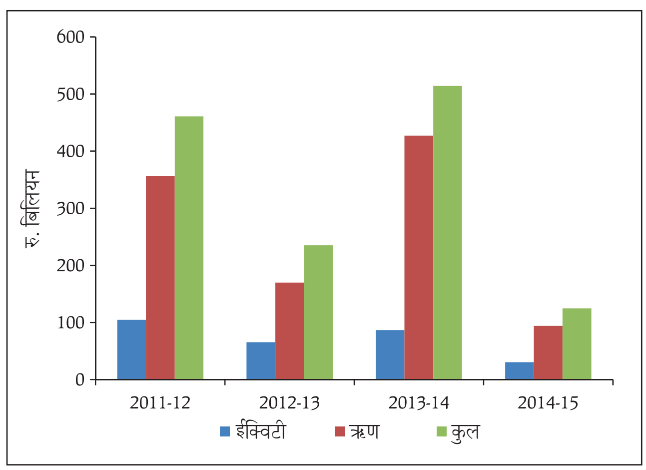

स्रोत : सेबी

[7] राजन, रघुराम जी (2015), 'सीएएफआरएएल उन्नत लीडरशिप प्रोग्राम', फरवरी में पता। http://www.cafral.org.in/sfControl/content/Speech/4292015103220AMGovernors-Speech-CALP-2015.pdf पर उपलब्ध ।

उधारी) में छूट दी गई है।[8] दीर्घावधि बॉंडों के अर्ध-सार्वभौम जारी करता के रूप में बैंकों, विशेषतः सरकारी क्षेत्र के बैंक, की स्थिति को लीवरेज करने के अलावा, यह संभावना है कि दीर्घावधि ऋण अनुमोदनों सरीखे अन्य उपकरणों की संभावना पर विचार किया जाए जिसमें कॉरपोरेट संस्थाओं के बॉंडों के निर्गम तथा कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा जारी[9] बॉंडों का बैंकों द्वारा ऋण उन्नयन किया जाना शामिल है। तथपि विकसित,कॉरपोरेट ऋण वाजारों को ध्यान में रखतर हुए किए जा रहे प्रायासो से अपेछित परिणाम हासिल करने के आवश्यक है कि वर्तमान स्तर से गौण बाजारो में चलनधि के स्थित में प्रर्याप्त सुधार किया जाए (चार्ट 3.2)।

बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना

3.7 पिछले कुछ वर्षों में मोटे तौर पर रिज़र्व बैंक का विनियामक रुख बैंकिंग क्षेत्र को सहायता एवं मजबूती प्रदान करने का रहा है । इसके लिए ऋण अनुशासन बढ़ाने, आस्ति गुणवक्ता संबंधी मसलो को सुलझाने, बाजार पहुच को प्रोत्साहित करने ,तनाव के समय रहते पहचान करने एवं उचित समाधान खोजने तथा पूँजी जुटाने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार करने जैसे कदम उठाये गये है। जुलाई 2014 रिज़र्व बैंक ने लोचनीय वित्तपोषण योजना की शुरुआत की जिसमें बैंकों को 20-25 वर्ष के दीर्घावधि ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गयी जिससे कि वे प्रत्येक पाँव या सात वर्ष में पुनर्वित्तपोषण करते हुए प्रोजेक्टों के नकदी प्रवाह से मेल कर सकें ।

3.8 तथापि,वर्तमान में आस्ति गुणवत्ता पर दिये जा रहे जोर,मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसवी) में,ऋण बाजार के विकास के वर्तमान स्तर में दीर्घावधि पूंजी जुटाने की बैंकों की क्षमता से सबंधित चिन्ताओं के प्रति विनियामक पहलों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य कोर क्षेत्रों के लिए बैंको द्वारा दिये जाने वाले दीर्घावधि प्रोजेक्ट ऋण के लिये लोचनीय वित्पोषण को सक्षम बनाने वाले प्रावधानो, में शामिल अन्य प्रायोगिक पहलुओं

चार्ट 3.2: गौण कॉरपोरेट ऋण वाजार में कारोबार का मूल्य

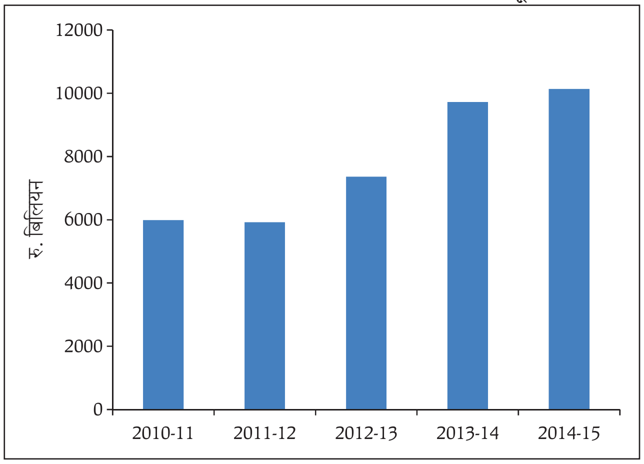

स्रोत : सीसीआईएल

एवं संभाव्य आस्ति- देयता से संबंधित चिन्ताओं, ऋण की शर्तों को 'पुनर्गठित' करने सहित, को पर्याप्त रूप से सुलझाने की आवश्यकता है।[10]

''ऋण पुनर्गठन'' प्रणाली की प्रभावकारिता

3.9 पिछले एफएसआरओं में कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) प्रणाली के निष्पादन की प्रभावकारिता के उद्देश्यपर्ण एवं निष्पक्ष मुलंकन के महत्व को रेखांकित किया गया है । सीडीआर प्रणाली का सहारा मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लिया था । इसका उद्देश्य अंतर्निहित जोखिमों के लेखों की पहचान के आस्थगन के पक्ष में ऋण दाता के हित के अनुरूप समझा जाना है न कि प्रभावी पुनर्गठन जिसके परिणामस्वरूप बैंक के ऋण की गुणवत्ता के बारे में अस्पष्टता उत्पन्न होती है जिससे बैंकों का बाजार मूल्यांकन बुरी तरह प्रभावित होता है । चूँकि कुछ पुनर्गठित खाते पुनर्गठन के लिए अगले चक्र में आए हैं, इसलिए *'सभी सम्बधित पक्षों के हित में ऋण पुनर्गठन योजनाओं को बनाने के लिए सौहार्दपूर्ण एवं सामूहिक रूप से नीतियां एवं दिशानिर्देश'*[11] के निहित उद्देश्य के प्रति सीडीआर प्रणाली की समग्र प्रभावकारिता की समीक्षा करने की आवश्यकता है ।

[8] आरबीआई (2014ए), 'इश्यू आफ लाँग टर्म बॉंड्स वाई बैंक-फाइनेंसिंग आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग' परिपत्र 15 जुलाई https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9103&Mode=0 पर उपलब्ध

[9] आरबीआई (2015बी) 'लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एंड एनहेंसिंग क्रेडिट सप्लाई' 27 मार्च का चर्चा-पत्र/ https://rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=298 पर उपलब्ध है

[10] आरबीआई (2014बी) फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चरिंग आफ लाँग टर्म प्रोजेक्टस लोन टू इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्रीज,परिपत्र 15 जुलाई। https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9101&Mode=0 पर उपलब्ध है।

[11] दि कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकानिज़्म https://www.cdrindia.org/ standingforum.htm पर उपलब्ध ।

3.10 इसकी आसान उपलब्धता के अलावा सीडीआर के प्रति उधारकर्ताओं में तीव्र चयन-भाव की जड़ें शायद देश में ऋण-अशोध्यता संबंधी कमजोर कानून के मद्देनजर अपनी प्रवर्तक-ईक्विटी को ह्रास से बचाने की उनकी प्रवृत्ति में देखी जा सकती है। तदनुसार, विनियामकीय जोर को इस आवश्यकता के संबंध में तेज कर दिया गया है ताकि इरादतन चूक के मामलों को वास्तविक आर्थिक या व्यावसायिक कारणों से होने वाली चूकों के मामलों से अलग किया जा सके।

3.11 विनियामकीय सहनशीलता को जारी रखने से जुड़े नैतिक जोखिमों को समझते हुए रिज़र्व बैंक ने 01 अप्रैल 2015 से पुनःसंरचित तथा अनर्जक आस्तियों के बीच भेद को समाप्त कर दिया है। सीडीआर कक्ष के अंतर्गत प्रदत्त एवं अनुमोदित कर्ज के मामलों की संख्या तथा उनकी सकल राशि में हाल ही में देखी गई प्रवृत्तियों से पुनःसंरचना पर विनियामकीय सहनशीलता को विशेष रूप से बड़े ऋण खातों के संबंध में, वापस लेने का प्रभाव प्रदर्शित होता है (चार्ट 3.3)।

3.12 बड़े ऋण संबंधी सूचना के केंद्रीय संग्रहकर्ता (सीआरआईएलसी) सहित संयुक्त उधारकर्ता मंच (जेएलएफ) के संशोधित ढांचे का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान समस्याओं की शीघ्र पहचान, व्यवहार्य ऋणों की समय पर पुनःसंरचना तथा अव्यावहार्य पाए गए ऋणों की वसूली अथवा बिक्री के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए प्रोत्साहन देना है (बॉक्स 3.1)। इसके परिणामस्वरूप आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआसी) को कतिपय शर्तों के अधीन ऐसी दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में आठ वर्ष की बढ़ी हुई समय सीमा स्वीकार करने की अनुमति दी गई है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनःसंरचना बोर्ड अथवा, सीडीआर अथवा जेएलएफ द्वारा अनुमोदित किसी पुनःसंरचना प्रस्ताव के अधीन हैं।[12]

ऋण पुनःसंरचना की एक कार्ययोजना बनाकर उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करना

3.13 सीडीआर के अनुभव से सीख लेते हुए कॉर्पोरेट ऋण की पुनः संरचना से संबंधित विनियमों को इस नजरिए से संशोधित किया गया है कि उधारकर्ता कंपनियों में महसूस किए गए संकट को जारी रखने या उनकी तीव्रता बढ़ाने के पीछे के कारणों में से एक

चार्ट 3.3: सीडीआर के अधीन अनुमोदित राशि और मामलों की बढ़ती हुई संख्या

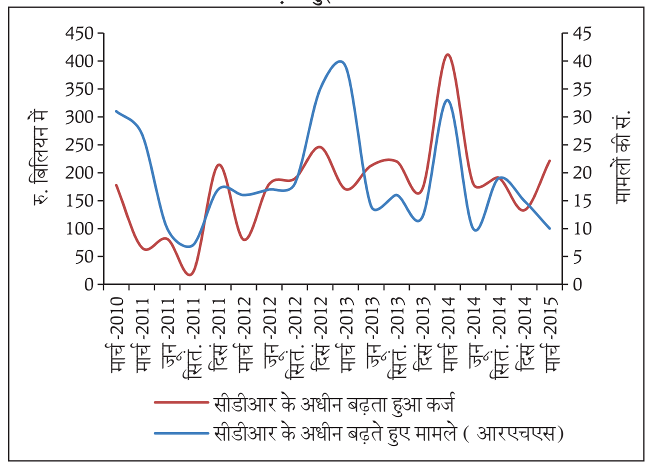

स्रोत: सीडीआर सेल

कारण उनकी परिचालनगत/प्रबंधकीय अक्षमताएं हों तो उधारकर्ता कंपनियों के प्रबंधन में परिवर्तन किया जा सके। इस सामान्य सिद्धांत को मानते हुए कि शेयरधारक को सबसे पहले हानि का झटका लगता है और उसके बाद कर्जधारकों को, पुनःसंरचना की व्यवस्था में यह प्रावधान शामिल किए जाने की जरूरत है जिससे प्रवर्तक कंपनी की ईक्विटी को अपने नुकसान की भरपाई के बतौर उधारकर्ताओं को अंतरित किया जा सके तथा प्रवर्तक-ईक्विटी के अतिरिक्त निवेश एवं कंपनी के लाभप्रद होने तक प्रवर्तकों की ईक्विटी धारिताओं को किसी प्रतिभूति न्यास को अंतरित किया जा सके।

3.14 कर्ज पुनःसंरचना की कार्ययोजना (एसडीआर) के अंतर्गत उधारकर्ता कंपनी के स्वामित्व/प्रबंधन में परिवर्तन के लिए जेएलएफ के तहत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं/उधारदाताओं को का संघ उनकी बकाया राशि को ईक्विटी में परिवर्तित कर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक सीमा के भीतर उनका प्रमुख शेयरधारक बन सकता है। इन प्रयासों का समर्थन करते हुए तथा त्वरित अंतर-विनयामकीय समन्वयन के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संपरिवर्तन कीमत तथा नियत समयावधि निर्धारित करने तथा अधिग्रहण नियमों से बैंकों के लिए आवश्यक छूट देने का प्रावधान करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार अल्प

[12] आरबीआई (2015 सी), बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलफ मामलों के लिए समाधान अवधि 7 मई 2015 की अधिसूचना https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9711&Mode=0 पर उपलब्ध है।

[13] आरबीआई (2015 डी) कार्यनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना, 8 जून 2015 कीअधिसूचना https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Mode=0&Id=9767 पर उपलब्ध है।

बॉक्स 3.1 बड़े ऋणों की आस्ति गुणवत्ता से संबंधित संशोधित फ्रेमवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े-बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं का एक केंद्रीय कोष (सीआरआईएलसी) स्थापित किया है जिसका उद्देश्य बैंकों/ग़ैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) तथा बीमा कंपनियों से रु. 50 मिलियन तथा उससे अधिक का ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में सूचनाएं संग्रह, जमा एवं प्रसारित करना है। ऋणदाता सीआरआईएलसी का डाटाबेस देख सकते ताकि वे अलग-अलग व्यक्ति का उधारकर्ता-वार समेकित डाटा देख सकते हैं। सीआरआईएलसी को संकटग्रस्त आस्ति फ्रेमवर्क (30 जनवरी 2014) तथा उसके बाद जारी किए गए परिचालनात्मक अनुदेशों में की गई परिकल्पना के अनुसार संकटग्रस्त आस्तियों का प्रबंधन करने हेतु कोई व्यवस्था सक्रिय या उसके साथ समन्वय बनाने की केंद्रीय भूमिका सौंपी गई है।

उधारकर्ताओं द्वारा वित्तीय दबाव के महसूस किए गए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पकड़ने के लिए इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंकों से यह अपेक्षित है कि एक उप-आस्ति-विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) बनाएं और तीन एसएमए श्रेणियों (एसएमए-0, एसएमए-1 एवं एसएमए-2) के अंतर्गत उधारकर्ताओं को वर्गीकृत करें जो निम्नानुसार हो:

एसएमए उप-श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार
एसएमए-0	मूलधन या ब्याज भुगतान 30 दिन से अधिक अतिदेय नहीं है परंतु खाता शुरूआती दबाव प्रदर्शित करता हो।
एसएमए-1	मूलधन या ब्याज भुगतान 31-60 दिनों के बीच से अतिदेय है।
एसएमए-2	मूलधन या ब्याज भुगतान 61-90 दिनों के बीच से अतिदेय है।

बैंकों से अपेक्षित है कि ज्यों ही किसी खाता में रु. 1,000 मिलियन तथा उससे अधिक कुल ऋण हो तो वे जेएलएफ बनाएं और उसकी सूचना सीआरआईएलसी को एसएमए-2 के रूप में दें। किसी भी उधारकर्ता द्वारा ऋणदाताओं से ऋण के लिए रु. 1,000 मिलियन तथा उससे अधिक के सकल ऋण वाले खातों में अवश्यंभावी दबाव के कारण ठोस आधार के साथ जेएलएफ गठित का आवेदन करने पर जेएलएफ गठित किया जाना अनिवार्य है। ऋणदाताओं के पास यह भी विकल्प है कि वे रु. 1,000/- मिलियन से कम सकल ऋण तथा /अथवा जब खाता के बारे में एसएमए-0 या एसएमए-1 के रूप में सूचना प्राप्त होती है।

शेयरधारकों को अनिवार्य निविदा प्रस्ताव दिए बिना एसडीआर के तहत कंपनी के कर्ज को ईक्विटी में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गई है[14]।

ऋण धोखाधड़ियों से निपटने के लिए ढांचा

3.15 वित्तीय क्षेत्र में ऋण से जुड़ी धोखाधड़ियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति विनियामकों तथा सरकार के लिए चिंता का विषय है। रिज़र्व बैंक ने ऋण से जुड़ी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है जिसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपना सामान्य व्यवसाय करते हुए तथा अपनी जोखिम लेने की क्षमताओं पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना उनका ध्यान धोखधड़ियों का पता लगाने, उनकी सूचना देने तथा उनकी निगरानी करने से संबंधित पहलुओं पर केंद्रित करना है। इस फ्रेमवर्क में यह बताया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का संबंध किसी धोखाधड़ी का पता चलने तक की स्थितियों से ही होगा (सभी बैंकों के लिए) और उसके बाद की स्थितियों पर सरकार सहित अन्य कानून का प्रवर्तन करने वाली एजंसियों को ध्यान केंद्रित करना होगा।

3.16 इस फ्रेमवर्क में ऋण खातों की लगातार निगरानी धोखाधड़ी से सुरक्षा के एक उपाय के बतौर परिकल्पित की गई है जिसके तहत ऋण की संपूर्ण अवधि के विभिन्न चरणों में नियंत्रण, रु. 500 मिलियन से अधिक राशि वाले खातों के लिए प्रारंभिक चेतावनी सिगनल के आधार पर रेड फ्लैग वाले खातों (आएफए) की पहचान अथवा छह महीने के भीतर लाल फ्लैग वाले खातों को धोखाधड़ी या अन्यथा के रूप में वर्गीकृत करना शामिल है। इसके अलावा, उक्त फ्रेमवर्क में यह भी अपेक्षा कि गई है कि बैंकों की जानकारी के लिए आरएफए/धोखाधड़ियों की सूचना रिज़र्व बैंक के सीआरआईएलसी पर लगाई जाए तथा संघ/बहुत बैंकिंग व्यवस्था के मामले में जेएलएफ द्वारा धोखधड़ी की स्थिति पर निर्णय लिया जाए।

बैंकों की पूँजीगत जरूरतें - पूँजी का संरक्षण बनाम वृद्धि

3.17 सरकारी क्षेत्र के बैंक परांपरागत रूप से बैंकिंग प्रणाली की कुल जमा एवं अग्रिमों में अपनी कम होती हिस्सेदारी के बावजूद भारतीय वित्तीय एवं बैंकिंग प्रणाली में प्रभावशाली भूमिका निभाई

[14] सेबी (2015 ए), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2015' अधिसूचना 5 मई 2015 http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1430885855266.pdf पर उपलब्ध है।

[15] आरबीआई (2015ई) ऋण से संबंधित धोखाधड़ी से निपटने के लिए फ्रेमवर्क, अधिसूचना 7 मई 2015 https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9713&Mode=0 पर उपलब्ध है।

है (चार्ट 3.4)। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन वर्तमान संदर्भ में भी महत्वपूण बना रहेगा क्योंकि आने वाले महीनों में नए प्रकार की संस्थाओं के प्रवेश के उपरांत भारतीय बैंकिंग प्रणाली के ढांचे, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा गठन में बदलाव होने वाला है।

3.18 हालांकि यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि बैंकिंग उद्योग को पूंजी की बहुत आवश्यकता है जिस पर निर्णायकों के बीच अभी भी इस उद्योग की कार्यक्षमता और अधिकता पर बहस चल रही है, फिर भी पूँजी के लिए फ्रेमवर्क की कमियां, जो जोखिम-भार पर आधारित थीं और लिवरेज के लिए उच्चतम सीमा तथा अतिरिक्त पूंजी बफर सुनिश्चित करने की जरूरत को सामान्यतः माना गया है। कार्यदक्षता-अनुपयुक्तता के बीच संतुलन के साथ-साथ सुरक्षा-कार्यदक्षता के बीच संतुलन की भी बात जुड़ी है जिसे भारत में सरकारी-निजी क्षेत्र के बैंकों की आधारभूत संरचना में देखा जा सकता है। जनमानस के अनुसार देखा जाए तो प्रत्यक्षतः सरकारी सहायताप्राप्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में यह मत है कि तुलनात्मक रूप में वे अस्थिरता पैदा करने वाले प्रभावों से अछूते रहने के बावजूद उनसे कार्यदक्षता अनिवार्य रूप से अपेक्षित है जब उनका मूल्यांकन आस्तियों एवं निवेश की गई पूंजी पर आय के आधार पर किया जाता है। तथापि, सरकारी बैंकों के मामले में सुरक्षा की वही भावना लुप्त हो जाती है जब उनके मूल्यन की बारी आती है। जब भारत सरकार पूंजी लगाने के लिए कार्य-निष्पादन आधारित नए मानदंडों के बारे में सोच रही हो तो ऐसे में इस प्रकार के विरोधाभास जो दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह एक धारणा, बल्कि अधूरी धारणा भी हो सकती है कि यदि सरकार बैंकों को राजकोषीय सहायता प्रदान करने के लिए पात्र बैंकों की पहचान उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर कुछ मानदंडों के अनुसार करेगी तो जो बैंक इन मानदंडों पर खरे नहीं उतरेंगे उनके लिए पूंजी जुटाना और भी कठिन हो जाएगा।

बैंक पूंजी के प्रति बाजार का दृष्टिकोण

3.19 एक ऐसे माहौल में जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी संबंधी जरूरतें ज्यादातर बाजार द्वारा पूरी की जाती हैं वैसे में एक प्रभावी विनियामकीय एवं ओवरसाइट व्यवस्था की सीमारेखाएं परिभाषित करने की आवश्यकता है जिससे सूचना संबंधी विषमता कम हो तथा बाजार की पहुंच कम हो सके। व्यापक स्तर पर कहा जाए तो इस प्रकार की विनियामकीय व्यवस्था इसीलिए अपेक्षित है ताकि आस्तियों के वर्गीकरण एवं संभावित हानियों के प्रावधानीकरण के अनुसार कम विवेकाधिकार स्वीकार किया जाए जिनके चलते

चार्ट 3.4: बैंकिंग प्रणाली में कुल जमा और अग्रिम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का शेयर

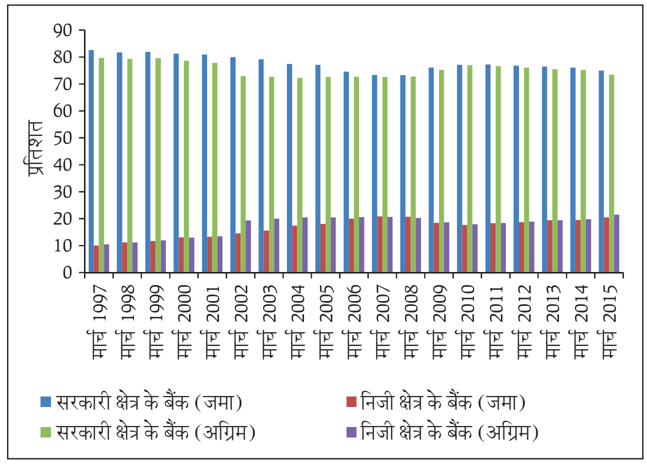

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

अनर्जक आस्तियों तथा लाभप्रदता संबंधी दी गई सूचनाओं को अपर्याप्त ठहरा दिया जाता है। बेहतर सूचनाओं के अभाव में बाजार एक समान लक्षण वाली सभी प्रकार की समस्याओं के लिए प्रभावकारी प्रावधान करने के लिए अग्रसर होंगे और इससे उनमें बाजार मूल्यनों के साथ एक सरकारी क्षेत्र बैंक का ठप्पा लगाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। (चार्ट 3.5)

पूंजी पर्याप्तता बनाम पूंजी नियोजन

3.20 भारत में बैंकों के लिए न्यूनतम विनियामकीय पूंजी अपेक्षाओं संबंधी नियम बासल फ्रेमवर्क तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कड़े होते हैं। तथापि, पूंजीगत अपेक्षाओं तथा पूंजी पर्याप्ता संबंधी संख्यात्मक अनुपालन पर आधारित

चार्ट 3.5: कीमत और बुक वैल्यू अनुपात: सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों के लिए औसत

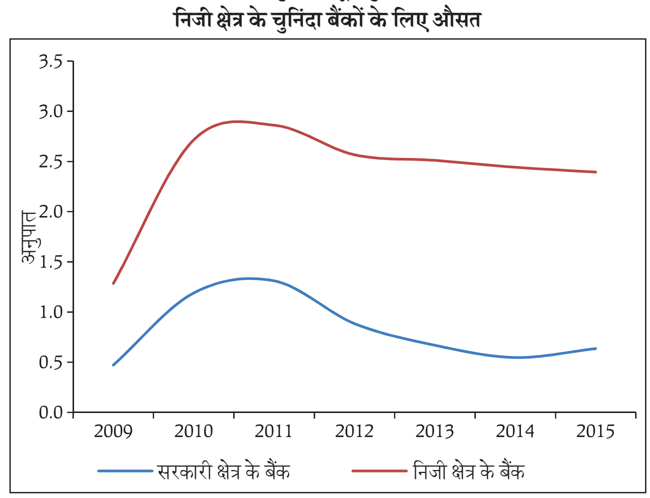

नोट: सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों के लिए औसत (31 मार्च तक)
स्रोत: ब्लूमबर्ग

विनियामकीय परिदृश्य के बाहर जाकर सोचने की जरूरत है क्योंकि बैंकों के पूंजी स्तरों के बारे में बाजार की धारणा विशेष रूप से सरकारी बैंकों के संदर्भ में भी समान रूप से एक महत्वपूण धारणा हो सकती है। पूंजी पर्याप्तता पर विनियामकीय निर्धारणों को पूरा करने का तात्पर्य चालू व्यवसाय संविभाग पर ध्यान देना है जबकि बाजार अपने भविष्योन्मुख पूर्वाग्रह के कारण पूंजीगत आयोजना को दृष्टिगत रखते हैं जो एक प्रकार से किसी बैंक के भावी संवृद्धि आयोजना का सूचक है। दूसरी तरफ किसी दबावग्रस्त परिदृश्य में मार्जिन को सुरक्षित रखने की जरूरत के साथ पूंजीगत कठिनाइयों के कारण बैंकों की नीतिगत दर संकेतकों को प्रसारित करने की क्षमताओं को बाधित भी कर सकती है।

3.21 बिल्कुल विपरीत वित्तीय कार्य-निष्पादन वाले बैंकों के दो समूहों (अध्याय II चार्ट 2.3) के जोखिम-भारित पूंजी अनुपातों में खासा अंतर होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि पूंजी पर्याप्तता के प्रति दोहरा दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इसे बाजार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्षमता की बजाय उनकी कमजोरी के लक्षण के रूप में देख सकता है। चूंकि विनियामकीय पूंजी पर्याप्तता से न्यूनतम सीमा प्रदर्शित होती है इसलिए पूंजी पर्याप्तता के वस्तविक आकलन के अंतर्गत आदर्श रूप से वो घटक भी शामिल होना चाहिए जो स्तंभ 2 जोखिमों के साथ-साथ बाजार की स्थितियों के अनुसार और उसकी जरूरतों के अनुसार अवसरानुकूल निधि जुटाने के प्रति बैंकों की क्षमताओं के प्रति भी सचेत हो। इसके फलस्वरूप सक्रिय पूंजी आयोजना एवं प्रबंधन अपेक्षित होगा।

3.22 किसी भी स्थिति में एक अपेक्षाकृत अधिक बाजार केंद्रित दृष्टिकोण का आशय वितरणात्मक उद्देश्यों के साथ समझौता करना नहीं होता। बल्कि यह दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी का बेहतरीन फायदा उठाते हुए, व्यवसायों के सीमांत मूल्य का मूल्यांकन करते हुए (उदाहरणस्वरूप विदेश स्थित व्यावसायिक इकाइयों का 'मूल्य' अथवा व्यवसाय क्रम पर विशेष ध्यान, जैसे : 'खुदरा') तथा उत्तरदायित्व के एक पारदर्शी ढांचे के द्वारा इस प्रकार के उद्देश्यों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन पर बल देता है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के शीर्ष प्रबंधन (मुख्य कार्यपालक) के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन को शेयर बाजार के मूल्यनों को विशेष रूप से समाहित करने के लिए पुनः केंद्रित करने के कारण प्रमुख - अभिकर्ता संबंधी समस्या कम हो जाएंगे जो इस प्रकार के संबंध में अंतर्निहित होती हैं तथा इससे पुनः पूंजीकरण के लिए आवश्यक पूंजी की वास्तविक सीमांत लागत भी प्रदर्शित होगी।

3.23 चूंकि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी लगाने में भी करदाताओं का धन शामिल होता है, इसलिए दुर्लभ पूंजी के समान वितरण के बजाय बैंको की क्षमता बढ़ाना और पूंजी का संरक्षण करना समय की मांग है। दूसरी तरफ इसमें कोई विवाद नहीं कि बैंकों में पर्याप्त पूंजी का बफर बनाए रखने की जरूरत है। फिर भी, इससे आस्तियों की गुणवत्ता और इस प्रकार बैंकों के तुलनपत्र की मजबूती सुनिश्चित नहीं की जा सकती (बॉक्स 3.2)

नकदी सृजन में लाभ तथा दक्षता

3.24 बैंकों के संबंध में प्रकटीकरण की प्रकृति तथा अधिदेशों के दायरे को ध्यान में रखते हुए बैंक तुलनपत्रों का विश्लेषण करना जटिल हो सकता है। इस प्रकार प्रकटीकरणों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे निवेशकों एवं विश्लेषकों का ध्यान संदर्भ से न भटकाएं। बैंकों द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल जितने जटिल होंगे उनके प्रकटीकरण भी उतने ही अधिक विस्तृत होंगे जबकि सामान्य नकदी प्रवाह बैंकों के वास्तविक स्वास्थ्य का एक बेहतर सूचक हो सकता है।

3.25 किसी बैंक की लाभप्रदता के लेखाकरण संबंधी उपाय सामान्य तौर पर निवल लाभ (कर के बाद लाभ) पर आधारित होते हैं। तथापि, बैंकों की वास्तविक आर्थिक लाभप्रदता को प्रदर्शित करने में लेखाकरण लाभों की अन्य सीमाओं के अलावा कुछ विशिष्ट लेखाकरण की व्यवसआथाएं अंतरनिहित लेनदेन के आथिक यथार्थ तथा वित्तीय विवरणों (लेखाकरण लाभ) में वे जिस प्रकार प्रदर्शित होते हैं उसमें विषमता पैदा कर सकती हैं। अतः 'नकदी लाभ' (बैंकों के व्यवसाय/परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी) के एक सुदृढ़ उपाय से प्रयोक्ताओं तथा हितधारकों को बैंकों की समग्र दक्षता के बारे में ज्यादा उपयोगी सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं।

3.26 किसी भी व्यावसायिक संस्था के नकदी लाभ का आकलन परिचालनों के विवरण से नकदी प्रवाह से किया जा सकता है। तथापि, बैंक तथा अन्य वित्तीय कंपनियों के मामले में परिचालन गतिविधियों तथा वित्तीयन अथवा निवेश गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह का अंतर धुंधला हो जाता है। किसी बैंक के लिए एक आदर्श नकदी लाभ की गणना में ग़ैर-नकदी प्रभार, उपचय, मद तथा मूल्यन लाभ एवं हानियां समायोजित होनी चाहिए जिसके लिए ठोस रूप से सूक्ष्मतम तथा सघन आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। तथापि, इस प्रकार की विस्तृत सूचना के अभाव

बॉक्स 3.2: क्या पूंजी में वृद्धि करने से जोखिम कम होता है?

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के पश्चात बैंक पूंजी बढ़ाने तथा अत्यधिक लिवरेज कम करने पर जोर दिया जाता रहा है। हालांकि इस कहानी का दूसरा पक्ष जिसकी चर्चा कम हुई है, यह है कि यदि बैंक अपनी पूंजी बढ़ाने में असमर्थ हों तो उन्हे अपने तुलनपत्र का आकार अनिवार्य रूप से कम करना चाहिए। इस संदर्भ में यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या पूंजी में वृद्धि करने से बैंकों का जोखिम कम होगा। एक शोध, जो अभी चल रहा है, में राबर्ट सी. मर्टन (मर्टन 2014) ने जोर देते हुए कहा है कि यदि बैंक लिवरेज का स्तर बनाए रखने के लिए अपनी खोई हुई पूंजी को स्थानापन्न भी करें तो उनकी स्थिति पहले से कहीं अधिक जोखिमपूर्ण होगी।

मर्टन के अनुसार जोखिमपूर्ण कर्ज का मतलब है - किसी कर्ज की गारंटी हटाकर जोखिममुक्त कर्ज। दूसरे शब्दों में, जोखिमपूर्ण कर्ज में एक निवेशक दो प्रकार की गतिविधियां करता है - जोखिमपूर्ण उधार देना तथा बीमा लेखन। आप्शन का दृष्टांत देते हुए मर्टन प्रदर्शित करते हैं कि यह बीमा/गारंटी लेखन एक विक्रय विकल्प (पुट आप्शन) लेखन के अलावा कुछ नहीं है। इस दृष्टांत से यह देखा जा सकता है कि गारंटी का मूल्य आस्ति के मूल्य के विषमानुपाती है। लेकिन इस गारंटी तथा आस्ति के बीच विषम संबंध को देखते हुए जोखिम एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। (चार्ट 3.ए) ।

दूसरे शब्दों में, ज्यों ही आस्तियों का मूल्य घटता है संबंधित बैंक की स्थिति और अधिक जोखिमपूर्ण हो जाती है। इसके परिणाम यह होता है कि जोखिम की स्थितियों (एक्सपोजर) में वृद्धि न होने के बावजूद आस्ति का मूल्य कई बार गिर जाता है। इस पर्चे में उच्च जोखिम वाली घटनाओं के समूहन पर यह कहते हुए अधिक अंतर्दृष्टि डाली गई है कि पांच गुना निम्न ढलान वाली उच्च जोखिम वाली घटनाएं स्थिर ढलान वाली दस उच्च जोखिम वाली घटनाएं एक बराबर दिखती हैं। यह सब कुछ विषमानुपाती स्थिति पर निर्भर करता है। जब कोई सरकार स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से गारंटी (मर्टन के अनुसार सरकारें लगभग हमेशा अपने बैंकों के प्रति स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से गारंटी देती हैं) देती है तो वह बैंकों द्वारा जोखिमपूर्ण उधार देते समय उधारकर्ता के रूप में पहले ही दे दी गई हामीदारी में गारंटी का एक नया स्तर जोड़ देती है। इसका मतलब गारंटीकर्ता द्वारा अपने ही गारंटीकर्ताओं की गारंटी की हामीदारी करने के अलावा कुछ नहीं है।

चार्ट 3.ए नॉन लिनियर रिस्क बिल्ड अप

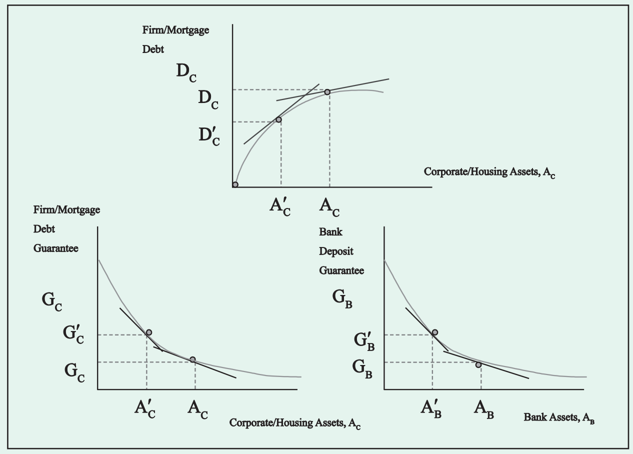

स्रोत: मेरटॉन (2014)

जब कोई बैंक अंततः अपने उधार संबंधी निर्णोंं में कोई गलती कर देता है और यदि उधारकर्ता/आस्ति खराब हो जाती है तो बैंक की स्थिति स्वयं बदतर हो जाती है और गारंटीकर्ता के रूप में सरकार के होने के कारण साख और कमजोर हो जाती है। यदि बैंकों के पास काफी सरकारी कर्ज हो तो फीडबैक का का चक्र गंभीर हो जाता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि बैंकों तथा सरकार के बीच यह जो आपसी जुड़ाव समष्टि-वित्तीय जोखिम प्रारंभ करने का एक संभावित चैनल साबित हो सकता है। बैंकों को सलाह देते हुए मर्टन का कहना है कि उन्हें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि किसी ऋण विशेष को आगे बढ़ाने तथा उससे संबंधित गारंटी की हामीदारी करते हुए वे उन आस्तियों से जुड़े कितने जोखिम उठा सकते हैं जो ऋण का आधार हैं। दूसरी तरफ, सरकारों के लिए जरूरी है कि वे ऐसे जोखिमों के प्रति सचेत रहें जो बैंकिंग प्रणाली की अंतरसंबद्धता, जो भले ही अनुमानित हो, न कि वास्तविक, के कारण अचानक पैदा हो सकते हैं।

संदर्भः मार्टन रॉबर्ट सी. (2014), वित्तीय प्रणाली की अंतरसंबद्धता का मूल्यांकनः जोखिम प्रबंधन के निहितार्थ पर एडीबी के प्रतिष्ठित वक्ता कार्यक्रम। © एशिया विकास बैंक, http://hdl.handle.net/11540/4102 लाइसेंसः सीसी बीवाई 3.0 आईजीओ

में प्रावधानों से पूर्व आय तथा कर (ईबीपीटी) का पता लगाया जा सकता है ताकि मापन के मूलभूत सारांश को एक परीक्षणीय तरीके से पहचान की जा सके। यद्यपि, ग़ैर-नकदी मदें भी हैं, फिर भी बैंकों के लिए प्रावधान ही सर्वाधिक महत्वपूण ग़ैर-नकदी प्रभार होते हैं तथा कुछ बैंकों के मामले में उनमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं।

3.27 प्रावधानों के पूर्व आय तथा कर (ईबीपीटी) कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) तथा संगत अनुपात (ईबीपीटी/औसत

चार्ट 3.6: ईबीपीटी और पीबीटी का औसत आस्तियों के साथ अनुपात की प्रवृत्ति

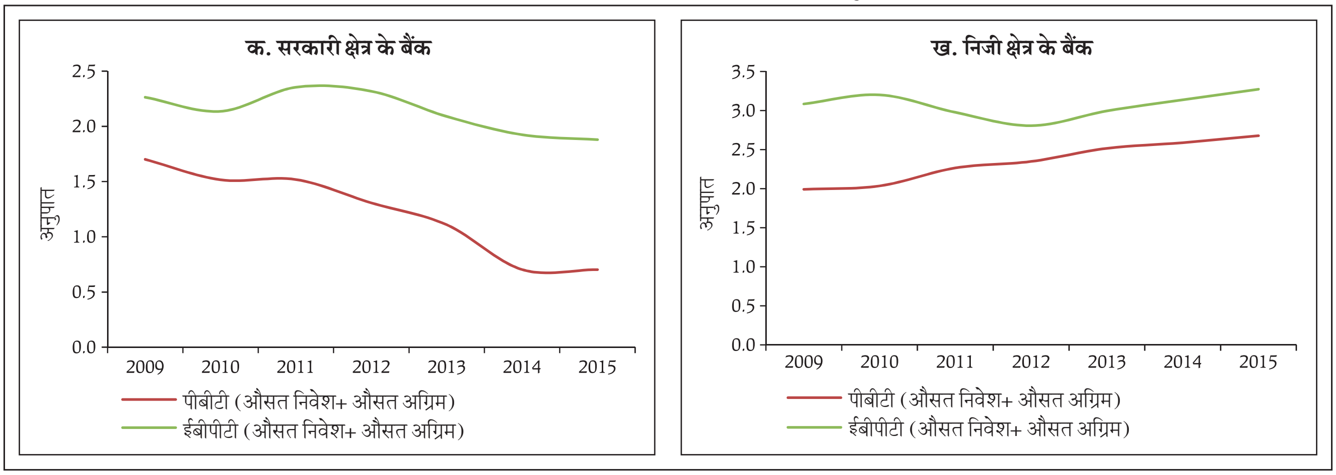

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

अग्रिमों एवं निवेश तथा ईबीटी/औसत अग्रिम तथा निवेश) से लेखाकरण तथा ईबीपीटी की परस्पर विपरीत प्रवृत्तियां प्रदर्शित होती हैं। बैंक समूह के स्तर पर इन दोनों मापनों के बीच भिन्नता पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में बढ़ गई है तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में घट गई है (चार्ट 3.6 'क' तथा 'ख')। चूंकि किसी फर्म का मूल्य उसके बट्टागत मुक्त नकदी प्रवाह के समतुल्य होता है इसलिए बैंकों की आस्तियों की नकदी सृजन करने की क्षमताओं को अधिक महत्व देना जरूरी हो सकता है।

शहरी सहकारी बैंक

आकार, विनियमन तथा प्रणालीगत जोखिम

3.28 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के प्रति विनियामकीय दृष्टिकोण की रचना कम सुविधासंपन्न तबकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रति उनकी भूमिका एवं अधिदेश को ध्यान में रखते हुए की गई है। यद्यपि, सहकारी समितियां अपनी गतिविधियों को अपने सदस्यों तक ही सीमित रखते हुए अपना आकार छोटा ही रखना चाहती हैं फिर भी बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस शहरी सहकारी बैंकों को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने की असीमित सुविधा देती है। सदस्यों (शेयरधारकों) की देयता को सदस्यता शेयरों तक सीमित रखने के कारण स्वत्वाधिकारी प्रधानतः ग़ैर-सदस्यों के संसाधनों का प्रयोगकर्ता बन जाते हैं जिसमें हितों का टकराव पैदा होता है जिसे विनियमन एवं पर्यवेक्षण के द्वारा समायोजित किए जाने की जरूरत है।

3.29 कुछ वर्षों में कुछ बड़े बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के तुलनपत्र का आकार निजी क्षेत्र के छोटे वाणिज्यिक बैंकों के तुलनपत्र के समतुल्य हो गया है। सर्वाधिक बड़े पांच शहरी सहकारी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के पांच सर्वाधिक छोटे वाणिज्यिक बैंकों के बीच तुलना से यह प्रदर्शित होता है कि जमाराशियों, अग्रिमों तथा कुल आस्तियों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों के व्यवसाय तथा आस्तियों का आकार निजी क्षेत्र के छोटे बैंकों से बड़ा है (चार्ट 3.7)।

चार्ट 3.7: 5 सबसे छोटे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एससीबी) और 5 सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंकों(यूसीबी) के तुलनात्मक आकार

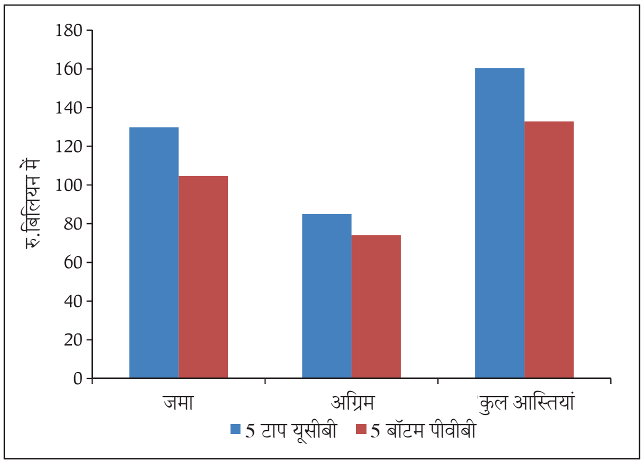

नोट: कुल आस्तियों के संदर्भ में 5 सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और 5 सबसे छोटे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के कुल आस्तियों, अग्रिमों और जमा का औसत।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

[16] शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू बेसल II और III मानदंडों की तुलना में बेसल I के कम सख्त मानदंडों द्वारा विनियमित किया जाता है।

3.30 कमजोर कॉर्पोरेट अभिशासन शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जिससे यह क्षेत्र प्रभावित रहा है। साथ ही, पूंजी के लिए बाजार तक पहुंच होना भी एक कारक रहा है जिसके चलते अनेक शहरी सहकारी बैंकों का परिसमापन हुआ। चूंकि सहकारी समितियां राज्यों के कार्यक्षेत्र में आती हैं इसलिए रिज़र्व बैंक का शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंधन पर उतना नियंत्रण नहीं होता जितना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर होता है। हालांकि विनियामकों के पास उपलब्ध निर्णय करने की शक्तियों (अधिस्थगन लगाने एवं मजबूत वित्तीय संस्थाओं के साथ स्वैच्छिक तथा/अथवा अनिवार्य विलय को सुविधा प्रदान करना) के कारण अभी तक प्रयोजन सिद्ध होता रहा है तथापि तनी शक्तियां किसी बड़ी एवं जटिल संस्था के असफल होने होने की परिस्थितियों का सामना करने में नाकाफी होती हैं। इस प्रकार, सहकारिता बैंकिंग के क्षेत्र में अभिशासन, पूंजीकरण तथा निर्णय करने के तंत्र में सुधार की जरूरत है।

3.31 प्रणालीगत जोखिमों के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों के संभावित प्रभावों के मद्देनजर तथा शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में व्यवसाय, आकार, संपरिवर्तन तथा लाइसेंसीकरण की शर्तों तथा अन्य संबंधित पहलुओं की पुनः समीक्षा करने और अपनी सिफारिश देने के लिए एक समिति गठित की गई है।

ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

3.32 बैंकों के अलावा संगठित क्षेत्र की अधिकतर अन्य प्रकार की वित्तीय संस्थाएं (जमा-स्वीकार करने वाली ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, म्युचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां तथा प्रतिभूतियों एवं पण्य बाजारों के मध्यस्थ) एक नामित विनियामक के अधीन होती हैं। एक व्यापक श्रेणी के रूप में ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अंतर्गत सामान्यतः अनेक प्रकार की संस्थाएं तथा गतिविधियां आती हैं और वे संदिग्ध बैंकिंग से जुड़ी हैं। तथापि, पंजीकरण के न्यूनतम मानदंड को पूरा करने वाली ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां रिज़र्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत आती हैं। जमा स्वीकार करने वाली ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा अन्य ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिन्हें प्रणालीगत रूप से जमा स्वीकार न करने वाली ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, वे अपेक्षाकृत सख्त विवेकपूर्ण विनियमनों के अधीन होती हैं। ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामकीय ढंचे को 2014 में संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत इन ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को सुसंगत तथा मजबूत बनाने पर जोर दिया गया था।

संदिग्ध बैंकिंग - भारतीय संदर्भ में अलग-अलग रूप

3.33 जैसा कि इसके पहले की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में प्रमुखता से दर्शाया गया था, जहां भारत में संदिग्ध बैंकिंग का आकार बैंकिंग प्रणाली के साथ उसके जुड़ाव के अहम स्तरों के कारण बहुत व्यापक है, फिर भी इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का प्रकार एवं उनकी मात्रा वैसी नहीं है जैसी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देखा गया है। भारत की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं की पैठ कम है तथा वह वित्तीय उत्पादों की तुलना में काफी कम जटिल हैं। अपेक्षाकृत व्यापक विनियामकीय ओवरसाइट की दृष्टि से भारत जैसे विकासशील बाजारों के लिए संदिग्ध बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी चिंताएं वही नहीं होंगी जो उन्नत वित्तीय बाजारों के मामले में महसूस की गई हैं।

3.34 भारत के मामले में, इस संबंध में जो चिंताएं हैं वे मुख्य रूप से काफी बड़ी संख्या में लघु संस्थाओं से संबंधित हैं जिनकी गतिविधि भिन्न-भिन्न प्रकार की है और जो विनियामकीय परिधि से बाहर संगठित या असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हैं। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में ग़ैर-विनियमित वित्तीय संस्थाओं तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की अनधिकृत वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रणालीगत जोखिमों को विशेष रूप से इस संदर्भ में उठाया गया है कि शायद जनता को भ्रम हो एवं इसके बारे में गलत सूचना हो कि ऐसी संस्थाएं विनियमन के अधीन होती हैं जिससे उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दे पैदा हो सकते हैं। इस प्रकार के मुद्दे भले ही उनके होने की बारंबारता का समय एवं स्थान के हिसाब से कोई तालमेल न हो, लेकिन फिर भी वे 'विश्वास' चैनल के माध्यम से किसी प्रणालीगत स्थिरता मुद्दे का रंग ले सकती है। इन घटनाओं के अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक आयाम हो सकते हैं, विशेष

[17] राज्यों से तात्पर्य भारतके संघीय ढ़ांचे में प्रांतीय विधायिका तथा सरकारों से है।

[18] बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए तथा 10बी के उपबंधों में से कुछ शहरी सरकारी बैंकों पर लागु नहीं थे।

[19] शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (अध्यक्ष श्री आर.गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक) https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=33135 पर उपलब्ध है।

[20] वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी छाया बैंकिंग निगरानी रिपोर्ट नवंबर, 2014)द्वारा छाया बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी के लिए प्रयुक्त कार्य प्रणाली में उपयोग में लाए गए वर्गीकरण के अनुसार

रूप से तब जब वे निम्न वर्ग के लोगों को प्रभावित करती हों और वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता को खतरे में डालती हों, विनियामकों तथा सरकारी एजंसियों के लिए यह एक चुनौती है कि वे इस क्षेत्र पर नजर रखें और उनकी गतिविधियों एवं घटनाओं के स्तर एवं प्रकृति का अंदाजा लगाते रहें।

अवैधानिक धन जुटाने वाली निधियों के विरुद्ध कार्रवाई

3.35 पिछले कुछ वर्षों में अवैधानिक रूप से धन जुटाने वाली निधियों में तेजी से बढ़ोतरी तथा निवेशकों से किए गए वायदे के मुताबिक लाभ न दे पाना चिंता का विषय रहा है जिसके कारण प्रणालीगत दबाव पैदा हो सकता है। इस संदर्भ में सेबी ने पिछले वर्ष विभिन्न प्रकार की अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस)/मान्य सार्वजनिक निर्गम (डीपीआई) पर जोरदार कार्रवाई की है।

3.36 कुछ ग़ैर-सूचीबद्ध कंपनियां खुदरा निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करके आकर्षित कर रही हैं जिनमें ग़ैर-परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को निजी स्थापन की आड़ में शामिल किया गया है और वैधानिक उपबंधों तथा सेबी के संबंधित विनियमों का भी अनुपालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों के संबंध में दंडात्मक तथा प्रतिरोधात्मक कार्रवाई के हिस्से के रूप में सेबी ने गलत योजनाओं/संस्थाओं के विरुद्ध आदेश जारी किए हैं तथा निवेशकों को सीआईएस एवं डीपीआई में निवेश करने से बचने के लिए चेतावनी नोट जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त , निवेशकों को सूचित किया गया है कि वे इसका सत्यापन कर लें कि क्या इस प्रकार की संस्थाओं ने सूचीबद्ध होने के लिए किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में अपना प्रस्ताव दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत किया है। कंपनियों को भी चेतावनी दी गई है कि वे कानून के उपबंधों का पालन किए बिना सार्वजनिक प्रतिभूतियां न जारी करें।

3.37 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) के अंतर्गत अनधिकृत जमा योजनाओं एवं सीआईएस के संबंध में बाजार आसूचना के बेहतर प्रसारण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। तदनुसार, एसएलसीसी की तिमाही आधार पर बैठक आयोजित की जाती है और उसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक करता है। एफएसडीसी की उप समिति एसएलसीसी की गतिविधियों का जायजा छमाही आधार पर लेती है और इसमें जमाकर्ता का हित संरक्षण अधिनियम (पीआईडी) अधिनियमित करने में प्रगति, सूचना साझा करने एवं निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है।

वित्तीय समावेशन

बैंकों की वित्तीय समावेशन योजनाएं

3.38 इस अध्याय के पिछले खंडों में की गई चर्चा के अनुसार विभिन्न देशों की अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा वित्तीय क्षेत्र विकास के अलग-अलग चरणों के अनुसार उनका विनियामकीय फोकस अलग-अलग होगा। इस प्रकार, भारत जैसी ईएमडीई के लिए वित्तीय क्षेत्र की भूमिका एवं कार्यप्रणाली पर न केवल संवृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में बल्कि विभाजनात्मक ईक्विटी के अनुसार भी दृष्टि डालने की जरूरत है।

3.39 भारतीय विकास आयोजना कार्यक्रमों एवं नीतियों के निर्माण पर केंद्रित है जिनका उद्देश्य सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन है। वित्तीय लाभों की सुपुर्दगी के लिए व्यवस्थित चैनल आवश्यक है जो वित्तीय सशक्तीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और निगरानी प्रणाली को आसान तथा स्थानीय सरकारी निकायों को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' एवं 'रूपे कार्ड' - एक भुगतान माध्यम-इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये दो योजनाएं एक-दूसरे की पूरक योजनाएं हैं और इनसे वित्तीय समावेशन, बीमा विस्तार तथा डिजीटलीकरण के अनेक लक्ष्य प्राप्त करना संभव होगा।

3.40 बैंकों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय समावेशन योजनाएं उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, बैंकों की व्यावसायिक रणनीतियों का हिस्सा होती हैं। ये योजनाएं बैंकों के परिप्रेक्ष्य को वित्तीय समावेशन के अनुरूप बदलने में सहायक रही हैं।

[21] उदाहरणस्वरूप, सेबी ने निवेशकों को 51 कंपनियों द्वारा शुरू की गई योजनाओं में निवेश न करने के बारे सूचित करते हुए 14 दिसंबर 2014 को एक चेतावनी नोट जारी किया।

3.41 प्रधानमंत्री जनधन योजना के (PMJDY)अंतर्गत सरकार की पहल के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान (सारणी 3.1) आधारभूत बचत बैंक जमा खाते और छोटे उधार देने वाले बैंकिंग आउटलेटकी कुल संख्या में काफी वृद्धि हुई। जबकि प्रधान मंत्री जन धन योजना के प्रारम्भ से देश में बैंक खाता धारकों की संख्या में तेज वृद्धि वित्तीय समावेशन पर परिणामोन्मुख प्रयासों का प्रबल संकेतक है, यह गतिमात्रा बैंकिंग और ऋण सुविधाओं विशेषतः ग्रामीण सेवा में सार्थ बदलाव में प्रवर्तित होना जरूरी है।

सारणी 3.1: 2010 के बाद से और 2014-15 के दौरान : बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन प्रगति

ब्योरे	वर्षसमाप्त हुए मार्च 10	वर्षसमाप्त हुएमार्च 14	वर्षसमाप्त हुए मार्च 15	प्रगति अप्रैल 14 मार्च 15
गांवों में बैंकिंग आउटलेट-शाखाएं	33,378	46,126	49,965	3,839
गांवों में बैंकिंग आउटलेट-बीसी	34,174	333,845	499,587	165,742
गांवों में बैंकिंग आउटलेट अन्य साधन	142	3,833	4,552	719
गांवों में बैंकिंग आउटलेट-कुल	**67694**	**383,804**	**554,104**	**170,300**
शहरी स्थानों कवरबीसी के माध्यमसे	447	60,730	96,847	36,117
बीएसबीडीए के माध्यम से शाखाओं (संख्या)	60.2	126.0	210.2	84.2
बीएसबीडीए के माध्यम से शाखाओं(राशि)	44.3	273.3	363.7	90.4
बीएसबीडीए के माध्यम से बीसी(संख्या)	13.3	116.9	187.8	70.9
बीएसबीडीए के माध्यम से बीसी(राशि)	10.7	39.0	74.6	35.6
बीएसबीडीए-कुल (संख्या)	**73.5**	**243.0**	**398.0**	**155.0**
बीएसबीडीए कुल (राशि)	**55.0**	**312.2**	**438.3**	**126.0**
ओवरड्राफ्ट सुविधा में लाभ उठाया बीएसबीडीए (संख्या)	0.2	5.9	7.6	1.7
ओवरड्राफ्ट सुविधा में लाभ उठाया	0.1	16.0	19.9	3.9
बीएसबीडीए (राशि)आधारभूत बचत बैंक जमा खाते केसीसी -कुल (संख्या)	24.3	39.9	42.6	2.6
केसीसी -कुल (राशि)	1,240.0	3,684.5	4,430.3	745.8
जीसीसी-कुल (संख्या)	1.4	7.4	9.2	1.8
जीसीसी-कुल (राशि)	35.1	1,096.9	1,301.6	204.7
आईसीटी ए /सी-बीसी-कुल लेन -देन संख्या)	26.5	328.6	477.0	477.0
आईसीटी ए /सी-बीसी-कुल	6.9	524.4	859.8	859.8

ओडी-ओवरड्राफ्ट, जीसीसी- जनरल क्रेडिट कार्ड, केसीसी- किसान क्रेडिट कार्ड
नोट: सभी राशियों रुपए अरबमें है। लाखों में इकाइयों की संख्या ।
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

वित्तीय सुरक्षा जाल : निक्षेप बीमा

3.42 वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) के उद्भव ने,वित्तीय प्रणाली में जमाकर्ताका विश्वास बरक़रार रखनेके लिए जमा सुरक्षा द्वारा निभायी जानेवाली महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाया । संकट ने,वित्तीय स्थिरता के सुदृढ़ीकरण के लिए,जमा बीमा कवरेज को बढ़ानेकी ज़रूरतको रेखांकित किया । इंटरनेशनल एसोसिएशन जमा बीमा कंपनियाँ (IADI) और बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) ने' प्रभावी निक्षेप बीमा सिस्टमके लिए मूल सिद्धांत'जो जून 2009 में जारी किये, और नवंबर 2014 में संशोधित किये गए,दिसंबर 2010 में,एक अनुपालन मूल्यांकन पद्धति मूल सिद्धांतों के लिए जारी की थी । मूल सिद्धांतों और उनके अनुपालन मूल्यांकन कार्यप्रणाली का इस्तेमाल आधिकारिक क्षेत्रों द्वारा उनकी निक्षेप बीमा प्रणालियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु निर्देश सचिन्ह (बेंचमार्क) के रूप में और उनकी निक्षेप बीमा पद्धतियों और उपायों के बीच का अंतर पहचानकर उसका निराकरण करने में किया जाता है।

3.43 भारत में,निक्षेप बीमा की वर्तमान सीमा 0.1 करोड़ के चलते, 31 मार्च 2015 की समाप्ति की स्थिति में, पूरी तरह से संरक्षित खातों (1345 करोड़) की संख्या खातों की कुल संख्या (1,456 करोड़ डॉलर) का 92.3 प्रतिशत है,जो अंतरराष्ट्रीय benchmark[22] की तुलना के रूप में 80 फीसदी है । राशि के लिहाज से,मार्च 2015 के अंत में बीमाकृत जमा 26,067 अरब, निर्धारणीय जमा 84,751 अरबका 30.8 प्रतिशत है,जिसका अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 20 से 30 प्रतिशत है। बैंक,जो निदेशों के अधीन हैं, की बीमाकृत जमाराशियाँ मार्च 2015 के अंत में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की कुल बीमाकृत जमाराशियों का करीब 0.4 प्रतिशतहै और निक्षेप बीमा निधि का करीब 21

[22] IADI (2013), ' प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली के लिए मार्गदर्शनः निक्षेप बीमा कवरेज ' , मार्गदर्शन कागज, मार्च । http://www.iadi.org/docs/IADI_Coverage_Enhanced_Guidance_Paper.pdf पर उपलब्ध है

प्रतिशत माना जाता है। । जैसे निदेशों के अधीन बैंकों का समय के दौरान परिसमापन होगा,निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से समय समय पर बाहर जानेवाला निधि कम महत्वपूर्ण हो सकता है। चूंकि ये बैंक छोटे हैं, और अंतर-संबद्धता की दृष्टि से उनका कोई प्रणालीगत महत्व नहीं है, वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग प्रणाली पर उनका कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

'निदेशों ' के अधीन सहकारी बैंकों से प्रणालीगत जोखिम

3.44 रिजर्व बैंक द्वारा,सहकारी बैंकों को जारीनिदेशों में उनके प्रावधानों के अनुरूप अग्रिम की मंजूरी / नवीकरणपर प्रतिबंध ,बिना पूर्व स्वीकृति के बांडों में निवेश का नवीकरण,किसी भी दायित्व धन का उधार सहित और नए सिरे से जमा स्वीकार करने या किसी भी भुगतान करने या निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी दायित्व या दायित्व का निर्वहन शामिलहैं । लगभग 26 राज्य सहकारी बैंक (StCBs) / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (DCCBs)और 24 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन थे।यदि निदेशों के अधीन सभी बैंक परिसमाप्त किये जाते है तो निबीप्रगानी पर राज्य सहकारी बैंकों में (StCBs) / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में (DCCBs) 66.2बिलियन और' शहरी सहकारी बैंकों के मामले में 37.60बिलियन अर्थात' 103.80 बिलियन का कुल जिम्मा होगा ।

प्रतिभूति बाज़ार

एल्गोरिथम व्यापार और नियामक चरणों में रुझान

3.45 पिछले दो-तीन दशकोंमें वित्तीय बाजारों में,सूचना प्रक्रिया और सम्प्रेषण तकनीकियों मेंहुए, विकास के साथ,एल्गोरिथ्म (एल्गो) ट्रेडिंग [24] / उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग (HFT)[25] में महत्वपूर्ण परिवर्तनहुआ है।भारत में एल्गोव्यापार की शुरुआत अप्रैल 2008 में प्रत्यक्ष बाजार पहुँच(डीएमए) [26] के आरंभ के साथ हुई। आगे वर्ष 2010 में N S E द्वारा को-लोकेशन [28] सेवाओं शुरू होने से विलम्ब [27] में कम हुआ। पिछले वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों द्वारा नव-प्रवर्तनों के लाभों और इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव बाजारों में HFT से संभाव्य जोखिमें विशेष रूप से ध्यान में आयीं।

3.46 एल्गो ट्रेडिंग मार्च 2012 और मई 2013 में जारी किए गए सेबी के विनियमों के अधीन है। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ एल्गोरिथमिक ऑर्डरों पर किए जाने वाले न्यूनतम ऑर्डर -लेवल जाँचों की सूची उच्च क्रम-टू-ट्रेड अनुपात के मामलों के दंड के लिए समेकित लेखा-परीक्षा और ढांचे का भी समावेश किया गया है। इन विनियमों में नये एल्गोरिथम की स्तर की जाँच की का ढांचा विशिष्ट रूप से निर्देशित किया गया है तथा एल्गोरिथमिक व्यापार प्रणाली को हर छह महीने में लेखा-परीक्षा के अधीन रखने के लिए सूचित किया गया है। तथापि एल्गोरिथमिक कोडिंग की बढ़ी हुई जटिलता और तेज सम्प्रेषण प्लैटफ़ार्म के कारण

[23] रिजर्व बैंक ,जमाकर्ताओं के हितों और जनता के हितों का रक्षण करने, साथ ही निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान पायी गयी विसंगतियों पर सहकारी बैंकों को कतिपय निदेश जारी करता है।

[24] एल्गो ट्रेडिंग,कंप्यूटर प्रोग्राम के साथव्यापार ऑर्डरों की प्रविष्टि करने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लैटफ़ार्म के संदर्भ में है , जो ऑर्डर का समय, मूल्य, या गुणवत्ता संबंधी निर्णय निर्धारित करता है या मानवीय हस्तक्षेप के बिना ऑर्डरप्रारम्भ करने के संदर्भ में है।

[25] HFT एल्गो ट्रेडिंग की एक विशेष श्रेणी है, जिसमें कंप्यूटर एक बहुत ही तेज गति से (माइक्रो सेंकेंड में) इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिली जानकारी के आधार पर ऑर्डर को आरंभ करने के लिए व्यापक निर्णय लेते हैं,जो मानव व्यापारियों द्वारा निरीक्षण, जानकारी को समझने और निर्णय तय करने के पहलेही होता है।

[26] प्रत्यक्ष बाजार एक्सेस (डीएमए) एक ऐसी सुविधा है,जो 'ग्राहकों को' सीधे ब्रोकर के हस्तक्षेप के बिना उसके ट्रेडिंग इनफ्रास्ट्रक्चर (विनिमय व्यापार प्रणाली से जुड़ी हुई) के साथ सीधी पहुँच की अनुमति देती है।

[27] कंप्यूटर नेटवर्क और संचार प्रणालियों के संदर्भ में सामान्यतः विलंब की परिभाषा आंकड़े एक जगह से दूसरी जगह पहूँचने में जो समय लगता है, उससे संबन्धित है।व्यापार के संबंध में कम समय वित्तीय मध्यस्थों द्वारा अत्यंत तेज गति से वित्तीय लेनदेन कार्यान्वित करने के लिए शेयर बाज़ारों और एलेक्ट्रोनिक सम्प्रेषण नेटवर्क जोड़ने के लिए लगनेवाले समय से संबन्धित है।

[28] बाजार सहभागी एनएसई के परिसर में स्थित सर्वर किराए पर दे सकते हैं।

लगने वाले कम विलंब पर संकेंद्रित निगरानी रखना जरूरी है।, क्यों कि त्रुटिपूर्ण व्यापार और बाजार मैनिपूलेशन की बढ़ती संभाव्यता के रूप में वे जोखिमपूर्ण हो सकती है।

3.47 एल्गो ट्रेडिंग और HFT की मात्रा वर्ष 2011 में भारतीय इक्विटी बाज़ार में क्रमिक रूप से व्यापारों के क्रमशः 17 प्रतिशत (एनएसई) और (बीएसई) 11 प्रतिशतसे मार्च 2015 (चार्ट 3.8) मेंदोनों बाज़ारों में कुल व्यापारों के करीब 40 प्रतिशत हो गयी। साथ ही कुल ऑर्डरों में एल्गो ऑर्डरों का हिस्सा और कुल रद्द ऑर्डरों में रद्द एल्गो ऑर्डरों का हिस्सा करीब 90 प्रतिशत होने का तथ्य प्रणालीगत जोखिमों से संबद्ध चिंताएँ निर्माण करता है।

चार्ट 3.8 : इक्विटी की कुल ट्रेडों में एल्गो ट्रेडों के शेयर में रुझान नकद खंड

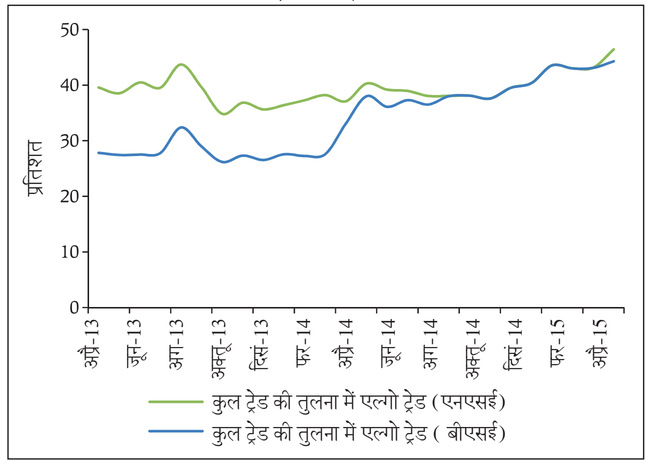

स्रोत: सेबी

भारतीय शेयर बाजारों में असामान्य गतिविधियाँ

3.48 भारतीय स्टाकों में असामान्य गतिविधियों के कतिपय प्रसंग पाये गये हैं, जिनका कारण बाजार विशेषज्ञों के अनुसार एल्गो व्यापार/HFTहै। यद्यपि इनमें से कुछ प्रसंग एल्गो व्यापार/HFT को छोडकर अन्य घटकों के कारण भी है।

3.49 तथापि एल्गो व्यापार/HFT की बढ़ती मात्रा और उनसे संबद्ध जोखिमों ने विश्वभर के नियामकों को मौजूदा विनियम और उन्हें मजबूत बनाने के बीच के अंतर को अधिक नजदीकी से देखने के लिए मजबूर किया। वरिष्ठ पर्यवेक्षक समूह (एसएचजी)29 - 10 पर्यवेक्षकों के समूह ने 30 अप्रैल 2015 को एक रिपोर्ट जारी की, जो एल्गोरिथम व्यापार से जुड़ी जोखिमों का मूल्यांकन करती है और जोखिम आधारित नियंत्रण सिद्धांतों की पहचान करती है और विद्यमान नियंत्रण वातावरण का मूल्यांकन करते समय पर्यवेक्षकों और पर्यवेक्षण फर्मों द्वारा कौनसे प्रश्नों पर विचार करना है, इसके बारे में बताती है। सेबी एसएचजी की सिफरिशों पर आधारित यथोचित नीतियों के निर्माण के लिए गतिवविधियों पर नजदीकी से नजदीकी से नजर रखे हुए है।

सूचकांक के आधार पर बाजार में व्यापक सर्किट ब्रेकर तंत्र

3.50 सर्किट ब्रेकरप्रणाली का इरादा उपशमन अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) का प्रावधान कर शेयर बाजार की अनुचित अस्थिरता संयमित रखना है। सेबी ने जून 2001 में प्रतिभूति बाजार में सूचकांक आधारित मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकरप्रणालीका प्रारम्भ किया था, जिसमें सर्किट ब्रेकरप्र णाली सूचकांक गतिविधि पर 10.15 और 25 प्रतिशत दोनों में से कोई एक पर विभिन्न चरणों पर लागू होती है। देशभर के सभी इक्विटी और इक्विटी डेरीवेटिव बाज़ारों में समन्वित व्यापार विराम लाने के उद्देश्य से इसकी रूपरेखा बनाई गयी है। साथ ही, इन प्रतिशतों को तिमाही आधार पर सूचकांक विभिन्नताओं के Absolute पॉइंट में रखा गया है, जिसमें इन प्रतिशतों की गणना तत्काल पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम व्यापार दिन पर सूचकांक के बंद भाव के संदर्भ में की गयी। इस ढांचे में सितंबर 2013 में आंशिक संशोधन किया गया ताकि सूचकांक आधारित मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकरप्रणाली (31) को और मजबूत बनाएँगी। तदनुसार राष्ट्रीय स्तर के शेयर बाज़ारों को (एनएसई और बीएसई) अब अपने बाजार वाइड सूचकांक सीमाओं के लिए दैनिक सुधार/रिवीजन किया जा सके और अस्थिरता कम करने के लिए खुलने से पहले काल नीलामी के बाद व्यापार का आरंभ हो।

[29] कनाडा, फ्रांस,जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड,इटली, स्विटजरलैंड,ब्रिटेन, जापानऔर संयुक्त राज्य अमेरिका कीपर्यवेक्षीएजेंसियां शामिल हैं।

[30] फ्रेंच Autoritedes Marches Financiers (AMF) कतिपय फ्रेंच प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए दिसंबर 2014 में एल्गोरिथम रणनीतियों के उपयोग पर मार्गदर्शन प्रकाशित किया।

3.51 प्रतिभूति बाजार ट्रिगर सीमा के उल्लंघन से पहले रूक सके, इसलिए सेबी ने जनवरी 2015 में कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएँ निर्धारित की, जो सूचकांक आधारित बाजार वाइड सर्किट ब्रेकर प्रणाली (31) को और मजबूत बनाएँगी। तदनुसार, राष्ट्रीय स्तर के शेअर बाज़ारों को (एनएसई और बीएसई) को अब अपने बाजार वाइड सूचकांक स्टाकों के बाद (क्रमशः निफ्टी और सेंसेक्स) की गणना करना जरूरी होगा और बाजार वाइड सर्किट ब्रेकर सीमा का भंग नही हो रहा है यह देखने के लिए उसकी जांच करनी होगी। बाजार वाइड सर्किट ब्रेकर सीमा के भंग के मामले में शेआर बाज़ारों को चाहिए कि वे व्यापार में विराम लाने हेतु ऑर्डर मैच करना बंद करें और प्रणाली में मौजूद मैच न किए गये ऑर्डर शेअर बाज़ारों द्वारा बाहर निकालेजाएंगे।

3.52 इन बाजारों को ऐसी यथोचित प्रणालियाँ कार्यान्वित करना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार वाइड सर्किट ब्रेकर से संबद्ध सभी संदेशों को अन्य संदेशों की तुलना में वरीयता मिले। साथ ही, बाजार वाइड सूचकांक के गणन के लिए प्रणालियाँ (नेटवर्क समेत) सर्किट ब्रेकर सीमाओं के भंग की जांच और कार्यान्वित किए जाने योग्य ऑर्डरों के मिलान (matching) बंद करने का संदेश देना और अस्वीकार जैसी प्रणालियाँ अन्य किसी प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लायी जा सकती।

काउंटर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विनियम

3.53 हालांकि भारत के प्रतिभूति बाजार,इनसाइडर व्यापार के संबंध में वर्ष 1992 से विनियमों के अधीन है,भारतीय और अंतरराष्ट्रीयबाज़ारों में हाल ही में विनियमों के उल्लंघन की घटनाएँ मौजूदा कानूनी और प्रवर्तन ढांचे की व्यापक समीक्षा और उसे मजबूत बनाने की मांग करती है। सेबी ने विद्यमान इनसायडर ट्रेडिंग नियामक प्रणाली की समीक्षा हेतु एक समिति (32) का गठन किया और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर जनवरी 2015 में सेबी (इनसायडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम 2015 (नये विनियम के नाम से उल्लखित) अधिसूचित किए, जो 15 मई 2015 से प्रभावी हो गये, जिसने सेबी इनसायडर ट्रेडिंग विनियम प्रतिबंध) 1992 (1992 विनियमों के नाम से उल्लखित) का स्थान लिया। इनसाइडर ट्रेडिंग पर बनाए गये नये विनियमों का लक्ष्य भारतीय प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के साथ मिलाना और परिभाषाओं एयर संकल्पनाओं के संबंध में पारदर्शिता लाना और विधिसंगत कारोबार लेनदेन सुकर बनाना है।

3.54 नए नियमों के तहत,इनसाइडरकी परिभाषाव्यापककी गयी है, जिसमें संविदात्मक या विश्वास के आधार पर या रोजगार रिश्ते के कारण जिन व्यक्तियों को 'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI) की पहुंच है, उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया गया । UPSI की परिभाषा विभिन्न उपायों से मजबूत की गयी है, मूल्य के वास्तविक प्रभाव के आधार पर मूल्य संवेदनशील जानकारी के परीक्षण की पहचान करने के सिवा अप्रकाशित की कोई अन्य परिभाषा नहीं है। UPSI का लिस्टिंग समझौते के साथ संरेखण किया गया है,जिसमें लिस्टिंग घटनाओं के अंतर्गत सभी घटनाओं को कवर किया गया है। नए नियम,जानकारी का खुलासा करने के लिए एक मंच प्रदानकरते हैं और शेयर बाजारों की वेबसाइट पर आमतौर पर प्रकाशित सूचना और जानकारीको ''आम तौर पर उपलब्ध ' के रूप में माना जाता है।

3.55 कंपनी की प्रतिभूतियों की उनके द्वारा की गई खरीद-बिक्री और धारिता को प्रकट करने के लिए कंपनियों को 'थर्ड पार्टी कनेक्टेड पर्सन्स' का हक दिया गया है जो इन विनियमों की अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टताओं का भाग है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में नए विनियमों के तहत निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित डेरिवेटिव में खरीद-बिक्री नहीं कर सकते। इसके

[31] सेबी परिपत्र (2015a), 'सूचकांक आधारित बाजार वाइड सर्किट ब्रेकर' प्रणाली, जनवरी 12 का परिपत्र :http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1421059410188.pdf

[32] माननीय न्यायमूर्ति एन के सोढ़ी की अध्यक्षता में समिति

[33] यह एक सूचीबद्ध कंपनी के लिए आंतरिक रूप से समीक्षा करने के लिए सक्षम है और कंपनी के साथ जुड़े व्यक्तियों के द्वारा कोई व्यापार किया जा रहा है या नहीं इस पर भी नियंत्रण रखने के लिए है। यह प्रावधान इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी कंपनी को विवेक प्रदान करता है।

अलावा 'इनसाइडर्स' के लिए ट्रेडिंग प्लान का प्रावधान भी किया गया है जिसके लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। प्रकटन संबंधी बारंबारता की आवश्यकता को हटा दिया गया है और उसे 'टेकओवर कोड' के समान कर दिया है ताकि कंपनियों पर अनुपालन संबंधी बोझ कम हो। उचित प्रकटीकरण संहिता और आचरण संहिता का सिद्धांत भी निर्धारित किया गया है।

3.56 सेबी के साथ पंजीकृत हर सूचीबद्ध कंपनी और हर बाजार मध्यस्थआचार संहिताके अधिदेशाधीन होते हैं, जिनके तहत नियमों और उनके प्रवर्तन के प्रशासन की निगरानी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा रिपोर्ट ट्रेडिंग की निगरानी जरूरी होती है। इनसाईडर ट्रेडिंग का प्रतिबंध करने के लिए जानने की जरूरत है ' के आधार पर निर्णयों के लिए कारणों की रिकोर्डिंग और ट्रेडों की पूर्व निकासी की प्रणाली, और UPSI का हैंडलिंग जैसे कुछ प्रावधान बनाए गये हैं।

संपार्श्विक के रूप में शेयरों का पुनः-दृष्टिबंधक

3.57 प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार (आईओएससीओ) जोखिम आउटलुक 2014-15जमानत के लेनदेनऔर परिवर्तन में शामिल, जोखिम स्थानान्तरण इन गतिविधियों की चक्रीय प्रकृति को विशेष रूप से ध्यान में लेते हुए प्रणालीगत जोखिमके लिए एक संभावित क्षेत्र हो सकता है। वित्तीय लेन-देन में संपार्श्विकता के उपयोग में वृद्धि के परिणमस्वरूप अंतर-संबद्धता वित्तीय प्रणालीपर निहितार्थ होता है। इससे वित्तीय प्रणालीमें जटिलता आती है, जिससे प्रो - साइक्लिकैलिटी (pro-cyclicality) का खतरा बढ़ जाता है।

3.58 अधिक संपार्श्विक आवश्यकता ने बाजार सहभागियों को अभिनव तरीके विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इन प्रथाओं में संपार्श्विक परिवर्तन और अनुकूलन सेवाओं और रेपो के रूप में पुनः बंधक शामिल है। पुनः बंधक और संपार्श्विक का का फिर से उपयोग आम तौर पर एक ऋण और लेनदार सुरक्षित करने के लिए होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, अगर एक संपार्श्विक लेने वाला हस्तांतरण के माध्यम से संपार्श्विक लेता है और फिर किसी और को संपार्श्विकके रूप में ही प्रदान करता है या तो हस्तांतरण या प्रतिज्ञा के माध्यम से किया जाएगा तो पुनःबंधक माना जाए। ऐसा माना गया है कि अधिकांश पुनःबंधक फिर से हाइपोथिकेशन स्वत्वाधिकार के माध्यम से रेपो लेनदेन के दोनों चरणों (लेग) मे किए गये हैं।

3.59 भारत में, संपार्श्विक के एक ग्राहक द्वारा एक समाशोधन सदस्य को या तो निक्षेपागार प्रणाली में या शीर्षक के माध्यम सेहस्तांतरण के माध्यम से दिया जा सकता है। एक बंधक को डिपॉजिटरी सिस्टम में चिन्हित किया जाता है, वहाँ ऐसी प्रतिभूतियों को पुनःबंधक अस्वीकृत करने के लिए प्रणाली जांच होती है। समाशोधन निगम के साथ जमानत के रूप में प्रतिभूतियां हस्तांतरित कर सकते हैं। हालांकि, एक ग्राहक द्वारा शीर्षक हस्तांतरण के मामले मेंएक समाशोधन सदस्य, नियमों के तहत समाशोधनसदस्य केवल के लिए जमानत के रूप में उपयोग करने के लिए आवश्यक हैजमानत के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्यग्राहक की जो इसे स्थानांतरित किया गया है और वह नहीं कर सकताअपने स्वयं के या किसी अन्य ग्राहक के लिए जमानत के रूप में इसका इस्तेमालनहीं कर सकते। इसलिए,आईओएससीओ जोखिम आउटलुक में जिन पर प्रकाश डाला गया है,फिर से बंधक के जोखिम / पुनःवचन, के रूप में,भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं हैं।

3.60 हालांकि, अब भी यह संभावना हो सकती हैसमाशोधन सदस्यद्वारा संपार्श्विक उसके उद्देश्योंके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,चूंकि प्रतिभूतियाँ एक सार्वत्रिक - सर्वग्राही खाते में स्थानांतरित होती रहेंगी,इसे संपार्श्विकके अवैध रूप में इस्तेमाल समझा जाएगा। इन पहलुओं पर नजर रखने और अंतराल के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत है। तदनुसार, वर्तमान विनियामकढांचे की अपेक्षा के अनुसार समाशोधन सदस्य / दलाल के लिए यह आवश्यक हैकि वे सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निरीक्षण के अधीनग्राहकों से संपार्श्विक अंतरण के रिकॉर्ड बनाए रखें।

बाजार की मध्यवर्ती संस्थाओं के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण के उपाय

3.61 बाजार की मध्यवर्ती संस्थाओं के पर्यवेक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रथा नियामक दृष्टिकोण बनाने के उद्देश्य से, सेबी में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण कार्यदल बनाया गया था। मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए कार्यदल द्वारा अनुशंसित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण उस जोखिम समूह पर निर्भर करता है, जिसमें वह मध्यवर्ती संस्था आती है। यह जोखिम समूह उस मध्यवर्ती संस्था के समग्र आकलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

3.62 अनुशंसित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण में मध्यवर्ती संस्थाओं के सर्वांगीण पर्यवेक्षण हेतु सेबी और पहली कतार के विनियामकों यथा एक्सचेंजों एवं निक्षेपागारों द्वारा मध्यवर्ती संस्थाओं की ऑनसाइट (व्यापक और विषयगत निरीक्षण) तथा ऑफसाइट निगरानी का प्रावधान है। उच्च जोखिम समूह में आने वाली इकाइयों की सख्त निगरानी (ऑफसाइट) और व्यापक निरीक्षण किए जाते हैं। बतौर पर्यवेक्षी औजार, विषयगत निरीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किए जाने हैं, यथा; हाल में जारी विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की जाँच हेतु, सेबी के विभागों, विनियामक निकायों से प्राप्त संदर्भों पर, या जहाँ किसी विशेष परिचालन क्षेत्र में अनुपालन के आकलन की एकाग्र समीक्षा की आवश्यकता है।

3.63 सेबी ने कार्यदल की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू कर दिया हे। पर्यवेक्षण निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और अर्जित अनुभवों के आधार पर, संबंधित पर्यवेक्षी प्रभाग मध्यवर्ती संस्थाओं के जोखिम मापने के जोखिम मानदंड़ों और इसके साथ-साथ पर्यवेक्षी कार्रवाइयों को क्रमशः सख्त कर सकते हैं।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेन्स

3.64 नए कंपनी अधिनियम ने स्वतंत्र निदेशकों, संबंधित पक्षीय लेनदेन (आरपीटी), हतिधारक संबंध समिति, पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति जैसी कतिपय समितियों के अनिवार्य गठन हेत और अधिक विस्तृत फ्रेमवर्क प्रदानकर भारतीय कंपनियों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेन्स सुनिश्चित करने में बड़ी प्रगति की है। नए अधिनियम में लेखपरीक्षा समिति की भूमिका को विस्तृत किया गया हैं और ई-वोटिंग एवं वास्तविक चिंताओं के सूचनार्त निदेशकों और कर्मचारियों हेतु चौकस प्रणाली, सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन जैसे प्रावधान किए गए हैं। सेबी ने इक्विटी लिस्टिंग संबंधी खंड 49 के प्रावदानों को कंपनी धिनियम 2013 के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधानों के साथ मिला दिया है। साथ ही, कॉर्पोरेट गवर्नेन्स फ्मवर्क को और अधिक प्रभावी बनाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के समान बनाने के लिए, सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कतिपय अथिरिक्त आवश्यकताएँ (1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी) निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, लिस्टिंग एग्रीमेंट में कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों में हुई इन प्रगतियों को देखते हए, अल्पसंख्यक हितधारकों के संरक्षण के मामले में, ***दी वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2015*** में भारत को 2014 में 7वाँ स्थान मिला है, जो वर्ष 2013 के 34वें स्थान के मुकाबले स्पष्ट सुधार दर्शाता है।

3.65 सेबी ने कतिपय लिस्टिंग शर्तों के अनुपालन नहीं किए जाने पर की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में प्रक्रियाओं और पद्धतियों को सुचारू एवं कारगर बना दिया है। अबतक इन शर्तों के उल्लंघन को ट्रेडिंग पर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा रोक लगाने का आधार माना जाता रहा है।[34] इस मामले में दृष्टिकोण में निरंतरता और एकरूपता बनाए रखने के लिए, सेबी ने ***लिस्टिंग एग्रीमेंट*** के कतिपय खंड़ों का अनुपालन नहीं करने पर ***दंड*** का एकरूप ढाँचा और ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों को शेयर ट्रेडिंग से निलंबित करने एवं निलंबन रद्द करने की ***मानक परिचालनगत प्रक्रियाएँ*** निर्धारित की है। यह भी अनिवार्य किया गया है कि हरेक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा संबंधित लिस्टिंग शर्तो के अनुपालन की निगरानी और समीक्षा के लिए एक प्रणाली बनाएगा।

[34] सेबी (2013),'सूचीबद्धता संबंधी कतिपय शर्तों के अनुपालन तथा (ऐसे अनुपालन के लिए) सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरों की खरीद-बिक्री को निलंबित करने व प्रतिसंहरण करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया अपनाने के संबंध में मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों के उपनियमों में संशोधन परिपत्र 30 सितंबर http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1380540369464.pdf पर उपलब्ध है।

3.66 लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुपालन में प्रकटनों की पर्याप्तता एवं सटीकता सुनिश्चित करने हेतु स्टॉक एक्सचेंजों की निगरानी प्रणालियों की कारगरता को बेहतर करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों को कहा गया कि वे प्रकटनों की कारगर तरीके से निगरानी करने के लिए समुचित फ्रेमवर्क बनाएँ। स्टॉक एकसचेंजों को यह भी कहा गया है कि अपर्याप्त और गलत प्रकटनों से संबंदित शिकायतों के निपटारे के लिए समुचित प्रणालियाँ बनाएँ। स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी के समक्ष अपवाद रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इसके द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का जवाब नहीं देने वाली कंपनियों के विस्तृत ब्योरे दिए गए हों और/अथवा जहाँ कंपनियों द्वारा दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं हैं। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों को उनकी वेबसाइटों पर चूक करने वाली कंपनियों के प्रोमोटरों/निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के नामों का खुलासा करने को भी कहा गया है।

बीमा क्षेत्र

कृषि बीमा की व्याप्ति बढ़ाने की आवश्यकता

3.67 देश में आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कृषि प्रमुख व्यवसायों में से एक है। कृषि ऋण पर बैंकों के प्राथमिक क्षेत्र ऋण वितरण के रूप में ध्यान तो दिया जाता है, तथापि जरूरतमंद, खासकर लघु एवं सीमांत किसानों को सही समय पर ऋण उपलब्ध कराने की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अन्य बीमा क्षेत्रों की तुलना में फसल बीमा कारोबार अंतरनिहित रूप से अपेक्षाकृत ज्यादा जोखिम और ज्यादा लागत वाली होती है क्योंकि फसल बर्बाद होने की घटनाएँ छिटपुट या स्वतंत्र रूप से फैली नहीं होती हैं। कारण यह कि मौसम से जुड़ी घटनाएँ एक ही समय में एक पूरे इलाके और पूरी आबादी को प्रभावित करती है।

3.68 हालाँकि विभिन्न योजनाएँ समय समय पर शुरू की गई हैं, लेकिन कृषि बीमा की व्याप्ति अब भी बहुत कम है क्योंकि मात्र 4 प्रतिशत किसानों ने फसल बीमा लेने की बात कही और मात्र 19 प्रतिशत किसानों ने कभी किसी फसल बीमा का उपयोग करने की बात कही।[35] कृषि उत्पादन के मूल्य के रूप में भी व्याप्ति भी अभी कम है। सीमिति व्याप्ति और अपेक्षाकृत अधिक प्रीमियम के कारण, यदि सावधानीपूर्वक नहीं बनाई जाएँ, तो इन बीमा योजनाओं के अलाभकारी हो जाने की संभावना है। साथ ही, चूँकि हरेक किसान को हुई फसल-हानि की सीमा के आकलन के लिए, पिछले तीन या पाँच सालों में इलाके की औसत पैदावार के आधार पर परिकलित की गई प्रारंभिक पैदावार का इस्तेमाल किया जाता है, किसान इस तरह के बीमा उत्पाद खरीदने के प्रति और ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं। साथ ही, भले ही किसान द्वारा लिए गए बैंक ऋण से फसल बीमा की अनिवार्य सहबद्धता बैंकों को हानि से बचाती है, जो परोक्ष रूप से किसान की भी मदद करती है, यह किसानों के लिए बीमा उत्पाद को एक अनिवार्य अतिरिक्त खर्च बना देती है।[36]

3.69 फसल बीमा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से हाल के वर्षों में विभिन्न उपाय किए गए हैं (बॉक्स 3.3)। फसल बीमा की पहुँच बढ़ाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि फसल बीमा बिक्री के लिए चार जेनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन (जीआईपीएसए) कंपनियों के एजेंसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए। इस संबंध में, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) और चार जीआईपीएसए कंपनियों के बीच सह-बीमा व्यवस्था के लिए स्वीकृति दे दी है। इसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के अंतर्गत सिर्फ गैर-ऋणी किसानों को शामिल किया जाएगा।

जिंस डेरिवेटिव बाजार

3.70 जिंस बाजारों के विनियमन की क्षमता बढ़ाने और हाजिर एवं जिंस डेरिवेटिव बाजारों में अभिरूपता लाने के लिए भी, जिंस हाजिर बाजारों, डेरिवेटिव बाजारों और माल-गोदामी क्षेत्र समेत जिंस बाजारों की आर्थिकी (इको-सिस्टम) का एकीकृत विकास महत्वपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में भारत में कृषि जिंसों में डेरिवेटिवों की ट्रेडिंग ने गहरी जड़ें जमा ली

[35] राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संघठन (एनएसएसओ) (2014)

[36] यह सर्वमान्य है कि बीमा तभी सफल होता है जब वह स्वैच्छिक तथा मांग आधारित हो।

बॉक्स 3.3: फसल एवं अन्य बीमा सेवाएँ सुदृढ़ करने के उपाय

किसानों और समाज के कमजोर तबकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, भारत में बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण **(इरडा)** द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। इरडा ने व्यष्टिगत बीमा विनियमन बनाए हैं, जिसमें बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए एक प्लैटफॉर्म, व्याप्ति और प्रीमियम के कतिपय स्तरों तथा लाभ मानदंडों का प्रावधान है, जिसका खर्च ग्रामीण एवं शहरी गरीब उठा सकते हैं। इन विनियमनों में गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ), रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसी, प्राथमिक कृषि समितियों, शहरी सहकारी बैंकों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को व्यष्टि-बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बीमा कांपनियों के अभिकारकों के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है।

व्यष्टि-बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए ये व्यष्टि-बीमा अभिकारक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसीएल) के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। ये नए संवितरण चैनल आबादी के वंचित तबकों, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वंचित तबकों तक पहुँचने में मदद करेंगे। बीमा कंपनियों को कम प्रीमियम और कम कवरेज वाले उत्पाद बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे कम आय वाली आबादी की बीमा जरूरते पूरी हो सकेंगीं, जो या तो पारंपरिक योजनाओं का खर्च नहीं उठा सकते या फिर इन तक उनकी पहुँच नही है। वर्तमान में एआईसीएल एवं अन्य साधारण बीमा कंपनियों द्वारा 50 फसल बीमा उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

हाल में, इरडा ने बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 32 बी के अंतर्गत किए गए संशोधनों के अनुसरण में, एक मसौदा विनियमन, इरडा (ग्रामीण एवं समाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) विनियमन, 2015 तैयार किया है। इन विनियमनों के अंतर्गत बीमाकर्ताओं पर आबादी के ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का अनिवार्य दायित्व सौंपा गया है। इस विनियमन में अनिवार्य प्रावधान है कि जीवन एवं गैर-जीवन बीमा कंपनियों के मामले में बीमाकर्ताओं को क्रमशः पॉलिसियों का एक निर्धारित प्रतिशत और सकल प्रीमियम का एक निर्धारित प्रतिशत ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को अनिवार्यतः बेचना और हामीदारी (अंडरराइट) करना है। इस अधिनियम में इन विनियमनों का अनुपालन नहीं करने पर कठोर दंडों का भी प्रावधान किया गया है। फसल बीमा दावों के शीघ्रतर निपटान हेतु, विनियामक द्वारा उपग्रह सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी को जोखिम निर्धारण एवं पैदावार के अनुमान और फसल बीमा हानियों के निपाटान के लिए एक प्रभावी तथा विश्वसनीय मैपिंग साधन के रूप में उपयोग करने की संभावना पर भी तेजी से विचार किया जा रहा है। फसल एवं अन्य बीमा उत्पादों के बारे में जागरूकता के मौजूदा निम्नतर स्तर को सुधारने की दृष्टि से, **इरडा** बीमा शिक्षण को प्रोत्साहित करने में अतिसक्रिय भूमिका निभा रहा है, ताकि लक्षित आबादी में वित्तीय साक्षरता बढ़ सके।

है। हालंकि पिछले दो वर्षों में इसकी मात्रा में गिरावट आई है (चार्ट 3.9)।

3.71 इसके अलावा, वायदा बाजार ने जिंस ट्रेडिंग में तरलता बढ़ा दी है, जिसके कारण न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कीमत निर्धारण में मदद मिली है बल्कि जिंसों का एक भौतिक बाजार भी सृजित हुआ है। मालगोदामों जैसे समर्थकारी बुनियादी ढाँचे एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रतिभागियों के कारण जिंसों के वैज्ञानिक भंडारण एवं दीर्घावधि में कीमतों के उतार-चढ़ाव में कमी लाने में मदद मिली है।

3.72 एग्रीकल्चरल प्रोसेसरों, ट्रेडरों, मिलरों और एग्रीगेटरों एवं अन्य समेत बड़े कृषि उधारकर्ताओं को जिंस मूल्य जोखिमों

चार्ट 3.9: कृषि जिंस डेरिवेटिव में प्रवृत्ति

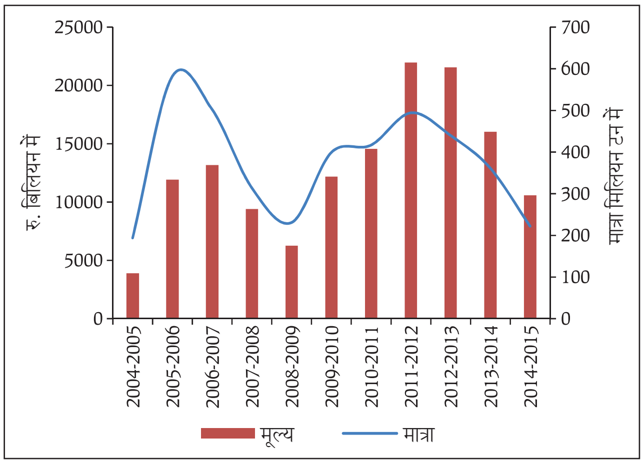

स्रोत: वायदा बाजार आयोग

[37] आरबीआई (2015 एफ) 'कमोडिटी की कीमतोंमें जोखिम से बचाव की व्यवस्था (हेजिंग) - उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करना' अधिसूचना, 28 मई https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9748&Mode=0 पर उपलब्ध है।

की हेजिंग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को निर्देश संबंधी रिज़र्व बैंक के हालिया दिशा-निर्देशों से यह उम्मीद की जा रही है कि अंतर्निहित जिंसों में उतार-चढ़ाव के कारण जोखिम के दायरे में आने वाले हितधारक जिंस डेरिवेटिव के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। बैंक विभिन्न हेजिंग साधनों की उपयुक्तता और सटीकता के बारे में अपने ग्राहकों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे डेरिवेटिबों की गलत बिक्की की संभावना भी कम होगी। जहाँ जिंस मूल्य जोखिमों की हेजिंग बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों के लिए लाभादायक होगी, वहीं अपने ग्राहकों को हेजिंग के साधन सुझाते समय, बैंकों को अपने कृषि-उधारकर्ताओं की विशेषज्ञता, समझ और परिचाल-पैमाने के स्तर और जरूरतों को समझना होगा।

जिंसों में हाजिर और वायदा बाजारों में अधिक मजबूत लिंकेज की आवश्यकता

3.73 जिंसों, खासकर कृषि जिंसों के लिए एकीकृत और सहबद्ध राष्ट्रीय बाजार विकसित करने के लिए प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, भारत में कृषि जिंसों के वायदा बाजार टुकड़े-टुकड़े में हैं और, विभिन्न राज्यों के (प्रांतीय) करों यथा, चुंगी, मंडी[38] कर, लेवी, शुल्क, एक राज्य में या एक से दूसरे राज्य में जिंसों को ले जाने में प्रतिबंधों/कठिनाइयों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में मध्यस्थता की ऊँची लागत, कीमत निर्धारण में विकृति पैदा करती है। इसके अलावा, मुख्य कृषि बाजारों में भंडारण ढाँचे की कमी, जाँचने-परखने एवं श्रेणीकरण करने की सुविधाओं का अभाव और फसल होने के बाद की प्रक्रियाओं के लिए अपर्याप्त संस्थागत ऋण के कारण उत्पादकों को भंडारण और बिक्री व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ये सभी कारक जिंसों के लिए एक राष्ट्रीय हाजिर बाजार के विकास में बाधा खड़ी करते हैं।

3.74 जिंसों के हाजिर बाजारों का विनियमन राज्य सरकारों द्वारा संबधित राज्य अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है। वायदा बाजारों के संबंध में, 1952 में वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम लागू किया गया था और 1953 में जिंस डेरिवेटिव बाजारों के विनयामक निकाय, **वायदा बाजार आयोग (एफएमसी)** की स्थापना की गई थी। **एफएमसी** का **सेबी** में विलय और जिंस डेरिवेटिवों को प्रतिभूतियों की परिभाषा में शामिल करने के प्रस्ताव के साथ, विनियामक प्रणाली के सुदृढ़ और सुकर होने की संभावना है।

हाजिर बाजारों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भरता

3.75 ग्राहकों के लिए जिंसों की कीमतें कम करने और विक्रेताओं के लिए उच्चतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए, हाजिर कारोबार आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय बाजार सृजित करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग/मंडी आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित कर मध्यस्थता की लागत कम करनी होगी जो अभी बहुत ज्यादा है। इससे पारदर्शी कीमत निर्धारण प्रणाली सुनिश्चित होगी। मौजूदा अस्पष्ट प्रणाली कीमतों भारी आसमानता पैदा करती है और विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों को उचित कीमत से वंचित रखने में मध्यस्थों की मदद करती है। ***एक राज्य-एक बाजार*** की अवधारणा तथा कर्णाटक और तेलांगाना जैसे कुछ राज्यों द्वारा मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एकीकृत करने के प्रयासों को अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाने की जरूरत है। मंडी आधुनिकीकरण एवं ई-बाजार द्वारा एकीकृत बाजार विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित करने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय द्वारा गठित ***एग्री-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड*** से हाजिर बाजारों का एकीकरण संभव हो सकेगा और कीमत निर्धारण में वायदा बाजारों की क्षमता बढ़ेगी। इस पहल से बिक्री योग्य उन अतिरिक्त वस्तुओं के लिए बाधा-मुक्त सक्षम बाजार की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी, जो देश भर में मंडियों में उपलब्ध हैं।[39]

[38] बाहर से किसी शहर में लाई जाने वाली वस्तुओं पर लगाई जाने वाली लेवी के एक प्रकार को चुंगी (ऑक्ट्रॉई) कहा जाता है। हिंदी भाहा में बाजार को मंडी कहा जाता है। यह शब्द परंपरागत तौर पर खाद्य एवं कृषि जिंसों के बाजार के लिए इस्तेमाल होता था।

[39] तीन वर्षों में 585 विनियमित थोक बाजारों के लिए ई-बाजार प्लैटफॉर्म सृजित कर लागू की जाने वाली कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की यथासूचित योजना पाँच राज्यों की 50 कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) के साथ आरंभ होगी।

विधिक एवं कर सुधारों की आवश्यकता

3.76 वस्तुओं की खरीद-बिक्री और ढुलाई पर प्रतिबंध को हटाने की जरूरत है। मंडी परिसर के बाहर बिना कोई मंडी शुल्क दिए जिंसों की खरीद-बिक्री की अनुमति देने के लिए, कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है। मूल्य वर्धित कर (वैट) की तर्ज पर स्टांप ड्यूटी को भी तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। यद्यपि, वैट और स्टांप ड्यूटी दोनों राज्य के विषय हैं, लेकिन जहाँ वैट पूरे देश में एक समान है, वहीं राज्यों द्वारा वसूली जाने वाली स्टांप ड्यूटी की दरें अलग-अलग हैं। इसके अलावा, स्टांप ड्यूटी की वसूली प्रणाली पर भी स्पष्टता का अभाव है। देश में एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के शुरू होने से राष्ट्रीय बाजार सृजित करने के रास्ते में आने वाली बाधाएँ दूर होंगी। राज्यों को भी चाहिए कि वे व्यापारियों, खासकर राज्य से बाहर के व्यापारियों के लिए पंजीकरण एवं जिंसों के कारोबार को आसान बनाएँ।

भंडारण सुविधाएँ एवं गोदाम रसीद वित्तपोषण

3.77 कृषि विपणन में सुधारों के साथ-साथ मुख्य कृषि बाजारों में पर्याप्त भंडारण/मालगोदाम ढाँचा बनाने की जरूरत है। चूकि वर्तमान में गुणवत्तापूर्ण मालगोदामों का निर्माण लाभदायक गतिविधि नहीं है, इसलिए भंडारण सुविधा के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिंसों को गुणवत्तापूर्ण गोदामों में रखने से न केवल बाजार को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण माल मिलना सुनिश्चित हो सकेगा, बल्कि इससे रियायती दरों पर बैंकों से गोदाम रसीद वित्तपोषण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। परिणामस्वरूप इससे कार्यशील पूँजी की लागत और जिंसों की रखाव लागत भी कम होगी। इसका सीधा परिणाम जिंसों की कीमतों में कमी होगा, जिससे उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा। गोदाम रसीद वित्तपोषण को भी अवसंरचना का स्टेटस मिलना चाहिए। सही तरीके से बनाए गए गोदाम रसीद, धारकों को कृषि उत्पादों की मौजूदगी और स्थिति के बारे में आश्वस्त करते हुए, बैंकों को भी सुरक्षित संपाश्विक देते हैं। गोदाम रसीदों का उपयोग किसानों द्वारा अपने उत्पादों के वित्तपोषण तथा प्रोसेसरों द्वारा अपने मालों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। सफल गोदाम रसीद प्रणाली का सृजन वायदा एवं हाजिर बाजार दोनों के कारोबार को सुगम बनाता है। कमोडिटी एक्सचेंजों में व्यापार निपटान के लिए, गोदाम रसीदों/बेचनीय गोदाम रसीदों (एनडब्ल्यूआर) की होल्डिंगों एवं हस्तांतरणों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने वाली इलेक्ट्रॅनिक कमोडिटी रजिस्ट्री आवश्यक है।

बीमा के रूप में मौसम सूचकांक जैसे एन्नर डेरिवेटिव उत्पाद

3.78 पिछले खंडों में किसानों को मौसम की मार से बचाने के एक उपाय के रूप में फसल बीमा की जरूरत पर चर्चा की गई। मौसम डेरिवेटिव जलवायु से संबंधित जोखिमों के कारण उत्पादन और पैदावार के जोखिमों की हेजिंग के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। तथापि, ऐसे डेरिवेटिवों के चलनिधि/अर्थसुलभ (लिक्विड) होने के लिए जानकार ग्राहकों और संस्थागत प्रतिभागियों की सहभागिता की आवश्यकता है।

3.79 वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) 1952 के प्रावदानों के अंतर्गत, भारत में जिंस वायदा विनिमय बाजारों में सूचकांकों/ऑपशंनों की ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, एफसीआरए वायदा संविदा को वस्तुओं की सुपुर्दगी हेतु संविदा के रूप में परिभाषित करता है। इसलिए मौसम एवं वर्षा जैसे अमूर्त चीजों की ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी गई है। तथापि, हाल के बजट में जिंस डेरिवेटिवों को प्रतिभूति के रूप में परिभाषित करने एवं एफएमसी के सेबी में विलय के केंद्रीय सरकार के निर्णय से, विनिमय बाजारों में मौसम सूचकांक समेत सूचकांकों/ऑपशंनों को शुरू करने पर विचार करना संभव हो सकता है।

पेंशन क्षेत्र

3.80 पेंशन क्षेत्र के विकास का नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं देश की आर्थिक समृद्धि दोनों पर महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में देश की आबादी के मात्र 12 प्रतिशत लोगों को ही किसी भी प्रकार की वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्राप्त है। आज देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 100 मिलियन से अधिक लोग हैं और यह संख्या 2050 तक तिगुनी हो जाएगी। आबादी के इस बड़े हिस्से को आने वाले वर्षों में अपने निर्वाह के लिए एक प्रकार की सुनिश्चित आय गारंटी की आवश्यकता होगी। इसलिए भारत की राजकोषीय एवं वित्तीय

प्रणाली को तेजी से वृद्ध होती इस आबादी को संभालने के लिए समय पर तैयार रहना होगा। यह आबादी अगले कुछ दशकों में श्रमच्युत (पैन आउट) हो जाएगी।

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना

3.81 पेंशन क्षेत्र पर सरकार की व्यापक दृष्टि में लक्ष्य यह है कि सबको आसान तरीके से अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा संरक्षण तक सस्ती सर्वव्यापी पहुँच प्रदान की जाए, जो ग्राहक के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के जरिए जुड़ा हो। विशेषकर, असंगठित क्षेत्र में कामगारों जो कुल श्रमशक्ति का 88 प्रतिशत हैं, की दीर्घजीविता (लॉन्जिविटी) जोखिमों के समाधान एवं उन्हें अपनी सेवानिवृति के लिए स्वतः बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सरकार ने मई, 2015 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नाम से एक नई पहल शुरू की है। एपीवाई असंगठित क्षेत्र के उन सभी नागरिकों पर फोकस करेगी, जो पेंशन निधि एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होंगे (चार्ट 3.10)।

3.82 एपीवाई का लक्ष्य अंसगठित क्षेत्र को, लचीलेपन और परिचालन की आसानी के साथ, एक सुनिश्चत आय स्तर एवं धारणीय सेवानिवृति समाधान प्रदा करना है, जो रोजगार की मौसमीयता (सीजनलिटी) तथा वृद्धावस्था में कर्ज से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। एपीवाई के अंतर्गत हरेक ग्राहक को, 60 वर्ष उम्र हो जाने पर, प्रति माह 1000रु., 2000रु., 3000रु., 4000रु. और 5000रु. न्यूनतम गांरटी पेंशन मिलेगा। यह पेंशन राशि उनके अंशदान पर निर्भर करेगी, जो एपीवाई से जुड़ते समय ग्राहक की उम्र के अनुसार अलग-अलग होगा। एपीवाई से जुड़ने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। इसलिए हरेक ग्राहक द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या अधिक होगी। न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार लेगी। केंद्रीय सरकार भी उन सभी योग्य ग्राहकों के खाते में पाँच वर्षों यानी 2015-16 से 2019-20 तक ग्राहक के अंशदान का 50 प्रतिशत या 1000रु., जो भी कम हो, सह-अंशदान करेगी, जो 31 दिसंबर, 2015 तक एनपीएस

चार्ट 3.10: नई पेंशन योजना में वृद्धि

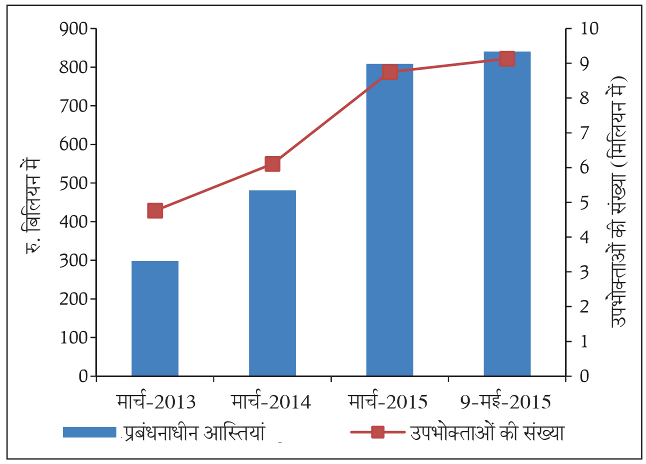

स्रोत: पीएफआरडीए

से जुड़ेंगे और जो आयकरदाता नहीं हैं। स्वावलंबन योजना के मौजूदा ग्राहक स्वतः एपीवाई में चले जाएँगे, बशर्ते वे इसके लिए इनकार नहीं करें।

पेंशन निधियों की विनियामक प्रणाली को सुकर बनाना

3.83 एनपीएस में हुई प्रगति के आकलन एवं 2014 में पीएफआरडीए अधिनियम की अधिसूचना के बाद पेंशन निधि के ले मौजूदा नीति रूपरेखा को पुनर्निर्धारित करने की दृष्टि से, निजी क्षेत्र में एनपीएस योजनाओं के निवेश संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा हेतु पीएफआरडीए द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।[40] इसकी कुछ मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं: अधिक विवेकपूर्ण निवेश व्यवस्था, पेंशन उत्पादों के बारे में वित्तीय साक्षरता पर फोकस, एकीकृत विनियामक व्यवस्था और एनपीएस से बाहर निकलने पर कराधान नीति की समीक्षा (बॉक्स 3.4)।

एकीकृत पेंशन व्यवस्था के लिए तर्क

3.84 भारत के पेंशन परिदृश्य में वर्तमान में जहाँ एक तरफ अनियमित पेंशन सेगमेंट हैं वहीं दूसरी तरफ विनियामक क्षेत्राधिकारों का अधिव्यापन (ओवरलैपिंग) है। उदाहरणार्थ, भारत में अनेक अधिवर्षिता फंड और ट्रस्ट हैं, जिनमें से कुछ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से छूट-प्राप्त हैं, जो

[40] श्री जी.एन. बाजपेयी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2015 में प्रस्तुत की।

बॉक्स 3.4: पेंशन क्षेत्र संबंधी बाजपेयी समिति की प्रमुख सिफारिशें

समिति ने एक विवेकपूर्ण निवेश व्यवस्था की ओर अग्रसर होने की सिफारिश की है, जिसमें निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के लिए निवेश दिशानिर्देशों का सामंजस्यीकरण, हरेक आस्ति वर्ग के लिए ऊपरी सीमा की समीक्षा, हरेक आस्ति वर्ग के तहत लिखतों के दायरों का विस्तार और नए आस्ति-वर्गों को जोड़ना, पूरे एनपीएस कॉर्पस को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के फंडों द्वारा प्रबंध किए जाने की अनुमति देना और हरेक ग्राहक को निर्णय लेने में चयन की ज्यादा सुविधा की अनुमति देना शामिल है।

समिति ने विवेकपूर्ण निवेश व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के दौरान, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता और पूँजी बाजारों के विकास की निगरानी पर भी जोर दिया है। अन्य प्रमुख सिफारिशों में शामिल है- पेंशन फंडों द्वारा समुचित सावधानी सूचना (कैविट) और समुचित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ, न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न उत्पाद ऑफर करना, पेंशन फंडों (पीएफ) को एनपीएस उत्पाद का विपणन करने की अनुमति देना, स्वतंत्र वित्तीय परामर्शदाताओं का एक वर्ग विकसित करना, पीएफ के कार्यनिष्पादन एवं रेटिंग के खुलासे और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन हेतु फ्रेमवर्क।

समिति ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली की ओर बढ़ने की भी सिफारिश की है, जिसमें जोखिम आधारित स्कोरिंग मॉडल के घटक, पीएफ की स्ट्रेस टेस्टिंग और विनियामक हस्तक्षेप के लिए फ्रेमवर्क शामिल हों। समिति ने सभी पेंशन उत्पादों, स्कीमों और मध्यस्थों के लिए पीएफआरडीए के अंतर्गत एक एकीकृत पेंसन व्यवस्था (रेजिम) की भी सिफारिश की है।

कराधान नीति के महत्व और ईपीएफओ से निकासी और एनपीएस से बाहर निकलने पर विभेदक कराधान के प्रभाव का संज्ञान लेते हुए, समिति ने एनपीएस के लिए छूट, छूट, छूट (ईईई) कर व्यवस्था या कम से कम ईपीएफओ स्कीम के साथ कराधान में समानता की सिफारिश की है।

अभी किसी भी विनियामक के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, वित्तीय/बचत उत्पादों का पेंशन उत्पाद के रूप में पंजीकरण अब भी विभिन्न नियामक व्यवस्थाओं के अंतर्गत संभव है, जबकि स्पष्ट संसदीय राय है कि पीएफआरडीए के तहत पेंशन उत्पादों के लिए अलग क्षेत्राधिकार बनाया जाए। मौजूदा खंडित और विषम पेंशन क्षेत्र प्रभावी विनियमन एवं पर्यवक्षेण के लिए कुछ चुनौतियाँ पेश कर सकता है। नतीजतन, विनियामक अंतरपणन (आरबिट्रेज) एवं विनियामक अंतर (गैप) पैदा हो सकता है, जिसका सिस्टम की स्थिरता पर असर पड़ सकता है।

3.85 पीएफआरडीए के तहत पेंशन उत्पादों के लिए अलग क्षेत्राधिकार बनाए जाने के संसद के अधिदेश को देखते हुए, पीएफआरडीए के एकल विनियामक एकछत्र में पेंशन क्षेत्र के विकास हेतु संग्रहण, निवेश, निधि प्रबंधन, रिकॉर्डों का रखरखाव और अदायगी सहित एक पुख्ता पेंशन प्रणाली बनायी जाएगी। सामान्य तौर पर पेंशन क्षेत्र और विशेष रूप से एनपीएस का विकास सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय लिखतों एवं निर्धारितियों के समूहों के बीच की गड़बड़ियों का निपटारा हो और समुचित राजकोषीय सहायता प्रदान की जाए। असंगत कराधान से न केवल एक वित्तीय उत्पाद को दूसरे वित्तीय उत्पाद से नुकसान होता है बल्कि यह कर-अंतरपणन के रास्ते भी बनाता है।

ईपीएफओ और एनपीएस के बीच तालमेल

3.86 देश में एक पुख्ता पेंशन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के उपाय के रूप में, सरकार ने बजट में कर्मचारियों के लिए ईपीएफ/ईपीएस या एनपीएस में से किसी भी विकल्प की घोषणा की हे। ईपीएफ के मामले में, किसी कर्मचारी को दो विकल्प प्रदान किए जाने की अवश्यकता हे। कोई कर्मचारी ईपीएफ एनपीएस चुन सकता है और एक निश्चित न्यूनतम मासिक आय वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में अंशदान वैकल्पिक है, जिसमें नियोक्ता के अंशदान को प्रभावित या कम नहीं किया गया है। हालाँकि ईपीएफओ अधिनियम और पीएफआरडीए अधिनियमों के विस्तृत ब्योरे कुछ समय में मालूम होंगे, यह संगठित क्षेत्र के उन ग्राहकों को चयन की सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिन्हें पहले ईपीएफओ में ही अंशदान करने की बाध्यता थी।

वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे

3.87 बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेट्लमेंट्स (बीआईएस) और आईओएससीओ से जारी वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर्स (PFMI)

के सिद्धांतके अनुसार अपने नियामकढांचे,संरेखित करने के लिएअपने प्रयासों के बारे में भारत द्वारा की गई प्रगतिकाव्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।कमिटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चरस (CPMI) और आईओएससीओ (IOSCO) के नवीनतम'वार्षिक वैश्विक मूल्यांकन' दौरमेंPFMIs के कार्यान्वयन की स्थितिपर विभिन्न देशों मेंकहा गया है कि रिजर्व बैंक और सेबी नेसभी आवश्यक विनियमों को सन्निविष्ट कर लिया है और उनमें वैश्विक मानकों [41] में उल्लिखित जिम्मेदारियां लागू करने के लिए कानूनी क्षमता है।

3.88 एक मूल्यांकन, जो विनियमों में केंद्रीय काउंटर पार्टियों, व्यापार के लिए खजाने, भुगतान प्रणाली, केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी और प्रतिभूतियां निपटान प्रणाली को ध्यान में लेता है, ने पाया कि भारत उन बहुत कम देशों में से है, जिसने सभी प्रमुख मानकों के आधार पर शीर्ष रेटिंग प्राप्त कर लिया है।

प्रतिभूति बाजार के लिए डिपॉजिटरी में जोखिम प्रबंधन नीति

3.89 PFMIs, अन्य बातों के साथ-साथ,मजबूत जोखिम प्रबंधन संचालन के लिए ढांचे की जरूरत, इसके विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों की पहचान, निगरानी और प्रबंधन करने के लिए जोर देता है।इसे ध्यान में रखते हुए, सेबी नेभारत में मौजूदा डिपॉजिटरी का समग्र मूल्यांकन करने के लिएडिपॉजिटरी प्रणाली समीक्षा समिति का गठनकिया है।

3.90 DSRC की सिफारिशों के आधार पर, सेबी [42] ने डिपॉजिटरी को सूचित किया है कि वे स्पष्ट, व्यापक और अच्छी तरह से प्रलेखित जोखिम प्रबंधन व्यवस्थाएं स्थापित करें, जिनमें प्रतिभागियों, 'प्रतिभागियोंके ग्राहकों' और थर्ड पार्टी -जिनसे गतिविधियों आउटसोर्स कर रहे हैं, के समेत डिपॉजिटरी के जोखिमों का एकीकृत और समग्र अवलोकन शामिल होगा । इन व्यवस्थाओं में तकनीकी, कानूनी, परिचालनात्मक, सुरक्षा और सामान्य कारोबार जोखिमें और इन जोखिमों के निराकरण के लिए उपाय भी सूचीबद्ध करने होंगे। इसके अलावा निक्षेपागार की जोखिम-सहनशीलता नीति,डिपॉजिटरी द्वारा वहन की जानेवाली या उत्पन्न होने वाली जोखिमों का मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रणालियों, नीतियों और क्रियाविधियों की पहचान और संकट और आपातकालीन स्थिति में जोखिम निर्णयों और निर्णय लेने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी का भी व्यवस्था में समावेश करना होगा।

3.91 नवंबर 2002 के बाद से, दी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) अमरीकी डालर / भारतीय रुपयों में अंतरबैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन का गारंटीकृत निपटान करता रहा है। निपटान,भुगतान बनाम भुगतान (PvP) [43] पर समग्र रूप से गारंटीकृत नहीं होते हैं। अंतर- बैंक विदेशी मुद्रा के संबंध में,अमरीकी डालर / भारतीय रुपयों के लेनदेन में, विदेशी मुद्रा खंड के सदस्यों के लिए भारतीय रुपये चरण (INR leg) और अमरीकी डालर चरण (USD leg)के बीच के समय अंतराल ने संभाव्य Herstatt जोखिम (प्रिंसिपल जोखिम) समक्ष रखी। इस प्रमुख जोखिम पर ध्यान देने के लिए रिजर्व बैंक ने सीसीआईएल को डालर / भारतीय रुपये में भुगतान बनाम भुगतान तरीके में परिवर्तन करने के लिए सूचित किया। भुगतान बनाम भुगतान तरीके से अमरीकी डालर / भारतीय रुपये का निपटारा 6 अप्रैल 2015 से प्रारम्भ हुआ। इन दो मुद्राओं की निपटान खिड़की को संरेखित करने और बैंकों को अपने खातों में निधि जमा करने हेतु तथा सीसीआईएल को डालर दायित्वों का प्रेषण करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के लिए, अंतरबैंक अंतरणों के लिए आरटीजीएस कट ऑफ समय 19:30 तक बढ़ा दिया गया है। भुगतान बनाम भुगतान तरीके में ऑनलाइन एक्स्पोज़र चेक और डिफ़ॉल्ट फंड जैसी कुछ अन्य सुविधाएं भी शुरू की गयीं हैं।

[41] भारतीय मानक ब्यूरो (2015), ' PFMIs के कार्यान्वयन की निगरानी : दूसरा अद्यतन स्तर 1 आकलन रिपोर्टजून । उपलब्ध है: http://www.bis.org/cpmi/publ/d111.pdf

[42] सेबी (2015b), ' डिपॉजिटरी में जोखिम प्रबंधन नीति ' , जनवरी परिपत्र 12 में : उपलब्ध है http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1421059348668.pdf ।

[43] 'भुगतान बनाम भुगतान (PvP) ' , एक विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली, जो यह सुनिश्चित करती है कि एक मुद्रा का अंतिम हस्तांतरण तभी होता है जब अन्य मुद्रा या मुद्राओं,का अंतिम हस्तांतरण हो जाता है ।

भुगतान और निपटान प्रणाली

3.92 ग्राहकों की बढ़ी हुई मांग आवश्यकताएं पूरी करने के लिए देश में, भुगतान और निपटान प्रणाली का पालन सुचारू रूप से जारी रखा गया। जोखिम कम करने और सुलभ,समावेशी भुगतान प्रणाली की दिशा में कदम उठाने के लिए रिजर्व बैंक की पहल विभिन्न गैर - नकद भुगतान मोड (चार्ट 3.11). की वृद्धि के कुछ कारण थे। यद्यपि खुदरा भुगतान प्रणाली प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी मात्रा के कारण वह प्रणाली-वार महत्व रखती है(चार्ट 3.12) । यह इस क्षेत्र में निरंतर नवीनता की एक चुनौती है। सुरक्षित और कुशल भुगतान प्रणाली की पहुंच और उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए कुछ पहल की गई है।

3.93 रिजर्व बैंक, एक उत्प्रेरक के रूप में, दो राष्ट्रव्यापी प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, एक भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)- एक केंद्रीकृत अन्तर- संचालित (interoperable)बिल भुगतान बुनियादी सुविधाएं, जो ग्राहकों के लिए एक 'कभी भी कहीं भी' बिल भुगतान वातावरण उपलब्ध कराने के लिएहै और एक व्यापार प्राप्तियां भुनाई प्रणाली (TreDS) जो सूक्ष्म, लघु व्यापार की प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के रूप में उनकी तरलता जरूरतों को पूरा करने और इन संस्थाओं की वर्तमान बाधाओं को दूर करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। BBPS दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की केंद्रीय इकाई के रूप में पहचान की गई है, जो देश में बिल भुगतान के लिए समान मानक और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए, प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश तैयार कर रहा है,ताकि वे भुगतानऔर निपटान प्रणाली अधिनियम 2007के तहत अधिकृत किये जा सके । TReDSके मामले में,भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम 2007 के तहतप्राधिकरण के लिए प्राप्त हुएआवेदनों पर TReDSकी स्थापना और संचालन प्रक्रियाधीन है ।

चार्ट 3.11 : निपटान प्रणाली का वितरण (मूल्य)

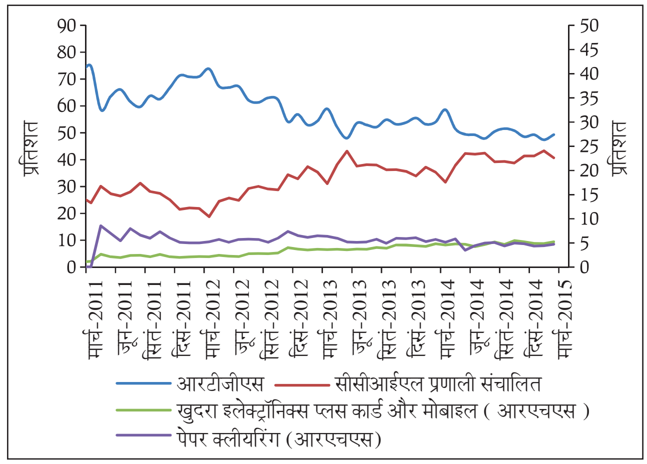

स्रोत: भारिबैं

चार्ट 3.12 : निपटान प्रणाली का वितरण (मात्रा)

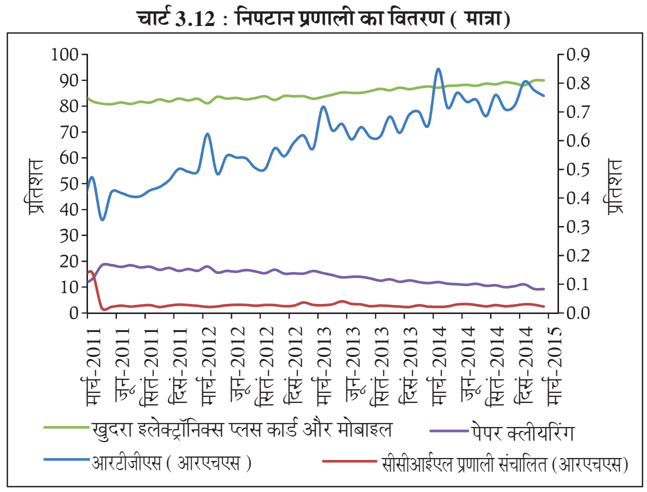

स्रोत: भारिबैं

3.94 इसके अलावा,देश में मौजूद उच्च मोबाइल डैन्सिटि पर मोबाइल बैंकिंग के के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के क्रम में,रिजर्व बैंकहितधारकों के साथ, मोबाइल बैंकिंग माध्यम का प्रचार-प्रसार करने के मुद्दों और चुनौतियों परजांच के काम में लगा हुआ और ग्राहक नामांकन और शिकायत निवारण की सर्वोत्तम प्रथाओं पर बैंकों के लिए आवश्यक निर्देश लिए जारी किए गए हैं ।

अनुबंध 1

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

वित्तीय प्रणाली के समक्ष प्रमुख जोखिमों के संबंध में बाजार के प्रतिभागियों सहित विशेषज्ञों की राय जानने के लिए अप्रैल 2015 में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) किया गया, जो इस शृंखला का आठवाँ सर्वेक्षण है। परिणाम यह सूचित करते हैं कि वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले जोखिमों में अभी भी वैश्विक जोखिम तथा समष्टि आर्थिक जोखिम को प्रमुख माना जा रहा है। वैश्विक जोखिम की तीव्रता, जिसमें पिछले सर्वेक्षण में मामूली वृद्धि हुई है, उसी स्तर पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के वर्तमान दौर में यद्यपि समष्टिगत जोखिम उच्च जोखिम श्रेणी तक बढ़ी हुई है, और इसके प्रभाव में कमी हुई है। इस सर्वेक्षण में बाजार जोखिमों को निम्न जोखिम श्रेणी का हो जाने के रूप में देखा गया है, जो सर्वेक्षण के वैकल्पिक दौर में देखी गई बढ़ोतरी-गिरावट के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। दूसरी ओर, संस्थागत जोखिम, जिसे मध्यम श्रेणी जोखिम के अंतर्गत माना गया है, में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में वृद्धि हुई है। सामान्य जोखिम, जिसमें पिछले सर्वेक्षण में कमी हुई थी, में सर्वेक्षण के वर्तमान दौर में मुख्यतः मौसम की परिस्थितियों की अनिश्चितताओं के कारण एक बार फिर वृद्धि हुई है (चित्र 1)।

वर्तमान सर्वेक्षण में वैश्विक जोखिमों के अंतर्गत वैश्विक गिरावट और वैश्विक निधीयन जोखिमों का जोखिम अपरिवर्तित और उच्चतर जोखिम स्थिति में बना रहा। इस सर्वेक्षण में जहाँ राष्ट्रिक जोखिम बढ़कर मध्यम जोखिम श्रेणी में पहुँच गया है, वहीं वैश्विक मुद्रास्फीति जोखिम वैश्विक जोखिम घटकों में उच्च जोखिम श्रेणी की ओर ऊपर की ओर बढ़ते हुए दर्शाया गया है।

वर्तमान सर्वेक्षण में समष्टिआर्थिक जोखिम की श्रेणी के अंतर्गत घरेलू आर्थिक संभावना में कमी आने का जोखिम बढ़कर उच्च जोखिम श्रेणी में आ गया है। वर्तमान सर्वेक्षण में घरेलू मुद्रास्फीति के कारण हुए जोखिम, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा में विशेष रूप से गिरावट दर्शाया गया है। आधारभूत संरचना के विकास की गति धीमे होने, पूँजी प्रवाहों और कार्पोरेट क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जोखिम में यद्यपि मामूली वृद्धि हुई है और वह अभी भी उच्च जोखिम श्रेणी में बना हुआ है।

संस्थागत जोखिमों के बीच, बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता को अभी भी उच्च जोखिम घटक के रूप में माना जा रहा है। वर्तमान सर्वेक्षण में जहाँ विनियामक जोखिम और परिचालन जोखिम कम हुए हैं, वहीं ऋण के कम उठाव के जोखिम, बैंकों की अतिरिक्त पूँजी आवश्यकताओं और उनकी निधीयन संबंधी कठिनाइयों के कारण उत्पन्न जोखिमों में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के इस दौर में प्राकृतिक आपदाओं/ प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न सामान्य जोखिम संबंधी संभावनाओं में वृद्धि हुई है, जबकि आतंकवाद और सामाजिक अशांति से उत्पन्न होनेवाली सामान्य जोखिम अवधारणाएँ बढ़ी हैं। (चित्र 2)

चित्र 1 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए प्रमुख जोखिम समूह (अप्रैल 2015)

प्रमुख जोखिम समूह	अप्रै-15	परिवर्तन	अक्तू-14	परिवर्तन	अप्रै-14	परिवर्तन	अक्तू-13	परिवर्तन	अप्रै-13
क.वैश्विक जोखिम	(अधिक)	⇔	(अधिक)	↑	(मध्यम)	↓	(अधिक)	⇔	(अधिक)
ख.समष्टिआर्थिक जोखिम	(अधिक)	↓	(अधिक)	⇔	(अधिक)	↑	(अधिक)	↑	(मध्यम)
ग.बाजार जोखिम	(कम)	↓	(मध्यम)	↑	(मध्यम)	↓	(मध्यम)	↑	(मध्यम)
घ.संस्थागत जोखिम	(मध्यम)	↑	(मध्यम)	↓	(मध्यम)	⇔	(मध्यम)	⇔	(कम)
ङ. सामान्य जोखिम	(मध्यम)	↑	(कम)	↓	(मध्यम)	↑	(कम)	⇔	(कम)

नोट :

जोखिम की श्रेणी

अत्यधिक उच्च	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	⇔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

जोखिम संभावनाओं के अलग-अलग समय-बिंदुओं (अप्रैल और अक्टूबर में अर्द्धवार्षिक आधार पर) पर किए गए प्रणालीगत जोखिमों से उत्पन्न होने के कारण इनमें एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित (घट/बढ़) सकते हैं। इस परिवर्तन को रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। हालाँकि, समान जोखिम श्रेणी(अर्थात, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है अथवा अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान से दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं को में परिवर्तन को लगातार सर्वेक्षणों में दर्शाया गया है।

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल 2013 से अप्रैल 2015) (अर्द्धवार्षिक)

[1] ये सर्वेक्षण अर्द्धवार्षिक आधार पर किए जाते हैं। पहला सर्वेक्षण अक्टूबर 2011 में किया गया था।

चित्र 2 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल 2015) में चिह्नित किए गए विभिन्न जोखिम

जोखिम की मद		अप्रै-15	परिवर्तन	अक्तू-14
क. वैश्विक जोखिम	वैश्विक मंदी	अधिक	⇔	अधिक
	सरकारी जोखिम/ संक्रमण	मध्यम	⇧	कम
	निधीयन जोखिम (बाहरी उधार)	अधिक	⇔	अधिक
	वैश्विक मुद्रास्फीति/पण्य मूल्य जोखिम (कच्चे तेल की कीमत सहित)	अधिक	⇧	कम
	अन्य वैश्विक जोखिम	अधिक	⇔	अधिक
ख. समष्टिगत आर्थिक जोखिम	घरेलू आर्थिक संभावनाओं का कमजोर होना	अधिक	⇧	मध्यम
	घरेलू मुद्रास्फीति	मध्यम	⇩	अधिक
	चालू खाता घाटा	कम	⇩	अधिक
	पूँजीगत अंतर्वाह/बहिर्वाह (एफआईआई का लौटना, एफडीआई में कमी)	अधिक	⇔	अधिक
	सरकारी रेटिंग में गिरावट	बहुत कम	⇔	बहुत कम
	राजकोषीय जोखिम (उच्च राजकोषीय घाटा)	कम	⇩	अधिक
	कार्पोरेट क्षेत्र का जोखिम (उच्च लिवरेज/निम्न लाभकारिता)	अधिक	⇩	अधिक
	आधारभूत संरचना के विकास की कमी/ गति में	अधिक	⇩	अधिक
	स्थावर संपदा के मूल्य	कम	⇩	अधिक
	पारिवारिक इकाइयों की बचत	कम	⇧	बहुत कम
	राजनीतिक जोखिम	बहुत कम	⇩	कम
	अन्य समष्टि आर्थिक जोखिम	कम	⇩	मध्यम
ग. बाजार जोखिम	विदेशी मुद्रा दर का जोखिम	मध्यम	⇩	अधिक
	इक्विटी मूल्य में उतार चढ़ाव	बहुत कम	⇔	बहुत कम
	निधीयन जोखिम/ चलनिधि जोखिम/ब्याज दर जोखिम	बहुत कम	⇩	मध्यम
	बाजार संबंधी अन्य जोखिम	कम	⇧	बहुत कम
घ. संस्थागत जोखिम	विनियमन जोखिम	मध्यम	⇩	मध्यम
	आस्ति गुणवत्ता में कमी	अधिक	⇧	अधिक
	बैंकों की अतिरिक्त पूँजी संबंधी आवश्यकता	मध्यम	⇧	मध्यम
	बैंकों की निधीयन संबंधी कठिनाइयाँ	अधिक	⇧	कम
	ऋण का धीमा उठाव	मध्यम	⇧	मध्यम
	ऋण में अत्यधिक वृद्धि	बहुत कम	⇔	बहुत कम
	परिचालनात्मक जोखिम	बहुत कम	⇩	कम
	अन्य संस्थागत जोखिम	मध्यम	⇧	बहुत कम
ङ. सामान्य जोखिम	आतंकवाद	बहुत कम	⇩	कम
	प्राकृतिक आपदा/ प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियाँ	मध्यम	⇧	कम
	सामाजिक अशांति (बढ़ती हुई असमानता)	बहुत कम	⇩	कम
	अन्य सामान्य जोखिम	कम	⇔	कम

नोट : जोखिम की श्रेणी

अत्यधिक उच्च	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
⇧	⇔	⇩
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

जोखिम संभावनाओं के अलग-अलग समय-बिंदुओं (अप्रैल और अक्टूबर में अर्द्धवार्षिक आधार पर) पर किए गए प्रणालीगत जोखिमों से उत्पन्न होने के कारण इनमें एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित (घट/बढ़) सकते हैं। इस परिवर्तन को रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। हालाँकि, समान जोखिम श्रेणी(अर्थात, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है अथवा अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान से दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं को में परिवर्तन को दो लगातार सर्वेक्षणों में दर्शाया गया है।

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015) (अर्द्धवार्षिक)

वर्तमान सर्वेक्षण में प्रतिभागियों ने यह महसूस किया कि आने वाले समय (अल्प अवधि) में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना के घटित होने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। उनमें वैश्विक वित्तीय प्रणाली के प्रति बहुत आत्मविश्वास नहीं रहा और आधिकांश प्रतिभागियों ने यह बताया कि पिछले छः महीनों में उनके आत्मविश्वास में कुछ कमी आई है। हालाँकि, प्रतिभागियों के अनुसार आने वाली अवधि (अल्प से मध्यम अवधि) में भारतीय वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना के घटित होने की संभावना मध्यम मानी गई है जैसाकि विशेषज्ञों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली पर अधिक विश्वास जताया है। (चार्ट 1)

उच्चप्रभाव वाली घटनाएँ घटित होने की संभावना और भारतीय वित्तीय प्रणाली पर उसका प्रभाव			
	अप्रै-15	**परिवर्तन**	**अक्तू-14**
वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)		⇧	
वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्षों तक)		⇔	
भारतीय वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)		⇧	
भारतीय वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्षों तक)		⇧	
समग्र रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा		⇩	
समग्र रूप से भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा		⇩	

नोट:

जोखिम श्रेणी

जोखिम					
क - घ	बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
ङ - च	उच्च आत्म विश्वास	आत्म विश्वास	अधिक आत्मविश्वास	बहुत आत्मविश्वास नहीं	आत्मविश्वास नहीं

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्तूबर 2014 से अप्रैल 2015)

चार्ट 1 : पिछले छः महीनों के दौरान संभानाओं में परिवर्तन

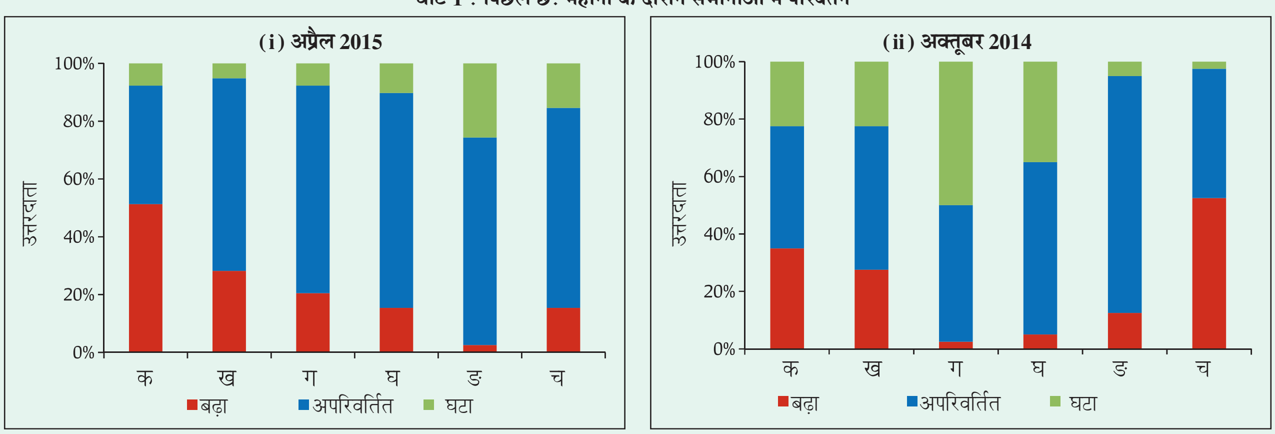

नोट : क. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)
ख. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्षों तक)
ग. भारतीय वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)
घ. भारतीय वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्षों तक)
ङ. समग्र रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा
च. समग्र रूप से भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्तूबर 2014 से अप्रैल 2015) (अर्द्धवार्षिक)

आगामी तीन महीनों में ऋणों की माँग में संभावित परिवर्तनों के मामले में अधिकांश हिस्सेदारों का मानना था कि इसमें मामूली वृद्धि होने की संभावना है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह महसूस किया कि आगामी तीन महीनों में ऋण की औसत गुणवत्ता में मामूली गिरावट हुई है, जिसके बाद उत्तरदाताओं के एक समूह ने यह माना कि इसमें आगामी तीन महीनों में कोई परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। (चार्ट 2)

चार्ट 2 : ऋण की माँग तथा उसकी गुणवत्ता संबंधी संभावना

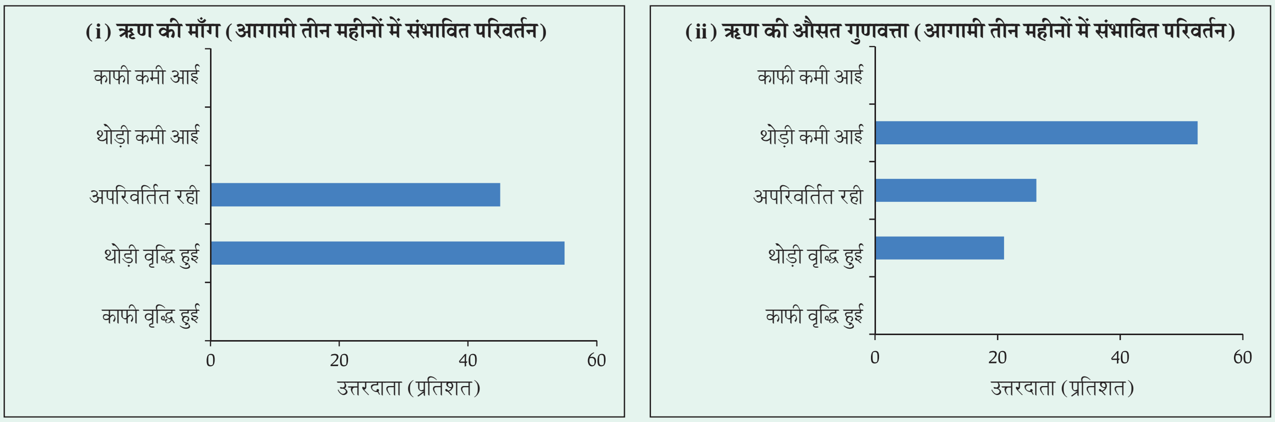

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण -अक्टूबर 2015

अनुबंध 2
कार्य प्रणालियाँ

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक किसी दी गई अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली स्थितियों और जोखिम घटकों में होने वाले परिवर्तनों का समग्र अनुमान प्रदर्शित करता है। प्रत्येक संयुक्त सूचकांक बनाने में प्रयुक्त अनुपातों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है :-

सारणी 1 : बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और बैंकिंग स्थिरता संकेतक बनाने के लिए प्रयुक्त अनुपात

आयाम	Ratios			
मजबूती	सीआरएआर #	टियर II पूंजी के प्रति टियर I पूंजी #	पूंजी और आरक्षित निधि के प्रति कुल आस्ति के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति गुणवत्ता	कुल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	कुल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	सकल एनपीए के प्रति अवमानक अग्रिम #	मानक अग्रिमों के प्रति पुनः संरचित मानक अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों का प्रतिफल #	निवल ब्याज मार्जिन #	लाभ में वृद्धि #	
चलनिधि	कुल आस्तियों के प्रति चलनिधि आस्तियाँ #	कुल चलनिधि के प्रति ग्राहक जमा राशियाँ #	ग्राहक की जमाराशियों के प्रति गैर-बैंकिंग अग्रिम	कुल जामराशियों के प्रति 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियाँ
कार्यकुशलता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ खर्च की तुलना में व्यवसाय (क्रेडिट + जमाराशि) #		कुल खर्च की तुलना में स्टाफ व्यय

टिप्पणी : # जोखिम से ऋणात्मक रूप से संयुक्त

पांच संयुक्त संकेतक मजबूती, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और कार्यकुशलता के पांच आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक संयुक्त सूचकांक जो बैंक की कार्यप्रणाली के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, वह शून्य (न्यूनतम) और 1 (अधिकतम) के बीच का मान लेता है। प्रत्येक सूचकांक इसके निर्माण के लिए प्रयुक्त नमूना अवधि के दौरान एक संबंधित पैमाना होता है जिसमें उच्च मान का अर्थ होता है कि उस आयाम में जोखिम अधिक है। अतः किसी विशेष आयाम में सूचकांक का मान बढ़ना यह दर्शाता है कि आयाम में अन्य अवधियों की तुलना में संबंधित अवधि में जोखिम में वृद्धि हुई है। किसी आयाम के लिए प्रयोग में लाए गए प्रत्येक अनुपातों द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक भारित औसत निकाला जाता है जिसमें भारों को बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में किसी बैंक की व्यक्तिगत आस्तियों के अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। किसी नमूना अवधि के लिए प्रत्येक सूचकांक का सामान्यीकरण किया जाता है जैसे कि, 'किसी दी गई तारीख को मौजूदा अनुपात में से नमूना अवधि के न्यूनतम मान को घटाकर उसमें नमूना अवधि के दौरान के अधिकतम मान से भाग दिया जाता है और उसमें से नमूना अवधि के न्यूनतम मान को घटा दिया जाता है।' प्रत्येक आयाम के संयुक्त सूचकांक की गणना, उस आयाम के लिए प्रयुक्त सामान्यीकरण अनुपातों के भारित औसत के रूप में की जाती है जहाँ भार, सीएएमईएलएस रेटिंग के अनुमान हेतु निर्धारित अंकों पर आधारित होते हैं। व्यक्तिगत संयुक्त सूचकांक के आधार पर प्रत्येक आयाम के लिए इन पाँच संयुक्त सूचकांकों के सामान्य औसत के रूप में बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण किया जाता है।

हानि का अनुमान: संभावित हानि, असंभावित हानि और अनुससूचित वाणिज्यिक बैंकों की संभावित कमी

इन हानियों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित मानक परिभाषाओं का प्रयोग किया गया है:

संभावित हानि (ईएल) : ईएल वह औसत क्रेडिट हानि है जिसकी संभावना क्रेडिट एक्सपोजर से उत्पन्न होती है।

असंभावित हानि (यूएल) : $100(1-\alpha)$ प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्तर पर यह हानि होती है जो हानि वितरण के α-क्वंटाइल पर हो सकता है।

संभावित कमी (ईएस) : जब हानि (Z) का वितरण निरंतर होता है, $100(1-\alpha)$ प्रतिशत के विश्वास स्तर (ES_α (Z)) पर होने वाली संभावित कमी को , $ES_\alpha (Z) = E[Z_\alpha \mid Z \geq VaR_\alpha (Z)]$ के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः होने वाली संभावित कमी हानि की सशर्त संभावना है, यदि हानि का स्तर से अधिक हो जाता है।

इन हानियों का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता हैः Loss = PD X LGD X EAD

जहाँ, ईएडी = चूक की स्थिति में एक्सपोज़र है, जो बैंकिंग प्रणाली का कुल अग्रिम होता है। ईएडी में केवल तुलन पत्र से संबंधित मदें शामिल होती हैं क्योंकि पीडी केवल तुलन-पत्र पर मौजूद एक्सपोज़र के लिए ही निकाला जा सकता है।

एलजीडी = चूक के कारण हुई हानि है। आधारभूत परिदृश्य के तहत, 'पूंजी पर्याप्तता-क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने के लिए दि आईआरबी एप्रोच' पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार औसत एलजीडी को 60 प्रतिशत के रूप में माना जाता है। मध्यम और गंभीर मैक्रोइकनॉमिक स्थितियों के तहत एलजीडी को क्रमशः 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत माना गया।

पीडी = चूक की संभावना है। पीडी को कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में सकल गैर-निष्पादन अग्रिमों के रूप में परिभाषित किया गया है। चूककर्ता खातों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण पीडी का पता लगाने के लिए चूककर्ता खातों (अर्थात गैर-निष्पादन आस्ति संबंधी राशि) के आकार को उपयोग में लाया गया है।

हानियों, ईएल, यूएल और ईएस को एक कृत्रिम पीडी वितरण को उपयोग में लाते हुए अनुमानित किया गया। पहले उपाय के रूप में केरनल डेंसिटी एस्टीमेट का प्रयोग करते हुए पीडी के अनुभवजन्य वितरण का अनुमान लगाया गया; दूसरे स्थान पर अनुभवजन्य संभाव्यता घनत्व कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए मांटे कार्लो कृत्रिमता पर आधारित 20,000 यादृच्छिक संख्याएँ निकाली गईं और अंत में ईएल, यूएल और ईएस की गणना की गई जिसमें पीडी को, पीडी के 99.9 प्रतिशत वीएआर तक औसत के रूप में लिया गया और 99.9 प्रतिशत वीएआर से अधिक के औसत पीडी को क्रमशः हानि माना गया।

मैक्रो-दबाव जांच

मैक्रो-इकनॉमिक आघातों के प्रति बैंकों की आघात वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, क्रेडिट जोखिम हेतु एक मैक्रो दबाव जांच की गई। मैक्रो इकनॉमिक वैरिएबल्स के कार्य के रूप में एक क्रेडिट जोखिम संकेतक का निर्माण किया गया जिसमें विविध अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया जो बैंकिंग प्रणाली को समग्रतः मैक्रि इकनॉमिक वैरिएबल्स से संबद्ध करता है। जिन समय शृंखला अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया वे इस प्रकार हैंः (i) बहुभिन्नरूपी परावर्तन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (ii) वीएआर को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (iii) क्वान्टाइल परावर्तन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (iv) बहुभिन्नरूपी परावर्तन को नमूना बैंक समूहवार विपथन अनुपात आंकड़ों के साथ, (v) वीएआर को नमूना बैंक समूह-वार विपथन अनुपात आंकड़ों के साथ, और (vi) क्षेत्रगत एनपीए के लिए बहुभिन्नरूपी परावर्तन। बैंकिंग प्रणाली समग्र में करेंट ऐंड लैग्ड वैल्यूज ऑफ स्लिपेज रेशियो शामिल है जबकि समष्टि आर्थिक वैरियेबल्स में जीवीए पर बेसिक प्राइस ग्रोथ, भारित औसत उधार दर औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर), सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात (Ex/GDP), जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा (GFD/GDP) और आरईईआर शामिल होते हैं।

जहां बहुभिन्नरूपी परावर्तन, बैंकिंग प्रणाली के एनपीए और पूंजी पर चुनिंदा मैक्रोइकनॉमिक वैरिएबल्स के प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है वहीं वीएआर नमूना, बैंकों की पूंजी और एनपीए अनुपात पर समग्र आर्थिक दबाव स्थिति स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है और यह फीडबैक प्रभाव को भी संज्ञान में लेता है। इन पद्धतियों में, विपथन अनुपात के सशर्त मध्यमान[1] का अनुमान लगाया जाता हैऔर यह माना जाता है कि क्रेडिट गुणवत्ता के स्तर में परिवर्तन होने के बावजूद क्रेडिट गुणवत्ता पर मैक्रो-वैरिएबल्स का प्रभाव समान रहेगा, जो कि हमेशा सत्य नहीं रह सकता है। इस अनुमान में छूट देने के लिहाज से क्रेडिट गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वान्टाइल परावर्तन को अपनाया गया, जिसमें सशर्त मध्यमान के स्थान पर सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाया जाता है।

नमूना ढांचा

जीएनपीए अनुपात/ विपथन अनुपात (एसआर) पर मैक्रोइकनॉमिक आघातों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी नमूने अपनाए गएः

प्रणाली स्तरीय नमूने

प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का अनुपात लगाने के लिए तीन भिन्न परंतु आपस में संपूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गयाः बहुभिन्नरूपी परावर्तन, वेक्टर स्वतः परावर्तन (जो मैक्रो वैरिएबल्स और सहसंबद्धता प्रभावों के संबंध में क्रेडिट गुणवत्ता के प्रभावों के विषय में प्राप्त फीडबैक को भी संज्ञान में लेता है) और क्वान्टाइल परावर्तन (जो क्षुद्र जोखिमों के साथ निपट सकता है और मैक्रोइकनॉमिक

[1] अवधि के दौरान नए संचयन को गिरावट कहते हैं । गिरावट अनुपात = नए एनपीए /अवधि की शुरुआत में स्टैन्डर्ड अग्रिम

आघातों के विषम-रेखीय प्रभावों को भी संज्ञान में लेता है)। इन नमूनों से प्राप्त प्रक्षेपणों के औसत का उपयोग सीआईसीएआर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने में किया गया।

- *बहुभिन्नरूपी परावर्तन*

  यह विश्लेषण संपूर्ण वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए सकल स्तर पर विपथन अनुपात के संबंध में किया गया।

  $$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-1} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2}$$

  जहाँ, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ तथा $\beta_6 > 0$.

- *वेक्टर स्वतः परावर्तन (वीएआर)*

  अंकन रूप में मध्यमान समायोजित वीएआर के क्रम (order) p (VAR(p)) को निम्नलिखित ढंग से लिखा जा सकता है:

  $$y_t = A_1 y_{t-1} + \ldots\ldots + A_p y_{t-p} + u_t \quad ; t=0,1,2,3,\ldots.$$

  जहाँ, $y_t = (y_{1t}, \ldots\ldots, y_{Kt})'$ t समय पर वैरिएबल का (K×1) वेक्टर है, A_i (i=1,2,...p) स्थिर (K×K) गुणांक मैट्रिसेस है तथा $u_t = (u_{1t}, \ldots\ldots, u_{Kt})'$ के-डाइमेंशनल वॉइट नॉइज़ या इन्नोवेशन प्रोसेस है।

  वीएआर प्रणाली का अनुमान लगाने के लिए विपथन अनुपात, डब्ल्यूएएलआर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फीति, आधार कीमत वृद्धि पर जीवीए तथा सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा का चयन किया गया। न्यूनतम सूचना मानदंड के साथ-साथ अन्य उपचारों के साथ ही वीएआर के समुचित क्रम का चयन किया गया और इसके लिए क्रमांक 2 उचित पाया गया। तदनुसार, क्रम 2 के वीएआर (VAR(2))का अनुमान लगाया गया तथा एआर की बहुपदीय अभिलाक्षणिक मूल के आधार पर मॉडल की स्थिरता की जाँच की गई। चूंकि सभी मूल इकाई की परिधि के भीतर पाई गई, अतः इस चयनित मॉडल को स्थिरता की शर्त पूरी करने वाला पाया गया। चयनित वीएआर के संवेद अनुक्रिया प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न मैक्रो इकनॉमिक आघात के प्रभावों का निर्धारण किया गया।

- *क्वान्टाइल परावर्तन*

  सशर्त क्वान्टाइल के अपेक्षित स्तर पर विपथन अनुपात का अनुमान लगाने के लिए माध्यिका (जो विपथन अनुपात का मौजूदा क्वान्टाइल है) पर निम्नलिखित क्वान्टाइल परावर्तन का प्रयोग किया गया:

  $$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-3} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2}$$

  जहाँ, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ तथा $\beta_6 > 0$.

बैंक समूह स्तरीय पद्धति

बैंक समूह-वार जीएनपीए का पूर्वानुमान तीन अलग-अलग लेकिन आपस में अनुपूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग करते हुए लगाया गया: बहुभिन्नरूपी परावर्तन तथा वेक्टर स्वतः परावर्तन का प्रयोग करते हुए किया जाता है। इन नमूनों से प्राप्त पूर्वानुमानों के औसत का उपयोग सीआरएआर पर प्रभाव की गणना के लिए किया जाता है।

- *बहुभिन्नरूपी परावर्तन*

  विभिन्न बैंक समूह के विपथन अनुपात का नमूना बनाने के लिए विभिन्न बैंक समूहों के लिए निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी परावर्तनका उपयोग किया गया:

  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक:

  $$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{CAB}{GDP}\right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2}$$

निजी क्षेत्र के बैंकः:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1\, SR_{t-1} - \beta_2\, \Delta GVA_{t-1} + \beta_3\, RWALR_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-1}$$

विदेशी बैंकः

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1\, SR_{t-1} + \beta_2\, WALR_{t-2} + \beta_3 \Delta CPI_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-5} + \beta_5 \text{Dummy}$$

- *वेक्टर स्वतः परावर्तन*

  विभिन्न बैंक समूहों के विपथन अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विविध क्रमों के विभिन्न वीएआर नमूनों के अनुसार अनुमान लगाया गया जो निम्नलिखित मैक्रो वैरिएबल्स पर आधारित थेः

  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकः आधारमूल्य वृद्धि पर जीवीए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)- मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर, जीडीपी अनुपात की तुलना में सीएबी तथा क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफडी

  निजी क्षेत्र के बैंकः आधारभूत मूल्य वृद्धि पर जीवीए, वास्तविक डब्ल्यूएएलआर तथा क्रम 1 के जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात

  विदेशी बैंकः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)- मुद्रास्फीति तथा क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में सीएबी

क्षेत्रगत स्तरीय नमूने

- *क्षेत्रगत बहुभिन्नरूपी परावर्तन*

  विभिन्न क्षेत्रों पर मैक्रोइकनॉमिक आघातों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए बहुभिन्नरूपी परावर्तन का उपयोग किया गया जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से समग्र एनपीए अनुपात को उपयोग में लाया गया। आश्रित चरों में पिछले जीएनपीए, आधारभूत मूल्य वृद्धि (सकल या स्थानिक), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)- मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर तथा जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात शामिल हैं।

विपथनों से जीएनपीए का आकलन

विपथन अनुपात से निकाले गए जीएनपीए जिन्हें पूर्व में उल्लिखित क्रेडिट जोखिम अर्थमितीय नमूनों द्वारा अनुमान लगाया जाता था, वे निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थेः क्रेडिट संवृद्धि 15 प्रतिशतः मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 11.6 प्रतिशत, 6.7 प्रतिशत, 5.4 प्रतिशत तथा 5.0 प्रतिशत की दर से रिकवरीःमार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 4.5 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत तथा 4.6 प्रतिशत की दर से बट्टे खाते डालना।

कर पश्चात लाभ (पैट) का अनुमान

बैंकों के पैट के कई घटक होते हैं जैसे कि ब्याज से आय, अन्य आय, परिचालनगत खर्च और प्रावधान। इस प्रकार, इन घटकों का विभिन्न समय-शृंखला पर आधारित नमूनों (जैसा कि नीचे दिया गया है) के आधार पर अनुमान लगाया जाता है और अंत में निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए पैट का अनुमान लगाया जाता है:

पैट= एनआईआई+ओओआई-ओई-प्रावधान-आयकर

जहाँ एनआईआई- निवल ब्याज आय, ओओआई- अन्य परिचालनगत आय और ओई- परिचालनगत खर्च है।

निवल ब्याज आय (एनआईआई): ब्याज से आय और ब्याज पर खर्च के बीच का अंतर एनआईआई होता है, उसे निम्नलिखित परावर्तन समीकरण का प्रयोग कर निकाला जाता हैः

$$LNII_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LNII_{t-1} + \beta_2 \times LNGVA_SA_{t-1} + \beta_3 \times Adv_Gr_{t-1} + \beta_4 \times Spread_t$$

जहाँ $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3$, and $\beta_4 > 0$. एलएनआईआई एनआईआई का लॉग है। एलएनजीडीपी- एसए फैक्टर लागत पर सांकेतिक जीडीपी का मौसमी रूप से समायोजित लॉग है। एडीवी-जीआर वर्ष-दर-वर्ष अग्रिमों में होने वाली संवृद्धि दर है। स्प्रैड, ब्याज कमाने वाली आस्तियों पर कमाई गई औसत ब्याज दर और ब्याज देने वाली देयताओं पर दिए गए औसत ब्याज के बीच का अंतर है।

अन्य परिचालनगत आय (ओओआई)ः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओओआई को निम्नलिखित परावर्तन का प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गया हैः:

$$LOOI_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LOOI_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP_SA_t$$

जहाँ, α_1, β_1 तथा $\beta_2 > 0$.

परिचालगत खर्च (ओई)ः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ओई को स्वतः परावर्तित संचरित औसत (एआरएमए) नमूने का प्रयोग कर अनुमानित किया गया।

प्रावधानः निम्नलिखित परावर्तन का उपयोग कर अपेक्षित प्रावधानों का अनुमान लगाया गया:

$$P_Adv_t = \alpha_1 + \beta_1 \times P_Adv_{t-1} - \beta_2 x\, RGVA_Gr_{t-2} + \beta_3 \times GNPA_{t-1} - \beta_4 \times Dummy$$

जहाँ $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3,$ and $\beta_4 > 0$. है तथा पीब्एडीवी कुल अग्रिमों के अनुपात में किया गया प्रावधान है। आरजीवीएब्जीआर वास्तविक जीवीए की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर है। जीएनपीए कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में सकल गैर-निष्पादन आस्तियाँ हैं। डमी, कल्पित समयावधि है।

आयकरः अपेक्षित आयकर को कर पूर्व आय का 32 प्रतिशत माना गया है, जो कर लाभ की तुलना में आयकर के पिछले रुझानों पर आधारित है।

पूंजी पर्याप्तता पर जीएनपीए का प्रभाव

निष्कर्षतः, सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान, पूर्व में उल्लिखित अनुमानित पैट के आधार पर लगाया गया। आरडब्ल्यूए संवृद्धि न्यूनतम स्तर पर 10 प्रतिशत, मध्यम जोखिम के तहत 12 प्रतिशत और गंभीर जोखिम वाली स्थिति में 14% अनुमानित की गई। ऐसा माना गया कि विनियामकीय पूंजी में संवृद्धि न्यूनतम स्तर पर बनी रहेगी क्योंकि इसके लिए यह माना गया कि लाभ के 25 प्रतिशत को अनिवार्य रूप से आरक्षित खातों में अंतरित किया गया। 'तुलनपत्र पद्धति' को अपनाते हुए, गैर-निष्पादन आस्तियों के अनुपात की अनुमानित कीमत को पूंजी अनुपातों के रूप में निरूपित किया गया, जिसके कारण तुलन पत्र में मौजूद पूंजी पर, प्रावधानों और निवल लाभों के जरिए प्रभाव पड़ा।

एकल घटक संवेदनशीलता घटक - दबाव जांच

तिमाही निगरानी करने के एक भाग के रूप में, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि को शामिल करते हुए दबाव जांचें की जाती हैं और इन आघातों के प्रत्युत्तर में वाणिज्यिक बैंकों की आघात वहनीयता का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण व्यक्तिगत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के स्तर पर और समग्र प्रणाली के स्तर पर भी किया गया।

क्रेडिट जोखिम

बैंकों की आघात वहनीयता की जांच करने के लिए, सभी प्रकार के पोर्टफ़ोलिओ के साथ-साथ कुछ चिनिंदा क्षेत्रों में एनपीए के स्तरों में बढ़ोतरी करके झटका दिया जाता है। क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम की जांच करने के लिए मुख्य व्यक्तिगत उधारकर्ता (कर्ताओं) और उधारकर्ताओं के सबसे बड़े समूह को चूककर्ता के रूप में मान लिया गया। यह विश्लेषण समग्र स्तर पर और व्यक्तिगत बैंक दोनों ही स्तरों पर किया गया। एनपीए में मानी गई वृद्धि को मानक से कम, संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में एनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलाब्ध था। हालांकि, क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम के लिए माने गए आघात के अंतर्गत अतिरिक्त जीएनपीए को केवल अवमानक श्रेणी में माना गया। इन दबाव जांचों के लिए प्रयोग में लाए गए प्रावधानीकरण के मानदंड विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए लागू मौजूदा औसत मानदंडों के अनुरूप ही थे। मानक से कम, संदेहास्पद और हानि अग्रिमों के लिए क्रमशः 25, 75 और 100% की प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को संज्ञान में लिया गया। जीएनपीए मे मानी गई वृद्धि के परिणामस्वरूप एक तिमाही के लिए अतिरिक्त जीएनपीए पर आय की हानि को भी कुल हानि में अतिरिक्त प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अलावा शामिल किया गया। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमानित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को बैंक की पूंजी में से घटा दिया गया और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपातों को निकाला गया।

ब्याज दर जोखिम

भारतीय रुपये के प्रतिफल वक्र में आने वाले अंतर के कारण माने गए आघात के तहत, पोर्टफोलिओ की कीमत में होने वाली कमी या आय में होने वाली गिरावट के कारण होने वाली हानियों को संज्ञान में लिया गया। बैंकों की पूंजी में से इन अनुमानित हानियों को कम कर दिया गया ताकि दबावग्रस्त सीआरएआर को प्राप्त किया जा सके।

ट्रेडिंग पोर्टफोलिओ (एचएफटी+एएफएस) में ब्याज दर जोखिम के लिए मुद्दत विश्लेषण पद्धति पर विचार किया गया ताकि कीमत के प्रभाव (पोर्टफोलिओ हानियों) की गणना की जा सके। दिए गए आघातों के आधार पर प्रत्येक कालावधि के लिए इन निवेशों पर पोर्टफोलिओ हानियों की गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त हानियों/लाभों का प्रयोग इससे प्रभावित सीआरएआर पर निकालने के लिए किया गया। एचटीएम पोर्टफोलिओ में ब्याजदर आघात प्रभाव देखने के लिए अलग से क प्रक्रिया अपनाई गई, मुद्दत पद्धति का प्रयोग करते हुए, ब्याज वहन करने वाली आस्तियों पर प्रत्येक कालावधि के लिए हानियों के मूल्यांकन की गणना की गई। एचटीएम पोर्टफोलिओ पर जांच के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना यह मानते हुए की गई कि एचटीएम पोर्टफोलिओ दैनिक बाजार मूल्य पर आधारित (मार्क्ड टू मार्केट) है।

बैंक बही के संबंध में आय के परिप्रेक्ष्य से ब्याज दर जोखिम संबंधी प्रभाव के लिए आय पद्धति (आय हानि) को संज्ञान में लिया गया। ब्याज वहन करने वाले एक्सपोज़र अंतर पर आय हानि की गणना प्रत्येक कालावधि के लिए अलग से केवल एक वर्ष हेतु की गई ताकि वर्तमान वर्ष के लाभ तथा आय विवरणों पर इसके प्रभाव को दर्शाया जा सके।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम जांच का उद्देश्य यह है कि असंभावित रूप से चलनिधि के बाहर चले जाने पर, बाहर की कोई मदद लिए बगैर, बैंक की उसे वहन करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ जमाकर्ताओं के अचानक विश्वास खो देने के कारण जमाराशि निकासी की विविध प्रकार की परिस्थितियों (जमाराशि की प्रकृति के अनुसार) के उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त करती हैं और इस प्रकार की परिस्थितियों का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध चलनिधि आस्तियों की पर्याप्तता का अनुमान लगाती है। स्वीकृत/आश्वासित/गारंटीकृत (अनाहरित स्वीकृत पूंजी सीमा, अनाहरित क्रेडिट सुविधा और साख पत्र एवं गारंटियों को शामिल करते हुए) क्रेडिट सुविधा के उपयोग न किए गए भाग के आधार पर एक अन्य चलनिधि जोखिम विश्लेषण किया गया है ताकि बैंक द्वारा केवल उनकी चलनिधि आस्तियों की सहायता से अतिरिक्त एवं आकस्मिक क्रेडिट की मांग को पूरा करने की क्षमता पर फोकस किया जा सके।

चलनिधि दबाव जांच में शामिल किए गए अनुमान इस प्रकार हैं:

- यह माना गया कि बैंक केवल चलनिधि आस्तियों की बिक्री के जरिए जमाराशियों की दबावग्रस्त निकासी या क्रेडिट की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेगा।
- किए गए निवेशों की बिक्री उनके बाजार मूल्य में दस प्रतिशत के कमीशन पर कर ली जाएगी।
- दबाव जांच अपरिवर्तित रूप में की गई।

बॉटम अप दबाव जांच

15 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बॉटम-अप संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया। उक्त चुनिंदा बैंकों को समान परिदृश्य और आघात आकार उपलब्ध कराए गए। मार्च 2015 के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए जांच की गई। बैंकों ने प्रत्येक मामले में हानियों की गणना करने के लिए अपनी पद्धतियों का प्रयोग किया।

चुनिंदा बैंकों के व्यूत्पन्नी (डेरीवेटिव्ज़) पोर्टफोलिओ की दबाव जांच

शीर्ष 20 बैंकों के प्रतिनिधि नमूना समूह के व्यूत्पन्नी पोर्टफोलिओ के संबंध में दबाव जांच को केंद्रित किया गया और इसके लिए व्यूत्पन्नी पोर्टफोलिओ की नोशनल कीमत ली गई। नमूने में शामिल प्रत्येक बैंक से कहा गया कि वे अपने संबंधित व्यूत्पन्नी पोर्टफोलिओ के संबंध में दबाव परिस्थितियों के प्रभाव का अनुमान लगाएं।

घरेलू बैंकों के मामले में घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के व्यूत्पन्नी पोर्टफोलिओ को शामिल किया गया। विदेशी बैंकों के मामले में, इस

प्रक्रिया में केवल घरेलू (भारतीय) पोजीशन पर विचार किया गया। व्यूत्पन्नी व्यापार के लिए जहां हेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, उन्हें दबाव जांच से छूट प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी प्रकार के व्यापार को इसमें शामिल किया गया।

दबाव परिस्थितियों में चार संवेदनशीलता जांचों को शामिल किया गया जिसमें स्पॉट यूएस डॉलर/ भारतीय रुपया दर और घरेलू ब्याज दरें मानकों के रूप में ली गईं (सारणी 2)।

सारणी 2: संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आघात

	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 1	एक दिनी	**+ 2.5 प्रतिशत अंक**
	1 वर्ष तक	**+ 1.5 प्रतिशत अंक**
	1 वर्ष से अधिक	**+ 1.0 प्रतिशत अंक**

	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 2	एक दिनी	**- 2.5 प्रतिशत अंक**
	1 वर्ष तक	**- 1.5 प्रतिशत अंक**
	1 वर्ष से अधिक	**- 1.0 प्रतिशत अंक**

	विनिमय दर	
आघात 3	यूएस डॉलर/ भारतीय रुपया	**+20 प्रतिशत**

	विनिमय दर	
आघात 4	यूएस डॉलर/ भारतीय रुपया	**+20 प्रतिशत**

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

एकल फैक्टर संवेदनशीलता विश्लेषण- दबाव जांच

क्रेडिट जोखिम

मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में उनके आस्ति पोर्टफोलिओ को उपयोग में लाते हुए क्रेडिट जोखिम के बारे में दबाव जांच की गई। यह जांच एक घटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थी। चार अलग-अलग परिदृश्यों के अधीन सीआरएआर पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। अनुमान लगाई गईं परिस्थितियाँ इस प्रकार थीं:

- परिस्थिति I: जीएनपीए में 0.5 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों में श्रेणीकृत)
- परिस्थिति II: जीएनपीए में 0.5 एसडी आघात (हानि अग्रिमों में श्रेणीकृत)
- परिस्थिति III: जीएनपीए में 1 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों में श्रेणीकृत)
- परिस्थिति IV: जीएनपीए में 1 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों में श्रेणीकृत)

चलनिधि जोखिम

1-28 दिन की कालावधि में नकदी के प्रवाह के आधार पर एक चलनिधि दबाव जांच भी की गई जिसमें बहिर्वाह के 20 प्रतिशत से अधिक असंतुलन (नकारात्मक अंतर ढनकदी बहिर्वाह की तुलना में नकदी प्रवाह का कम होनाज) होने की स्थिति में इसे दबावग्रस्त माना गया।

- परिस्थिति I- 1-28 दिन की कालावधि में नकदी बहिर्वाह का 50 प्रतिशत तक जाना (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन न होना)।
- परिस्थिति II- 1-28 दिन की कालावधि में नकदी बहिर्वाह का 100 प्रतिशत तक जाना (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन न होना)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

एकल कारण संवेदनशीलता विश्लेषण- दबाव जांच

क्रेडिट जोखिम

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमा राशि लेने वाली और जमा राशि संग्रह न करने वाली दोनों प्रकार की और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियाँ शामिल थीं) पर क्रेडिट जोखिम के संबंध में दबाव जांच की गई, इसमें मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार उनके आस्ति पोर्टफोलिओ का उपयोग किया गया। ये जांच एकल घटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थीं। दो विभिन्न परिस्थितियों के तहत सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गयाः

- परिस्थिति I ः ः मौजूदा स्थिति में जीएनपीए में 0.5 एसडी वृद्धि का स्तर।
- परिस्थिति II ः ः मौजूदा स्थिति में जीएनपीए में 1 एसडी वृद्धि का स्तर।
- परिस्थिति III ः ः मौजूदा स्थिति में जीएनपीए में 3 एसडी वृद्धि का स्तर।

जीएनपीए में मानी गई वृद्धि को अवमानक, संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में जीएनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। प्रावधानीकरण की अतिरिक्त अपेक्षाओं को मौजूदा पूंजी की स्थिति से समायोजित कर दिया गया। दबाव जांच व्यक्तिगत एनबीएफसी के स्तरों के साथ ही साथ समग्र स्तर पर भी की गई।

अंतर-सहसंबद्धता - नेटवर्क विश्लेषण

नेटवर्क का विश्लेषण करने के मूल में बीजगणितीय मैट्रिक्स होते हैं, जो निश्चित रूप से वित्तीय क्षेत्र में निकायों के बीच द्विपक्षीय एक्सपोज़रों का विश्लेषण होते हैं। प्रणाली में एक संस्था की दूसरी संस्था को दी गई अथवा ली गई उधारियों को वर्ग मैट्रिक्स में रखा जाता है और तब उन्हें एक नेटवर्क मानचित्र में चिह्नित किया जाता है। प्रणाली में अंतर-सहसंबद्धता के स्तर को मापने के लिए नेटवर्क मॉडल में विभिन्न सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण इस प्रकार हैः

संयोजकताः यह एक सांख्यिकी होती है जो एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव शृंखलाओं से संबंधित नोड्स के बीच शृंखलाओं की सीमा को मापती है। निर्देशित ग्राफ के लिए आउट डिग्री की कुल संख्या दर्शाना K=के बराबर है और N नोड की कुल संख्या है, ग्राफ की सहसंबद्धता दी गई है।

समूहन (क्लस्टर) गुणांकः नेटवर्क में समूहन यह मापता है कि प्रत्येक नोड आपस किस प्रकार सह-संबद्ध है। विशेष रूप से इस बात की प्रबल संभावना होती है कि किसी नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी होंगे। किसी नेटवर्क के लिए उच्च समूहन गुणांक का अर्थ यह होता है कि प्रणाली में उच्च स्थानिक सह-संबद्धता मौजूद है। K_i पड़ोसियों के साथ प्रत्येक बैंक उनके बीच सभी संभव निर्देशित लिंक $K_i(K_i - 1)$ के रूप में दिया गया है। एजेंट I's के Ki पड़ोसियों के बीच वास्तविक को E_i दर्शाता है अर्थात I's के Ki पड़ोसी जो पड़ोसी भी हैं। बैंक I के लिए समूहन गुणांक C_i निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाता हैः

$$C_i = \frac{E_i}{k_i(k_i - 1)}$$

समग्र रूप से नेटवर्क का समूहन गुणांक सभी Ci का औसत है और इसे निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाता हैः

$$C = \frac{\sum_{i=1}^{N} C_i}{N}$$

निकटतम मार्गस्थ दूरीः यह नेटवर्क के किसी एक नोड और अन्य नोडों में प्रत्येक के बीच मौजूद सीधी शृंखलाओं की औसत संख्या बताता है। जिन नोडों के बीच निकटतम मार्ग होता है उन्हें प्रणाली में हब के रूप में चिह्नित किया जाता है।

आपस की केंद्रीयता (Inbetween Centrality)ः यह सांख्यिकी बताती है कि निकटतम मार्गस्थ दूरी किस प्रकार एक विशिष्ट नोड के जरिए गुजरती है।

केंद्रीयता का आईजेनवेक्टर मापनः नेटवर्क में (बैंक) किसी नोड का क्या महत्व है इसे आईजेनवेक्टर केंद्रीयता के जरिए मापा जाता है। यह बताता है कि किसी नोड का पड़ोसी कितना संबद्ध है और यह उनकी डिग्री या एक नोड के कितने सीधे 'पड़ोसी' हैं उनसे कहीं कुछ अधिक बताता है। यह अल्गोरिथम नेटवर्क के सभी नोड्स को एक संबद्ध केंद्रीयता अंक प्रदान कर देती है और किसी बैंक का केंद्रीयता अंक, आपस में संबद्ध सभी नोड्स को दिए गए केंद्रीय अंक के जोड़ के समानुपातिक होता है। समान रूप से किसी NxN मैट्रिक्स के लिए इसमें N विभिन्न प्रकार के आईजेन मान होंगे, जिनके इए आईजेनवेक्टर समाधान मौजूद होता है। प्रत्येक बैंक का अपना अलग आईजेन मान होता है जो प्रणाली में उसका महत्व दर्शाता है। इस उपाय का नेटवर्क विश्लेषण में उपयोग किया जाता है ताकि किसी बैंक के प्रणालीगत महत्व को स्थापित किया जा सके और इससे कहीं अधिक यह सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है।

परतयुक्त नेटवर्क संरचनाः विशिष्ट रूप से वित्तीय नेटवर्क में परतयुक्त संरचना का उपयोग देखा जाता है। परतयुक्त संरचना एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की अन्य नेटवर्क के साथ विविध अंशों पर या स्तरों पर सबद्धता होती है। मौजूदा विश्लेषण में सर्वाधिक रूप से संबद्ध बैंक (केंद्रीयता के उनके आइजेनवेक्टर माप के आधार पर) सबसे भीतरी केंद्रक होते हैं। इसके बाद बैंकों को मध्य केंद्र, बाहरी कोर और परिधि में (चित्र में केंद्र के चारों ओर संबंधित संकेंद्रित चक्रों में) उनकी संगत संबद्धता के आधार पर रखा जाता है। बैंकों की संबद्धता की रेंज को प्रत्येक बैंक के अनुपात के अंश रूप में परिभाषित किया जाता है और बाह्य अंश को सर्वाधिक संबद्ध बैंक के अंश से विभाजित किया जाता है। जो बैंक इस अनुपात के शीर्ष 10 प्रतिशतक पर आते हैं वे भीतरी केंद्रक का निर्माण करते हैं। 90 और 70 प्रतिशतक के बीच आने वाले बैंक मध्य केंद्र में आते हैं और 40 से 70 प्रतिशतक वाले बैंकों की एक तीसरी परत होती है। 40 प्रतिशतक से कम प्राप्त करने वाले बैंकों को परिधि के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

ऋण शोधन क्षमता संक्रामकता विश्लेषण

शोधनक्षमता विश्लेषण मूलतः एक प्रकार की दबाव जांच होती है जिसमें एक या अधिक बैंकों के असफल हो जाने के कारण उत्पन्न दूरगामी प्रभावों के चलते बैंकिंग प्रणाली को होने वाले सकल घाटे का पता लगाया जाता है। इसके लिए हम चक्र-दर-चक्र प्रणाली या अनुक्रमिक अल्गोरिथम का उपयोग करते हैं ताकि अनुरूपता संक्रामकता, जिसे अब भली प्रकार फरफाइन (2003) के नाम से जाना जाता है, का पता लगाया जा सके। यदि i नामक बैंक से प्रारंभ करें जो समय o पर असफल होता है तो प्रत्येक चक्र या पुनरावृति में जो बैंक परेशानी में आते हैं उसे Dq, q= 1,2, ऊऊ. के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इस विश्लेषण के लिए, किसी बैंक को तब परेशानी में पड़ा माना जाता है जब इसका कोर सीआरएआर 6 प्रतिशत से कम हो जाए। प्राप्तकर्ता बैंक के लिए निवल प्राप्तियों को घाटे के रूप में माना जाता है।

चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण

जहां ऋणशोधन क्षमता संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारकर्ता के असफल हो जाने की स्थिति में प्रणाली को होने वाले संभावित लाभ का आकलन करता हैं वहीं चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारदाता के असफल हो जाने की स्थिति में प्रणाली को होने वाले संभावित लाभ का अनुमान लगाता है। यह विश्लेषण बैंकों के बीच होने वाले सकल एक्सपोज़र के संबंध में किया जाता है। एक्सपोज़र में निधि आधारित और व्यूत्पन्नी दोनों प्रकार के एक्सपोज़र शामिल होते हैं। इस विश्लेषण का मूलभूत आकलन यह होता है कि किसी बड़े उधारदाता के असफल होने की स्थिति से उत्पन्न होनी वाली चलनिधि दबाव से निपतने के लिए किसी बैंक के चलनिधि रिज़र्व या बफर में पहले तो गिरावट आएगी। चलनिधि रिज़र्व के तहत विचार में ली जाने वाली मदें इस प्रकार हैंः (क) सीआरआर का अतिरिक्त अधिशेष; (ख) एसएलआर का अतिरिक्त अधिशेष और (ग) उपलब्ध सीमांत स्थायी सुविधा। यदि बैंक केवल चलनिधि बफर से ही दबाव से निपटने में सक्षम होता है तो ऐसी स्थिति में इसका आगे कोई और संक्रमण नहीं होता है।

तथपि, यदि केवल चलनिधि बफर पर्याप्त नहीं होते हैं, तब बैंक को उन सभी ऋणों को वापस लेना होगा जो 'वापस लिए जाने योग्य' हैं जिसके परिनामस्वरूप संक्रामकता होती है। यदि विश्लेषण करने के लिए देखा जाए तो केवल अल्पावधि की आस्तियाँ जैसे कि कॉल मार्केट में उधार दी गई राशि और अन्य बहुत ही अल्पावधि के लिए दिए गए ऋणों को ही वापसी योग्य कहा जा सकता है। इसके पश्चात किसी बैंक का अस्तित्व या तो बना रह सकता है अथवा उसका परिसमापन किया जाना होगा। इस मामले में इस प्रकार के उदाहरण हो सकते है कि जहां ऋणों की वापसी होने से बैंक का अस्तित्व बना रह गया हो परंतु इसके परिणामस्वरूप इससे आगे संक्रामक हो सकता है जिससे अन्य बैंकों पर दबाव पड़ सकता है। दूसरा आकलन यह लगाया गया है कि जब किसी बैंक का परिसमापन किया जाता है तो उस बैंक द्वारा उधार दिए गए ऋणों को सकल गणना के आधार पर वापस मांगा जाता है जबकि परिसमापन किए बगैर जब बैंक द्वारा दिए गए अल्पावधि ऋणों को वापस मांगा जाता है तो ऋण को निवल आधार पर वापस मांगा जाता है। (इस अनुमान के अनुसार कि पक्षकार अपने उसी प्रतिपक्षी के प्रति देय अपनी अल्पावधि देयताओं को पहले कम करना चाहिए)।

संयुक्त ऋण शोधन क्षमता- चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण

किसी बैंक का विशिष्ट रूप से कुछ बैंकों के प्रति सकारात्मक निवल उधार स्थिति होती है जबकि कुछ बैंकों के प्रति नकारात्मक निवल उधार स्थिति हो सकती है। ऐसे बैंक के असफल हो जाने की स्थिति में ऋणशोधन तथा चलनिधि संक्रामकता दोनों साथ-साथ हो सकती है। इस प्रक्रिया की व्याख्या निम्नलिखित फ्लोचार्ट से की जा सकती है:

बैंक के दबाव के अधीन आने के कारण संयुक्त चलनिधि- ऋण शोधन क्षमता संक्रामकता का फ्लोचार्ट

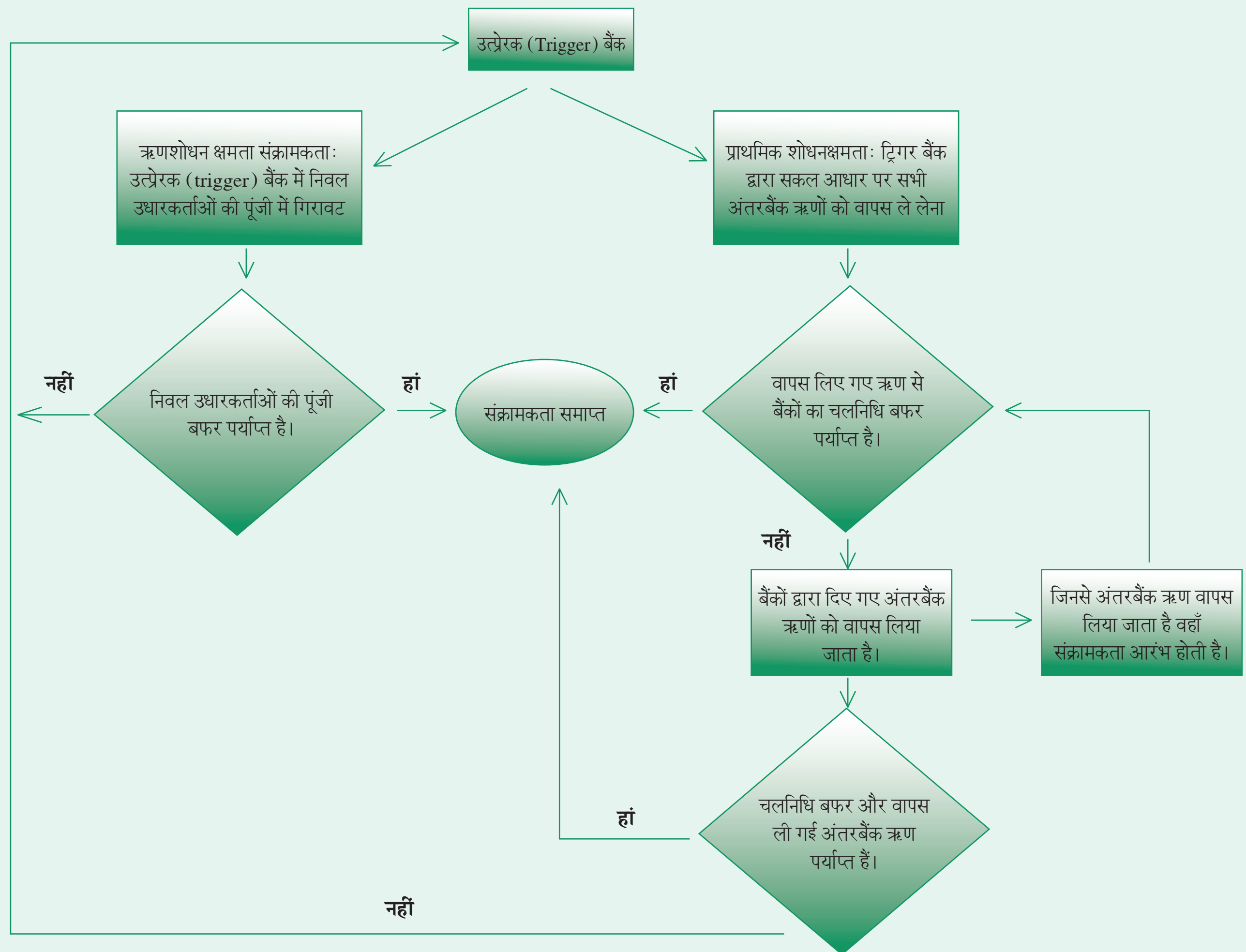

यह मान लिया जाए कि किसी अंतर्जातीय कारण से ट्रिगर बैंक असफल हो गया है अर्थात यह अनिवार्यत: दिवालिया हो जाता है और सभी ऋणदाता बैंकों को प्रभावित करता है। इसी समय यह अपनी आस्तियों का परिसमापन करना आरंभ कर देता है ताकि यथासंभव अधिक से अधिक दायित्वों को पूरा कर सके। परिसमापन की इस प्रक्रिया से चलनिधि संक्रामकता होती है क्योंकि ट्रिगर बैंक अपने ऋणों को वापस लेने लगते हैं।

उधारदाता/उधारकर्ता बैंक जिनके पास पर्याप्त पूंजी होती है वे इस आघात को सहन कर लेते हैं जिनसे आगे कोई संक्रामकता नहीं होती। दूसरी तरफ ऐसे ऋणदाता बैंक जिनकी पूंजी तय सीमा से कम हो जाती है वे नई संक्रामकता पैदा करते हैं। इसी प्रकार, ऐसे उधारकर्ता जिनकी चलनिधि बफर पर्याप्त होती है वे बिना संक्रामकता पैदा किए दबाव को सहने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कुछ चलनिधि दबाव का सामना केवल अल्पावधि आस्ति को वापस लेकर कर सकते हैं। अल्पावधि आस्तियों को वापस लेकर करने की इस प्रक्रिया से फिर से संक्रामकता बढ़ सकती है।

यदि सिस्टम द्वारा आगे बिना कोई असफलता के हानि/ आघात को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया जाए तो ऋणशोधन क्षमता तथा चलनिधि दोनों से उत्पन्न संक्रामकता रूक सकती है या स्थिर हो सकती है।